

प्राचीन भारत में आपद्धर्म (आपद्धर्म) का एक
ऐतिहासिक अध्ययन

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल० उपाधि हेतु प्रस्तुत
शोध प्रबन्ध

निर्देशक :

प्रो० राम कृष्ण द्विवेदी
प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

प्रस्तुतकर्त्री :

श्रीमती रेनू मिश्रा
प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

1991

भवत्यधर्मो धर्मो हि धर्माधर्मावुभावपि ।
कारणाद् देशकालस्य देशकालः स तादृशः ॥

महाभारत, शान्तिपर्व, राजधर्मानुशासनपर्व 78.32

समय और स्थान परिवर्तन के
कारण ही धर्म अधर्म स्वरूप तथा
अधर्म धर्म स्वरूप हो जाता है ।

.....

भूमिका

‘ प्राचीन-भारत में आपद्धर्म का ऐतिहासिक अध्ययन ’ एक सारगर्भित प्रश्न है जो मानव समाज की प्राचीनतम विचारधाराओं एवं आदर्श सविदना के संगम से प्रवाहित विभिन्न कालों में भिन्न-भिन्न मानक व मापदण्ड के रूपक धर्म के साफ़ेता अध्ययन से अभिप्रेरित है । एक व्यवस्थित समाज की परिकल्पना धर्म अवधारणा के अभाव में कपोल कल्पित है । सभ्यताओं का उत्थान-पतन चिरकाल से निरन्तर गति से होता रहा है किन्तु इसमें धर्म का बीज सदैव से निष्पन्न रहा है । आपद्धर्म धर्म का ही विषम परिस्थितिजन्य पूरक विषय है । आपद्धर्म विशेष परिस्थितियों में समाज द्वारा या समाज के किसी व्यक्ति विशेष द्वारा समाज की रक्षा या व्यक्ति विशेष की रक्षा हेतु प्रतिपादित कार्य या उक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु क्रियान्वित कार्य प्रणाली है तथा इसका उस काल में उस समाज द्वारा मान्य धर्म की अवधारणा के अनुकूल या प्रतिकूल होना अनिवार्य नहीं है ।

प्राचीन भारत में उपलब्ध आदिकालीन रचनाओं ऋग्वेद, धर्मसूत्रों कौटिल्य अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, महाभारत तथा पुराणों के लण्ड पाठों के शीर्षस्थ पाश्चात्य तथा स्वदेशी विद्वानों के ग्रंथानुवाद का अवलोकन एवं अध्ययन करने से यह तथ्य निश्चय ही विदित होता है कि धर्म का स्वरूप सदैव से परिवर्तनशील रहा है तथा समाज की संरचना, प्रगति एवं आवश्यकता के अनुरूप धर्म की अवधारणाएं एवं मान्यताएं शनैः शनैः परिवर्तित होती रही है । अतः दीर्घ काल तक एक संस्कृति में धर्म का स्वरूप कुछ नियमों अथवा शब्दों का कृष्ण नहीं है, न ही इसे लेखबद्ध किया जा सकता है । अतएव धर्म की अवधारणा की परिवर्तनशीलता विभिन्न कालों में दृष्टिगत आपद्धर्म की उपस्थिति को अस्थायीत्व एवं अनियमितता का स्वरूप प्रदान करती है । इन परिस्थितियों में विभिन्न कालों में विद्यमान आपद्धर्मों के स्वरूप को लेखबद्ध करना कठिन अवश्य है किन्तु इस शोध ग्रंथ में आदिकाल से समाज

में विद्यमान आपद्धर्मों को परिवर्तित काल के अनुरूप कालखण्डों में विभाजित कर आपद्धर्म के विविध विधाओं का तथा समाज में इसकी प्रबल भूमिका के ऐतिहासिक (तिथि क्रमागत विश्लेषणात्मक) अभिव्यजना का प्रयास किया गया है ।

विविध ऐतिहासिक ग्रंथों के अध्ययन से जात होता है कि प्राचीन इतिहास के विद्वानों का प्रमुख ध्येय धर्म की विविधताओं पर प्रकाश डालना था । डा० पी०वी०काणे के 'धर्मशास्त्र का इतिहास' नामक प्रमुख ग्रंथ में धर्म के विविध फलों पर प्रकाश डाला गया है । इस ग्रंथ में आपद्धर्म का वर्णन यत्र-तत्र बहुत ही संक्षिप्त रूप में किया गया है । उच विद्वान जी०एच०मीज के ग्रंथ धर्म एण्ड सोसायटी में भी धर्म के सामाजिक फल पर विचार किया गया है तथा आपत्कालीन परिस्थितियों का प्रसंगवश वर्णन किया गया है ।

डा० ए०एस०अल्टेकर के ग्रंथ 'द पोजीशन आव वूमन इन हिन्दू सिविलाइजेशन' तथा डा० आर० एस० शर्मा के ग्रंथ 'शूद्राज इन एशियण्ट इण्डिया' में प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था का वर्णन उपलब्ध होता है । इन ग्रंथों में भी आपद्धर्म विषयक विचारों का वर्णन बहुत ही कम उपलब्ध होता है ।

प्रस्तुत शोध ग्रंथ का प्रमुख विषय ही 'प्राचीन भारत में आपद्धर्म का ऐतिहासिक अध्ययन' है । शोध ग्रंथ के अध्यायों में आपद्धर्म का अर्थ, आपद्धर्म की संकल्पना का सूत्रपात तथा विविध प्रकार के आपद्धर्मों की सैद्धान्तिक व्याख्या तथा ऐतिहासिक कालक्रम के परिप्रेक्ष्य में आपद्धर्म की भूमिका के विस्तृत विवेचन करने का प्रयास किया गया है । शोध ग्रंथ में ऋग्वेद से लेकर 12वीं शताब्दी तक के ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है ।

शोध प्रबन्ध पूर्णता में सर्वप्रथम में आचार्य प्रवर डा० एस० सी० भट्टाचार्या तथा डा० वी०डी० मिश्रा जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मेरे कार्य में विभागीय सुविधायें उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया ।

शोध ग्रंथ की पूर्णता मेरे परम पूज्य गुरुदेव डा० रामकृष्ण द्विवेदी जी की महती कृपा का फल है । शोधकाल के दौरान उन्होंने असीम सहानुभूति

तथा कृपा का पात्र बनाया जिनके विंशष्ट संस्थापन में मेरा शोध ग्रंथ संपन्न हुआ ।
उसके साथ ही साथ अन्य गुरुजनों में डा० रणजीत सिंह राना जी का भी बहुत ही
सहयोग है जिन्होंने समय-समय पर मुझे उचित परामर्श तथा शोध अध्ययन के गूढ़ रहस्यों
को समझाया तथा मेरे लेखन में संशोधन भी किया । उसके अतिरिक्त मैं डा० यू०एन०राय,
डा० एस०एन०राय, डा० ओम प्रकाश, डा० जय नारायण पाण्डेय जी के प्रति भी
आभार व्यक्त करती हूँ जिनके वाद-विवाद के माध्यमों से मेरे शोध विषय के कुछ
पदां पर प्रकाश पड़ा ।

मैं विभाग के पुस्तकालयाध्यक्षा , गंगानाथ फा शोध संस्थान के
पुस्तकालय के कर्मचारियों तथा राजकीय पब्लिक लायब्रेरी के कर्मचारियों की भी कृणी हूँ
जिन्होंने विषय अध्ययन में सभी ग्रंथों को उपलब्ध कराने में मदद की ।

शोध ग्रंथ प्रारंभ करने का प्रमुख श्रेय मेरे परिवारजनों को है । शोध
अध्ययन में मेरे सास, स्वसुर, माता-पिता, पात तथा बच्चों की बड़ी ही अहम
भूमिका रही जिन्होंने हर संभव सुविधायें दी ।

प्रस्तुत शोध लेखन में भारतीय इतिहास अनुसंधान पारिषद् से बहुत ही
आर्थिक मदद उपलब्ध हुई । मैं वहाँ के निदेशक डा० बी०के०पाण्डे जी के प्रति आभार
व्यक्त करती हूँ ।

मेरे शोध ग्रंथ टंकण में ईश्वर धरण जी (हिन्दुस्तानी एकेडेमी,
इलाहाबाद) का बड़ा ही योगदान है जिन्होंने अपनी समस्याओं के बावजूद मेरा
ग्रंथ टंकित किया ।

अन्ततः मैं अपने सभी कार्य का कारण ईश्वर की कृपा सम्मकती हूँ ।

मेरे शोध ग्रंथ का मूल मंत्र है-

सर्वे भवन्तु सुखिनः

सर्वे संतु निरामयाः

विषय - सूची

	पृष्ठ संख्या
भूमिका	- 1 - 111
1- आपद्धर्म की अवधारणा	- 1 - 31
धर्म	
सामान्य-धर्म	
आपद्धर्म	
2- आपद्धर्म की संकल्पना का सूत्रपात	- 32 - 42
3- आपद्धर्म का स्वरूप एवं विशेषताएं	- 43 - 184
आपद्धर्म-धर्म	
आपद् स्त्री-धर्म	
आपद् कुल-धर्म	
आपद् राज-धर्म	
4- प्राचीन भारतीय सामाजिक गतिशीलता में आपद्-धर्मों के महत्व एवं योगदान का ऐतिहासिक विश्लेषण	- 185 - 262
प्राचीन भारतीय सामाजिक गतिशीलता में आपद्-वर्ण-धर्म का महत्व एवं योगदान	
प्राचीन भारतीय सामाजिक गतिशीलता में आपद्-स्त्री-धर्म का महत्व एवं योगदान	
प्राचीन भारतीय सामाजिक गतिशीलता में आपद्-राजधर्म का महत्व एवं योगदान	
5- निष्कर्ष	- 263 - 268
6- सक्ति शब्द-सूची	- 269
7- ग्रंथ-सूची	- 270 - 282

: : : : : :

प्रथम अध्याय

आपद्धर्म की अवधारणा

आपद्धर्म एक सापेक्ष शब्द है जिसका मूल अर्थ व्यक्ति के आपद्कालीन कर्तव्यों से है। आपद्धर्म का अर्थ व स्वरूप समझने से पूर्व धर्म की प्रासंगिकता को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझना अति आवश्यक है। आपद्धर्म की प्राथमिक भूमिका धर्म और सामान्य-धर्म से प्रारम्भ होती है।

धर्म :

धर्म शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के ' धृ ' धातु से हुई है जिसका प्रयोग धारण करने के अर्थ में किया गया है। पी०वी० काणे का विचार है ' धर्म ' उन संस्कृत शब्दों में है जिसका प्रयोग कई अर्थों में होता आया है। यह शब्द अनेक परिवर्तनों विपर्ययों के चक्र में धूम चुका है। शब्दकोष में इसके लिए विविध शब्द प्रयुक्त किये गये हैं जैसे नियम, कर्तव्य, अधिकार, न्याय, नैतिकता, गुण, धर्म अच्छे कार्यों के सम्पादन और चारित्रिक गुणों से है।¹

भारतवर्ष के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में कई स्थलों पर धर्म शब्द का प्रयोग विविध अर्थों में किया गया है। एक स्थल पर धर्माणि धारयन् शब्द प्रयुक्त किया गया है जिसका अर्थ है ' विष्णु सब धर्मों को धारण करता

1- पी०वी० काणे : ' धर्मशास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग , पृ० 3

गर्वन्पेट ओरियण्टल सीरीज़, पूना, 1941 ।

हुआ तीन पद रखने का विक्रम करता है ।¹ एक स्थल पर धर्म को यज्ञपरक बताते हुए धर्माणि प्रथमान्यासन् शब्द प्रयुक्त किया गया है जिसका अर्थ है, ' देवगण यज्ञ से यज्ञ पुरुष की पूजा करते हैं, वे धर्म उत्कृष्ट है और प्रार्थामिक है । व यज्ञ सम्पन्न करते हुए उस सुखपूर्ण लोक को प्राप्त करते हैं जहाँ पूर्व के साधन सम्पन्न देवता रहते हैं ।²

एक स्थल पर धर्म को शाश्वत कहते हुए धरुणेषु और धर्माणि शब्द प्रयुक्त किया गया है, जिसका अर्थ है, ' मनुष्य उत्तम मार्ग पर जाने के लिए यज्ञों में विशाल बल वाले वैश्वानर अग्नि की सेवा करते हैं और रत्न प्राप्त करते हैं । मरण रहित अग्नि देवों की सेवा करता है इसलिए प्राचीन धर्म दूषित नहीं होता है, शाश्वत रहता है ।³

1- ऋग्वेद - अनु० दामोदर सातवलेकर : भारत मुद्रणालय, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, बलसाड, 1967, पृ० 42

1.22.18 - त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । अतो धर्माणि धारयन् ।

2- ऋग्वेद- अनु० दामोदर सातवलेकर, भारत मुद्रणालय, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, बलसाड, 1967, पृ० 445 ।

1.164.50- यज्ञे यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानं सवन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥

3- ऋग्वेद - अनु० दामोदर सातवलेकर, भारत मुद्रणालय, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, बलसाड, 1967, पृ० 11 ।

3.3.1 वैश्वानरार्यपृथुपाजसे विपो रत्ना विधन्त धरुणेषु गातवे ।

पृ० 11 अग्निर्हि देवा अमृतो दुवस्यत्यथा धर्माणि सन्ता न द्रुष्यतु ॥

इस प्रकार से ऋग्वेद में वर्णन है कि धर्म में धारक शक्ति होती है थी, धर्म नियमों और यज्ञों का प्रतिपादक था। अतः ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में अग्नि की श्रेष्ठता को स्वीकार किया गया है। अग्नि की पूजा थी तथा हव्य सामग्री के माध्यम से की जाती थी, जिसे यज्ञ कहा जाता था। पी० वी० काणो के अनुसार ऋग्वेद की ऋचाओं में धर्म शब्द मुख्यतः क्रिया या संज्ञा रूप में प्रयुक्त हुआ है (धर्मन् के रूप में सामान्यतः नपुंसक लिंग में) अधिक स्थानों पर धर्म का अर्थ धार्मिक विधि विधानों, धार्मिक क्रिया संस्कारों के रूप में प्रयुक्त हुआ है इस प्रकार धर्म का अर्थ निश्चित नियम, आचरण, नियम व्यवस्था या सिद्धान्त से है।¹

ऋग्वेद में धर्म शब्द एक पदा कृत के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है जिसका तात्पर्य नियमों एवं सत्य के पालन से है। एक मंत्र में वर्णन है, ' हे नियमों के रक्षाक, सत्य धर्म का पालन करनेवाला मित्र, वरुण तुम दोनों आकाश में रथ पर बैठते हो, संसार की रक्षा करते हो जिस धूलोक को वर्णा² बरसा कर पुष्ट करती है।

एक स्थल पर कृत का संबंध शाश्वत नियमों से है, एक मंत्र में वर्णन है पृथ्वी लोक, धु लोक, वरुण, सूर्य और नदियाँ सभी अपने-अपने नियमों में रहते हैं कोई भी अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करता।³

पी० एच० मीज ने वेदों में प्रयुक्त कृत शब्द की व्याख्या की है कृत शब्द सत्य और अवैयक्ति⁴ नियमों के लिए प्रयुक्त किया गया है। सामाजिक

1- पी० वी० काणो - धर्मशास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, पृ० 3, भण्डारकर रिसर्च इन्स्टीच्यूट, पूना, 1930।

2- ऋग्वेद अनु० दामोदर सातवलेकर, भारत मुद्राणालय, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, बलसाड, 1979, पृ० 286।

5.63.1 कृतस्य गोपावधिं तिष्ठथो रथं सत्यं धर्मणा परये व्यौमिन।
यमत्र मित्रावरुणावथो युवं तस्मै वृष्टिर्मधुमत् पिवन्ते दिवः ॥

3- ऋग्वेद- अनु० दामोदर सातवलेकर, भारत मुद्राणालय, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, बलसाड

1.101.3 यस्य धावापृथिवी पौस्यं मृश्यं यस्य व्रते वरुणो यस्य सूर्यः।
यस्थेन्द्रस्य सिन्ध्वः सश्वति वत मरुत्वन्त सध्यायं हवामहे ॥

दृष्टिकोण से इसका प्रयोग नैतिकता के लिए भी किया गया है।¹

ऋग्वेद में प्रयुक्त ऋत के समानार्थक शब्दों का प्रयोग ईरानी ग्रंथ अवेस्ता में भी मिलता है।² डा० लारेन्स मिल्स का मत है अवेस्ता प्रयुक्त अर्श शब्द ऋत की भाँति सृष्टि सम्बन्धी अपरिवर्तनीय व्यवस्था का द्योतक है। इसका प्रयोग दैवी नियमों के लिए किया गया है।³ लुई रेनु का विचार है कि आर्यों के भारतवर्ष में प्रवेश से पूर्व ही उनमें ऋत सम्बन्धी कुछ विचार विद्यमान थे जिसका प्रमाण अवेस्ता में प्रयुक्त अर्श शब्द ठीक प्रतीत होता है।⁴

बार्थ और रगोजिन के अनुसार ऋग्वेद में ऋत और सत्य को सौर जगत् का धर्म बताया गया है।⁵

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ऋत के सहारे ही नैतिक गुणों का विकास हुआ अतः नैतिकता सत्य से ही उद्भूत है।⁶ वैदिक विचारधारा के अनुसार हम जीवन यज्ञ में अनृत से सत्य की ओर बढ़ते हैं सत्य को ऋत के रूप में देवता धारण करते हैं।⁷

1- जी० एच० मीज : धर्म एण्ड सोसाइटी, ग्रेट रसल स्ट्रीट, लन्दन, 1935, पृ० 6

2- रणजीत सिंह राणा - धर्म की हिन्दू अवधारणा, सेण्ट्रल बुक डिपो, 1977, पृ० 1
अवेस्ता यस्त, तारापुरवाला, कलकत्ता युनिवर्सिटी, मिशन प्रेस, 1922,
9.6.1

3- डा० लारेन्स मिल्स, अवेस्ता, लिपजिंग, 1910 ई०, यस्त 1 ।

4- लुई रेनु, वैदिक इण्डिया, लन्दन, 1889 ई०, पृ० 56 ।

5- बार्थ ए० रिलिजन्स आव इण्डिया, पृ० 42-43, लन्दन, 1882 ई० ।

रगोजिन, जेड०ए० - वैदिक इण्डिया, पृ० 146-147, लन्दन, 1889 ई० ।

6- अल्बर्ट स्वेटजर - इण्डियन थाट एण्ड इट्स डवलपमेण्ट, पृ० 45, एडम चार्ल्स ठलेक,
लन्दन, 1950 ।

7- डा० वासुदेव शरण अग्रवाल - वेदविद्या, पृ० 197, काशीपुरी, वाराणसी,
ज्ञानोदय ग्रंथ माला, 1964 ई० ।

इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ऋग्वैदिक धर्म में कई बातें परिनिष्ठात होती हैं । (1) इस धर्म में शाश्वत सत्य का वर्णन प्राप्त होता है । वे हर काल और हर जगह एक जैसा रहते हैं इनके द्वारा प्रतिपादित नियम भी श्रेष्ठ और शाश्वत है । इन देवों के नियमों का पालन करने से ज्ञान और सुख की प्राप्ति होती है । (2) ऋग्वेद में जगह-जगह यज्ञों की महिमा बतायी गयी है । यज्ञ शब्द बहुत व्यापक है । अग्नि प्रज्वलित करके उसमें हव्य सामग्री डालना तो यज्ञ का स्थूल रूप है । उसका सूक्ष्म रूप है देवों के मार्ग का अनुसरण करके स्वयं को श्रेष्ठ बनाना । इसके द्वारा राष्ट्र का उत्थान करना तथा दान देकर प्रजाओं को सुखी बनाना । देवों का कार्य कक्षा आदर्श सामान्य मनुष्यों के लिए अनुकरणीय है । ऋग्वेद के धर्म में स्थान-स्थान पर वर्णन प्राप्त होता है कि मनुष्य व्रत और सत्य नियमों का पालन करे जिससे संसार में उसका कल्याण हो । अतः सत्य का पालन सभी के लिए आवश्यक है ।

ऋग्वेद की ही भाँति यजुर्वेद में भी धर्म का प्रयोग विभिन्न स्थलों पर किया गया है । एक स्थल पर सविता धर्म का उल्लेख है जिसका तात्पर्य है, जिसमें यह सब लोक प्रविष्ट है । सर्वप्रथम सविता देव इस पृथ्वी में हमें दृढ़तापूर्वक प्रतिष्ठित करे । एक स्थल पर ध्रुवेणधर्मणा शब्द प्रयुक्त किया गया है जिसका अर्थ है, मित्रावरुण तुम्हें उत्तर दिशा में स्थापित करें तुम आह्वानीय रूप से विश्व को विधियों से दूर करने के लिए और संसार का कल्याण करने के लिए विश्व की रक्षा करो । आह्वानीय के तृतीय भ्राता भूतपति यज्ञादि कर्म द्वारा स्तुत हो ।²

1- यजुर्वेद भाषाभाष्य - अनु० दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, सतारा, 1868 ई० ।

9.5 यस्यामिद विश्वं भुवनमाविवेश तस्या नो देवः

पृ० (31) सविताधर्म साविणत् ॥

2- यजुर्वेद भाषाभाष्य - दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, सतारा, 1868 ई० ।

2.3 मित्रावरुणो त्वोत्तरतः परिधत्ता ध्रुवेण धर्मणा

पृ०(4) विश्वस्यारिष्ट्यै यज्ञानस्य परिधिरस्यग्निरिड ईडितः ।

यजुर्वेद के धर्म में भी तप, कृत, यज्ञ आदि की भाजना विद्यमान थी एक मंत्र में कहा गया है, ' यज्ञ के फलस्वरूप देवगण, व्रत, कृत, तप, संवत्सर, अहोरात्र, ऊर्वष्ठी, बृहद्रथन्तर आदि को मेरे अनुकूल करे ।' इस प्रकार से यजुर्वेद के धर्म में भी उपासना भाव दर्शित होता है। विधियों को पुर परने के लिए यज्ञों का सम्पादन होता था जिससे संसार का कल्याण हो ।

सामवेद के धर्म में भी यज्ञों का प्रचलन दृष्टिगत होता है । एक मंत्र में कहा गया है हे अग्रणी अग्नि आप यज्ञीय विचारों और यज्ञीय व्यवहारों के (होता हो) ज्ञानदाता हो तथा सब वा इति परते हो प्रत्येक उत्पन्न मनुष्य में आप अपने दिव्य गुणों सहित सन्निहित हो ।²

सामवेद में परधर्म और अपरधर्म की चर्चा की गयी है, परधर्म का अर्थ है सत्य, ब्रह्मचर्य, तप, उपासना तथा अपरधर्म का अर्थ है सांसारिक उन्नति के लिए सुष्य द्वारा किये गये कार्य । एक मंत्र में वर्णन है, ' परमात्माग्नि परधर्म सेवन द्वारा प्रकट होता है तब उपासक कश्यप संज्ञा वाला हो जाता है जबकि परमात्मा कश्यप का पिता बनता है, श्रद्धा उसकी माता बनती है, मन उसका उपदेष्टा गुरु बनता है ।'³

Inferences / Conclusion ??

-
- 1- यजुर्वेद भाषाभाष्य - दामोदर सातवलेकर, सतारा, 1868 ई०
18.23 व्रतं च म कृतवश्व मे तपश्च मे संवत्सरश्च
पृ०(77) मेऽहोरात्रे ऽऊर्वष्ठीवे बृहद्रथन्तरे बने यज्ञेन कल्पन्ताम्
 - 2- सामवेद संहिता - दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, बलसाड, 1969 ।
1.2 त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेणा इतिः ।
देवेभिर्मानुषे जने ॥
 - 3- सामवेद संहिता - दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, बलसाड, 1969
1.9.10 जातः परेण धर्मणा यत्सवृद्धिः सहाभुवः ।
पिता यत्कश्यपस्याग्निः श्रद्धा माता मनुः कविः ॥

अथर्ववेद में भी धर्म शब्द का प्रयोग कई स्थलों पर किया गया है एक स्थल पर धर्माणि प्रथमः शब्द का उल्लेख है, जिसका अर्थ है, जो अन्य मनुष्यों से श्रेष्ठ बनकर विशेष धर्म नियमों का पालन करता है, इस अनुष्ठान से वह आश्चर्यकारक शक्तियों को प्रकाश करता है। तत्पश्चात् वह गूढ़ वाणी को जानता है जिससे वह धारण शक्ति से युक्त होकर प्रथम स्थान के योग्य बनकर वह मूल स्थान में प्रविष्ट होता है।¹

एक अन्य स्थल पर धर्माणि प्रथमान्यासन शब्द प्रयुक्त किया गया है जिसका अर्थ है, देवगण यज्ञ से यज्ञ पुरुष की पूजा करते हैं। वे धर्म उत्कृष्ट है। वे महत्त्व प्राप्त करते हुए सुख पूर्ण लोक को प्राप्त होते हैं, जहाँ पूर्व के साधन संपन्न देवता रहते हैं।² इसी प्रकार से अथर्ववेद के धर्म में भी सदाचार नियमों का पालन तथा यज्ञों का संपादन दर्शित होता है जो मानव सुख का हेतु है।

अथर्ववेद में धर्म का एक अलग पदा पुराण धर्म के रूप में प्रकट होता है। एक मंत्र में कहा गया है -

यह स्त्री पति कुल की कामना करती हुई,

है मनुष्य। मृत पति को छोड़कर पुरातन धर्म का अनुपालन करती हुई अर्थात् धर्म में स्थित होकर तेरे पास आयी है। उस धर्म में स्थित नारी के लिए इस संसार में (प्रजा) संतति और (द्रविण) धन को दो।³

1- अथर्ववेद संहिता - दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, बलसाड, गुजरात प्रान्त, 1948।

5.12 आयो धर्माणि प्रथमः ससाद् ततो वपूणि कृणुणे पुरुणि ।
धास्युर्योनि प्रथम आ विदेशा यो वाचमनुदिता चिकेत ॥

2- अथर्ववेद संहिता - दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, बलसाड, गुजरात प्रान्त, 1948।

7.5.1 यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन ।
तेह नाक महिमानः सवन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्तिदेवाः ॥

एक अन्य स्थल पर वर्णन है, 'हे स्त्री । जो तू गत प्राण अर्थात् मृत पात के पास सो रही है वह तू उस मृत पात के पास से चली आ । इस जीव लोक अर्थात् संसार के प्रति उठकर गमन कर अर्थात् संसार में चली आ । संसार में जाकर तेरा विवाह करनेवाले व रक्षाण करनवाले तेरे पात की संतान को प्राप्त हो ।'¹

इस प्रकार से एक पात के मृत्यु को प्राप्त होने पर द्वितीय पात को पारकल्पना अथर्ववेद में पुराणधर्म के अन्तर्गत का गया ।

अथर्ववेद का धर्म लौकिक था । इसके संस्थापक अथर्वन अंड्रिस भुगु, वशिष्ठ आदि ऋषिगण हैं । अथर्वन ऋषि अग्नि के प्राचीनतम पुरोहित हैं और याज्ञिक कृत्यों के समर्थक हैं । इन ऋषियों का मत है कि अथर्ववेद की (दैविय शक्तियाँ पौधों औषधियों, मंत्रसिद्ध मणियों, मनुष्य की भावनाओं और सवियों से सम्बन्धित है । इस समय का पुरोहित विंक्तसक और आभधारक दोनों ही था, देवगण पौधों में निवास करते थे जो औषधियों के रूप में प्रयुक्त होते थे जिनका राजा सोम था । इस धर्म में कृत्या का बहुत महत्त्व था ।²

ब्राह्मण ग्रंथों में भी धर्म का यज्ञात्मक स्वरूप दिशायी देता है । इस काल के धर्म में भी ऋत, सत्य, यज्ञ तथा आहुतियों की प्रमुखता थी । शतपथ ब्राह्मण में वर्णन है कि अग्नि तत्त्व सब देवताओं का अधिष्ठाता है । समस्त देवता अग्निमुख हैं सब में अग्रणी होने के कारण ही उसे अग्नि कहा गया है । एक मंत्र में कहा गया है अग्नि सब देवताओं का मनीषा है ।³ (तैत्तिरीय) ब्राह्मण में भी ऋत को सत्य और सत्य को ऋत कहा गया है ।⁴

1- अथर्ववेद संहिता - दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, बलसाड, गुजरात प्रान्त, 1958 ।

18.3.2 उदीर्ष्व नार्यामि जीवलोकं गतासुमेतमपुं शेषु रहि ।
हस्तग्रामस्य दधिणोस्तवेद पत्युर्जनित्वममि स बभूथ ॥

2- डा० राजकृष्ण मिश्र : अथर्ववेद में सांस्कृतिक तत्त्व, आनन्द प्रकाशन, 108, नया कटरा, इलाहाबाद, 1968, पृ० 90 ।

3- डा० नित्यानन्द शुक्ल : ब्राह्मण ग्रंथों में सृष्टि विचार, कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, 1983, पृ० 26-29 ।

4- शतपथ ब्राह्मण काण्ड 6 : अग्नौ सवैणा देवानां मनीषि ओतानि यज्ञी वै श्रेष्ठतम वर्म ।

जोगीराम बंसु का मत है, 'सृष्टि की आदि प्रक्रिया यज्ञ के माध्यम से प्रारंभ होती है। वैदिक काल से ब्राह्मण काल पर्यन्त अनेक यज्ञों का वर्णन मिलता है, जिनका मूल उद्देश्य सृष्टि ही है। यहाँ तक की यज्ञ विश्व सृष्टि का मूल स्त्रोत्र है। यह विश्व प्रथम यज्ञ से प्रादुर्भूत हुआ है जो महान देवों द्वारा निर्मित किया गया था। वह महान देव पुरुष ही था।¹

उपनिषदों में धर्म का स्वरूप तप, कृत और सत्य के अर्थ में दृष्टिगत होता है। डा० गोविन्द चन्द्र पाण्डे के अनुसार धर्म ही राजाओं का राजा कहा गया है। धर्म के ऊपर अन्य कोई सत्य नहीं है ठीक उसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति राजा की सहायता से किसी को पराभूत कर सकता है वैसे ही धर्म के माध्यम से कोई निर्बल व्यक्ति बलवान को पराभूत करने का आशा करता है। उन ज्यों में धर्म को शाश्वत नियामक माना गया है जिस पर प्रकृति के व्यापार तथा सामाजिक कल्याण एवं न्याय आश्रित है।²

(उपनिषदों में धर्म के नैतिक स्वरूप पर विशेष बल दिया गया है। इनमें वर्णन है कि तपोमम ब्रह्म से कृत तथा सत्य प्रकट होते हैं। कृत का अर्थ है निरपेक्ष सत्य (Absolute truth) तथा सत्य का अर्थ है सापेक्ष सत्य (Relative - truth) सत्य तो परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है किन्तु कृत परिस्थिति पर आश्रित नहीं है। मुण्डकोपनिषद् में वर्णन है सत्य की ही विजय होती है अनृत की नहीं, देवयान पन्था देव की तरफ जानेवाला मार्ग सत्य से बना है। आप्तकाम कृष्ण जिस मार्ग से चलते हैं वह सत्य का ही परम धाम है।³ छान्दोग्य उपनिषद् में सत्य का सुन्दर विश्लेषण किया गया है। सत्य में स + ति + य ये तीन अक्षर हैं

1- जोगीराम बंसु - शण्डिया आठव एण आठव ब्राह्मण, पृ० 245 .

2- डा० पाण्डे, गोविन्द चन्द्र : बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, पृ० 70

3- मुण्डकोपनिषद् : सत्यमेव जयति नानृतं । सत्येन पन्था विततो देवयानः ।

मेनाक्रमन्त्यृणयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम् ॥

यह जो 'सत' है वह अमृत अर्थात् ब्रह्म का द्योतक है। जो 'ति' है वह मर्त्य अर्थात् जगत का द्योतक है। जो 'यम' है वह दोनों को मिलानेवाला है क्योंकि इससे अमृत तथा मर्त्य दोनों की प्राप्ति होती है, इसलिए यम दोनों का बन्धक है। जो व्यक्ति इस रहस्य को जानता है वह जगत से ब्रह्म और ब्रह्म से जगत का समुच्चय कर स्वर्ग लोक को जाता है।¹

ऋग्वैदिक काल में धर्म का स्वरूप प्रमुक्तः यज्ञ प्रधान था। यज्ञ का सामान्य अर्थ तो वैदिक कर्म काण्डों से है किन्तु इसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान था। संभवतः यज्ञ सामाजिक एकता के प्राबल्य भावना का द्योतक है क्योंकि ऋग्वैदिक समाज में ऊँच-नीच कुआकुत की कोई भावना नहीं थी सभी परस्पर प्रेम और प्रसन्नता के वातावरण में सम्मिलित रूप से यज्ञों का संपादन करते थे। यज्ञों में प्रयुक्त आहुतियों व्यक्ति के त्याग और उदारता की भावना का द्योतन करती है। अति प्राचीन काल में व्यक्ति यायावर जीवन व्यतीत करता था। यज्ञों ने उस परिभ्रमण काल में स्थिरता और सामाजिक एकता का सूत्रपात किया।²

किन्तु इसका विकट रूप उठबैठ कालों में सामने आया, जबकि समाज में यज्ञों को संपादित करनेवाला एक प्रबल पुरोहित वर्ग का जन्म हुआ। प्रथमतः इनका कार्य यज्ञ संपादन के साथ-साथ सामाजिक चेतना और मैत्रीपूर्ण भावना का विकास करना था किन्तु धीरे-धीरे इनके कार्यों में विरूपता दर्शित होती है। धर्म को विकट और असाध्य करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती गयी और ये धर्म के ठेकेदार बन गये। यज्ञों का संपादन अब उठ वैदिक कालों में विकट हो गया। साधारण लोगों के पहुँच से परे हो गया, धर्मसूत्र कालों में समाज में वर्ण-व्यवस्था जन्मगत हो गयी, ऊँच-नीच, जाति प्रथा के प्राबल्य भावना के कारण यज्ञपरक धर्म साधारण जनता से परे हो गया। ऐसी विकट स्थिति में धर्म का व्यावहारिक पदा समाज में प्रचलित हुआ जो व्यक्ति के आचरण से संबंधित था, ये काल धर्म सूत्रों का था।

1- छान्दोग्य उपनिषद् 3.5 - तानि ह वा एतानि त्रीण्यक्षाराणि सच्चियत्रिति
तथत्सत्त दमृतमथ यति -
तन्यर्त्यमथ यद्यं तेनोमेयच्छक्तियादने नो भे
यच्छक्ति तस्माद्धमहरह्वा एव वित्सवर्ग लोकमेति ॥

2- जोगीराम बसु - इण्डिया आदि द एज आव द ब्राह्मन्स, पृ. 24

धर्म सूत्रों में गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, विष्णु आदि के धर्मसूत्र प्रमुक्त हैं, जिनमें सब से प्राचीन गौतम धर्मसूत्र है।¹ इन धर्मसूत्रों की तिथि 'सातवीं' या 'छठी' सदी ई०पू० से लेकर द्वितीय सदी तक स्वीकारी जाती है।

डा० वी०पी०काणे का मत है 'धर्मशास्त्रों ने वेदों को धर्म का मूल कहा है, यह उचित ही है किन्तु यह भी सत्य है कि वेद धर्म संबंधी नियम नहीं है, वहाँ तो धर्म संबंधी बातें प्रसंगवश आती है। वास्तव में धर्मशास्त्र संबंधी विषयों के तथात्थय एवं नियमनिष्ठ विवेचन के लिए हमें धर्मसूत्रों, स्मृतियों की ओर भुक्ना ही पड़ता है।'²

धर्मसूत्रों में धर्म के व्यावहारिक पक्ष का वर्णन किया गया है जो कर्मकाण्डों आदर्शों से हटकर नित्य के अनुपालन करने योग्य है जिसमें कर्तव्य भाव प्रमुख है जो कर्म प्रधान है (दैनिक कर्म)। इसमें धर्म का विविध रूप दर्शित होता है जैसे वर्ण-धर्म, आश्रम धर्म नैमित्तिक (प्रायश्चित) धर्म, गुणधर्म, राजा के कर्तव्य राज धर्म आदि।³ गौतम धर्मसूत्र में स्पष्ट वर्णन है वेद धर्म का मूल है तथा स्मृतियाँ और शील से ही धर्म की उत्पत्ति हुई है।⁴ आपस्तम्ब धर्मसूत्र में वर्णन है जिस कार्य को आर्य लोग (उच्च वर्ण) उच्च कहते हैं वह धर्म है तथा जिस कार्य की निन्दा करते हैं वह अधर्म है।⁵ वशिष्ठ धर्मसूत्र में वर्णन है श्रुति स्मृति द्वारा विहित आचरण ही धर्म है शिष्टाचार जिसका प्रमाण है।⁶

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में धर्म के दार्शनिक स्वरूप की अपेक्षा अत्यन्त सामाजिक स्वरूप प्राप्त होता है। इसमें वर्णाश्रम धर्म, आर्य मर्यादा, साधारण धर्म तथा श्रुति विहित नियमों के द्वारा संसार के सुखी होने का आदर्श मिलता है।⁷

- 1- राणा, रणवीर सिंह - धर्म की हिन्दू अवधारणा, सेन्ट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद पृ० 16, 1977।
कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, जिल्ड 1, पृ० 202-203।
- 2- काणे, पी०वी० - धर्मशास्त्र का इतिहास, गवर्नमेण्ट ओरियण्टल सीरीज, पुना, पृ० 7-8, 1930।
- 3- गौतमधर्मसूत्राणि - मिताहारावृत्ति संहितानि, डा० उमेश चन्द्र पाण्डेय, व्याख्याकार, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, पृ० 16।
- 4- ,, 1.1.2 वेदा धर्ममूलम् । तद्विदा चस्मृतिशीले ।
- 5- आपस्तम्ब धर्मसूत्रम्, 7.7 य त्वार्याः क्रियामाणां प्रशंसति स धर्मो य गर्हन्ते सोऽधर्मः
- 6- वशिष्ठ धर्मसूत्रम् - 1.4. 6 श्रुति स्मृति विहितो धर्मः । तदलाभे शिष्टाचारः प्रमाणम्। शिष्टः पुनरकामात्मा ।
- 7- कौटिल्य अर्थशास्त्रम् - वाचस्पति मेरोला, 1.3.4 व्यवस्थित आर्य मर्यादाः कृत वर्णा स्थितिः ।। यथा हि रक्षितो लोकः ।।।।।

स्मृतियों में भी धर्म का बड़ा ही परिष्कृत रूप दर्शित होता है । मनुस्मृति सब से प्राचीन है इसमें वर्णन है वेद, स्मृति, सदाचार और स्वयं को प्रिय लगनेवाले कार्य - ये चार धर्म के साक्षात् लक्षण हैं ।¹ उन्हीं से धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है ।

महाकाव्यों में धर्म का बड़ा ही सुन्दर उदाहरण दृष्टव्य होता है । रामायण में राम के आदर्श आचरणों के कारण ही मर्यादापुरुषोत्तम कहा गया है तथा उन्हें रामोविग्रहवान् धर्म की उपमा दी गयी है । इसमें राम को शरीरधारो धर्म कहा गया है ।²

महाभारत में धर्म के विभिन्न रूप वर्णित हैं जिनमें राजधर्म, प्रजाधर्म, जातिधर्म, कुल धर्म, वर्णाश्रम धर्म, दान धर्म, आपद्धर्म, मोक्षधर्म, स्त्रीधर्म आदि का वर्णन है । धर्म को मानवमात्र के सर्वांगीण धिवास वा साधन बताया गया है इसलिए धर्म का एक साफ़ेदा रूप दर्शित होता है । नम्यक धर्म वह है जो युग सत्य के अनुकूल एवं उत्कर्णकारी हो इसलिए महाभारत में धर्म का स्वरूप गत्यात्मक है ।³ इसमें धर्म का एक और फल दर्शित होता है आपद्धर्म के रूप में । इसमें वर्णन है कि आपत्तिकाल में कभी-कभी धर्म, अधर्म हो जाता है तथा अधर्म को ही धर्म का रूप प्राप्त हो जाता है । यहाँ धर्म का न्यायपरक रूप प्रतिभासित होता है । एक स्थल पर वर्णन है आहार, निद्रा, भय आदि स्वाभाविक आचरण सभी के लिए आवश्यक है स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उचित समयाचरण और पालन करना मनुष्य के धर्म के रूप में वर्णित है । धर्महीन मनुष्य पशु के समान है ।⁴ वासुदेव शरण अग्रवाल⁵ जैसे वेदों का सार गायत्री मंत्र में है वैसे महाभारत का सार धर्म शब्द में है ।

1- मनुस्मृति : 2. 12. वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥

2- रामायण उद्धृत द्वारा - डा० वासुदेव शरण अग्रवाल - कला और संस्कृति

3- महाभारत शा०प० 36. 11 स एव धर्मः सोऽधर्मो देशकाले प्रतिष्ठितः
कदानामनृतं हि सा धर्मो व्यावस्थिक स्मृतः ॥
पृ० 181

4- महाभारत शा०प० - 294.29 - दामोदर सातवलेकर -
आहारनिद्राभयमथुन च सामान्यमेतद् पशुभिर्गणानाम् ।
धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषतो धर्मो हीना पशुभिः समानाः

5- डा० वासुदेव शरण अग्रवाल - भारत सावित्री, भूमिका, पृ० 4 ।

भागवद्गीता में धर्म का स्वरूप निष्काम कर्म के रूप में वर्णित होता है । ज्ञान, निष्काम कर्म और उपासना को ही धर्म कहा गया है । गीता में वर्णन है कि कर्म करना ही धर्म है इसलिए सर्वदा फलासक्ति से शून्य रहकर उभय प्रकार से कर्तव्य कर्मों का आवरण करना चाहिए, फलासक्ति से शून्य रहकर कर्म करनेवाला पुरुष मोक्षा प्राप्त कर लेता है ।¹ गीता में ईश्वर के मानव अवतार की कल्पना धर्म संज्ञा के रूप में की गयी है । जब-जब भारत में धर्म का क्षय होता है अधर्म की उन्नति होती है तब तब में अपना शरीर धारण करता हूँ जिससे साधुओं² का कल्याण तथा दुष्टों का विनाश हो तथा धर्म की स्थापना युगों-युगों तक रहे ।² स्कन्द पुराण में सत्यज्ञान, द्विजों में भक्ति, गुरुदेव व अग्नि का तर्पण, गोदान,³ वेदपाठ, सत्रिया, सत्य भाषण, गोभक्ति, ज्ञान भक्ति ये सब धर्म के साधन हैं ।

पुराणों के धर्म में परिवर्तनशीलता के लक्षण दृष्टिगत होते हैं । गरुण पुराण में विभिन्न युगों में विभिन्न कर्मों को धर्म कहा गया है । कृतयुग में तपश्चर्या की प्रशंसा की जाती थी, त्रेता-युग में ज्ञान ही कल्याण का साधन माना जाता था, द्वापर युग में यज्ञ-यागादि करना तथा दान देना आत्म कल्याण का साधन था । कलियुग में केवल दान ही धर्म का साधन माना गया है ।⁴ पुनः यह वर्णन है कि इस भू मण्डल पर जो दान किये जाते हैं वे सभी धम लोक में उस व्यक्ति के महामार्ग में पहले से ही उपास्य हो जाते हैं ।⁵

1- श्रीमद्भागवद्गीता - 3.19 (कर्मयोगः) तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।

असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥

2- ,, ,, -4.7.8 (ज्ञानयोग) यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा उ-त्मानं सृजाम्यहम् ॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे- युगे ॥

3- स्कन्दपुराण 44. 5 - सत्सगोद्विजभक्तिश्च गुरुदेवाग्निर्तर्पणम् ।

गोप्रदानं वेदपाठः सत्क्रियां सत्यभाषणम् ॥

4- गरुण पुराण अण्ड 2 : 24. 2 कृते तपः प्रशंसन्ति त्रेतायां ज्ञानसाधनम् ।

द्वापरे यज्ञदानञ्च दानदेकं कलौ युगे ॥

5- ,, ,, ४७.5-२४.8 यानि यानि दानानि कृतानि भुवि मानवैः ।

यमलोकपये तानि लिष्टन्त्यग्रे समीपतः ॥

भागवत पुराण जो काफी बाद का है उसमें धर्म का सम्बन्ध नैतिक गुणों से जोड़ा गया है। इसमें धार्मिक तथा नैतिक गुणों की संख्या 30 बतायी गयी है- सत्य, दया, तप, शौच, त्रितिक्षा, मुक्त विचार, शम, दम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, आर्जव, संतोष, समदृक्, सभी की सेवा सांसारिक भोग से निवृत्ति चिंतन मौन, आत्म चिंतन, अन्न फल बाँटकर खाना मानव में ईश्वर भाव, हरिकथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, भगवान में वास्य, सारथ्य तथा आत्मार्पण का भाव ।¹ ही धर्म है ।

जैन ग्रंथों में धर्म का सम्बन्ध सदाचार तथा नीति शास्त्र से जुड़ा प्रतीत होता है । इसमें धर्म पंच महाव्रतों (सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य) त्रिरत्नों (सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र) द्वारा संचालित होता है । इसमें अहिंसा को परमधर्म माना गया है । किसी के अनिष्ट के विचार मात्र को ही हिंसा कहा गया है । इसमें वर्णन है कि सब को अपना जीवन प्रिय है अतएव किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए । वास्तव में जिसे तुम मारना चाहते हो या हानि पहुँचाना चाहते हो वह तुम्हीं हो ।²

बौद्ध ग्रंथों में धर्म के लिए धम्म शब्द का प्रयोग किया गया है । इसमें सांसारिक दुःखों और उसके निवारणार्थ मार्गों का वर्णन है । धर्म का स्वरूप हमें अत्यन्त ही व्यवहारिक एवं मध्यम मार्ग के पालन की ओर निर्देशित मिलता है ।

1- भागवत पुराण 7.5-12 सत्यं दयातप शौचं त्रितिक्षोणा शमोदयः ।
अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवन ।
सन्तोषः समदृक् सेवा ग्राम्येहोपरम शनैः
नृपा विपर्ययिच्छा मौनभात्यविमर्शनम्
अन्नाय संविभागो भूतेषु यथादृत ।
तप्त्वोत्पदेवता बुद्धि सुतरा नृणु पाण्डवम् ।
श्रवणं कीर्तनं वास्य स्मरणं महतांगते
सेवेज्यावनति दस्युं संख्ययात्मर्पणम् ॥

2- आचाराङ्गः 1.4.11, 5. 5.4

चार आर्य सत्य (दुःख, दुःख समुदाय, दुःखनिरोध, दुःख निरोध मार्ग) अष्टांग मार्गों (सम्मादिठि, सम्मासंकप्प, सम्यक वाक्, सम्माकम्मन्त, सम्माआजीव, सम्मा वायाम, सम्मासत (स्मृति) सम्मा समाधि) का वर्णन किया गया है । प्रसिद्ध विद्वान चन्द्रकीर्ति ने धर्म शब्द का अर्थ त्रिविधि निश्चित किया गया है स्वल्काण धारण, कुगति गमन विधारण, पान्चगतिक संसार गमन विधारण कहा गया है ।¹

भारतीय विद्वानों के धर्म सम्बन्ध विचार

पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर महोदय ने धर्म की निम्न परिभाषा दी है -

श्रेष्ठ कर्म करना, श्रेष्ठ विचार करना, श्रेष्ठ तत्व (परमात्मा) का मनन करना, उसी का ध्यान करना, उसी में तल्लीनता प्राप्त करना । यही मनुष्य के उन्नति का उत्कृष्ट साधन है । यही धर्म है ।²

स्वामी श्री विद्यानन्द जीने धर्म के सात लक्षण बताये हैं -
जहाँ धर्म है वहाँ अोज है, तेज है, सहनशीलता है, बल, वाक् है, जितेन्द्रिय है तथा श्री

1- प्रसन्नपदा, मध्यमक, पृ० 304 धर्म शब्दोऽयं प्रवचने त्रिधा व्यवस्थापितः स्वल्काण धारणार्थेन कुगतिगमन विधारणार्थेन पान्चगतिक संसारगमन विधारणार्थेन ॥

2- कल्याण, धर्माङ्क, मानव धर्म का संक्षिप्त स्वरूप नामक लेख से उद्धृत, पृ० 39 ।

3- कल्याण, धर्माङ्क; ' धर्म के लक्षण, ' नामक लेख से उद्धृत, पृ० 40

यत्र धर्मश्च तत्र अोजश्च ।

यत्र धर्मश्च तत्र तेजश्च ।

यत्र धर्मश्च तत्र सहश्च ।

यत्र धर्मश्च तत्र बलं च ।

यत्र धर्मश्च तत्र वाक् च ।

यत्र धर्मश्च तत्र इन्द्रियं च ।

यत्र धर्मश्च तत्र श्रीः च ।

आचार्य श्री तुलसी महोदय का मत है - आत्मा, ज्ञानमय, दर्शनमय, आनन्दमय और शक्तिमय है । ज्ञान, दर्शन, आनन्द और शक्ति बीजो एकरसता है वही धर्म है । आत्मा की मोह दानोभ आदि आवेगों से रहित जो परिणति है वह धर्म है ।

हम उस युग में धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं जिस युग का नाम उपलब्धि की दृष्टि से वैज्ञानिक शक्ति की दृष्टि से आणविक और शिक्षा की दृष्टि से बौद्धिक है । क्या अबौद्धिक, अवैज्ञानिक और शक्तिहीन पद्धति से धर्म का उत्कर्ष संभव है ? आज एक ऐसे धर्म की आवश्यकता है जो बुद्धि से प्रचारित हो, विज्ञान से प्रतिष्ठित न हो और शक्ति से हीन न हो ।¹

डा० राधाकृष्णन (द हिन्दू ठ्यू आंव लाइफ से संकलित) के विचार में धर्म की मानव समाज को एक सूत्र में बांधनेवाली परम वस्तु है । वास्तव में जिसकी सहायता से मानव समाज एक सूत्र में बंधता है वह धर्म ही है और जिससे मानव समाज का विघटन होता है वह अधर्म है । मानव जीवन का सार धर्म है ।²

इस प्रकार से मानव जीवन में वास्तविक धर्म है -

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्यवेत् ॥

अष्टादशपुराणेषु ध्यासस्य वचनद्वयम् ।

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥

धर्म शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है । पाश्चात्य विचारकों ने भी इस इसकी व्याख्या विविध प्रकार से की है । जी०एच०मीज ने धर्म का सम्बन्ध कृत, कर्तव्य, अच्छे कार्य, पूजा-पाठ, आदर्श, सत्य, अहिंसा, दैवियन्पात्र और सामाजिक न्याय, कर्म, भक्ति और नियमों से सम्बन्धित किया है, उनके मत से धर्म युगों में

1- कल्याण, धर्माङ्क - धर्म का तेजस्वी रूप लेख से उद्धृत, पृ० सं० 41 ।

2- कल्याण, धर्माङ्क - धर्म की महत्ता लेख से उद्धृत, पृ० सं० 43 ।

बदलता भी है, धर्म का एक रूप जातिय परंपराएं, रीति-रिवाज, कर्मकाण्ड, वर्णधर्म, जाति-धर्म, आर्य तथा अनार्य-धर्म, प्रवृत्ति तथा निवृत्ति-धर्म ये अन्तर के रूप में दृष्टिगोचर होता है ।¹

प्रो० मैक्सम्यूलर ने भारतीय धर्म पर अपनी विचार व्यक्त करते हुए कहा है " प्राचीन भारतवासियों के लिए सब से पहले धर्म अनेक विषयों के बीच एक रुचि का विषय नहीं था, यह सब की आत्मावर्ण करनेवाली रुचि थी । इसके अन्तर्गत न केवल पूजा पाठ आती थी वरन् वह सब भी आता था जिसे हम दर्शन नैतिकता कानून और शासन कहते हैं, ये सभी धर्म में व्याप्त थे । उनका संपूर्ण जीवन धर्ममय था और सभी चीजे मानो इस जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए निमित्त सुविधा मात्र थी ।"²

1- जी०एच०मीज- 'धर्म एण्ड सोसायटी', एन वी सर्वे द ह्यू, कापीराइट 1935, पृ० 8 ।

2- प्रो० मैक्सम्यूलर - 'इण्डिया ह्वाट कैन इट टीच अस', पृ० 107, लागर्मेस ग्रीन एण्ड कं०, न्यूयार्क, 1899 ।

स्पीनोजा के दर्शन में धर्म की व्याख्या इस प्रकार है - द्रव्य ही चरम सत्ता है। द्रव्य को स्पीनोजा ने ईश्वर तथा प्रकृति कहा है। स्वीनोजा का दर्शन इसी से Pantheism कहलाता है इनके अनुसार संसार की प्रत्येक घटना नियत एवं निश्चित है। इसकी तुलना हम वैदिक ऋत से कर सकते हैं। स्वीनोजा ने ईश्वर को अनन्त माना है। उसके गुण भी अनन्त हैं जो अनन्त सत्ताओं का जन्मदाता है।¹ धर्म का सब से विभत्स भयंकर और नकारात्मक स्वरूप हमें मार्क्स के दर्शन में मिलता है। उन्होंने धर्म को पीड़ित प्राणी की सिसकी कहा है। उनके अनुसार धर्म एक हृदयहीन संसार का हृदय है और नितान्त आत्महीन दशाओं की आत्मा है। यह गरीबों की अफीम है।² परमात्मा की धारणा ही विकृत सभ्यता की केन्द्रशिला है। मार्क्स कहता है धर्म जो एक भ्रामक काल्पनिक आनन्द देता है उसका दमन करना वास्तविक आनन्द के दावे की स्थापना करता है।³

रेंजिल्स कहता है धर्म का पहला शब्द ही झूठ होता है।

लेनिन ने लिखा है, - धर्म आत्मिक अत्याचार का एक पहलू है।

शोणकों के विरुद्ध संघर्ष में शोणितों की असहायता अनिवार्य रूप से मृत्यु के पश्चात् उत्कृष्टतर जीवन में विश्वास को जन्म देती है। उन लोगों को जो सारे जीवन परिश्रम करते हैं फिर भी तंगी में जीवन बिताते हैं धर्म उनको विनम्रता और धैर्य की शिक्षा देता है। उन्हें स्वर्ग में पुरस्कार मिलने की आशा द्वारा उनके आँसू पोछता है।

1- स्पीनोजा - 'द इथिक्स', वात्यूम 4

सर्व } - सर्वेश्वरवादी
ईश्वर }

या० मसीह - पाश्चात्य आधुनिक दर्शन की समीक्षात्मक व्याख्या, मोतीलाल बनारसीदास, 1976, पृ० 83

2- डा० राधाकृष्णन - धर्म और समाज, पृ० 77

जे०एम०मरी का अंग्रेजी अनुवाद 'दि डिफेंस आव डेमोक्रेसी', 1939, पृ० 38

3- 'नूवो पाटी', 1884।

विविध धर्म केवल इसलिए अफ़ल हो गये की हमने उन्हें गंभीरतापूर्वक ग्रहण नहीं किया । उनका मुख्य उद्देश्य मनुष्य का पुर्न निर्माण , अपनी मनमानी, अहं भावना, अपनी ही सौदे बाजी में लगे रहना दूसरे को बुद्ध बनाकर अपना उल्लू सीधा करना ही धर्मों के विकृलता के कारण हैं ।

माक्स ने धर्म को परलोकपरक बताकर उसकी निन्दा की है तथा उनके मत में पृथ्वी के आनन्दो को भोगना ही धर्म है ।

इस धर्म का एक रूप चीन में भी मिलता है । 'ताओ' इसका अर्थ होता है 'मार्ग' । संसार की व्यवस्था का कारण इसी सत्ता को ठहराया जाता है । संपूर्ण आचारशास्त्र के तत्वों का विकास इसा से हुआ है । मुख्यतः 4 तत्व जैसे ज्ञान, प्रेम, न्याय, रीतियों का उद्भवताओं से ही हुआ है । ईश्वर का सभी विषयों पर शासन नियमानुकूल होता है । मानव के किसी दोष में अपराध का कारण धर्म का गलत प्रयोग है ।

बेबीलोन में धर्म का रूप त्रिमूर्ति के रूप में मिलता है जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी, सागर की उपासना होती थी जिन्हें (अनु बेल एण्ड इया) कहा जाता था ।

मिस्र में धर्म ' रा ' के रूप में मिलता है ' रा ' सूर्य का दूसरा नाम था जो कराओं का पुत्र था, यह एक ऐसी शक्ति थी जिससे संसार का निर्माण हो पाया था ।

अवेस्ता में प्रयुक्त अर्श (Arsh) शब्द का प्रयोग (सृष्टी) सम्बन्धी अपरिवर्तनीय व्यवस्था एवं वैविय नियमों के लिए किया गया है ।

इस प्रकार से धर्म - कृत, सत्य, नियम, दानुन, धर्म आदि के रूप में हर सभ्यता में दृष्टिगोचर होता है । जिन कर्मों से अपनी उन्नति हो किन्तु दूसरे का अहित न हो वे सभी कर्म धर्म के अन्तर्गत आते हैं ।

सामान्य धर्म

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । समाज में रहने के लिए व्यक्ति को सामान्य धर्मों का पालन आवश्यक हो जाता है । जिस प्रकार सृष्टि का समायोजन कृत के अधीन है जो अटल एवं सत्य है उसी प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के समायोजन के

लिए उसे परिवार, राज्य समाज के नियमों का पालन आवश्यक हो जाता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में आवश्यक योगदान देते हैं।

व्यक्ति के सामान्य धर्म विविध प्रकारों के हैं -

- (1) सामान्य वर्ण धर्म
- (2) सामान्य स्त्री धर्म
- (3) सामान्य कुल धर्म
- (4) सामान्य राजधर्म

सामान्य धर्म वह है जो कर्म सामान्य परिस्थितियों में किया जाय।

(1) सामान्य वर्ण धर्म : वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत 4 वर्णों की कल्पना की गयी। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में उल्लेख है कि ब्राह्मण, दात्रिय, वैश्य, शूद्र क्रम से परम पुरुष के मुख बाहुओं, जंघों एवं पैरों से उत्पन्न हुए हैं। इसका तात्पर्य है, ब्राह्मण इसका मुख था, राजन्य भुजाएँ थीं, वैश्य जंघे तथा पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई।

वर्ण व्यवस्था : उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की स्थापना हो गयी थी। डा० आर० एस० शर्मा का मत उचित ही है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त एवं अथर्ववेद के एक सूत्र में कबीलेवाले समाज के वर्गों में परिणत होने का औचित्य दृष्टिगोचर होता है।² उत्तर वैदिककालीन साहित्यों में वर्ण धर्म अर्थात् वर्णों के पारस्परिक कर्तव्यों का यत्र-तत्र वर्णन मिलता है।³ ब्राह्मण का कर्तव्य अध्ययन एवं यज्ञ-यागादिक कार्यों में पूर्ण कदाता प्राप्त करना था। दात्रिय के लिए 'राजन्य' शब्द प्रयुक्त हुआ है जिसका विशेष सम्बन्ध प्रशासकीय कार्यों एवं सैनिक तथा अच्छे सारथी होना प्रकट करता है। वैश्य की प्रबल इच्छा पशु प्राप्त करने के रूप में वर्णित है।

1- ऋग्वेद 10.90.12. ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः ।

उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ।

2- उद्धृत डा० रणजीत सिंह राणा - धर्म की हिन्दू अवधारणा, पृ० 99-101.

डा० आर० एस० शर्मा - शूद्राज इन एन्श्येण्ट इण्डिया, पृ० 28-29 ।

3- वैदिक इण्डेक्स, जिल्द 2, पृ० 254-255 (इंग्लिश सं०)

4- जी० एस० धूर्त - कास्ट एण्ड क्लास इन इण्डिया, पृ० 47, 49-50 ।

प्रो० आर० एस० शर्मा का मत है, धर्म सूत्रों के काल में शूद्र प्रधानतः कृषि कार्य में लगे हुए भूमिहीन मजदूर थे ।¹

इस प्रकार से धर्मसूत्रों तथा स्मृति के काल तक आते-आते एक स्थिर सामाजिक व्यवस्था हो चुकी थी ।

ब्राह्मण धर्म : विष्णु धर्मसूत्र वशिष्ठ धर्मसूत्र, मनुस्मृति, महाभारत आदि में ब्राह्मण के कर्तव्यों में वेद अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, कराना तथा दान प्रतिग्रह कहे गये हैं ।²

वेद अध्ययन - अध्यापन : वेद का अध्ययन ब्राह्मणों का परम कर्तव्य माना गया है, परन्तु इसके अतिरिक्त ब्राह्मण इतिहास, पुराण, तर्कशास्त्र, ब्रह्मविद्या, न्याय विद्या का भी अध्ययन करते थे ।³ ब्राह्मण पुत्रों के लिए यज्ञ विद्या तथा देश अध्ययन परम-आवश्यक था । हान्दोग्य उपनिषद् में वर्णित आरुण्य की कथा से ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीनकाल में पिता ही अपने पुत्रों को पढ़ाता था ।⁴ ब्राह्मण की अध्यापन प्रवृत्ति होती थी इस आदर्श का प्रतिपादन गौतम, बौधायन धर्मसूत्रों तथा मनुस्मृति में भी किया गया है ।⁵ मनुस्मृति में वर्णित है कि अध्ययन अध्यापन, यजन याजन, दान और प्रतिग्रह ये 6 कार्य ब्राह्मणों के हैं ।⁶

यज्ञ करना एवं कराना : ब्राह्मण के लिए पुरोहित का कार्य करने का विधान था । ऋग्वैदिक काल से ही पुरोहितों का उल्लेख मिलता है । प्राचीन काल में यज्ञों का विशेष महत्त्व था । सूत्र ग्रंथों, रामायण, मनुस्मृति से यही पता चलता है कि ऋषि-⁷ का कार्य ब्राह्मण ही करते थे । अन्य वर्ण के व्यक्ति इसके अधिकारी नहीं थे । यज्ञों से

1- डा० आर०एस०शर्मा - शूद्राज इन एन्शियेण्ट इण्डिया, पृ० 88 ।

2- वशिष्ठ ध०सू० - 4. 1.2 - विष्णु ध०सू० 2. 13, मनुस्मृति 1.88, महा०शा० राजधर्म - 12.

3- शतपथ ब्राह्मण 11.5. 5-8

4- हान्दोग्य उप० 5. 3-1

5- गौतम ध०सू० 10. 1-2

बौधायन ,, 1. 2. 1

मनुस्मृति 10. 1-2, 75,76,80 ।

पुरोहित का कार्यभार वहन करने के लिए पारिश्रमिक रूप में दक्षिणा दी जाती थी ।¹
 प्रायः सभी दार्शनिक ग्रंथों में ब्राह्मण को दक्षिणा देना आवश्यक माना गया है ।

(दान) प्रतिग्रह : यह अधिकार एक मात्र ब्राह्मण को था । इसका तात्पर्य दान ग्रहण करने से है । दान का आदिकाल से ही विशेष महत्व रहा है । दान के प्रमुख उपकरणों में स्वर्ण, अश्व, गाय, वस्त्र तथा आभूषण का वर्णन किया गया है । महाभारत में एक स्थल पर शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों प्रकार के ब्राह्मणों को दान देने का विधान मिलता है ।² शिक्षित ब्राह्मण को प्रतिग्रह देना अतिश्रेष्ठ बताया गया है, स्कन्द पुराण में कहा गया है कि परिस्थितिवश यदि योग्य ब्राह्मण न मिले तो यह दाता की इच्छा पर निर्भर है कि वह किस प्रकार के ब्राह्मण को दान देगा । मनुस्मृत के भाष्यकार मेधातिथि का विचार है कि यदि व्यक्ति दुःखी है तथा दाता के दान का अर्थ उदारता है तब आवश्यकता पड़ने पर अन्य व्यक्ति को भी दान दिया जा सकता है किन्तु वह दान दान नहीं होगा क्योंकि प्रतिग्रह का एकमात्र अधिकार ब्राह्मण को ही था ।

दान देना भी ब्राह्मणों के धर्म के रूप में वर्णित था ब्राह्मण के लिए अधिक संवयी वृत्ति का निषेध है । महाभारत के शान्तिपर्व में ब्राह्मण धर्म का वर्णन है, इन्द्रियों का दमन करना, वेदों का पढ़ना ये दो ब्राह्मणों के प्रधान धर्म हैं । शान्त स्वभाववाले ब्राह्मण अपने धर्म के अनुसार धन पैदा करके विवाह करें, पुत्र पैदा करें तथा दान और यज्ञ करें । ब्राह्मण और कुक्ष करे या न करे वह वेद का पाठन-पठन करने से और सदाचारी होने से ब्राह्मण कहा जा सकता है ।³

ब्राह्मणों को श्रेष्ठता तथा ज्ञान के कारण ब्रह्मण्य को कुक्ष सुविधारं भी प्रदान की गयी थी जो अन्य वर्णों के सदस्यों को नहीं थी । शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि ब्राह्मण कर मुक्त थे ।⁴ आपस्तम्ब, वशिष्ठ तथा विष्णु

1- मनुस्मृति 10. 76

2- महा० अनु० प० 9०. 2

3- महा०शा०प० 60. 12 परिनिष्ठित कार्यं स्तु स्वाध्यायेनैव ब्राह्मणः ।

कुर्यादित्यत्र वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मणा उच्यते ॥

धर्मसूत्रों में कहा गया है कि राजा ब्राह्मण का कर न ग्रहण करे ।¹ ब्रह्म हत्या की गणना महापातको में गिनायी गयी है ।²

शिक्षा के क्षेत्र में ब्राह्मणों का विशेषाधिकार था । सभी प्रकार को शिक्षा तथा ज्ञान ब्राह्मणों के हाथ में थी । धार्मिक क्षेत्र में ब्राह्मण वर्ण का ही प्रभुत्व था । धर्म नियंत्रण के कारण समाज के बौद्धिक या आध्यात्मिकपरवर्ग होने के कारण पुरोहित वर्ग का सामाजिक जीवन पर विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है । ब्राह्मण हिन्दू संस्कृति के प्रचारक तथा संरक्षक थे । यही कारण है कि स्पेंग्लर आदि पाश्चात्य विद्वानों ने ब्राह्मणों की भूरि-भूरि प्रशंसा की है ।

दात्रिय धर्म : ब्राह्मण के पश्चात् हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में दूसरा स्थान दात्रियों का है । गौतम, आपस्तम्ब आदि धर्मसूत्रों एवं स्मृतियों में दात्रियों के अपोलिखित कर्तव्य बताये गये हैं । वेदाध्ययन, दान देना, यज्ञ करना तथा प्रजा परिरक्षण । कौटिल्य अर्थशास्त्र एवं पुराणों में प्रजा को रक्षा करना ही दात्रिय का श्रेष्ठ धर्म बताया गया है ।³ महाकाव्यों के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि दात्रिय वर्ण के लिए स्वयंवर प्रथा थी । आर्यगर के मतानुसार गंधर्व तथा राक्षस विवाह दात्रिय के लिए उपयुक्त थी । इसकी पुष्टि महाभारत में होती है । रामायण में एक स्थल पर वर्णन है कि धर्म के लिए युद्ध करना दात्रियों का प्रधान धर्म था ।⁴ महाभारत में दात्रियों का धर्म विस्तृत रूप से उल्लिखित है । महाभारत के शान्तिपर्व में वर्णन है दात्रियों का धर्म, दान और यज्ञ करना - पढ़ना और प्रजा का पालन करना दात्रियों का प्रधान धर्म है । मागना, यज्ञ कराना तथा पढ़ाना उनके लिए निश्चिद्ध है । दुश्मनों का वध करने के लिए सदा उद्यत रहना, युद्ध में पराक्रम दिखाना दात्रियों का कर्तव्य है । जो राजा यज्ञशील, शास्त्रज्ञ और विजयी होते हैं वही संसार में श्रेष्ठ कहलाता है । जो दात्रिय धारण करे बिना युद्ध से भाग खड़ा होता है उसकी प्रशंसा समझदार लोग नहीं करते

1- वशिष्ठ धर्मसूत्र 1. 42-43, ब्राह्मणोभ्यः करदानं न कुर्यात् ।

2- डा० काणे - धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग 1, पृ० 144-145 ।

3- कौटिल्यअर्थशास्त्रम् 3. 6 दात्रियस्याध्ययनं यज्ञं दानं शस्त्रम् जीवो भूतारक्षणम् ।
विष्णु पुराण 3. 8. 26-27 ।

अर्थात् युद्ध से भागना द्वात्रियों के लिए अधर्म है । वारों को मारने से बढ़कर राजा का कोई धर्म नहीं है । दान, अध्ययन, यज्ञ से ही राजा का भला होता है । इसलिए धार्मिक राजा को युद्ध अवश्य करना चाहिए । राजा को वह उपाय करना चाहिए जिससे प्रजा शान्त भाव से अपने धर्म में लगी रहे । राजा कुछ करे या न करे सदाचारी होकर प्रजा की रक्षा करने से ही वह धार्मिक राजा कहलाता है ।¹

वैश्य धर्म :

बौधायन ध०सू०, मनुस्मृति, साज्ञ० स्मृति में वैश्य का धर्म वेद अध्ययन यज्ञ, दान, कृषि, पशुपालन तथा कुसीद कर्म करना (व्याज पर रूपये उधार देना) कहा गया है ।² सूत्र काल के पश्चात् वैश्य धर्म में कुछ परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है । सामाजिक व्यवस्था का अन्तिम वर्ण शूद्र कृषिकार्य करने लगा था जिससे वैश्यों का प्रमुख कार्य व्यवसाय व्यापार रह गया था । पाणिनि ने वैश्यों के लिए अर्थ शब्द का प्रयोग किया है । महाभारत में वैश्यों का धर्म विस्तृत रूप से बताया गया है जैसे दान, अध्ययन, यज्ञ, ईमानदारी से धन संचय करना पुत्र के सन्मान पशुओं का पालन करना वैश्यों का धर्म है । ब्रह्मा ने संसार की सृष्टि करके ब्राह्मणों, द्वात्रियों को मनुष्यों की रक्षा का भार तथा वैश्यों को पशुओं की रक्षा का भार सौंपा है इसलिए वैश्य लोग पशुपालन करने से सुखी होंगे ।⁴

1- महा०शा०प००६:14 - नाध्यापयेद धीयीत प्रजाश्च परिपालयेत् ।
नित्योधुजो दस्यु वधे रणे कुर्यात् पराक्रमम् ॥

,, 6:16 - अविदातेन देहेन समराद् यो निवर्तति ।
द्वात्रियोनास्य तत् कर्म प्रशंसन्ति पुराविदः ॥

,, 6:20 - परिनिष्ठित कार्यास्तु नृपतिः परिपालनात् ।
कुर्याद्विन्यत्र वा कुर्याद्विन्द्रो राजन्यउच्यते ॥

2- बौ०ध०सू० 1.5.22 - वैश्यः कुसीदयुषीवेत् ।

3- पाणिनी । अष्टाध्यायी 3.1.103 - अर्थः स्वामिवैश्ययोः ।

4- महाभारत शा०प००६:21 - वैश्यस्यापि द्वियो धर्मस्तं ते क्वायामि शाश्वतम् ।
दानमध्ययनं यज्ञः शौचेन धनसंचयः ॥

वैश्यों को 8 गायों का पालन करने पर एक गाय का दूध, 100 गायों की रक्षा करने पर एक गाय और एक बैल, दूसरों से धन लेकर व्यापार करने पर लाभ का 7वां भाग मूल्यवान सींग बुर का 16वां भाग तथा खेती में पैदा हुए अन्न का 7वां हिस्सा अपने वेतन स्वरूप लेना चाहिए । वैश्यों को कभी भी अपने काम में लापरवाही नहीं करनी चाहिए ।

शूद्र धर्म :

उत्तर वैदिक काल तक शूद्रों की स्थिति अस्पष्ट है जिसके कारण निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है । गौतम तथा विष्णु धर्म सूत्रों में शूद्रों के कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है उनके अनुसार द्विजाति की सेवा करना तथा उनके द्वारा प्रदत्त सामग्री पर जीवन निर्वाह करना ही शूद्र का धर्म है¹ । सूत्रों के काल से ही वह वेदाध्ययन तथा संस्कारों से वर्जित कर दिया गया था । मनुस्मृति में उल्लेख है कि ब्राह्मण की सेवा करना ही शूद्र का विशिष्ट कर्म कहा गया है । इस कर्म से भिन्न वह जो कुछ कर्म करता है, वह उसके लिए निष्फल होता है, उसे चूड़ा अन्न, पुराना वस्त्र, पुराना आढ़ना बिक्रीना देना चाहिए ।²

महाभारत में ऐसा वर्णन है कि ब्रह्मा ने ब्राह्मण आदि 3 वर्णों की सेवा के लिए शूद्रों को उत्पन्न किया । अतः 3 वर्णों की सेवा करना ही शूद्रों का धर्म है । सेवा धर्म का पालन करने से शूद्रों को परमसुख मिल सकता है ।³

शूद्रों को धन संभय नहीं करनी चाहिए क्योंकि धनवान होने पर ब्राह्मण आदि ऊंची जातियों को अपने अधीन रखने का इरादा करेंगे, इससे पाप के भागी होंगे । इसलिए शूद्र भोग की इच्छा से धन संभय न करें राजा की आज्ञा से किसी धार्मिक कार्य के लिए धन का संभय करना अनुचित नहीं है । ब्राह्मण दात्रिय और वैश्यों को शूद्रों का

1- गौ०ध०सू० 18. 14

वि०ध०सू० 71. 44, 52

2- मनुस्मृति 10. 123, 125

विप्रसेवैव शूद्रस्य विशिष्टं कर्म कीत्यति ।

यदतो न्यद्धि कुरुते तद्भवत्यस्य निष्फलम् ॥

उच्छिष्टमन्नं दातव्यं जीर्णानि वसनानि च ।

पुलाकाश्चैव धान्यानां जीवाश्चैव परिच्छदाः ॥

3- महाभारत शा०प००६२८ -

प्रजापतिर्हि वर्णानां दासं शूद्रमकल्पयत । ✓

तस्माच्छूद्रस्य वर्णानां परिचर्या विधीयते ॥

भरण पोषण करना चाहिए उनको पुराना हाता, जूता, कपड़ा, पंखा और आसन आदि देना चाहिए यह सब शूद्रों का धर्मतः प्राप्त धन है ।

धार्मिक पुरुषों का कहना है जब कोई शूद्र ब्राह्मण, दक्षत्रिय, वैश्य के पास सेवा के लिए जाये तो उसकी जीविका का प्रबन्ध कर देना चाहिए । यदि किसी शूद्र के पुत्र न हो तो उसके मरने पर उसका पिण्डदान उसके मालिक को कर देना चाहिए । बूढ़ तथा अमजोर होने पर उसका भरण पोषण मालिक करता रहे । मालिक पर विपत्ति पड़े तो कोई शूद्र उसका साथ न छोड़े यदि मालिक गरीब हो जाय तो सेवक को अपने परिवार पालन से बचे धन से उसकी सहायता करनी चाहिए । शूद्रों के धन का स्वामी उसका मालिक होता है । ब्राह्मण दक्षत्रिय वैश्यों के लिए जो यज्ञ बताये गये हैं वे सब शूद्रों को भी करने चाहिए किन्तु उनको स्वाहाकार षटाकार और मंत्र का अधिकार नहीं है । इसलिए शूद्रों को व्रती न होकर (वैश्यदेव) गृह शान्ति और शूद्र-यज्ञ करने चाहिए । इन यज्ञों की दक्षिणा पूर्व मात्र है । पैजवन नाम के एक शूद्र ने अमभ्रक ऐन्द्राग्न विधि के अनुसार दक्षिणास्वरूप एक लाख पूर्वपात्र दान किये थे । शूद्रों के कार्यों के बारे में भी हम गुप्तकाल में विशेष विकास दृष्टिगोचर होता है । कृषि और दस्तकारी शूद्र के कार्यों के रूप में सर्वमान्य हो गये थे जिनको पहले बहुत कम मान्यता मिली थी । अमर कोष में शूद्र वर्ग में साधारण दस्तकार तथा श्रेणी के अध्यक्ष मालाकार, (बोधी) कुम्हार, ईंट निर्माता, चर्मकार, लोहार तथा तांबा आदि के कार्य करनेवालों का वर्णन किया गया है ।

सामान्य स्त्री धर्म :

समाज की यदि एक अंग पुरुष है तो दूसरा अंग स्त्री, बिना स्त्री के अस्तित्व के सृष्टी रचना ही नहीं सकती । पुरुष सृष्टा है और नारी

1- महाभारत शा०प०६३५ - कल्प्या तेन बुते प्राहुर्वृति धर्मविदो जनाः ।

देयः पिण्डोऽनमत्याय भर्तव्यौ वृद्ध दुर्बलौ ॥

2- ,, 6० 39 - शूद्र पैजवनो नाम सहस्राणां शतं ददौ ।

ऐन्द्राग्ने विधानेन दक्षिणांमिति न श्रुतम् ॥

3- डा० आर० एस० शर्मा : शूद्राजं इन ऐन्धियण्ट इण्डिया, पृ० 235 ।

4- अमर कोष 2. 10. 5-10 ।

प्रेमिका । नारी का विशेष गुण है प्रेम, दया और कोमलता, शान्ति, समर्पण और बलिदान । जुलु शब्दकोष में नारी महत्व पर प्रकाश डालते हुए वर्णन है, पुरुष एक पशु है जिसका प्रशिक्षण नारी करती है । नारी मूलतः पुरुष की शिडिका है तब भी जब की वह बच्चा होता है और तब भी जब वह व्यस्क होता है ।¹ ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णन है कि पिता फिर अपनी पत्नी से उत्पन्न होता है । इसीलिए वह जाया कहलाती है । वह उसकी दूसरी माता है ।¹

स्त्रियों का सामान्य धर्म है - सुखी जीवन में पुरुषों का सहभागी बनना, सहधर्मिणी और सहायिका के रूप में पुरुष का पथ-प्रदर्शन करना विवाह द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्षा जैसे पुरुषार्थों की प्राप्ति में सहयोगी बनना, वंश वृद्धि कर पितृ ऋण से मुक्त होना बादि ।

सामान्य कुल धर्म

प्राचीन काल से लेकर आज तक समाज और परिवार में पुत्र जन्म बढ़ा ही प्रसन्नता का विषय रहा है । पुत्र को कुल रक्षक, वंश वृद्धि करने का कारण माना गया है वहीं एक ऐसा व्यक्ति है जो मृत्योपरान्त अपने पूर्वजों को पिण्डदान और तर्पण दे सकता है । पुत्र के विषय में यह धारणा प्रचलित रही है कि पुत्र 'पुं' नामक नरक से पिता को तारने के कारण पुत्र कहलाता है । पुत्र प्राप्त कर व्यक्ति इस लोक को विजयी करता है तथा पौत्र प्राप्त कर ब्रह्मलोक और आदित्य लोकों को प्राप्त करता है । वह तीन ऋणों से मुक्त होकर मोक्षा पद का अधिकारी बनता है । सामान्य कुल धर्म व्यक्ति का वैदिक रीति से विवाह कर पुत्र प्राप्त करना है जो अनुलोम विवाह के माध्यम से प्राप्त किया जाय वहीं पुत्र वास्तव में पुत्र है ।

1- ऐतरेय ब्राह्मण 2. 7. 13 ' जायते पुनः '

2- मनुस्मृति 9. 138 पुनाम्नो नरकाधस्मात् प्रायते पितरं सुतः ।

तस्मात्पुत्र इति प्रोक्ताः स्वयमेव स्वयंभुवा ॥

सामान्य राज धर्म

ईसा के जन्म के पूर्व एवं पश्चात् कुछ शताब्दियों को छोड़कर सदैव राजशात्मक व्यवस्था ही विद्यमान थी । भारतीय ग्रंथकारों ने सामान्यतः एक राजशात्मक व्यवस्था का ही प्रतिपादन किया । फलतः 'राजा' अन्त में शासन एवं राज्य का पर्यायवाची हो गया । प्राचीन भारत में राजा का तात्कालिक ध्येय था ऐसी दशाएँ एवं वातावरण उत्पन्न कर देना कि सभी लोग शान्ति एवं सुखपूर्वक जीवन-यापन कर सकें । अपने-अपने व्यवसाय कर सकें, अपनी परम्पराओं हृदियों एवं धर्म का पालन कर सकें । निर्विरोध अपने कर्मों एवं अपनी अर्जित सम्पत्ति का फल भोग सकें । वास्तव में राजा शान्ति सुव्यवस्था एवं सुख की दशाओं को उत्पन्न करने का साधन था जो ईश्वर से सहज रूप में प्राप्त माना जाता था । यदि राजा निष्पदा होकर सब पर चाहे वह अपना पुत्र हो या शत्रु हो समान रूप से शासन करता है और उन्हें अपराध के अनुसार दण्डित करता है तो वह अपने तथा अपने प्रजाजनों के लिए इहलोक तथा परलोक दोनों सुरक्षित रखता है । राजा का कार्य था व्याप्तगत स्वतंत्रता एवं सम्पत्ति के अधिकारों की अवहेलना करनेवाले को धमकी देकर या शक्ति से रोकना, जनता के परम्परागत रीति नियमों को प्रतिपालित करने का नियम बनाना तथा सद्गुणों एवं धर्म की रक्षा करना ।¹

आपद्धर्म

आपद्धर्म एक विशेष परिस्थिति में आचरण किये जाने वाले और माने जानेवाले मान्यताओं और नियमों की संज्ञा है । किसी असाधारण

- 1- कौटिल्य 3.1 राज्ञः स्वधर्मः प्रजा धर्मेण रक्षितुः । - - - - दण्डो हि केवलो लोकं पर चेमं च रक्षति । राजा पुत्रे च शत्रो च यथादोषेण सम धृतः
 ,, 1.3 तस्यात्स्वधर्मं भूतानां राजा न व्यभिचारयेत् । स्वधर्मं संद्वानो हि प्रेत्य चेहं च नन्दति । व्यवस्थितार्थम्यादिः कृतवर्णाश्रम स्थितिः त्रय्या हि रक्षितो लोकः प्रसीयति न सीयति ।

परिस्थिति के उत्पन्न होने पर जब मनुष्य अपने अस्तित्व रक्षा और सूल्य रक्षा के लिए अपने विशिष्ट कर्तव्यों (सामान्य धर्म) को स्थगित कर दूसरे वैकल्पिक कर्तव्यों से (जो प्रायः विहित और अविहित दोनों ही हो सकते हैं) अपना जीवन निवार्ह करता है उसे ही आपद्धर्म कहते हैं ।

मनुष्य के धर्म और कर्तव्य समय-समय पर बदलते रहते हैं कोई भी शास्त्र या स्मृति एक समय विशेष के ही नियमों और कानूनों का वर्णन कर सकता है उसमें उल्लिखित नियम और कानून न तो सावदेशिय हो सकते और न ही सर्वकालिक । मनुष्य की परिस्थितियाँ और आवश्यकताएँ निरंतर बदलती रहती हैं जो आचार एक युग में प्रचलित था दूसरे में वर्पित ठहराया गया ।

आपद्धर्म अति प्राचीन धर्म है । जब से सृष्टि की रचना हुई और समस्याओं का जन्म हुआ उसका निराकरण ही आपद्धर्म के द्वारा हुआ । सामान्य दशा में व्यक्ति अपने सामान्य धर्मों द्वारा जीवन यापन करता था किन्तु उसके सम्झा एक ऐसी संकट की दशा आयी जब व्यक्ति को अपने सामान्य धर्मों का अनुपालन करना असंभव हो गया और उसके सम्झा जीवन मृत्यु का प्रश्न खड़ा हुआ ऐसी दशा में प्रत्युत्पन्नमति के द्वारा मानव जीवन सुरक्षा के लिए उसे अन्य कर्मों का सहारा लेना पड़ा । वे कर्म ही आपद्धर्म कहलाये - जो सामान्य धर्म से अलग थे, युग धर्म के विपरीत थे ये कर्म केवल आपद्धि की दशा में ही अनुपालनीय थे

मनुष्य के सम्झा आपद्धर्म क विविध फल प्रदर्शित हुए, विविध प्रकार के संकटों से रक्षा के लिए विविध प्रकार के कर्मों की संकल्पना की गयी । संकटों के विविध प्रकार के थे जैसे - धर्म संकट, नैतिक संकट, जीवन संकट, भावनात्मक संकट, राजनैतिक संकट, स्त्री रक्षा रक्षा का संकट । इन सभी प्रकार के संकटों का निराकरण व्यक्ति आपद्धर्म के अमोघ शस्त्र द्वारा करता था । गौतम, आपस्तम्ब तथा बौधायन आदि धर्मसूत्रों में वर्णन प्राप्त होता है कि किसी आकस्मिक और असाधारण परिस्थिति के उत्पन्न होने पर अपने अस्तित्व बचाव और पुर्नविकास के लिए व्यक्ति को इस बात को कूट थी कि वह अपने विशिष्ट कर्तव्यों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दे और दूसरे वैकल्पिक कर्तव्यों

से अपना जीवन निर्वाह करे परन्तु विकल्प भी शास्त्र से विहित होना चाहिए, अविहित विकल्प अपनाने से वह पतित हो जाता है । विहित विकल्प का तात्पर्य अपने वर्ण से नीचे का कर्म ।¹ जैसे -

- ब्राह्मण - दान्त्रिय, वैश्य का कर्म करे ।
 दान्त्रिय - वैश्य का कर्म करे ।
 वैश्य - शूद्र का कर्म करे ।
 शूद्र - शिल्प आदि करे ।

सूत्र युग में आपत्तिकाल में अनेक ब्राह्मणों ने सैनिक वृत्ति अपना ली थी जबकि सामान्य दशा में उनके लिए वर्जित था कई वैश्यवृत्ति वाले भी ब्राह्मण दिखायी देते हैं ।² महाभारत के शान्तिपर्व में आपद्धर्म का एक विस्तृत अध्याय ही है जिसमें वर्णन है "मनुष्य समय के अधीन है जैसा समय आता है वैसे ही मनुष्य में उत्तम मध्यम और नीच कर्मों को करने की प्रवृत्ति हो जाती है । सभी कर्म काल के वशीभूत ही निश्चित किये जाते हैं ।"³

इस प्रकार इसमें वर्णन है कि आपत्तिकाल में कभी-कभी अधर्म को कर्म का स्वरूप और धर्म को अधर्म का स्वरूप प्राप्त हो जाता है । आपत्तिकाल आने पर समाज द्वारा लगाये गये सामाजिक नैतिक बन्धन शिथिल होनेवाले बताये गये हैं । आपत्तिकाल में उस व्यवस्था में भी परिवर्तन करना अनुपयुक्त

1- गौतम ध०सू० 7. 1 से 7. 9

आपस्तम्ब ,, 7. 20. 10 11 तक

दृष्टव्य - सत्यकेतु विद्यालंकार, प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग, श्री सरस्वती सदन मसूरी, पृ० 203, 1977 ।

2- डा० जयशंकर मिश्र - प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, बिहार हिन्दी

ग्रंथ अकादमी, सम्मेलन भवन, अदमकुशा, पटना - 3, 1974, पृ० 45 ।

3- महाभारत - राजधर्म पर्व, 62. 10 पृ० 337

काल संकोचित-कालः कालं पथयि निर्दिशतः ।

उत्तमाधममध्यानि कर्माणि करुते वशः ॥

नहीं माना गया है । संकट में पड़कर जीवन रक्षा चाहनेवाले विद्वान पुरुष
दीनचित न होकर कोई उपाय ढूँढ़ निकालना चाहिए और सभी उपायों द्वारा
अपने आपकी आपत्कालीन परिस्थिति से उद्धार करना चाहिए । इस बुद्धि का¹
सहारा लेकर जीवित रहने का प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि जीवित रहनेवाला
पुरुष पुण्य करने का अवसर पाता है और कल्याण का भागी होता है ।²
अपने मन को वश में रखनेवाले विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह जगत में धर्म
और अधर्म का निर्णय करने के लिए अपने ही विशुद्ध बुद्धि का आश्रय लेकर
यथायोग्य बतावे करे ।³

आपद्धर्म की परिसीमाएँ बहुत ही विस्तृत हैं जिस प्रकार
आपत्तियों को कोई सीमा नहीं है । उसी प्रकार उसके निराकरण हेतु क्रिये गये
कर्मों का भी वर्णन दुष्कर है ।

आपद्धर्म के कई स्वरूप हो सकते हैं जैसे -

- 11। आपद्धर्म शास्त्र विहित हो सकता था ।
- 12। आपद्धर्म शास्त्र अविहित भी हो सकता था ।
- 13। अविहित कर्म करने के बाद व्यक्त प्रायश्चित्त करता था।
- 14। आपद्धर्म में स्वेच्छाचारिता की भावना प्रबल थी ।
- 15। आपद्धर्म अल्पकालिक हो सकता था ।
- 16। आपद्धर्म दीर्घकालिक हो सकता था ।

निष्कर्ष :

धर्म कि विविध विधायक ग्रंथों में दर्शित होती है कहीं आदर्श
के रूप में तो कहीं कर्म के रूप में, कहीं धर्म और यज्ञ के रूप में । सामान्य धर्म व्यक्ति
के अपने-अपने ^{विहित} सामान्य परिस्थितियों के कर्म हैं और आपद्धर्म संकट से बचाव का एक
उपाय है ।

- 1- महाशा०प० - आपद्धर्म पर्व 141. 100 एवं विद्वानदीनात्मा व्यसनस्यो जिजीविषुः
सर्वोपायेरुपायज्ञो दीनात्मानमुद्धरेत् ॥
- 2- ,, ,, - आपद्धर्म पर्व 141. 101 एता बुद्धि समास्थाय जीवितक सदाभवेत् ।
जीवन पुण्यमवाप्नोति पुरुषो भद्रमश्नुते ॥
- 3- ,, ,, - आपद्धर्म पर्व 141. 102 तस्मात् कौन्तय विदुषा धर्माधर्मविनिश्चयो
बुद्धिमास्थाय लोकेऽस्मिन् पतितव्यं कृतात्मना ॥

दूसरा अध्याय

आपद्धर्म की संकल्पना का सूत्रपात

जब व्यक्ति और समाज अपने सामान्य और विहित धर्मों के आधार पर अपनी और अपने समाज की रक्षा नहीं कर सकता तब उसके सामने एक धर्म संकट उत्पन्न होता है। वह विकर्षव्यविमूढ़ हो जाता है, काल और परिस्थिति के कशीभूत होकर उसे नये मार्ग खोजने होते हैं जिनसे उसकी रक्षा हो सके। ये नये रास्ते ही संकट की परिस्थिति में पारलौकिक और ग्राह्य होते हैं। इन्हीं को आपद्धर्म कहते हैं।

आपद्धर्म का सूत्रपात सामान्य धर्म के साथ ही साथ हुआ। जब व्यक्ति परिस्थितियोंक श धर्म के संपादन करने में असमर्थ हो और गुरदा हेतु (अर्थात् अपनी किसी भी प्रकार की सुरक्षा यथा मानसिक, वारियक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि) वह अन्य कर्मों का सहारा लेता है ऐस कर्म ही आपद्धर्म हैं। जहाँ पर धर्म की परिसीमार् समाप्त हो जाती हैं वही से आपद्धर्म प्रारंभ होता है।

वेदों में आपद्धर्म :

वैदिक युग में आपद्धर्म का सर्वप्रथम उदाहरण हमें ऋग्वेद में वृष्टिगत होता है इसमें विधवा स्त्री के पुनर्विवाह (आपद्धर्मी धर्म) के रूप में प्राप्त होता है। एक श्रमिक धर्मवर्णन है।¹ से स्त्री उठी, तू उसके लिए शोक कर रही हो जो मर चुका है। अपने शोक का त्याग करो और उसका वरण करो जो तुम्हें अपनावे, उसके साथ अपने जीवन का श्रेष्ठ भाग प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत करो।

1- ऋग्वेद 10.18.8 उदीर्ष्व नार्याभि जीवलोक गतासुमेतमुप श्रेष्ठ रहि ।

दस्तग्रामस्य विधिणोस्तवेद पत्यर्जित्वमभि से कर्म्ये ॥

इसी प्रकार से अथर्वविद में आपद्धर्म का स्वरूप सनातन धर्म के रूप में दृष्टिगत होता है । इसमें वर्णन है 'मृत पति को प्राप्त होकर पुनः पति गृह को चाहती हुई यह स्त्री है जीवित पुरुष तुभे प्राप्त होती है । उस स्त्री के लिए तू इस गृहस्थ लोक में प्रजोत्पादन करो और धन दो ।' इसमें कुल की निरंतरता को बनाये रखने के लिए आपद्कुल धर्म स्त्री ने अपनाया ये आपत्काल में स्त्री का धर्म था ।

वैदिक वाङ्मय में धर्म, तप, कृत, सत्य के रूप में दृष्टिगोचर हुआ है । इसमें कृत तथा सत्य ये दो शब्द अति प्रचलित हैं । 'कृत च सत्यञ्चा-भीक्षातपसोऽध्यनायत' तपोमय ब्रह्म से कृत तथा सत्य प्रकट हुए हैं । कृत का अर्थ है निरपेक्ष सत्य (Absolute truth) जो परिस्थिति के अनुसार बदल नहीं सकता तथा सत्य का अर्थ है सापेक्ष सत्य (Relative truth) जो परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है । इसी सत्य का विषम परिस्थिति जन्य परिवर्तन ही आपद्धर्म है ।

धर्म-सूत्रों में आपद्धर्म :

सूत्र ग्रंथों के रचना का काल 600 ई०पू० से 300 ई०पू० तक माना जा सकता है । इस समय 3 प्रकार के सूत्र ग्रंथों की रचना हुई। श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, धर्मसूत्र ।²

1-अथर्वविद संहिता 18. 3. 1

इयं नारी पतिलोकं वृणाना निपधत् उपे त्वा मत्यप्रितय ।

धर्म पुराणामनुपालयन्ती तस्यै प्रजा द्रविणं चेह धैहि ॥

दामोदार सातवलेकर - स्वाध्याय मण्डल, पारडी, 1948, पृ० 34 ।

2- सूत्रग्रंथों का समय :

आपस्तम्ब धर्मसूत्र 600 से 300 ई०पू०

गौतम धर्मसूत्र 600 से 400 ई०पू०

बौधायन धर्मसूत्र 500 से 200 ई०पू०

वशिष्ठ धर्मसूत्र 300 से 200 ई०पू०

शंखलखित, विष्णु

धर्मसूत्र 300 से 100 ई०पू०

सूत्रकालीन इन धर्मसूत्र रचनाओं में वर्ण व्यवस्था के उस स्वरूप का विकास होता है जिसमें बन्धन और अवरोध की प्रक्रिया थी । वर्णों के उद्गम में जन्म ही प्रमुख आधार था अर्थात् वर्ण व्यवस्था पूर्णतः आनुवंशिक हो गयी थी । इस प्रकार से चारों वर्णों का उत्कर्ष और उनमें जटिलता का समावेश इस युग से प्रारंभ हो जाता है ।

जब वर्ण व्यवस्था जन्मगत हो गयी और वर्णों के कठोर नियम हो गये ऐसी दशा में आपत्तिकाल में आपदवर्षधर्मों का स्पष्ट स्वरूप दर्शित होता है ।

इस समय जब ब्राह्मण अपने शास्त्रोक्त कर्मों (अध्ययन, अध्यापन, यजन-याजन, दान-प्रतिग्रह) से आपत्तिकाल में जोवन यापन न कर सके तो उसके लिए अन्य कर्मों को संपन्न करने का निर्देश दिया गया जैसे द्वात्रिंश या वैश्य के कर्म । इस काल में अनेक ब्राह्मणों ने प्राणासंशय की अवस्था में सैनिक वृत्ति अपना ली थी । शस्त्र धारण कर लिया था ।¹ वैसे साधारणतः सैनिक बनना उनके लिए वर्जित था किन्तु अत्यन्त विषम और कठिन परिस्थिति में ही उन्हें सैनिक जीवन बिताने के लिए कहा गया था । वैश्य वृत्ति भी ब्राह्मण संकट काल में अपना सकता था ।² यद्यपि सूत्रकारों ने उन्हें रस गंधतिल आदि अनेक वस्तुएँ न बेचने के लिए निर्दिष्ट किया है । आपत्तिकाल में ब्राह्मण, द्वात्रिंश तथा वैश्यों को पढ़ा भी सकता था ।³

-
- 1- मिताहार वृत्ति - उमेश चन्द्र पाण्डेय, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, 1968
 बौध०सू० 1. 120 - (प्राणासंशये ब्राह्मणोऽपि शस्त्रमादधीत ।)
 गौ०ध०सू० 1. 7. 25
 मिताहार वृत्ति- उमेश चन्द्र पाण्डेय, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, 1966 ।
 उद्धृत - डा० जयशंकर मिश्र - ' प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास',
 बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, सम्मेलन भवन, पटना, 1974, पृ० 45 ।
- 2- बौ०ध०सू० 1. 5. 101 - तस्य वैश्यवृत्ते ब्राह्मणस्यापण्येन विक्रयं कथ्यते ।
 गौ०ध०सू० 1. 7. 7-8 - लडूला भे वैश्यवृत्ति, तस्यापण्यम् ।
 उमेश चन्द्र पाण्डेय, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, 1966, पृ० 65 ।
- 3- आ०ध०सू० : 2. 24. 25-28 - आपदि ब्राह्मणेन राजन्योवैश्ये बाध्ययनम् ।

आपत्तिकाल में दानत्रय अपने कर्मों से जीवन यापन न कर सके तो उसके लिए वैश्य वृत्ति करने की छूट थी ।¹ इसी प्रकार से वैश्य का प्रधान कर्म, कृषि और वाणिज्य था किन्तु आपत्तिकाल में जीविकोपार्जन के निमित्त वह वर्ण विरुद्ध कर्म भी कर सकता था । गौ ब्राह्मण और वर्ण रक्षा के निमित्त वह शस्त्र ग्रहण कर सकता था² । इस प्रकार से धर्मसूत्रों में अपने कर्तव्यों और कर्मों से जीवनयापन न कर सकने के कारण आपत्तिकाल में उसके लिए आपद्धर्म की व्यवस्था की गयी थी । प्रतिकूल परिस्थितियों और विपत्ति के दण्डों में व्यक्ति को दृढ़ रखने के लिए आपत्कर्तव्यों का निवेशन किया गया था ।

कौटिल्य अर्थशास्त्र में आपद्धर्म - कौटिल्य अर्थशास्त्र राजनीतिशास्त्र का एक वृहद कोष है । कौटिल्य अर्थशास्त्र में वर्णन है कि आपत्काल में राजा बल द्वारा अपनी प्रजा की रक्षा करता है । शक्तिहीन राजाओं को सर्वदा बलवान राजा का आश्रय लेना चाहिए । दुर्बल राजा का आश्रय लेनेवाला सर्वदा दुःख उठाता है ।³ कौटिल्य अर्थशास्त्र में राजनीति से संबंधित कई कूटनीतिक आस्थान उपलब्ध होते हैं जो राजा के आपत्तिकाल में अनुपालनीय थे ।

मनुस्मृति में आपद्धर्म - मनुस्मृति में आपद्धर्म का वर्णन बहुत ही स्पष्ट शब्दों में किया गया है । जैसे आकाश की चड़ से लिप्त नहीं होता वैसे ही प्राण जाने के भय से यदि प्राणी इधर-उधर का अन्न खा लेता है वह प्राणी भी पाप लिप्त नहीं होता है ।⁴ मनुस्मृति में अत्यन्त आपत्तिकाल में ऋणियों द्वारा किये गये जघन्य कर्मों का उल्लेख है जिसमें वर्णन है कि धर्मज्ञाता ऋणियों ने किस प्रकार भयंकर दुर्भिक्षा काल में प्राण रक्षा

1- गौ०ध०सू०-1. 7. 26 राजन्यो वैश्यकर्मः ।

उमेश चन्द्र पाण्डेय, बौद्धम्बा संस्कृत सीरीज़, वाराणसी, 1966, पृ० 69 ।

2- बौ०ध०सू० - 2. 2. 18 गवार्थे ब्राह्मार्थो वा वर्णानां वापि संकरे ।

गृहणीतयात विप्रविशौ शस्त्रधर्म व्ययेक्षामा ॥

डा० जयशंकर मिश्र - भारत का सामाजिक इतिहास, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, सम्मेलन भवन, पटना, 1967, पृ० 47 ।

3- कौटिल्य अर्थशास्त्र वाचस्पति गैरोला, 62-65(चाणक्य प्रणीत सूत्र)

शक्तिहीनो बलवन्तमाश्रयेत् । दुर्बलाश्रमो दुःखभावहति अग्नि वद्राजानभाश्रयेत् ।
राजं प्रतिकूलं नाचरेत् ।

4- मनुस्मृति 10. 104 जीवितात्यथामापन्नो योऽन्नं भति यतस्ततः ।

आकाशमिव पड्डेन न स पापेन लिप्यते ।

गणेशदत्त पाठक, ठाकुर प्रसाद एण्ड संस, वाराणसी, संवत् 2031 ।

के लिए मार्ग प्रदान किया था ।¹ मनु द्वारा संवालिit आपद्धर्म की व्यवस्था भविष्य के लोगों के लिए एक देन ही नहीं बल्कि सर्वदा के लिए मार्ग प्रदर्शक भी बनी । मनु द्वारा निर्देशित आपद्धर्म तत्कालीन समाज का सचित्र दर्पण है जिससे यह ज्ञात होता है कि व्यक्ति का जीवित रहना ही सब से बड़ा धर्म है । यदि व्यक्ति का जीवन नहीं तो धर्म का कोई महत्व नहीं है क्योंकि जीवित व्यक्ति ही धर्माधर्म का विवेचन कर सकता है ।

महाकाव्यों में आपद्धर्म का स्वरूप :

रामायण - रामायण हिन्दुओं का धर्म ग्रंथ है । इसमें श्रीराम को पर्यदा पुरुषोत्तम कहा गया है । रामायण में भी आपद्धर्म का यत्र तत्र दृष्टान्त मिलता है । वाल्मीकि रामायण में एक स्थल पर वर्णन है कि वन गमन के समय राम लक्ष्मण सीता ने निषाद राजा गुह के आतिथ्य को स्वीकार किया गया था ।² (केवट) निषाद निम्न जाति थी, सामान्य दशा में निम्न जाति के लोगों का दूजा भोजन अग्राह्य था क्योंकि व अकूत समझे जाते थे । इसी प्रकार से एक स्थल पर वर्णन है राम ने सबकी के आश्रम में उसका दिया कन्द मूल फल ग्रहण किया ।³ शबरी भी अधम जाति की थी । शबरी जाति से वर्ण बाह्य थी किन्तु विज्ञान (परमात्मज्ञान) में बहिष्कृत नहीं थी ।

महाभारत - महाभारत में उल्लेख है कि मनुष्य समय के अधीन है जैसा समय आता है वैसे ही मनुष्य की उत्तम, मध्यम और नीच कर्मों को करने की प्रवृत्ति हो जाती है ।⁴ एक स्थल पर कहा गया है कि आपत्तिकाल में कभी-कभी अधर्म

1- मनुस्मृति 10. 105-108 अजीर्तः सुत -----

----- धर्माधर्म विवक्षाणः

2- वाल्मीकि रामायण , अयोध्या काण्ड , 5. 45

3- वाल्मीकि रामायण, अरण्य काण्ड, 74. 12

4- महाभारत , शा०प० 62. 10

कालः संबोधितः कालः काल पर्यायनिश्चितः ।

उत्तमाधममध्यानि कर्माणि कुरुतेऽवशः ॥

दामोदर सातवलेकर, पारडी, बलसाड, 1979 ।

को ही धर्म और धर्म को अधर्म का स्वरूप प्राप्त हो जाता है । योग्य समय और योग्य स्थान पर जो धर्म आचरणीय है वही अयोग्य समय और अनुपयुक्त स्थान पर अधर्म बन जाता है ।¹ आपत्तिकाल आने पर समाज द्वारा लगाये गये बन्धन शिथिल हो जाते हैं । महाभारत में ही परशुराम जी का एक दृष्टान्त प्राप्त होता है जिन्होंने प्राण रक्षा के लिए ब्राह्मण होकर भी शस्त्र धारण किया था और 21 बार दानवियों का संहार किया था ।² धर्मराज युधिष्ठिर जो अत्यन्त सत्यवादी थे आपत्ति के समय युद्ध भूमि में फूठ बोले ' अश्वात्थामा मरो नरो वा कुञ्जरो वा ।'³ महाभारत के युद्ध में पाण्डवों ने अपने गुरु को मार डाला, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जो गुरु भी थे और ब्राह्मण भी, जबकि सामान्य दशा में ब्राह्मण अबध्य थे ।⁴

इस प्रकार से महाभारत के आपद्धर्मों में विविधता दृष्टिगत होती है । आपद्धर्म का सभ से बृहद और विविधता पूर्ण कोष संग्रह महाभारत ही है ।

आपद्धर्म का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण महाभारत के विराट पर्व में दृष्टिगत होता है जब महापराक्रमी पाण्डव विराट की सभा में विविध कर्म करते थे । धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं राजा का सभासद बनूंगा तथा अपनी जाति ब्राह्मण और नाम कर्दू तथा कर्म जुआ खेलना बताऊंगा । भीम कहते हैं कि मैं अपने को राजा युधिष्ठिर के यहाँ का आरालिक (अन्न पकानेवाला) गोविक्ता (तैलान्न बनानेवाला) सूपक्ता (साग बनानेवाला) और योद्धा था ऐसा बताऊंगा । अर्जुन कहते हैं कि मैं विराट के महल में स्त्रियों को गाना- नाचना तथा अनेक के बाजे सिखाऊंगा । नकुल कहते हैं मैं ग्रथिक के नाम से राजा विराट के धोड़ों का सार्ईस बनूंगा यह काम मुझे बहुत प्रिय है । सहदेव कहते हैं मैं विराट राजा के गौओं को गिनने , रोक्ने और दुहनेवाला बनूंगा । मैं गौओं को गिनने में निपुण हूँ । द्रौपदी कहती है कि

1- महाभारत, अ०प० 2०९, क०प० 69, शा०प० 33

दामोदर सातवलेकर, बलसाड, 1979 ।

2- महाभारत, अनु०प० (आश्वमेधिक पर्व) 29 . 22

3- महाभारत, द्रोण०प० 19० . 59...

4- महाभारत, द्रोण० प० 192 . 7०

मैं अपने को सैरन्धी बताकर उनको ^(सती का) सिर गुथूंगी क्योंकि मैं सिर गूथने में बहुत निपुण हूँ और इस प्रकार अपने को छिपाऊँगी ।

पुराणों में आपद्धर्म :

पुराणों में भी अनेक प्रसंग उपलब्ध होते हैं जिससे जाति के कर्म परिवर्तनों का सक्ति मिलता है किन्तु इसमें यह निश्चित कर पाना कि किस प्रकार की आपत्तियाँ थी दुष्कर है किन्तु यह तो निश्चित ही है कि व्यक्ति अपने वर्ण के कार्यों में परिवर्तन कर सकता था । विष्णु पुराण में वर्णन है कि नृप दुरुदाय के पुत्र ने बाद में विप्लव स्वीकार कर लिया था । ² शूद्रा से उत्पन्न कृषिवान के विषय में वायु ऋषि और मत्स्य पुराणों का कथन है कि तपश्चर्या के कारण उन्हें ऋणत्व की प्राप्ति हुई थी । ³ विष्णु पुराण के अनुसार राजा त्रिशकु नीच कर्म के कारण चाण्डालत्व को प्राप्त हुए थे । ⁴

1- महाभारत विराट पर्व -

- (युधिष्ठिर) 1. 20 : सभास्तारो भविष्यामि तस्य राज्ञो महात्मनः ।
कडूओ नाम-द्विजो भूत्वा मतादाः प्रिय देविता ॥
- (भीम) 2. 7 : अरालिको गोविक्ता सूपक्ता नियोधिकः ।
आसं युधिष्ठिर स्याहमिति क्दयामि पृच्छतः ॥
- (अर्जुन) 2. 24 : गीत नृत्वं विचित्रं च वाद्वित्रं विविधं तथा ।
शिक्षायिष्याम्यहं राजनिवराट भवने स्त्रियः ॥
- (नकुल) 3. 2 : अश्वबन्धो भविष्यामि विराट नृपतेरहम् ।
ग्रन्थिको नाम नाम्नाहं कर्मेतत्सुप्रियं मम ॥
- (सहदेव) 3. 6 : गोसंख्याता भविष्यामि विराटस्य महीपतः ।
प्रतिषेद्धा च दोग्धा च संख्याने कुशलो गवाम् ॥
- (द्रौपदी) 3. 17 : साहं श्रुवाणा सैरंध्री कुशला केशकर्मणि ।
आत्म गुप्ता वरिष्यामि यन्त्रां त्वमनुपृच्छसि ॥

2- विष्णु पुराण 4. 19. 26 तच्च पुत्रत्रितयं पश्चाद्विप्रतामुपजगाम ।

3- वायु० पु० 99. 94 }
ऋषिण्ड पु० 3. 74. 96 } - विधूय सानुजो दोषान् ऋषयं प्राप्तवान्प्रभुः ।

मत्स्य पुराण 48. 86 विधूय मातृजं कार्यं ब्राह्मण्यं प्राप्तवान्प्रभुः ।

4- विष्णु पुराण 4. 3. 21-23 यो सौ त्रिशकुर्ज्ञामवाप ।

इस प्रकार से ज्ञात होता है कि इस काल में भी व्यक्ति विशेष पारिस्थितियों में अपने वर्ण विहित कर्मों में परिवर्तन कर लेता था । इस समय समाज में विविध जातियाँ बन चुकी थी और जाति परिवर्तनों में कर्म का स्थान न्यूनाधिक अंशों में विद्यमान था ।

याज्ञवल्क्य स्मृति में आपद्धर्म :

याज्ञवल्क्य स्मृति में आपद्धर्म का एक प्रकरण ही है । इसमें वर्णन है कि ब्राह्मण किसी भी वृत्ति से जीविकोपार्जन न कर सके तो वह चोर कर्म कर सकता है ।

पराशर स्मृति और नारद स्मृति में भी आपद्धर्मों का उल्लेख है जिसका विस्तृत वर्णन बाद के अध्यायों में किया गया है ।

ऐतिहासिक घटना क्रमों में आपद्धर्म की अवधारणा का सूत्रपात :-

शुंगों के समय आपद्धर्म व्यवस्था में और दृढ़ता आ गयी थी । अंतिम मौर्य शासक ब्रह्मदुश्त्र का हत्यारा पुष्पमित्र शुंग ब्राह्मण जाति का था ब्राह्मण इस समय सैन्य वृत्ति अपनाने लगे थे । अपने जीविकोपार्जन हेतु (यह आपद् राज धर्म का उदाहरण है (वह मौर्य सेना का प्रधान सेनापति भी था । इसके उपरान्त सातवाहन और कळव वंश भी ब्राह्मण वंश के थे जो राजा बने ।

मौर्य युग के परवर्ती काल से ही भारत पर अनवरत रूप से विदेशी आक्रमण होने लगे । इनमें इंडोग्रीक, शक, पहल्लव, कुषाण आदि जातियाँ यहाँ आयी यहाँ शासन किये ऐसे आपद्ग्रस्त वातावरण में इन विदेशी जातियों का भारतीय समाज में आयीकरण होना स्वाभाविक ही था । फलतः ये यहाँ के सामाजिक जीवन में धुल मिल गये । महाभारत तथा रामायण में भी इनका उल्लेख है। पार्तजलि तथा मनु ने भी शक, यवन, पौण्ड्रक, औड्र, द्रविण, कम्बोज, किरात, दरद, वीन, रवश, यवन, शक, पारद, पहल्लव जैसी जातियों का वर्णन किया है। भारतीय शास्त्रकारों ने इनको शूद्र के अन्तर्गत रखकर अपनी चातुर्वर्ण की सामाजिक व्यवस्था में ग्रहित किया ।

1- एस०एन०राय, ' पौराणिक धर्म एवं समाज, पृ० 157-158...।

2- याज्ञवल्क्य स्मृति - आपद्धर्म प्रकरण 2.43. कृ भुक्षितस्त्रयह ----- धर्मतः ।।

3- मनुस्मृति 10.44 पौण्ड्रकाश्चौद्रप्रविडाः कम्बोजा यवनाः शकाः ।

जी० एस० धूर्ते - वैदिक दास धीरे-धीरे शूद्र हो गये जो वाह्य जातियाँ थीं जैसे निषाद पुत्रस चाण्डाल आदि वे शूद्रों में मिल गयी।¹

हरिषेण की प्रयाग प्रशस्ति में भी इन विदेशियों के भारतीयकरण का उल्लेख मिलता है, जो समुन्द्र-गुप्त के समय का है। इसमें शक, मुरुण्डो, कुषाणों की कन्याओं के आदान-प्रदान का वर्णन है।²

सभी शास्त्रकार वर्णानुक्रमिक कर्म की प्रशंसा करते हैं। इसी से व्याज, परिवार और समाज का उत्कर्ष मानते हैं। उन्होंने व्यवहारिकता को दृष्टिगत करके परिस्थितियों की प्रतिकूलता पर भी विचार किया है। इसीलिए आपत्तिकाल में व्यक्ति को जीविकोपार्जन के निमित्त अन्य वर्णों के कर्मों को अनुपालित करने का निर्देश दिया गया है। द्वात्रिंश को आपद्धर्म के अन्तर्गत वैश्य कर्म अपनाने की सलाह दी गयी किंतु उन्हें हिंसा प्रधान कृषि कर्म करने की अनुमति नहीं थी। आचार्य लक्ष्मीधर ने प्राचीन शास्त्रकारों को उद्धृत करते हुए यह व्यवस्था दी है कि द्वात्रिंश कृषिकर्म और व्यापार कर सकता है।³

10वीं तथा 11वीं शताब्दी में आपद्धर्म का स्वरूप कलिवर्ज्यों के सूची के अन्तर्गत दर्शित होता है। कलियुग में कुछ कर्म जो वर्णविहित नहीं थे किन्तु आपत्तिकाल में उनको संघटित करने के पश्चात् प्रायश्चित्त विधान का सूत्रपात किया गया था। धर्मशास्त्रों में कलिवर्ज्यों की सूची प्रस्तुत की गयी है। कलिवर्ज्य संबंधी विवेचन उन लोगों का मुहत्तोड़ जवाब है जो 'अप्रगतिशील पूर्ण' सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। प्राचीनकाल के अत्याधिक स्थिर समाज के अन्तर्गत भी सामाजिक भावनाओं एवं आचार विचारों में पर्याप्त गंभीर परिवर्तन होते रहे हैं। बहुत से ऐसे आचार एवं व्यवहार जिनके पीछे वेदों (जो स्वयमुद्भूत एवं अमर माने गये हैं) का आधार था और जिनके पीछे आपस्तम्ब, मनु एवं याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियों की प्रामाणिकता थी। वे या तो त्याज्य ठहराये गये या प्रचलित मनोभावों के कारण गार्हित माने गये।⁴

1- जी०एस०धूर्ते : दि कास्ट एण्ड रेस इन इंडिया, पापुलर बुक डिपो, बाम्बे, 1957,

2- प्र० प्र० : देवपुत्रशाहिशाहानुशाहिशकमुण्डे: सैलकादिभिश्च सर्वद्वीपबीसिभि-
रात्मनिवेदन कन्योपायनदानगरुत्मदद्व० स्वविणयमुक्तिशासनयाचनः ।

3- कृत्यकल्पतरु, गृहस्थ्य काण्ड, पृ० 191 ।

4- पी०वी०काणो : धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग 2, गर्वन्मेण्ट ओरियन्टल सीरीज़,
पूना, 1941, पृ० 109 ।

महान विचारकों ने कलियुग के लिए ऐसी व्यवस्थाएं प्रचलित की जिनके फलस्वरूप धार्मिक आचार-विचारों एवं नैतिकता संबंधी भावनाओं में यथोचित परिवर्तन किया जा सका कलिवर्ष्य वचनों ने ऐसे लोगों को भी पूर्ण उत्तर दिया जो धर्म को (आचार धर्म) अपरिवर्तनीय एवं निर्विकार मानते रहे हैं । सर्वप्रथम कलिवर्ष्यों की सूचियां स्मृत्यर्थसार, स्मृतिवृद्धिका एवं हेमाद्रि द्वारा ही प्रकाशित की गयी । ये ग्रंथ लेखक 12वीं, 13वीं शताब्दी के हैं । अतः अत्यन्त संभव अनुमान यह है कि कलिवर्ष्यों की सूचियां सर्वप्रथम 10वीं या 11वीं शताब्दी में उपस्थित की गयी थी ।¹

11वीं सदी का लेखक अल्बरनी का कथन है कि प्राचीन काल में अत्यन्त कर्तव्य परायण राजा जनता को अनेक श्रेणियों और कर्मों में विभक्त करने में योग देते थे। साथ ही उन्हें एक दूसरे से मिलने और क्रम तोड़ने से रोकने का यत्न करते थे। कुछ लोग वर्ण विरुद्ध कर्म भी कर रहे थे । अल्बरनी स्वयं कहता है कि अनेक ब्राह्मण वैश्यों की भांति व्यापार करते थे । (संभवतः ब्राह्मणों के समदा जीवन मृत्यु का प्रश्न हो अतः जीवन यापन हेतु ये वृत्ति अपनाये थे) दात्रिय पद लिख सकते थे । वे पौराणिक नियमों के अनुसार आहुति देते थे । वैश्यों की स्थिति निश्चित रूप से हीन हो गयी थी । वे शूद्रों की कोटि में रखे जाने लगे थे । अल्बरनी कहता है कि यदि कोई शूद्र या वैश्य वेद पाठ करता था तो उसकी जिहवा काट ली जाती थी । ये दोनों जातियां खेती और सेवा कार्य करती थी । ब्राह्मण अपनी पवित्रता का बड़ा ध्यान रखते थे यदि कोई ब्राह्मण² कुछ दिनों तक शूद्र के घर भोजन कर लेता था तो वह जाति से बाहर समझा जाता था ।

12वीं सदी के आरंभ में वैश्यों ने सामाजिक परिस्थितियों के कारण कृषि कर्म छोड़ दिया उनका मुख्य कार्य व्यवसाय ही रह गया । इसका मुख्य कारण वैश्यों पर बौद्ध और जैन धर्म की शिक्षाओं का अन्य वर्णों से अधिक प्रभाव पड़ा । उनके अहिंसा के सिद्धान्त से वैश्य वर्ण के समदा एक धर्म संकट स्थिति आयी जो उनके वर्ण विहित कृषि कर्म से विरत कर दिया अन्ततोगत्वा कृषि कर्म वैश्यों से छूटकर शूद्रों के कर्म में सम्मिलित हो गया तथा वैश्य शूद्रों के स्तर तक पहुंच गये ।³

अनवरत मुस्लिम आक्रमणों के फलस्वरूप समस्त हिन्दू समाज में विषमता और अव्यवस्था व्याप्त हो चली । ऐसे आपत्ति के समय विदेशी जातियों के जो लोग राज

1- पी०वी०काणे : धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग 2, गर्वनेण्ट ओरियण्टल सीरीज़, भण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इंस्टीच्यूट, पूना, 1941, पृ० 1010 ।

2-(अल्बरनी)- ग्यारहवीं सदी का भारत, पृ० 98-110 ।

3- धूर्ये, जी० एस० : कास्ट एण्ड क्लास इन इण्डिया, पापुलर बुक डिपो, बाम्बे, 1957. पृ० 57. 64. 88. 96 ।

परिवारों और ऊँचे पदों से सम्बद्ध थे उनका तो समाज में उच्च स्थान था । राज परिवारों का ये वर्ग धीरे-धीरे क्षत्रिय वर्ग के निकट आ गया । वृद्धि दोनों का धर्म युद्ध और शासन करना था इसलिए दोनों में समीपता स्वाभाविक थी । कालान्तर में यही वर्ग राजपूत कहलाया । जो विदेशी जातियाँ साधारण वर्ग से सम्बंधित थीं वे शूद्रों के अन्तर्गत आयीं । इस प्रकार से विदेशी जातियाँ विषम परिस्थितियों में भारतीय जन समुदाय में धुल-मिल गयीं और उनका आयीकरण हुआ¹ ।

आपद् स्त्री धर्म : आपद् स्त्री धर्म की संकल्पना का सूत्रपात वैदिक युग से ही हो चुकी थी । समाज में बाहर से आये आर्यों की संख्या कम थी । वे अपने को सभ्य और सुसंस्कृत मानते थे । अपनी संख्या वृद्धि के लिए उन्होंने अनेक नियमों को बनाया ।

ऋग्वेद और अथर्ववेद में कुछ मंत्रों में यह वर्णन मिलता है कि स्त्री अपने पति की मृत्यु के बाद वंश वृद्धि के लिए दूसरे पति का वरण कर सकती थी² । इस प्रकार प्राचीनकाल में एक जाति का व्यक्ति दूसरे जाति की विधवा से विवाह कर सकता था । इन कार्यों की कूट थी ।³

महाभारत और रामायण में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि पति की मृत्यु के बाद विधवा स्त्री उसके शव के साथ सति हो जाती थी । प्रो० वाश-व्यूरो हापरकिंस का मत है पहले यह प्रथा राज परिवारों तक सीमित थी जैसा कि महाकाव्यों में वर्णन मिलता है किन्तु धीरे-धीरे यह सभी के लिए मान्य हो गयी ।⁴ इसका विस्तार बाद के अध्यायों में किया गया है ।

इस प्रकार से धर्म के साथ ही आपद्धर्म का भी सूत्रपात हुआ जब व्यक्ति का अपने कर्तव्य का ज्ञान हुआ धर्म के नियमों में कठोरता आयी उस समय संकट काल में अपने वर्ण की पवित्रता को बनाये रखने के लिए प्राण रक्षा हेतु व्यक्ति ने आपद्धर्मों को किया । जो आपद्धर्म कहलाया । इसको विविध रूपों में देखा जा सकता वहीं धर्म के रूप में, वहीं वर्ण के कर्मों के रूप में वहीं राजनीति के कर्म के रूप तो वहीं रक्षा हेतु प्रयासों के रूपमें में इस प्रकार से आपद्धर्मों में वैविध्यता थी ।

1- मीज, जी० एच० : धर्म एण्ड सोसायटी, ग्रेट रसल स्ट्रीट, लन्दन, 1953, पृ० 83 ।

2- ऋग्वेद 10. 18. 8 - उदीर्ष्व मार्याभि जीवलोक गतासुयेतमुप शेषा राह ।

हस्तग्रायस्य विधिषोस्तवेद पत्युर्णानित्वर्माय स अमूय ॥

अथर्ववेद 5. 17. 8

3- मीज, जी० एच० : धर्म एण्ड सोसायटी, ग्रेट रसल स्ट्रीट, लन्दन, 1953, पृ० 105 ।

4- कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, वात्स्यम 1, पृ० 292 ।

अध्याय - 3

आपद्धर्म का स्वरूप एवं विशेषताएँ

आपद्धर्म का स्वरूप और विशेषताएँ समझने के लिए इसका विविध खण्डों में वर्गीकरण किया जा सकता है जैसे -

- । अ । आपद् वर्ण-धर्म
- । ब । आपद् स्त्री-धर्म
- । स । आपद् कुल-धर्म
- । द । आपद् राज-धर्म

अब इस अध्याय में इन पर विस्तृत प्रकाश डाला जायेगा -

। अ । आपद् वर्ण धर्म :-

इस अध्याय में वर्णों के सामान्य कर्तव्य और आपद्कालिक कर्तव्यों पर प्रकाश डाला जायेगा । मनुष्य समय के आधीन होता है जैसा समय आता है वैसा ही व्यक्ति उत्तम, मध्यम और नीच कर्मों को करने लगता है । मानव जीवन बढ़ा ही अनमोल एवं दुर्लभ है और धर्म भी तभी तक है जब तक जीवन है । मानव जीवन की रक्षा के लिए धर्मशास्त्रकारों, सूत्रकारों स्मृतिकारों ने वर्ण व्यवस्था की कठोरता में कुछ ढील दी जिससे आपत्काल में भी व्यक्ति अपने जीवन रक्षा का उपाय कर सके ।

सर्वप्रथम वैदिक काल में 2 वर्णों की चर्चा की गयी है जो आर्य और दस्यु थे । दस्यु वर्ण ही कालांतर में शूद्र हो गये तथा आर्यों के

तीन वर्ण हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य । ब्राह्मण पृथ्वी पर देवता थे ।
जब वे मंत्रोच्चार करते थे ।

इन्डो यूरोपियन सभ्यता में भी समाज तीन वर्गों में विभक्त था ।

(1) (तंत्र-मंत्र), (2) न्याय प्रशासन से संबंधित (3) सैन्य वर्ग और कृषि कर्म ।

यही विचारधारा रोम के प्राचीन सभ्यता में भी दृष्टिगत होती है जिसके देवता हैं - जूपिटर, मार्स, क्यूरनियस । रोम के प्राचीन इतिहास में भी ये तीन वर्ण पाये जाते हैं ।

ग्रीक सभ्यता में भी यही तथ्य दृष्टिगत होता है। यूरोपियनों का समाज भी 3 वर्गों में बंटा था - (1) दार्शनिक वर्ग (2) सैनिक वर्ग (3) सामान्य वर्ग- मजदूर, कृषक आदि ।

ईरानी सभ्यता में भी समाज तीन या चार वर्गों में बंटा था -
(1) पुजारी वर्ग (2) सैन्य वर्ग (3) कृषक (4) परिश्रमिक वर्ग ।¹

प्राचीन भारतीय समाज चार वर्णों में विभक्त था जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे । ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में वर्णन प्राप्त होता है कि प्रजापति का मुख ब्राह्मण है, बाहु क्षत्रिय, जंघे वैश्य तथा पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई² । संभवतः वर्णों के कर्मों को दृष्टिगत करते हुए उनको उच्च, मध्यम और निम्न स्थान दिया गया ।

ब्राह्मण वर्ण :

विष्णु धर्मसूत्र, विशिष्ट धर्मसूत्र, मनुस्मृति तथा महाभारत आदि में ब्राह्मण के सामान्य कर्तव्यों में वेद अध्ययन - अध्यापन , यजन- याजन तथा

1- राबर्ट लिगट : द क्लासिकल ला ऑफ इण्डिया, थामसन प्रेस,
न्यू दिल्ली, 1974, पृ० 35-37 ।

2- ऋग्वेद 10. 90. 12 : ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः ।

उरुतदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो जायत ॥

दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, अल्साड़, 1967 ।

दान और प्रतिग्रह कहा गया है ।¹ सामान्य जीवन में ब्राह्मण इन कर्मों द्वारा अपना जीविकोपार्जन करता था ।

राबर्टलिंगट का मत - जब ब्राह्मण मंत्रोच्चार करता था तो पह पृथ्वी का देवता प्रतीत होता था ।²

जी० एच० मीज का मत है कि धर्म समाज को समायोजित करने और सामाजिक उद्देश्यों (वर्ण, धर्म, समाज व्यवस्था) को पूर्ण करने का एक साधन बन गया था । इस प्रकार धर्म ब्राह्मण वर्ण के हाथ में आया जो धर्माधिकारी बन गये और जाति धर्म के कर्तृधर्ता और नियामक के रूप में प्रतिष्ठित हुए ।³

1- विशिष्ट ध०सू० 4. 12

विष्णु ध०सू० 2. 13

मनु स्मृति 1. 88 अध्यापनमध्ययन यजन याजन तथा ।

दानं प्रतिग्रहं च ब्रह्मणानामकल्पयत् ॥

गणेशदत्त पाठक, ठाकुर प्रसाद एण्ड संस, वाराणसी,
संवत् 2031

महा० शा० राज० 12

दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, बलसाड़, 1984 ।

2- राबर्टलिंगट - द क्लासिकल ला आंव इण्डिया, पृ० 35 ।

3- जी० एच० मीज - धर्म एण्ड सोसाइटी, पृ० 102 ।

मीज ने अन्यत्र यह मत प्रकट किया है कि चर्तु-वर्णों की परिकल्पना समाज को एक सुव्यवस्थित गति देने का प्रयास मात्र था । किसी भी वर्ण के कार्य सभी कालों में एक जैसे नहीं थे, ये कोई अटल सत्य या शाश्वत नियम नहीं था न ही कोई निश्चित मापदण्ड था वरन् यह युग-युग में वर्णों की सुविधानुसार समयानुसार वर्णों के कर्मों में (फेर बदल) परिवर्तन की गतिशीलता दिखती है ।¹

(अ) आपत्तिकालीन ब्राह्मण की ब्राह्मणवृत्ति :

आपत्तिकाल में ब्राह्मण , ब्राह्मण गुरु के अभाव में दात्रियों से अध्ययन कर सकते थे । शतपथ ब्राह्मण एवं उपनिषदों में भी कुछ ब्रह्मविद् दात्रियों के नाम आते हैं जिनके यहाँ ब्राह्मण लोग शिष्य के रूप में उपस्थित होते थे । जैसे याज्ञवल्क्य ने राजा जनक से (शतपथ ब्राह्मण 6. 21. 5) बालार्कि गर्ग्य ने काशीराज अजातशत्रु से (वृहदारण्यक 2. 1 एवं कौण्टिकी उप० 4) श्वेत केतु आरण्योय ने ब्राह्मण जैबलि से (छान्दोग्य उप० 5. 3) पंच ब्राह्मणों² ने केक्य राज अश्वपति से (छान्दोग्य उप० 5. 2) ज्ञान प्राप्त किया था ।

गौतमधर्मसूत्र में ऐसा वर्णन आया है कि ब्राह्मण का ब्राह्मणेत्तर³ (दात्रिय या वैश्य) वर्णों से विधा ग्रहण करना आपातकालीन नियम है । आपत्तिकाल में ब्राह्मण सभी अयोग्य व्यक्तियों का यज्ञ करा सकता है । सब को

1- जी०श्च०मीज - ' धर्म एण्ड सोसायटी ', अध्याय 10, पृ० 186

2- पी०वी०काणे - ' धर्मशास्त्र का इतिहास ', प्रथम भाग , पृ० 142
गर्वनमेण्ट ओरियण्टल सीरीज़, पूना, 1963

3- गौतमधर्मसूत्राणि 1. 7.1. आपत्कल्पो ब्राह्मणस्याब्राह्मणाद्विधोपयोगः ।
मितादार वृत्ति, उमेश चन्द्र पाण्ड, ' चौखम्बा संस्कृत सीरीज़, वाराणसी',
1966, पृ० 64 ।

पढ़ा सकता है और सब का दान ले सकता है । गौतमधर्मसूत्र के अनुसार ब्राह्मण को आपत्तिकाल में पहले दान लेकर जीविका चलानी चाहिए उससे जीविका न चले तो उसे याम्म द्वारा जीविका चलानी चाहिए ।¹ (सर्व वर्णों का तात्पर्य यहाँ शूद्र वर्णों से है) आपस्तम्बधर्मसूत्र में भी वर्णन है कि गुरु केवल ब्राह्मण ही हो सकते हैं किन्तु आपातकाल में ब्राह्मण गुरु की अनुपस्थिति में ब्राह्मण दात्रिय या वैश्य से पढ़ सकता है । ब्राह्मण शिष्य दात्रिय या वैश्य गुरु के पीछे-पीछे चल सकता है किन्तु पैर दबाने की सेवा या अन्य किसी प्रकार की सेवा कर नहीं कर सकता बल्कि पढ़ने के उपरान्त वह गुरु के आगे-आगे भी जा सकता है ।² इसी में आगे वर्णन प्राप्त होता है कि ब्राह्मण को आपत्तिकाल में जब जीविका के कोई साधन उपलब्ध न हो तो भिक्षावृत्ति भी अपना सकता था । उसे केवल निम्न कार्यों के लिए ही भिक्षा मांगनी चाहिए - (1) आचार्य के लिए (2) अपने प्रथम विवाह के लिए (3) यज्ञ के लिए (4) माता पिता के रक्षण के लिए (5) योग्य पुरुष के कर्तव्यों के विलोप को दूर करने के लिए । ऐसे अवसर पर लोगों को यथाशक्ति दान देना चाहिए और जो केवल अपने सुख के लिए मांगे उसे दान नहीं देना चाहिए ।³ यही विचार मनु ने भी व्यक्त किये हैं कि गुरुओं (माता-पिता) और भृत्यों के पोषणार्थ तथा देवता और अतिथियों के पूजनार्थ सब से (शूद्रादि से) दान ले किन्तु उस धन या वस्तु का स्वयं उपयोग न करे ।⁴

1- गौतमधर्मसूत्राणि 1. 7. 9, 5, याजनाध्यापन प्रतिग्रहाः सर्वेणाम् । 14 ॥

,, ,, पृ० 64-65 पूर्वः पूर्वो गुरुः ॥ 5 ॥

2- आपस्तम्ब धर्मसूत्राणि- उमेश चन्द्र पाण्डे, चौखम्बा संस्कृत सीरीज़, वाराणसी 1964, 2.2. 4, 25, 28

3- ,, ,, 5. 2. 10, 1, 4 भिक्षाणे निमित्तयाचार्यो विवाहो यज्ञो
मातापित्रोर्बुभूणार्हर्तश्च नियमविलोपः । तत्रःगुणान समीक्ष्य
कर्मशक्ति देयम् । इन्द्रिप्रीत्यर्थस्य तु भिक्षाणामनिमित्तम् ।
तस्यात्र तदाद्वियते ।

4- मनुस्मृति 4. 251. गुरु भृत्याश्चोज्जिहोर्गन्निचिष्यन्देवतातिथीन् ।
सर्वतः प्रतिगृहीयात्र तं तृप्येत्स्वयं ततः ॥

मनुस्मृति में ऐसा वर्णन है कि उत्तम विद्या को नीच से भी लेना चाहिए । चाण्डाल से भी मोक्षार्थ की शिक्षा लेनी चाहिए और नीच कुल से भी स्त्री वन को लेना चाहिए ।¹ आपत्तिकाल में अब्राह्मण से भी पढ़ने का विधान है किन्तु ऐसे गुरु की सेवा अध्यायन काल तक ही करनी चाहिए ।² ब्राह्मणेतर गुरु के पास ब्राह्मण शिष्य अत्यन्त वास न करे । परमगति को चाहने वाला शिष्य वेद वेदान्त की शिक्षा न देनेवाले ब्राह्मण के पास भी न रहे ।³ मनु का मत है ब्राह्मणों के लिए नीचों को पढ़ाना यज्ञ कराना तथा उनसे दान लेना इन तीन कर्मों में नीच से प्रतिग्रह (दान) लेना निकृष्ट है । मरने पर यही परलोक में नरक का कारण होता है । अतएव जीविका निर्वाह न होवे तथा उसे नीचों से प्रतिग्रह लेना चाहिए ।⁴ मनुस्मृति में ही ऐसा उल्लेख है कि आपत्ति में फँसा ब्राह्मण दान लेवे क्योंकि धर्मशास्त्रों में उल्लेख है कि पवित्र वस्तु दूषित नहीं होती । अध्यापन (आपादु से पढ़ाने से) याजन (यज्ञ करने से) अथवा निकृष्ट दान लेने से ब्राह्मणों को दोष नहीं होता क्योंकि ब्राह्मण अग्नि और जल के बराबर है । जैसे आकाश की चड़ से लिप्त नहीं होता वैसे ही प्राणी प्राण जाने के भय से वहीं इधर-उधर का अन्न खा लेता है । वह प्राणी भी पाप लिप्त नहीं होता है ।⁵ मनुस्मृति में ऐसे ब्राह्मणों का भी उल्लेख है जिन्होंने आपत्तिकाल में मांसभक्षण किया था । भुल से ठयाकुल अग्नीमर्त कृषि

1- मनुस्मृति 2. 238 अद्विधानः शुभा विद्यामाददोक्षावरादपि ।
अन्त्यादपि परं धर्मं स्त्रीरक्षं दुष्कुलादपि ॥
अनु० गणेशदत्त पाठक, ठाकुर प्रसाद एण्ड संस, वाराणसी, संवत् 2031 ।

2- मनुस्मृति 2. 241 अब्राह्मणाद्ध्ययनमापत्काले विधीयते ।
अनुक्रज्या च शुश्रूषा यादवध्ययनं गुराः ॥

3- ,, 2. 242 ना ब्राह्मणे गुरौ शिष्यो वासमात्यन्तिकं वसेत् ।
ब्राह्मणे दानं दाने काङ्क्षान्गातिभनुत्तमाम् ॥

4- ,, 10. 109 प्रतिग्रहाधाजनाद् तथैवाध्यापनादपि ।
प्रतिग्रहः प्रत्यवरः प्रैत्य विप्रस्य गर्हितः ।

5- ,, 10. 104 जी वितात्यथमापन्नोऽक्षोऽन्ममति चतस्ततः ॥
आकाशमिव पङ्केन न स पापेन लिप्यते ॥

अनु० गणेशदत्त पाठक, ठाकुर प्रसाद एण्ड संस, वाराणसी, संवत् 2031 ।

पुत्र को मारने के लिए तैयार हो गये (यज्ञ में बलि देने को) किन्तु दूध को मिटाने के लिए ऐसा करने पर भी वह पाप लिप्त नहीं हुए ।¹ धर्म-अधर्म को जाननेवाले बामदेव ऋषि प्राणों की रक्षा के लिए दूध से आर्च होकर कुत्ते का मांस खाने की इच्छा की तो भी उस पाप से लिप्त नहीं हुए ।² निर्जन वन में दूध पीड़ित महत्तपस्वी भरद्वाज ऋषि पुत्रों के सहित वृधु नामक बड़ई से बहुत सी गायें माँगी थी ।³ दुग्ध से आर्च होकर धर्म-अधर्म को जाननेवाले विश्वामित्र ऋषि ने चाण्डाल के हाथ से कुत्ते का मांस लेकर खाने को तैयार हो गये ।⁴

आपत्तिकालीन ब्राह्मण की दान्त्रिय वृत्ति :

गौतमधर्मसूत्र में वर्णन है कि प्राण संकट की दशा में⁵ ब्राह्मण को दान्त्रियवृत्ति करनी चाहिए । ब्राह्मणशस्त्र धारण करे । बौधायन ने कहा है कि गाँवों और ब्राह्मणों की रक्षा करने एवं वर्णसंकरता को रोकने के लिए ब्राह्मण एवं वैश्य भी आयुध ग्रहण कर सकते हैं ।⁶

-
- 1- मनुस्मृति : 10.105 अजीगर्तः सुत हन्तुभुपासवर्द्धबुभुक्षितः ।
न चालिष्यत पापेन दातुप्रतीकारभाचरण् ॥
 - 2- ,, 10. 106 श्वमांसभिष्कन्तोढतु धर्माधर्म विक्दाण ।
प्राणानां परिस्कार्थं न लिप्तवान् ॥
 - 3- ,, 10. 107 भरद्वाजः दूधातस्तु स पुत्रोविजने वने ।
वहवीर्गां प्रतिजग्राह वृधोस्तदाणो महातपाः ॥
 - 4- ,, 10. 108 दूधार्तश्वातुमम्भागाद्विश्वमित्रः श्वजाधनीम् ।
चण्डालहस्तादादाय धर्माधर्म विक्दाणः ॥
 - 5- गौतमधर्मसूत्रम् 1.7.25 प्राणशंसये ब्राह्मणोपि शस्त्रमादधीत् ।
मितादाश्ववृत्ति, रमेश चन्द्र पाण्डे, चौखम्बा संस्कृत सीरीज़, वाराणसी, 1966
 - 6- बौधायनधर्मसूत्रम् 2. 2.18 अथाप्युदाहरन्ति । गवार्थे ब्राह्मणार्थे वा वर्णानां
वापि संकरे ।
पृ. 69

कौटिल्य स्वयं ब्राह्मण होते हुए भी परिस्थितिवश द्वात्रिंशत् धर्म अपनाया था नन्दों से बदला लेने के लिए । कौटिल्य ने सेना में गुणावगुण की चर्चा करते हुए ब्राह्मण सेना की भी चर्चा की है और कहा है कि शत्रु प्रतिपात प्रणतभाव द्वारा ब्राह्मणों की सेना को अपने अधीन कर सकता है ।¹

मनु का कथन है कि यदि अपने कर्म द्वारा ब्राह्मण अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता तो वह द्वात्रिंशत् कर्म को अपना सकता है ।² द्विज को शस्त्र ग्रहण करने के लिए मनु का उद्गार है कि दुःसाहसी मनुष्यों द्वारा ब्रह्मचर्य आदि आश्रमवासियों के धर्म का अवरोध होने के कारण राज्य के अराजक हो जाने के कारण युद्ध आदि की संभावना में, आत्मरक्षा में, दक्षिणा द्रव्य (गौ आदि) के अपहरण सम्बन्धी युद्ध में तथा स्त्रियों और ब्राह्मणों की रक्षा में द्विजातियों को शस्त्र ग्रहण करना चाहिए ।

याज्ञवल्क्य ने ब्राह्मण के आपद्कालीन कर्तव्यों के लिए कहा है कि ब्राह्मण अपने वर्णवृत्ति के कर्म करने में असमर्थ होने पर आपत्काल में द्वात्रिंशत् कर्म द्वारा अथवा वैश्य के कर्म द्वारा जीवन निर्वाह करे किन्तु आपद्काल समाप्त हो जाने पर पुनः अपने वर्ण वृत्ति को अपना लेवे ।⁴

1- कौटिल्य अर्थशास्त्रम् 9 . 2 प्रणिपातेन ब्राह्मणबलं परोडभिहारयेत् ।
गेरोला, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी, 1984

2- मनुस्मृति 10 . 81 - आजीवस्तु यथोक्तेन ब्राह्मण स्वेन कर्मणा ।
जीवे द्वात्रिंशत् धर्मेण स हस्य प्रत्यन्तरः ॥

3- मनुस्मृति 8 . 348-49 शस्त्रं द्विजातिभिर्ग्राह्यं धर्मो यत्रोपरुध्यते ।
द्विजातीनां च वर्णानां विप्लवे कालकारिते ॥
अस्त्रश्च परित्राणे दक्षिणानां च सङ्गरे ।
स्त्रीविप्राभ्युपपत्तौ च धनधर्मेण न दुष्यति ॥

4- याज्ञवल्क्यस्मृति : आपद्दर्मप्रकरणम् प्रायश्चित्ताध्ययः 34

द्वात्रिंशत् कर्मणा जीवित्वा वादप्यापि द्विजः
निस्तीर्य ताम्थाडडत्मानं पावयित्वा न्यसेत्पथि ॥

महाभारत से विदित होता है कि तत्कालीन समाज में ऐसे अनेक ब्राह्मण थे जो शस्त्रोपजीवी थे तथा अपने द्वात्रिय कर्म से विख्यात थे जैसे परशुराम (वे द्वात्रियों के वध के लिए 21 बार शस्त्र उठाया) कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा (जीविका के लिए द्वात्रिय वृत्ति अपनायी) शल्यपर्व में वर्णन है कि राजा की आज्ञा से ब्राह्मणों को युद्ध करना चाहिए शान्ति पर्व में वर्णन है कि ब्राह्मणों को आत्मरक्षा, वर्णदोष और दुर्ग का नियमन करने के वास्ते (इन तीन समयों में) ही शस्त्र ग्रहण कर सकता है उसमें उसे दोष नहीं होता ।²

विष्णुपुराण में वर्णन है कि आपत्तिकाल में ब्राह्मण को द्वात्रिय या वैश्य वृत्ति का आलम्बन करना उचित है और द्वात्रिय को केवल वैश्य वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए । इनको शूद्र वृत्ति का आश्रय लेना कदापि उचित नहीं है । जब पुनः समर्थ हो जाय तो इन उपरोक्त वृत्तियों को छोड़ दे क्योंकि ये तो केवल आपातकाल में ही अवलम्बन करने योग्य हैं अन्यथा कर्म संकरत्व की प्राप्ति होगी ।³

प्राचीन ऐतिहासिक काल में जब समाज में अयोग्य राजा के कारण विशृंखलता की स्थिति व्याप्त हुई उस समय राज्य की सुरक्षा के लिए

- 1- शल्यपर्व (महाभारतम्) 65. 4. राज्ञो नियोगाद् योद्धव्यं ब्राह्मणोत् विशेषतः वर्तता द्वात्रधर्मेण ह्येवं धर्मविदो विपुः ॥
- 2- शान्तिपर्व (महाभारतम्) 79. 33. ब्राह्मणस्त्रिःशु कालेषु शस्त्रं गुहवन्न दुष्यति आत्मत्राणे वर्णदोषे दुर्गस्य नियमेषु च ॥
- 3- विष्णु पुराण ॥ 38-40 गुणास्तथापद्धमर्षिय विप्रादीनामियान्द्वणु ॥38॥
 द्वात्रं कर्म द्विजस्योक्तं वैश्यं कर्म तथापिदि ।
 राजन्यस्य च वैश्योक्तं शूद्रकर्म न चैतयोः ॥ 39 ॥
 सामर्थ्ये सति तत्याज्यमुभाभ्यामपि पार्थिव ।
 तदेवापदि कर्तव्यं न कुर्यात्कर्मसङ्करम् ॥ 40 ॥

ब्राह्मण वर्ण ने राज्य भार संभाला और विदेशी आक्रमणों से भारत की रक्षा की । इस प्रकार से ऐसे कई उदाहरण ब्राह्मण सेनापति और राज्य संस्थापकों के मिलते हैं । मौर्य वंश के पश्चात् हमें ऐसे अनेक तथ्य मिलते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणों ने द्वात्रिंशत् धर्म अपनाना शुरु कर दिया था । अन्तिम मौर्य सम्राट ब्रह्मवृथ का सेनापति पुष्पमित्र शुंग ब्राह्मण ही था जिसने सैनिकों के सम्मुख अपने स्वामी की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी (ईसा पू० 184 ई०) । शुंगों के उपरान्त काण्वायनों ने राज्य किया जिसका संस्थापक वासुदेव नामक ब्राह्मण था, जो अन्तिम शुंग राजा का मंत्री था (ईसा पू० 72 ई०) । कदम्बों का संस्थापक मयूर शर्मा ब्राह्मण ही था । (काकुस्थवर्माका ताल्लुण्ड नामक स्तम्भ लेख) । इसी प्रकार मरहठों के पेशवा ब्राह्मण ही थे जिन्होंने शस्त्र के आधार पर अपनी प्रमुखता स्थापित की थी ।

शुक्र का कथन है कि ब्राह्मण अपने जीवनयापन के लिए द्वात्रिंशत् कर्म का अनुगमन कर सकता है ।¹ कल्हण ने ऐसे ब्राह्मण सैनिकों का उल्लेख किया है जो युद्ध भूमि में भाग लेते थे ।² सैनिक शास्त्र का विद्वान कल्याणराज्य नामक ब्राह्मण युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था ।³

हेमचन्द्र ने लिखा है कि सपालकदा के राजा आठ्य की सेना का नेतृत्व एक ब्राह्मण ने किया था ।⁴ अनेक अभि० से ज्ञात होता है कि ब्राह्मण सेनानायक और सेनापति के पद को गौरवान्वित करते थे । पूर्वमध्ययुगीन चौलुक्य कत्युरि और चन्देल जैसे राजपूत राजवंशों की सेनाओं में अनेक ब्राह्मण सेनापति के पद पर नियुक्त थे । सेम्रप्लेट से विदित होता है कि ब्राह्मण सेनापति

1- शुक्र 4. 1013. 1071.

2- राजतरंगिणी 7. 1980 द्वौ रय्यावटविजयौ द्विजो पोरोगवस्त था ।
कोष्ठकः संजकारणश्च योद्धा युद्धे हन्ता वयुः ॥

3- ,, ,, 8. 1071 परं ठ्यायामविधाविद्धुते निखिले बले ।
द्विजः कल्याणराजारथः समरेभिमुखोहतः ॥

कल्हण का पुत्र अजयपाल भी सेनापति था । इच्छावर प्लेट के अनुसार चन्देल शासक परमर्दि का सेनापति मदनपाल शर्मा ब्राह्मण था । बलिपटन प्लेट पर उल्लिखित शिलाहार शासक रतराज का सेनापति नागमैय ब्राह्मण वंश का था ।² इस प्रकार ऐसे अनेक क्षत्र ब्राह्मण प्राचीन काल में हुए जिन्होंने क्षत्रिय वृद्धि अपना कर अपने परिवार, देश का उत्कर्ष किया है ।

ब्राह्मण राज्य सेवा :

अनेक ब्राह्मण राज सेवा में संलग्न रहते थे । अपनी योग्यता और प्रतिभा से ऊँचे पदों को सुशोभित करते थे । कल्हण ने लिखा है कि शिवाय नामक ब्राह्मण शिवरात्री³ के अवसर पर राज्य के सभी विभागों का अध्यक्ष बना दिया गया था । यही नहीं ब्राह्मण मंत्री होते थे नगराधिकारी (नगर मुख्य)⁴ होते थे । दण्डनायक होते थे ।⁵ साथ ही मूर्तिकार⁶ और अभिलेख के रचयिता भी होते थे ।⁷

1- प्राचीन भारत का इतिहास : जयशंकर मिश्रा, इण्डि० ऐति० 25,

पृ० 205, पृ० 89

2- प्राचीन भारत का इतिहास : ,, इण्डि० हि० क्वा० 1941 पृ० 35

3- कल्हण राजतरंगिणी 8 . 111 शिवरात्रिभुत्सवे श्लोक मर्मु शिवरथामियः

विद्वान् पठस्तेन हठात्सर्वाध्यक्षाव्यधीयता

4- ,, 7 . 108 पार्थः परमदुर्येधाः स्यातो भ्रातृलभः ।

निर्विचारेण यतेन नगराधिकृतः कृतः ॥

5- बाकुलस्वामी, गिरिनार अभि०

6- इपि० इ० 11. 394, 1. 31, xv 57.

7- अभि० श्लोक 373. 383.

आपात्काल में ब्राह्मण द्वारा वैश्यवृत्ति का अनुसरण

कृषि : ब्राह्मण आपत्काल में जब द्वात्रिंशत् वृत्ति से अपना-अपना जीवन-यापन न कर सके तो उसे वैश्यवृत्ति अपनाने की कूट थी । ब्राह्मण आपत्काल में वैश्य वृत्ति कर सकता था किन्तु कृषि वाणिज्य पशुपालन व्याज पर धनादि देने के सम्बन्ध में कई नियन्त्रण थे ।

बोधायन धर्मसूत्र का कहना है कि वेदाध्ययन से कृषि का नाश होता है तथा कृषि प्रेम से वेदाध्ययन की हानि होती है । जो दोनों के लिए समर्थ हो वो दोनों को करे जो दोनों का करने में असमर्थ हो उसे कृषि त्याग देनी चाहिए।¹ बोधायन का पुनः मत है कि ब्राह्मण को प्रातःकाल भोजन के पूर्व कृषि कर्म करना चाहिए उसे ऐसे बैलों को जिनकी नाक न रुिदी हो जिनके अण्डकोण न निकाल लिये गये हो उनसे जोतना या बार-बार उकसाना चाहिए और तीखी चर्मभदिका से उन्हें खोदना (आघात) नहीं चाहिए ।² गौतम धर्मसूत्र के अनुसार यदि खेती और वाणिज्य (क्रय विक्रय) ब्राह्मण स्वयं अपने हाथों से न करके किसी दूसरे द्वारा कराये तो वह इन कर्मों को भी कर सकता है।³

मनु का मत है कि यदि ब्राह्मण द्वात्रिंशत् वृत्ति से आपात्काल में जीविका न निर्वाह कर सके तो ब्राह्मण वैश्य कर्मकृषि गोपालन व्यापार आदि कर सकता था ।⁴ मनु ने आगे कृषि कर्म को ब्राह्मणों के लिए आपत्तिजनक

1- बोधायन धर्मसूत्रम् 1.5. 31 वेदः कृषि विनाशाय कृषिर्वेदविनाशिनी ।

शक्तिमानुभ्यं कुर्यादशक्तस्तु कृषिं त्यजेत् ॥

2- ,, ,, 2. 2. 82-83 प्राक् प्रातराशात्कृषिं स्यात् । अस्यूतनासिकाभ्यां समुष्काभ्यायतुदन्नारयामुहुर्मुहुरभ्युक्चन्दयन् ॥

3- गौतमधर्मसूत्राणि 2. 1. 5 कृषि वाणिज्ये वाहस्वर्यकृते ।

मिताक्षर वृत्ति, उमेश चन्द्र पाण्डे, चौखम्बा संस्कृत सीरीज़, वाराणसी,

1966, पृ० 94 ।

4- मनुस्मृति 10. 82 उभाभ्याम् व्यजीवस्तु कथं स्यादिति चेन्दवेत् ।

कृषिगोरक्षामास्थाय जीवेद्वैश्यस्य जीविकाम् ॥

बताया है । इनका मत है कि यदि आपत्तिकाल में ब्राह्मण या द्वात्रिंश को वैश्य कर्म करना ही पड़े तो उन्हें कृषि नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे जीव-हत्या होती है और दूसरों पर (मजदूर, बैल) आधारित है ।¹ मनु ने कृषि कर्म को इसलिए भी निन्दित माना है कि लोहे के मुंहवाला काष्ठ अर्थात् हल भूमि में स्थिति जीवों को मार डालता है ।² पराशर ने ब्राह्मणों के आपत्तिकाल में कृषि कर्म वर्जित नहीं माना है बल्कि उन पर बहुत से प्रतिबंध लगाये हैं ।³ वृद्धहारीत ने भी कृषि कर्म सब वर्णों के लिए उचित माना है ।⁴

आचार्य लक्ष्मीधर ने कृत्यकल्पतरु में यह विवेचन किया है कि यदि ब्राह्मण (आपत्तिकाल में) कृषि कर्म उत्पादन से अगर वह 1/6 राज्यकर देता, 1/12 भगवान के नाम पर निकाल देता था, 1/30 ब्राह्मण को दान देता था तो वह कोई पाप नहीं करता था ।⁵ आचार्य शुक्र ने भी ब्राह्मणों को विशेष परिस्थिति में खेती करने का निर्देश दिया है ।⁶

1-मनुस्मृति : 10. 83 वैश्यवृत्त्यापि जीवस्तु ब्राह्मणः द्वात्रिंशोऽपि वा ।

हिंसाप्राग्नां पराधीनां कृषिं बलेन कुर्यात् ॥

2- मनुस्मृति 10. 84 कृषिं सध्वति मन्यते सा वृतिः सद्विगर्हिता ।

भूमिं भूमिशयाच्चैव दन्ति काष्ठमयोमुखम् ॥

3- पराशर (2.2.4 षट्कर्म निरतो विप्रः कृषिकर्माणि कारयेत् ।

2. 12-13) हलभष्टबार्य धर्म्य षड्गव मध्यम स्मृतम् चतुर्गव नृशसानां

द्विगव वृषधातिनाम् ॥ 2.2. 4

ब्राह्मणस्तु कृषिं कृत्वा महादोषमवाप्नुयात् । राज्ञे

दत्त्वा तु षड्भागं देवानां चैकविंशकम् । विप्राणां त्रिंशकं

भागं कृषिकर्त्वा न लिप्यते । 2. 12-13

4- वृद्धहारीत 7. 179 कृषिस्तु सर्ववर्णानां सामान्यो धर्म उच्यते ॥

5- लक्ष्मीधर कृत्य कल्पतरु गृहस्थकाण्ड, पृ० 194-195 ।

6- शुक्रनीति 4. 3. 19 ।

व्यापार : आपत्तिकाल में ब्राह्मण व्यापार और वाणिज्य भी कर सकता था किन्तु धर्मशास्त्रकारों ने ब्राह्मण द्वारा व्यापार विनिमय की वस्तुओं पर बहुत से प्रतिबन्ध लगाये थे । गौतम धर्मसूत्र में वर्णन है कि आपत्तिकाल में वैश्य वृत्ति से जीवन निर्वाह करनेवाले ब्राह्मण को आगे की निर्दिष्ट वस्तुएँ नहीं बेचनी चाहिए, जैसे गंध (चन्दनादि) रस (तेल, घी, नमक, गुड़) बना हुआ भोजन, तिल सन से बने पदार्थ, रेशमी वस्त्र मृग-धर्म चटाई आदि अविक्रेय होती है । लाक्षा आदि रंगों से रंगे हुए धोबी द्वारा धोये गये वस्त्र, वैश्यवृत्तिवाला ब्राह्मण न बेचे । दही घी (विकार के साथ) दूध, मूल (अदरक हल्दी) फल, फूल, औषधि, मांस, तृण, जल और विष आदि अपश्य पदार्थ, हिंसा के लिए पशु, दास-दासी, गाय, बछिया, गर्भ गिरा देनेवाली गाय, बकरी, साढ़, ब्यायी गाय, भूमिधन, धोड़ा आदि का कभी भी विक्रय न करे ।¹ पुनः वर्णन है कि ब्राह्मण अविक्रेय पदार्थों का विनिमय पदार्थों से कर सकता है जैसे - रस (तिल, तेल) का विनिमय रस से । पशु का² विनिमय पशु से व्याज पर धन देने का कार्य भी ब्राह्मण दूसरों द्वारा करा सकता है । गौतम-धर्मसूत्र का समर्थन करते हुए आपस्तम्ब धर्मसूत्र में वर्णन है कि ब्राह्मण के लिए वाणिज्य विहित नहीं है आपत्ति के समय वह उन्हीं वस्तुओं का व्यापार कर सकता है जिनका क्रय-विक्रय करना विहित हो, किन्तु जिन वस्तुओं का क्रय विक्रय अविहित हो उसका व्यापार कदापि न करे (जिन अविहित पदार्थों की सूची गौतम धर्मसूत्र में है पुनः उसी का समर्थन आपस्तम्ब ने भी किया है कि उन पदार्थों को नहीं

1- गौतम धर्मसूत्राणि 1. 7. 8-15 तस्यापण्यम् । गन्धरसकृतान्नतिलशाणदापामा-
जिनानि । रक्तनिरिर्भक्ते वाससी । क्षीरं सविकारम् ।
मूलफलपुष्पोष्णधमम मांसतृणोदकापय्यानि । पशवश्चर्हिससयोगे ।
पुरुषवशाकुमारीवेहतश्च नित्यम् भूमि क्रीहियवा जाठ्यस्वकृम-
धेन्वनदुहश्चैके ।

मिताक्षर वृत्ति - उमेश चन्द्र पाण्डे, चौखम्बा संस्कृत सीरीज़, वाराणसी,
1966, पृ० 65-67 ।

2- गौतम धर्मसूत्राणि 1. 7. 16-18 नियमस्तु, रसानां रसैः । पशूनाञ्च ॥
पृ० 67, १ 2. 1. 6 कुसीद च ।

बेंचना चाहिए ।¹ पुनः इन्होंने भी अन्न से अन्न मनुष्यों से मनुष्यों रसों से रसों, गर्धों से बर्धों तथा विद्या से विद्या के विनिमय का नियम बताया है ।² इसमें आगे वर्णन है कि अपने योग्य जीवनवृत्ति सुलभ होते ही इस प्रकार के व्यापार का परित्याग कर दे ।³

इसी प्रकार से मनु का भी मत है आपत्तिकाल में मांस लाल और नमक बेंचनेवाला ब्राह्मण पतित होता है तथा दूध बेंचने से 3 दिन में शूद्र तथा शास्त्र वर्जित अन्य पदार्थों को बेंचने से ब्राह्मण 7 रात्रि में वैश्यत्व को प्राप्त कर लेता है ।⁴

आपत्तिकाल में जीविका के साधन के लिए मनु ने 10 उपक्रम बताये हैं - विद्या, कलायें, शिल्प, पारिश्रमिक पर कार्य, नौकरी, पशुपालन, वस्तु-विक्रय, भिक्षा एवं कृषि कुसीद (व्याज पर धन देना) ।⁵

- 1- आपस्तम्ब धर्मसूत्रम् - 7. 20. 10-13 अविहिता ब्राह्मणस्य वाणिज्या । आपदि व्यवहरेत् पण्यानामपण्यानि व्युदस्यन् । अपठ्यान्त्याह मनुष्यान् रसान् रागान् गन्धान् चर्म गवां वशां श्लेष्मोदके तोमकिण्वे पिप्पलीमरीचैधान्यं मांसमायुष सुकृताशां च । तिलतण्डुलास्त्वेव धान्यस्य विशेषण न विक्रीणीयात् ।
- 2- ,, - 7. 20. 15 अन्नेन चाहन्नस्य मनुष्याणां च मनुष्ये रसानां च रसेर्गन्धा नां च गन्धैर्विधया च विद्यानाम् ।
- 3- ,, - 7. 21. 4 वृत्तिं प्राप्य विरमेत् ।
- 4- मनुस्मृति - 10. 92-93- सद्यः पतति मासेन लाक्षाद्या लवणेन च । त्रयहेष शूद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात् ॥ इतरेणां तु पण्यानां विक्रियादिह कामतः । ब्राह्मणः सप्तरात्रेण वैश्यभावं निश्चकृति ॥
- 5- मनुस्मृति - 10. 116 विद्या शिल्पं भूतिः सेवा गोरक्ष्य विपणिः कृषिः धृतिर्भैर्य कुसीद च दस जीवन हेतवः ॥

इसी प्रकार के विचार याज्ञवल्क्य के भी हैं - सोम, पक, बकरी, ऊन, कंबल, चमरी हिरन के बाल, खली आदि निर्दिष्ट वस्तुओं को जोड़ा है ।¹ याज्ञवल्क्य ने भी मनु की तरह आपद्काल में ब्राह्मणों के जीवन रक्षा के लिए कृण, शिल्प, गाड़ी हाँकना, व्यापार, कुसीद, नृप सेवा तथा भिक्षावृत्ति अपनाने की राय दी है ।²

इसी प्रकार से महाभारत के शान्तिपर्व के (प्रथम भाग) राज धर्म पर्व में वर्णन है कि वैश्य धर्म का पालन करनेवाले ब्राह्मण को सुरा, लवण, तिल, धोड़े, गऊ, भैंस, पशु, बैल, मधु, मांस और पक्कवान आदि सब वस्तुओं को किसी भी अवस्था में ब्राह्मण न बेवें क्योंकि इन्हें बेचने से ब्राह्मण नरकगामी होता है ।³ इसी में आगे कहा गया है कि बकरा अग्निरूप, भेड़ वरुणरूप धोड़ा सूर्य रूप, पृथ्वी विराट रूप और गौ यज्ञ तथा सोमरूप है इस कारण इनका विक्रय नहीं करना चाहिए ।⁴

1- याज्ञवल्क्य स्मृति : आपद्धर्मप्रकरणम् 2. 36.- 38 .

फलां पल्लोभ सोम मनुष्यापूववीरुधः ।

तिलोदनरस्तारान्दधि दारि धृतं जलम् ॥ 36 ॥

शस्त्रासकमधुच्छिष्ट मधु लाक्षा च बर्हिणः ।

मुर्च्छामुष्पकृतपकेरातक्र विणदितः ॥ 37 ॥

कोशेयनीललवणमांसैकशफलीसकान् ।

शाकाद्रैणिधि पिण्याकपशुर्गन्धास्तथैव च ॥ 38 ॥

वैश्यवृत्यापि जीवन्नो विक्रीणीत कदाचन ।

2- ,, 2. 4.2. कृणः शिल्पं भृतिर्विधा कुसीद शकृद् गिरिः ।

सेवानुप नृपो भ्रामापत्तौ जीवन्नानि तु ॥

3- महाभारत शान्तिपर्व । भाग, राजधर्म पर्व, 79 . 4-5.

सुरालवबभित्येव तिलान्केसरिणः पशून् ।

कृणमान्मधु मांसं च वृत्तान्नं च युधिष्ठिर ॥4॥

सर्वास्ववस्थास्वेतानि ब्राह्मणः परिवर्जयित् ।

स्तेषां विक्रयास्त्वात् ब्राह्मणो नरकं व्रजेत् ॥ 5 ॥

अल्बरनी का मत है कि व्यापार की अनुज्ञा ब्राह्मणों की विकटतम स्थिति में थी जब उसके पास जीविका का कोई और साधन नहीं बच सकता था ।¹ उनके अनुसार ब्राह्मण कम्पड़े, सुपारियों के व्यापार में भाग्य आजमा सकता था । उच्च यह था कि वह इस कार्य के लिए वैश्य रसे जो स्वयं व्यापार न करता हो क्योंकि व्यापार में झूठ और धोखा रहता है जो उसके लिए वर्जित था । गाय धोड़े आदि पशुओं का व्यापार करना उसके लिए निषिद्ध था किन्तु नवीं सदी के पेहोआ अभिलेख से ज्ञात होता है कि भट्ट विरुक का पुत्र वायुक धोड़े के व्यापारियों में से था । प्रायः व्याज का कर्म ब्राह्मणों के लिए वर्जित था । अल्बरनी लिखता है कि ब्राह्मणों को व्याज से लाभ उठाने की आज्ञा नहीं थी ।²

लक्ष्मीधर के अनुसार आपत्तिकाल में ब्राह्मण द्रव्य का लेन-देन कर सकता था ।³

संस्कृत साहित्य में विभिन्न स्थलों से ज्ञात होता है कि ब्राह्मण चारुदत्त को एक सुसंपन्न व्यापारी होने का अवसर मिला था अतएव नाटककार ने उसे द्विज सार्थवाह की संज्ञा दी थी ।⁴

राबर्ट लिंगट का मत - विपत्ति के समय उच्च वर्ण के व्यक्तियों को निम्न वर्ण के कार्यों को ही करने की अनुमति थी । निम्न वर्ण के व्यक्ति उच्च वर्णों का कार्य नहीं कर सकते थे । विपत्ति के समय ब्राह्मण द्वात्रिंशो या वैश्यों के धर्म ग्रहण कर सकता था तथा ब्राह्मण व्यापार और वाणिज्य भी कर सकता था किन्तु उसे कुछ निर्विष्ट वस्तुएं ही बेचने की अनुमति थी ।⁵

1-(अल्बरनी) ग्यारहवीं सदी का भारत, पृ० 105 ।
जय शंकर मिश्र

2-(अल्बरनी) ग्यारहवीं सदी का भारत, पृ० 115 ।
जय शंकर मिश्र

3- लक्ष्मीधर कृत्य कल्पतरु गृहस्थकाण्ड, पृ० 214 - 21 ।

4- शूद्रक मृच्छकटिकम् (एक सामाजिक अनुशीलन) हिन्दुस्तानी, 1965, पृ० 267 ।

5- राबर्ट लिंगट - द क्लासिकल ला ऑव इण्डिया, पृ० 39 ।

जे० डी० एम० डेरिट का मत है कि गौतम आदि धर्मसूत्रों में वर्णन है कि ब्राह्मण पुरोहित का कार्य करता था किन्तु आपत्तिकाल में ब्राह्मण दूसरे कार्यों द्वारा भी जीविका का प्रबन्ध कर सकता था । ब्राह्मण के प्रमुख कार्य उपहार ग्रहण करना (धनिक वर्ग का जिसे सत् प्रतिग्रह कहते थे) वेदों का अध्ययन अध्यापन, लोगों के यज्ञों का संपादन करना था। अन्य स्थानों पर अच्छे धन और सराब धनों का भी वर्णन है । विविध प्रकार के धर्म ग्रंथ इस विषय पर मौन है कि धन का उपयोग वह किस प्रकार करता था ।¹

आपत्तिकालीन ब्राह्मण की शूद्रवृत्ति :

जब ब्राह्मण किसी भी वृत्ति द्वारा अपनी जीविका आपत्तिकाल में न चला सके या करने में असमर्थ हो तो वह उसे कठिन विपत्ति के स्थिति में जीवन रक्षा के लिए शूद्र वृत्ति अपनाने की कूट थी ।

गौतम धर्मसूत्र में लिखा है कि कुछ आचार्य प्राण संकट की दशा में शूद्रवृत्ति को ब्राह्मण के लिए विहित करते हैं ।² इसमें यह वर्णन भी प्राप्त होता है कि यदि किसी अन्य प्रकार से वृत्ति न चले तो शूद्र से जीवन निर्वाह की वस्तुएं ली जा सकती हैं ।³ दैनिक जीवन से संबंधित रहनेवाले शूद्र के घर भोजन भी किया जा सकता था जैसे - नाई, चरवाहा, कुल परंपरा के मित्र, हलवाहा, परिचारक आदि ।⁴

1- जे०डी०एम०डेरिट - रिलिजन ला एण्ड द स्टेट इन इण्डिया, फेवर एण्ड फेवर रसल स्क्वेयर, लन्दन, 1968, पृ० 125-126 ।

2- गौतमधर्मसूत्राणि 1. 7. 23 तदुप्येके प्राणसंसये ।
मिताक्षर वृत्ति - उमेश चन्द्र पाण्डेय, चौखम्बा संस्कृत सीरीज़, वाराणसी, 1966

3- ,, ,, 2. 8. 5 वृत्तिश्चेन्नान्तरेण शूद्रम् (2) पृ० 180^{पृ० 68}

4- ,, ,, 2. 8. 6 पशु पाल दोत्र कर्णक कुलसंगत कारयितुपरिचारका भोज्यन्ताः । पृ० 180

मनु ने भी इसे माना है¹ ।

मनुस्मृति में भी वर्ण है कि ब्राह्मण के लिए दान से, अध्यापन से और यज्ञ से - इन तीन कर्मों से प्रतिग्रह लेना निकृष्ट है । मरने पर यही परलोक में नरक का कारण बनता है । अतएव जीविका निर्वाह न हो सके तभी उसे नीचों से प्रतिग्रह लेना चाहिए² ।

याज्ञवल्क्य स्मृति में यह उल्लेख मिलता है कि जब ब्राह्मण किसी भी वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह न कर सके तो वह चौर कर्म अपना सकता है³ ।

महाभारत में भी ब्राह्मण के कर्मों की विवेचना की गयी है इसमें कहा गया है ब्राह्मणों के बीच जो जन्मोचित कर्म से हीन हो, महानीच कर्म करनेवाले और ब्राह्मणत्व से प्रष्ट ब्राह्मण को शूद्र समझना चाहिए⁴ । इस प्रकार से स्वधर्म और आपद्धर्म के कारण ब्राह्मणों के कई प्रकार हो गये लगता है : आर्थिक परिस्थितियों के कारण ब्राह्मणों ने विभिन्न कर्म अपना लिया था । महाभारत में इनकी विभिन्न श्रेणियाँ बतायी गयी हैं जैसे - ब्रह्मसम⁵, देवसम⁶, दात्रसम⁷, वैश्यसम⁸, शूद्रसम⁹ और चाण्डालसम¹⁰ ब्राह्मण ।

- 1- मनुस्मृति 4. 253 पशुपाल द्रोत्र कर्णिक कुलसंगत कारयितृपरिचारका भोज्यन्नाः का समर्थन ।
- 2- ,, 10. 109 प्रतिग्रहाद्याजनाद्वा तथैवाध्यापनादि । प्रतिग्रह प्रत्यवरः प्रेत्य विप्रस्य गर्हितः ॥
- 3- याज्ञवल्क्यस्मृतिः, प्रायश्चित्ताध्याये, आपद्धर्मप्रकरणम् 2. 43 कुभुदितास्त्रयर्ह स्थित्वा धान्यमब्राह्मणाद्धरेत् प्रतिगृहस्य तदारव्येयमभियुक्तेन् धर्मतः ॥
- 4- महाभारत, शान्तिपर्व, राजधर्म पर्व 77. 6 जन्म कर्म विहिता ये क्वर्या ब्रह्मबन्धवः । एते शूद्रसमा राजब्राह्मणाना भवन्त्युत ॥
- 5- महाभारत शान्तिपर्व, राजधर्म पर्व 77. 2 विधा ल्द्राण संपन्नाः सर्वत्राम्नायदर्शिनिः । एते ब्रह्मसमा राजब्राह्मणाः परिकीर्तिताः ॥
- 6- ,, ,, ,, 77. 3 ऋत्विगाचार्यसंपन्नाः स्वेणु कर्मस्ववस्थिताः । एते देवसमा राजब्राह्मणाना भवन्त्युत ॥
- 7- ,, ,, ,, 77. 4 ऋत्विक्पुरोहितो मन्त्री दूतोऽथार्थानुशासकः । एते दात्रसमा राजब्राह्मणाना भवन्त्युत ॥

दात्रिय वर्ण

ब्राह्मण वर्ण के पश्चात् हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में दूसरा वर्ण दात्रियों का था । दात्रियों का प्रधान कर्म वेदाध्ययन, दान देना, यज्ञ करना, प्रजा रक्षाण और विणयों में आसक्त न होना था । मनुस्मृति में दात्रियों के 5 कर्म निश्चित किये गये हैं । सामान्य दशा में दात्रियों को प्रजा की रक्षा करना, दान, यज्ञ करना, पढ़ना और विणयों में (गीत नृत्यादि में) आसक्ति न होना है ।¹ मनु के इस मत को धर्मसूत्रों स्मृतियों और महाकाव्यों को भी मान्य है ।

आपत्तिकाल में दात्रियों के कर्म :

दात्रियों के लिए हिन्दू धर्मशास्त्रकारों ने यह व्यवस्था दी थी कि संकट काल में वे अपने से नीचे वर्ण के कर्म अपना सकते थे । कभी-कभी ऐसा होता था कि व्यक्ति अपने वर्ण के कर्म करने में असमर्थ हो जाता था । उसके समस्त जीवन मरण का प्रश्न उठता था ऐसे असमय के लिए उसे धर्मशास्त्रकारों ने यह कृपा दी थी कि वह दूसरे वर्ण के कर्म द्वारा अपना जीवन सुरक्षित कर सके ।

आपत्काल में दात्रियों के वर्जित कर्म :

ब्राह्मणों के कुछ कार्य दात्रियों के आपत्काल के लिए वर्जित थे । मनु का मत है कि ब्राह्मणों के कर्मों में से दात्रियों के लिए ये कर्म अविहित हैं जैसे पढ़ाना, यज्ञ कराना, दान लेना ।² मनु का मत था कि आपत्ति में फंसा पोछे से - 8

महाभारत शान्तिपर्व राजधर्म खण्ड 77 . 5

अश्वारोहा गजारोहा रथिनोऽथ पदातयः ।
एते वैश्यसमा राजन्ब्राह्मणानां भवन्त्युत ।

9- ,, ,, 77 . 6 शूद्रसम ब्राह्मण का पूर्व वर्णन है

10- ,, ,, 77 : 8 आहूवायका देवलया तदात्रग्रामयाजका ।

एते ब्राह्मणचाण्डाला महापथिकपञ्चमाः ॥

1- मनुस्मृति: 1. 89

प्रजानां रक्षाणं दानभिज्याध्ययनमेव च ।

विणयेष्वप्रशक्तिश्च दात्रियस्य समासतः ॥

2- ,, 10.77

त्रयोधर्मा निवर्तन्ते ब्राह्मणात्दात्रियं प्रति ।

अध्यापनं याजनं च तृतीयश्च प्रतिग्रहः ॥

हुआ द्वात्रिंशत् अपनी जीविका का प्रयत्न करे किन्तु कभी भी ब्राह्मण वृत्ति का आलम्बन न ले ।¹

आपत्तिकाल में द्वात्रिंशत् की वैश्यवृत्ति :

हिन्दू धर्मशास्त्रकारों आपत्तिकाल में केवल यह कूट दी थी कि व्यक्ति अपने से नीचे के वर्ण का ही कर्म करे । उच्च वर्ण के कर्म करने का विधान नहीं प्राप्त होता है । अतः इस अवस्था में द्वात्रिंशत् को वैश्य कर्म करने की अनुमति थी ।

कृषि :

गौतमधर्मसूत्र के अनुसार द्वात्रिंशत् प्राण संकट के समय जीविकोपार्जन के निमित्त वैश्य कर्म अपना सकता था ।² इसी प्रकार का मत बौधायनधर्मसूत्र का भी है ।³ मनु ने भी आपद्ग्रस्त द्वात्रिंशत् को वैश्यवृत्ति अपनाने की सलाह दी है किन्तु कृषिकर्म उसके लिए वर्जित माना है ।⁴ मनु के अनुसार वैश्यवृत्ति से जीता हुआ ब्राह्मण या द्वात्रिंशत् हिंसावाली पराधीन कृषि को यत्न से त्याग दे क्योंकि कृषि के औजारों से भूमि और भूमि में रहनेवाले जीवों का नाश होता है ।

मध्यकालीन विद्वान लक्ष्मीधर ने आपत्तिकाल में द्वात्रिंशत् को कृषि कर्म करने का विधान किया है ।⁵ राजा भोज के समकालीन द्वात्रिंशत् पुत्र मेमाक का कृषि कर्म करते हुए उल्लेख हुआ है ।⁶

1- मनुस्मृति: 10.95 जीवदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनथ गतः ।
न त्वेव ज्यायसी वृत्तिमभिमन्येत् कर्हिचित् ॥

2- गौतमधर्मसूत्राणि 1. 7. 26 राजन्यो वैश्यकर्मः ।

प्राणसंशये राजन्यो कर्माडुद्वदीत तोनाडुडत्यान रदोत् ।
मितादार वृत्ति डा० उमेश चन्द्र पाण्डे, बौधायन संस्कृत सीरीज, वाराणसी,
1966, पृ० 69 ।

3- बौधायन धर्मसूत्राणि 2. 2. 19 वैश्यवृत्तिरनुष्ठेया प्रत्यनन्तरत्वात् ॥

4- मनुस्मृति: 10. 83 वैश्यवृत्त्यापि जीवस्तु ब्राह्मणः द्वात्रिंशदपि वा ।
हिंसाप्राया पराधीना कृषि यत्नेन वर्जयेत् ॥

5- लक्ष्मीधर, कृत्यकल्पतरु, दानकाण्ड, पृ० 37 ।

6- डा० जयशंकर मिश्र, भारत का सामाजिक इतिहास, पृ० 96 ।

व्यापार :

मनु का मत है कि संकट की स्थिति में वह व्यापार और वाणिज्य भी कर सकता था । व्यापार करते समय वह सभी प्रकार के रस, तिल, नमक, पत्थर, पशु और मनुष्य का क्रय विक्रय करना त्याग सकता था ।¹ दूध, मधु, विण, मांस का व्यापार करना भी उसके लिए निषिद्ध था ।² मनु के अनुसार शीशा, लोहा, तैजस पदार्थों का व्यापार भी नहीं करना चाहिए । मनु के अनुसार ब्राह्मण और क्षत्रिय कभी भी शूद्र के लिए धन न दें³ किन्तु धर्म कार्य के लिए यदि पापी भी चाहें तो थोड़े व्याज पर धन दें । उनके लिए यह व्यवस्था थी कि वे शिल्प, कृषि, वाणिज्य, कुसीद आदि के कार्य कर सकें ।

विष्णु पुराण में वर्णन है कि आपत्तिकाल में क्षत्रिय केवल वैश्यवृत्ति का आश्रय लेना चाहिए । इनको शूद्र वृत्ति का आश्रय लेना कदापि उचित नहीं है ।⁴

आपत्तिकाल में क्षत्रियों की शूद्रवृत्ति :

आपत्तिकाल में क्षत्रियों द्वारा शूद्रवृत्ति का उदाहरण यत्र तत्र प्राप्त होता है । रामायण में वर्णन है आपत्तिकाल में रामचन्द्र जी वन गमन के समय सबरी के जूटे बैर खाये ये तथा सीता और लक्ष्मण सहित निषाद राजा गुहा का आतिथ्य स्वीकार किया था जबकि निषाद जन्मतः

- 1- मनुस्मृति: 10. 86 सर्वान् रसानपेहेत कृतान्नं च तिलैः सह ।
अश्मनो लवणं चैव पशवो ये च मानुषाः ॥
- 2- ,, 10. 88 अपः शस्त्रं विणं मांसं सोमं गन्धाश्च सर्वशः ।
दहीरं दहीं दधि धृतं तैलं मधुं गुडं कुशान् ।
- 3- ,, 10. 117 ब्राह्मणः क्षत्रियोवाऽपि वृद्धिं नैव प्रयोजयेत् ।
कामं तु खलु धर्मार्थं दधात्पापीयसेऽल्पिकाम् ॥
- 4- विष्णु पुराण 39 . राजन्यस्य च वैश्योक्तं शूद्रकर्म न चैतयोः ।

शूद्र जाति से संबंधित था ।¹

इसी प्रकार से विष्णु वायु और ब्रह्माण्ड पुराणों में आस्थात है कि गोवध के कारण नृप पुत्र पृषध शूद्रता को प्राप्त हुआ था ।² विष्णु पुराण के अनुसार राजा त्रिशकु नीच कर्म के कारण वाण्डलत्व को प्राप्त हुए थे ।

जे० डी० एम० डेरिट का मत है कि परशुराम की कथा में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि उन्होंने कई बार द्रात्रियों का विनाश किया किन्तु ऐतिहासिक काल में जब भारत में मुगलों का आगमन हुआ तो इस वर्ण में परिवर्तन परिलक्षित होता है । इस समय द्रात्रिय वर्ण प्रशासकीय कार्यों के करनेवाले परिवारों, योद्धाओं, सेनापतियों, राजपुत्रों (राजपूतों) के मिले-जुले वर्ण का प्रतिनिधित्व करता था ।⁴

जी० एच० मीज का मत :

विदेशी जातियों में जो लोग राज परिवारों और ऊँचे पदों से सम्बद्ध थे उनका तो समाज में ऊँचा स्थान था और जो साधारण वर्ग से सम्बद्ध थे उनका निम्न स्थान था । विदेशी जातियों के राज परिवारों का वर्ग द्रात्रिय वर्ग के निकट आया चूँकि दोनों का धर्म युद्ध और शासन करना था इसलिए दानों में समीपता स्वाभाविक थी ।

1- रामायण वाल्मीकीय - अरण्यकाण्ड - 74. 12
अयोध्या काण्ड- 5. 40

2- विष्णु पुराण 4. 1. 17 पृषधस्तु मनुपुत्रो गुरुगोवधाच्छूद्रत्वमगमत ।
पृषधो हिंसायित्वा तु गुरोर्गा निशि तत्दाये ॥

ब्रह्माण्ड पुराण 3. 61.2 शपाच्छूद्रत्वमापन्नश्च्यवनस्य महात्मनः ।

मत्स्य पुराण 12. 25 पृषधो गोवधाच्छूद्रो गुरुशापादजायत ।

3- विष्णु पुराण 4. 3. 21-22 योऽसौ त्रिशकुस्रजामवाप ।
स वाण्डालतामुपागतश्च ।

दृष्टव्य एस०एन०राय - पौराणिक धर्म एवं समाज - पृ० 157-158 ।

4- जे०डी०एम०डेरिट - रिलिजन ला एण्ड स्टेट इन इण्डिया, पृ० 172 ।
फेवर एण्ड फेवर, रसलस्ववेयर, लन्दन, 1968 ।

कालान्तर में यही वर्ग राजपूत कहलाया । इस प्रकार विदेशी जातियों का आयीकरण हुआ और वे हिन्दू धर्म के अन्तर्गत द्वात्रिंशत् वर्णों में समाहित हो गये ।¹

वैश्य वर्ण

सामान्य दशा में वैश्यों का कर्म पशुओं की रक्षा करना दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, रोज़गार करना, सूद पर रुपया देना और कृषि करना ये वैश्यों का कर्म है ।²

आपातकालीन वैश्य कर्म :

ब्राह्मण और द्वात्रिंशत् की भाँति वैश्य को भी आपातकाल में दूसरे कर्म अपनाने का निर्देश दिया गया था । युद्ध कर्म और सैनिक वृत्ति प्रधानतः द्वात्रिंशत् का कर्म था किन्तु बौ० ध० सूत्र में यह व्यवस्था दी गयी थी कि गौ, ब्राह्मण और वर्ण³ संकरता की रक्षा के लिए ब्राह्मण और वैश्य भी शस्त्र ग्रहण कर सकता है । महाभारत में भी यह विधान किया गया है कि जब डाकू लोग धर्म मर्यादा का उल्लंघन करके स्वेच्छाचारी हुए हो और जातिनाश वर्णसंकर करने में प्रवृत्त होंगे । उस समय सब वर्ण⁴ की शस्त्र ग्रहणकरेसी दशा को रोके तो वे दोषायुक्त नहीं होंगे ।

1- जी० एच० मीज : धर्म एण्ड सोसायटी, पृ० 84, ग्रेटरसल, लन्दन, 1965 ।

2- मनुस्मृति 1. 90 पशूनां रक्षाणं दानभिज्याध्ययनमेव च ।

वाणिज्यं च कुसीदं च वैश्यस्व कृषिमेव च ॥

3- बौ०ध०सूत्र 2. 2. 18 गवार्ये ब्राह्मणार्ये वा वर्णानां वापि संकरे गृहणीयाता ।

विप्रं विशौ शास्त्रधर्मं व्यपेक्षता ॥

4- महाभारत शान्तिपर्व राजधर्म पर्व 79 . 18

उन्मर्यादं प्रवृत्ते तु दस्युभिः संकरे कृते

सर्वे वर्णा न दुष्येयुः शस्त्रवन्तो युधिष्ठिर ।

आपत्तिकाल में वैश्य द्वारा शूद्रवृत्ति :

गौतम धर्मसूत्र में वर्णन है कि प्राण संकट की दशा में द्विज शूद्र के कर्म अपनावे ।¹ बौधायन धर्मसूत्र में वर्णन है कि वैश्य कुसीद का कर्म करे ।² मनु का मत था कि प्राण संकट की दशा में अपने धर्म से जीवन निवारि नहीं कर सकनेवाला वैश्य निगिद्ध कर्मों का त्याग करता हुआ अर्थात् द्विजों की सेवा में (जुद्ध अन्दि त्त्वे सत्त्वा हुक्म) शूद्रवृत्ति (द्विज सेवा) से जीविका करे और समर्थ होकर अर्थात् आपत्तिकाल के दूर होने पर शूद्र वृत्ति से निवृत्त हो जाये ।³

वैश्य के आपद्धर्म पर मेधातिथि का भाष्य है कि वह शूद्रों की तरह पैर प्रदालन करता था, जूठा साता था तथा अन्य निम्न कार्य सम्पन्न कर सकता था किन्तु जब उसकी संकट की स्थिति समाप्त हो जाती थी तो वह इन कर्मों को त्याग देता था । प्रायः ब्राह्मणों के लिए यह कर्म उचित नहीं था साधारणतः ये समस्त कार्य यथास्थिति होने पर त्याग दिये जाते थे ।⁴

1- गौतमधर्मसूत्राणि 7. 23 तदप्येके प्राणसंशयेः ॥

एके त्वाचार्याः प्राणसंशये सति तदपि शौद्रकर्माप्यनुमन्यते ।

उमेश चन्द्र पाण्डे, चौखम्बा संस्कृत सीरीज़, वाराणसी, 1966 ।

2- बौधायन ,, 1.5. 22 वैश्यः कुसीदयुपजीवेत् ।

3- मनुस्मृतिः 10. 98 वैश्योऽजीवन्स्वधर्मेण शूद्रवृत्त्यापि वतियत ।

आनचरन्नकार्याणि निवर्तेत च शक्तिमान् ॥

4- (मनु पर) मेधातिथिभाष्य (10. 98) स्वधर्मेणा जीवतो वैश्यस्य

शूद्रवृत्तिरनुज्ञायते पाद-धाव नादिशु श्रूणया अनाचरन्न-
कार्याणि उच्छिष्टापमार्जनायकार्यं तत्परिहर्तव्यं शक्ति-
मान्नि वर्तेत सर्वशेणा । इति तदुक्तं

त्वस्यायमर्थो ब्राह्मणस्य शूद्रवृत्तिरनुज्ञायते सामर्थ्यादिति

किं तर्हि च शक्तिमानिति यदस्माभिसक्तं सर्वशेण इति ।

मनु पर कुल्लूक ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि वैश्य द्विजाति की शुश्रूषा और उच्छिष्ट भोजन ग्रहण करने जैसे निम्न कार्य केवल तभी तक कर सकता था जब तक वह संकट ग्रस्त रहता था, अपनी स्थिति सुदृढ़ हो जान पर वह इन कर्मों का परित्याग करके प्रायश्चित्त करता था।¹ सामान्यतया वह ब्राह्मण दात्रिय वर्णों की विभिन्न प्रकार से सेवा करता था तथा उनके उच्छिष्ट भोजन पर अपनी जीविका चलाता था।

धूर्ये का मत है कि - 12वीं सदी के आरंभ में वैश्यों ने कृषि कर्म छोड़ दिया। उनका मुख्य कार्य व्यवसाय ही रह गया। इसका मुख्य कारण वैश्यों पर जैन और बौद्धधर्म की शिक्षाओं का अन्य वर्णों की अपेक्षा अधिक प्रभाव पड़ा। उनके अहिंसा सिद्धान्त ने वैश्यों को उनके कार्यों से विरत किया जहाँ हिंसा की अधिक संभावनाएँ थीं; कृषि कर्म उनमें प्रमुख था और अन्ततोगत्वा यह वैश्यों से छूट गया। कालान्तर में वैश्य और शूद्र में अधिक अन्तर नहीं रह गया वैश्य निश्चित रूप से शूद्र की स्थिति तक पहुँच गये।²

अल्बरनी का मत है कि अनवरत मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप समस्त हिन्दू समाज में विषमता और अथवस्था व्याप्त हो गयी जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ी भयावह थी। अपने पूर्व निर्धारित कर्मों से उच्च वर्ण को लोग धीरे-धीरे च्युत होने लगे और शूद्र वर्ण के निकट पहुँच गये। स्वयं अल्बरनी वैश्य और शूद्र में कोई अन्तर नहीं पाता। वह इन दोनों वर्णों के विषय में लिखता है पिछले दो वर्णों में कोई अन्तर नहीं यद्यपि ये वर्ण एक दूसरे से विपरीत हैं तथापि एक ही धर मुहल्लों में एक साथ रहते हुए उसी गाँव व नगर में निवास करते हैं।³

1- कुल्लूक (मनु० 10.98) वैश्यः स्ववृत्या जीवितमशक्नुवन् शूद्र वृत्यापि द्विजाति शुश्रूषा योच्छिष्ट भोजनादिन्य कुर्वन्त्यर्तेत निस्तीर्णं कार्याणि उच्छिष्ट-भक्षणं दीनि । निवर्तेत शूद्रवृत्ते शक्तिमान लब्धस्ववृत्तिश्चेव लब्धवृत्यो-र्पिप्रदा निवृत्तिः प्रायश्चित्तपूर्विका शक्तिमानित्यकेनसूचिता ।

2- धूर्ये - कास्ट एण्ड क्लास इन इण्डिया, पृ० 57, 64, 88, 96 ।

3-(अल्बरनी) - ग्यारहवीं सदी का भारत, पृ० 116 ।

दृष्टव्य - जयशंकर मिश्र,

पूर्व मध्ययुग में उनका महत्व घट गया और वे शूद्र स्तर तक आ गये यह बात मानी जा सकती है । प्राचीनकाल से 11वीं सदी तक वैश्यों को कई विभिन्न अवस्थाओं में अग्रसर होना पड़ा । इस प्रक्रिया में उसे कई स्थितियों को भी देखना पड़ा । अध्ययन मनन का कार्य तो उससे बहुत पहले ही कूट गया था, अब वह पूर्णरूपेण कृषि वर्ग और वाणिज्य में संलग्न हो गया ।

वैश्य लोग जब कृषि कर्म से विमुक्त होने लगे तथा अपनी रुचि प्रधानतः व्यापार और वाणिज्य में लगाने लगे तब शूद्र वर्ण ने कृषि वर्ग ग्रहण कर लिया । यद्यपि पुराणों के अनुसार शूद्र का प्रधान कार्य सेवावृत्ति था ।¹

शूद्र वर्ण

शूद्रों का कर्म उच्च वर्णों की सेवा करना था । वह पूर्ण रूपेण द्विजों की वया पर निर्भर रहता था । गौतमधर्मसूत्र में वर्णन है कि शूद्र अपने से उच्च वर्णों की सेवा करे । उन्हीं से जीविका निर्वाह की इच्छा रखे । उन वर्णों में भी यथासंभव पहले वर्ण की सेवा करे अर्थात् ब्राह्मण की सेवा करे । ऐसा संभव न होने पर द्वात्रिंश और फिर वैश्य की सेवा करे । द्विजों द्वारा दिये गये पुराने हाते जूते वस्त्र और चटाई आदि का उपयोग करे । द्विजातियों का जूठा अन्न खाये, शिल्प कर्म द्वारा भी जीविका निर्वाह करे । जिस व्यक्ति की शूद्र सेवा करता हो वह उस (शूद्र) के दुर्बल या असमर्थ होने पर भी उसका भरण पोषण करे । वह शूद्र भी स्वामी के वृत्तिहीन या दोगीण होने पर उस स्वामी की सेवा करता रहे ।²

1- डा० जयशंकर मिश्र : भारत का सामाजिक इतिहास, बिहार ग्रंथ हिन्दी अकादमी, पटना, 1974, पृ० 65-67 ।

2- गौतमधर्मसूत्राणि 2. 1 57-64 परिचर्या चोत्तरेणाम् । तेभ्यो वृत्तिलिप्सेत् तत्र पूर्व पूर्व परिचरेत् । जीणान्युपानच्छत्रवासः कूर्वादीनि । उच्छिष्टाशनम् । शिल्पवृत्तिश्च । यं चायमाश्रयेद्वर्तयस्तेन दोगीणोऽपि । तेन चोत्तरः ।

उमेश चन्द्र पाण्डे, चौखम्बा संस्कृत सीरीज़, वाराणसी, 1966, पृ० 105-106 ।

मनु ने भी शूद्र के इस कर्म की पुष्टि की है कि शूद्र को जूठा अन्न, पुराना वस्त्र, सारहीन, अन्न, पुराना, ओढ़ना और बिछौना देना चाहिए ।¹

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में दृष्टिकोप करने पर यह ज्ञात होता है कि भारतीय समाज में मौर्य युग के परवर्ती काल से भारत पर विदेशियों के आक्रमण प्रारंभ हो गये जिनमें इंडोग्रीक, शक, पहलव, कुशाण आदि जातियाँ यहाँ आयी, युद्ध किये, शासन किये और यहाँ की सामाजिक व्यवस्था में धूल-मिल गयी । इनके संपर्क का यह परिणाम हुआ कि इनको एक अलग वर्ग बन गयी । रामायण और महाभारत में भी इन विदेशियों का उल्लेख हुआ है जो यवन शक पहलव किरात, चीन आदि जातियाँ थी । इनका उल्लेख पतञ्जलि और मनु ने भी किया है जो कालान्तर में शूद्र हो गयी । मनु का मत है - पौड्रक, औड्र, द्रविड, कम्बोज, यवन, शक, पारद, पहलव चीन, किरात दरद और लस - ये क्रियालोपादि के कारण ब्राह्मणी आवर्शननहोने से (अध्यापन) शूद्रत्व को प्राप्त हो गयी हैं ।²

राबर्ट लिंगट ने सेनार्ट का मत व्यक्त किया है कि शूद्र वास्तव में आर्यों द्वारा विजित दस्त्रु जाति ही थी जो काले रंग के होते थे । वास्तव में वे विभिन्न आक्रमणकारियों द्वारा प्रदत्त मिश्रित निम्नकोटि की जातियाँ थी जो आर्यों की भाषा बोल सकते थे । वे भारतीय समाज में मिल - जुल गये थे और शूद्र वर्ण के अन्तर्गत आते थे । इसे हिन्दू समाज में मलेच्छ कहा जाता था ।

1- मनुस्मृति 10. 125 उच्छिष्टमन्नं दातव्यं जीर्णानि वसनानि च ।

पुलाकाश्चैव धान्यानां जीर्णाश्चैव परिच्छदाः ।

2- मनुस्मृति - 10. 43 शनकैस्तु क्रियालोपादियाः दात्रियजातयः ।

वृषालत्वं गाता लोके ब्राह्मणादर्शनिन च ।

,, 10. 44 पौण्ड्रकाश्चौड्रविडाः कम्बोजा यवनाः शकाः ।

पारदा पह्लवाश्चीनाः किराताः दरदाः लसाः ॥

दृष्टव्य जी० एच० मीज - धर्म एण्ड सोसाइटी, ग्रेटरसल, लन्दन, 1965, पृ० 84

डा० जयशंकर मिश्र - भारत का सामाजिक इतिहास, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, 1974, पृ० 70 ।

आपस्तम्ब आदि धर्मसूत्रों में इनको भोजन बनाने का कार्य उच्च वर्णों के संरक्षण में सौंपा गया था । कभी-कभी ब्राह्मण उनका हुआ भोजन नहीं ग्रहण करते थे ।¹

आर० एस० शर्मा का मत : उत्तर वैदिक काल में शूद्र सेवक वर्ण था ; धर्म सूत्रकाल में शूद्र तीनों उच्च वर्णों की सेवा करता था । ऐसा प्रतीत होता है कि शूद्र वर्ग के कार्य बड़ई, लोहार, कर्जी, कुम्भकार, चित्रकार आदि के थे, इन कार्यों का उल्लेख पाली ग्रंथों में भी हुए है । वह कोई यज्ञ नहीं कर सकता था, इसका शूद्र वर्ग को बड़ा ही लाभ मिला क्योंकि इस प्रकार वह सभी दायित्वों से मुक्त था । गौतम का मत था कि वह पत्नी रख सकता था । भाष्यकार हरदत्त का मत है कि वह केवल गृहस्थ जीवन व्यतीत कर सकता था । वह ब्रह्मचर्य, सन्यास और पवित्र जीवन नहीं बिता सकता था ।²

आपद्कालीन शूद्रों की अन्य वृत्तियाँ :

मनुस्मृति में शूद्रों के आपद्कालीन कर्मों पर प्रकाश डाला गया है । ब्राह्मण की सेवा द्वारा जीवन निर्वाह नहीं होने से जीविका को चाहनेवाला शूद्र दात्रिय या धानिक वैश्य की सेवा करता हुआ जीवन निर्वाह करे ।³ द्विजों की सेवा करने में असमर्थ शूद्र (भूसादि से) स्त्री पुत्रादि के पीड़ित होने पर कारीगरी (सूप आदि बनाने) के कार्यों से जीविकोपार्जन करे ।⁴ जिन कर्मों से द्विजों की सेवा हो (जैसे बड़ई, चित्रकारी, शिल्प) उसे करे ।⁵ इस प्रकार से मनु ने आपद्ग्रस्त शूद्रों के लिए शिल्प तथा उद्योग धंधों की अनुमति दी ।

- 1- राबर्ट लिंगट - द क्लासिकल ला आर्च इण्डिया, थामसन प्रेस, दिल्ली 1973, पृ० 41
- 2- आर० एस० शर्मा - शूद्राज इन एशियण्ट इण्डिया, प० 98, 135, 136 ।
- 3- मनुस्मृति 10. 121 शूद्रस्तु वृत्तिमाकाठन्दात्रमाराधयेधपि ।
धनिर्न वाप्युपाराध्य वैश्यं शूद्रो जिजीविषीत् ॥
- 4- ,, 10. 99 अशक्नुर्वस्तु शुश्रूषां शूद्रः कर्तुं द्विजन्मनाम् ।
पुत्रदारात्ययं प्राप्तो जीवेत्कारुणककर्मभिः ॥
- 5- ,, 10. 100 येः कर्मभिः प्रचरितैः शुश्रूष्यन्ते द्विजातयः ।
तानि कारुण्येण शिल्पानि विविधानि च ॥

मेधातिथि ने कारुर्कर्म की ठ्याख्या करते हुए लिखा है कि भोजन बनाने, कपड़ा बुनने बड़ईगिरी के कार्य सम्पन्न कर शूद्र अपनी भार्या और संतान का भरण-पोषण कर सकता था ।¹ कुल्लूक के अनुसार संकटकाल आने पर शूद्र भोजन पकाना, चित्रकारिता, शिल्पकला का कार्य करता था ।²

याज्ञवल्क्य स्मृति में भी शूद्र के इन आपत्कर्मों की पुष्टि होती है इसमें वर्णन है कि शूद्र के लिए द्विजातियों की सेवा करना प्रधान कर्म है उससे जीविका न चलने पर वणिग्वृत्ति का सहारा ले अथवा द्विजातियों के अनुकूल आचरण करते हुए अनेक प्रकार के शिल्पों द्वारा जीवन निर्वाह करे ।³ देवल ने लिखा है कि शूद्र द्विजातियों की सेवा करे तथा कृषि, पशुपालन, भारवहन, ब्रह्म-विक्रय, चित्रकारी, नृत्य, संगीत, वेणु, वीणा, ढोलक, मृदंग आदि वाद्य यंत्रों का वादन भी करे ।

ऐतिहासिक काल में कुछ शूद्रों के राजा होने और सैन्यवृत्ति के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं । जैसे नन्द राजा शूद्र था । कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में शूद्रों की सेना का भी वर्णन किया है ।

1- मेधातिथि (मनु 10. 100) कारुकाः शिल्पिनः सुदतन्तु वायादयस्तेषां कर्माणि पाक्यवनादीनि प्रसिद्धानि तैजिचित पुत्रदारात्ययस्तद्-भरणासमर्थत ।

2- कुल्लूक (मनु 10. 99-100) शूद्र द्विजातिशुश्रूणां कर्तुमक्षमः शुदवसन्नः पुत्रकलत्रः सूपकारादिकर्म जीवेत् । पूर्वोक्त कारुर्कर्म विशेषाभिधानार्थमिदं येः कर्मभिः कृतैर्द्विजातयः परिचर्यन्ते तानि च कर्माणि त्दाणादीनि शिल्पानि च चित्रलिखिता दीनि नाना प्रकाराणि कुर्यात् ।

3- याज्ञवल्क्य स्मृति (आचार ध्याय) 1. 120
शूद्रस्य द्विजशुश्रूणा तथाऽजीवन्वणिग्भवेत् ।
शिल्पेर्वा विविधैर्जीविद् द्विजातिहितमाचरन् ॥

4- देवल 1. 120 देवलोक्तानि शूद्रधर्मो द्विजाति शुश्रूणाः पापवर्जनं कलत्रादि-पोषणकर्षणं पशुपालनं भारोद्धहनं पठ्यं व्यवहारं चित्रकर्म नृत्यं गीतं वेणुवीणा मुरजमृदङ्गवादनं दीनि ॥

इस प्रकार से कर्मों के कारण शूद्रों के भी कई वर्ग हो गये जैसे -

(अ)

(1) अनिरवसितशूद्र (बड़ई, लोहार)

(2) निरवसित शूद्र (चाण्डाल)¹

(ब)

11। भोज्यान्न जिसका बनाया भोजन ब्राह्मण कर सके
पशुपाल, नाई, हलवाहा² ।

12। अभोज्यान्न जिसका कुआ अन्न ग्रहण न किया जा
सके जैसे घोबी, रंगरेज, बधिक, मध बेचनेवाले³
तेली, गाड़ीवान ।

~~-----~~ -

इस प्रकार से धर्मशास्त्रों का यह विधान था कि आपत्तिकाल में
व्यक्ति अपने वर्ण से नीचे वर्ण का ही कार्य जीविकोपार्जन के निमित्त कर सकता
था जैसे -

ब्राह्मण का आपद्धर्म	दात्रिय	वैश्य शूद्र के कर्म
दात्रिय का आपद्धर्म	वैश्य,	शूद्र के कर्म
वैश्य का आपद्धर्म	शूद्र के कर्म	
शूद्र का आपद्धर्म	शिल्प वृत्ति	(शूद्र के कर्म)

1- माहाभाष्य पार्थिवी 2. 4. 10

2- गौतमधर्मसूत्र - उमेश चन्द्र पाण्डे, चौखम्बा संस्कृत सीरीज़,
वाराणसी, 1966, पृ० 180

गौतमधर्मसूत्र - 2.86 पशुपाल दोत्रकर्णिक ----- भोज्यान्नः

मनुस्मृति - 4. 253 आर्थिक, कुल मित्र च गोपाल दासनापितौ ।

याज्ञकल्क्यस्मृति- 1. 66 शूद्रेणु दासगोपाल कुलमित्रार्थसीरिणः ।

भोज्यान्ना निवेदयेत् ॥

3- याज्ञवल्क्यस्मृति - 1. 164, 165

नृशंसराजरजककृतध्न वध जीविनान् ।

इसके विपरीत कर्म करने का विधान नहीं था । आपत्ति में फौसा दात्रिय अपनी जीविका करें किन्तु कभी भी ब्राह्मण वृत्ति न करे । इसकी पुष्टि मनुस्मृति¹, याज्ञवल्क्यस्मृति² से होती है । आपत्तिकाल टल जाने पर उपयुक्त प्रयाश्चित करके अपने विशिष्ट वृत्ति की ओर लौट आना चाहिए । निम्न वर्ण के लोग उच्च वर्ण की वृत्ति नहीं कर सकते थे अन्यथा राजा उनकी सम्पत्ति जब्त कर सकता था ।³

रामायण में वणिगत शम्बूक की कहानी भी इसी प्रकार से है (73.76) भवभूति के उच्च रामचरित में भी यही मनोभाव फलकता है । यदि कोई शूद्र तप जप होम करे या सन्यासी हो जाय या वैदिक मंत्र पढ़े तो राजा उसे प्राण दण्ड देता था ।

शूद्रों के लिए वेदाध्ययन मना था । उनके समीप भी वेदपाठ नहीं किया जा सकता था । गौतम ने तो यहाँ तक कहा है जहाँ शूद्र हो वहाँ वेदपाठ करना ही नहीं चाहिए । यदि शूद्र जानबूझकर स्मरण करने के लिए वेदपाठ सुने तो उसके कर्ण कुहारों में सीसा और लाख भर देना चाहिए यदि उसने वेद पर अधिकार कर लिया हो तो उसके शरीर को छेद देना चाहिए ।⁵

1- मनुस्मृति 10. 95 जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेकाव्यनयं गतः ।

न त्वेव ज्यायसी वृत्तिमभिमन्यते कर्हिचित् ॥

2- याज्ञवल्क्यस्मृति 3. 35 दात्रेण कर्मणा जीवेद्विशा वाप्यापदि द्विजः ।

निस्तीर्य तामथात्पनं पावयित्वा न्यसेत्पथि ॥

3- मनुस्मृति 10. 96 यो लोभाद्दुष्को जात्या जीवेदुत्कृष्टकर्मभिः ।

तं राजा निर्धनं कृत्वा दाप्रमेव प्रवासयेता ॥

4- मिताक्षरवृत्ति - उमेश चन्द्र पाण्डे, चौखम्बा संस्कृत सीरीज़, वाराणसी, 1966

गौतमधर्मसूत्रम् - 2. 7. 19 पूतिगन्धान्तः शवदिवाकीर्त्यशूद्र संनिधाने ॥पृ०172

5- गौतमधर्मसूत्रम् 12. 4 अथ हास्य वेदमुपशुष्वतप्रपुजतुभ्यां श्रोत्रपूरणमुदाहरणे जिहवाच्छेदो धारणे शरीर मेढः ।

मुच्छकटिक 9. 21 वेदार्थं प्राकृतस्त्वं वदसि न च ते जिह्वा निपतिता ।

यद्यपि शूद्रों को वेदाध्ययन मना था किन्तु वे इतिहास, पुराण सुन सकते थे । महाभारत के शान्तिपर्व में वर्णन है कि चारों वर्ण के लोग ब्राह्मण पाठक से महाभारत सुन सकते हैं ।¹

जे०डी०एम०डेरिट का मत है कि द्विजों द्वारा प्राचीन काल में शूद्रों का बहुत ही शोषण होता रहा है । द्विज पद लिखे थे तथा शूद्र अशिष्टात होते थे । शूद्र प्रायः क्षेतिहर वर्ग होता था किन्तु धीरे-धीरे ये सम्पन्न होने लगे । दक्षिणी भारत में शूद्रों की दशा बड़ी ही सम्मानजनक दर्शित होती है । इसके विपरीत उ्तर भारत में शूद्र व्यापार ~~कार्य~~ कार्य करने में रत थे । कुछ शूद्र परिवार ऐसे भी थे जो राज्यसत्ता प्राप्त कर दात्रिय वर्ण के समकक्षी हो गये थे । रानादुर्गा जो छठी शताब्दी का था वहीकाकतियों का वंशज था । इसका प्रमुख उदाहरण है । इस प्रकार से विविध ~~ग्रंथों~~ ग्रंथों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि शूद्रों की दशा में धीरे-धीरे सुधार होने लगा था । प्रतापरुद्र काकतिय इसी जाति का सदस्य होकर भी संस्कृत लेखक था ।

....

1- शान्तिपर्व 328 . 49 आकयेच्चतुरो वर्णकृत्वा ब्राह्मणग्रतः ।

2- जे०डी०एम०डेरिट : रिलिज़न ला ,एण्ड स्टेट इन इण्डिया, फेवर एण्ड फेवर, रसल स्ववेयर, लन्दन, 1968 पृ० 172-173 ।

(ब) स्त्री धर्म

इस अध्याय में स्त्रियों का सामान्य धर्म और उनके आपत्तिकालिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है ।

समाज का एक अंग यदि पुरुष है तो दूसरा अंग स्त्री, बिना स्त्री के समाज की संरचना एकांगी ही नहीं असंभव भी है । स्त्री ही तो सृष्टि रचना का एक अमूल्य स्रोत है जिसके द्वारा सृष्टि का सृजन हुआ है । किसी भी सभ्यता और संस्कृति के उत्थान पतन का मूल स्त्रियों की दशा पर ही निर्भर करता है, भारतीयों की तो ये प्राचीनतम धारणा रही है कि यत्र नार्यास्तु फुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तथा प्राचीन काल में नारी पूजा (मातृपूजा) नारियों के सम्मान वृद्धि का ही एक अंग रहा है । नारी के विविध रूप हैं, उमा, दुर्गा, काली, गौरी, लक्ष्मी, सीता, सावित्री, गार्गी, मान्धान्ता, अहिल्या, गांधारी, द्रौपदी, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती आदि प्राचीनतम भारत की नारियाँ स्त्रियों के विविध गुणों, पराक्रम और दामता की द्योतक थी । रामचरितमानस में वर्णन है धैर्य, धर्म, मित्र और नारी को आपद्काल में ही परखा जा सकता है ।¹

काल के चक्र और कुब्रक का सामना स्त्रियों को भी करना पड़ा है, जिससे प्रभावित होकर कभी वे पुरुषों की समकक्षी रही और कभी पुरुषों की प्रताड़ना का शिकार बनी ।

वैसे तो स्त्रियों का सामान्य धर्म है सुखी जीवन में पुरुषों की सहभागी बनना, सहधर्मिणी और एक सहायिका के रूप में पुरुष का पथ-प्रदर्शन करना । विवाह द्वारा धर्म, अर्थ और काम, मोक्षा जैसे पुरुषार्थों की

1- रामचरितमानस , तुलसी कृत - अरण्यक काण्ड, पृ० 322

धीरज धर्म मित्र अरु नारी ।

आपद्काल परित्तिअहि चारी ॥

प्राप्ति में सहयोगी बनना वंशवृद्धि कर पितृ ऋण से मुक्त होना और मानव जीवन को अधिक सुखमय बनाना । ऋग्वेद में वर्णन है - अविवाहित पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में पुत्र के समान अधिकार था ।¹ अथर्ववेद में स्त्रियों के महत्त्व का वर्णन किया गया है । याज्ञिक क्रियाओं में तथा मनोरंजनार्थ मेलों में स्त्रियाँ आगे जाती थी ।² स्त्रियाँ अपने इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होती हैं ।³ एक स्थल पर वर्णन है कि इन्द्र की पत्नी कहती है कि युद्ध स्थल में बाणों के समक्ष यह शर युक्त प्रहारकर्ता मुझे अवीरा (कायर) समझता है किन्तु मैं वीर इन्द्र की पत्नी हूँ ।⁴ अन्यत्र कहा गया है कि स्त्रियाँ वीर पुत्रों को उत्पन्न कर अग्नि देव को षडहविष्य प्रदान करने की कामना के साथ गृहस्थ जीवन व्यतीत करे ।⁵ शतपथ ब्राह्मण में वर्णन है कि स्त्री की दृष्टि में पति की प्रतिष्ठा है ।⁶ इसलिए स्त्रियाँ पुरुषों की अनुगामिनी व भावुक होती हैं ।⁷ स्त्रियाँ अबला होती हैं ।⁸ स्त्रियों को मारना नहीं चाहिए । जब तक पत्नी को प्राप्त

1- ऋग्वेद 2.7.7 अमाजूरिव पित्रोः सवा सती ।

समानादा सदसस्त्वामिये भगम् ॥

2- अथर्ववेद 20. 126. 10 सहोत्रं स्म पुरा नारी समर्न वागच्छति ।

3- ,, 1. 27. 4 इन्द्राप्येतु प्रथमाजीतायुषिता पुरः ।

4- ,, 20. 126. 9 अवीरामिव मामयं शराररुभि मन्यते ।

उताहमस्मि वीरिणीन्द्र पत्नी ॥

5- ,, 11. 2. 18 प्रजावती वीरसूर्देवकामा स्योनेममग्निं

गार्हपत्यं सापर्य ।

6- शत० ब्रा० 2. 6. 2. 14 ऋषयो ह्येव स्त्रियै प्रतिष्ठा ।

7- ,, 13. 2. 2. 4 तस्मात् स्त्रियः पुंसोऽनुवर्त्मानो भावुकाः ।

8- ,, 2. 5. 2. 26 अवीर्या वै स्त्री ।

9- ,, 5. 2. 1. 10 यावद् जाया न विन्दते नैव तावत्

प्रजायते असर्वो हि तावद् भवति ।

नहीं करता तब तक संतान नहीं उत्पन्न कर सकता । निश्चय ही तब तक अपूर्ण रहता है ।

तैत्तिरिय ब्राह्मण में वर्णन है कि पत्नी आत्मा की आधी होती है अर्थात् अर्धाङ्गिणी होती है ।¹ जो बिना पत्नी का होता है वह यज्ञ का अधिकारी नहीं होता है ।² मनुस्मृति में वर्णन है कि स्त्रियाँ सन्तान उत्पन्न करने के कारण उपकार करनेवाली पूजनीय और गृह की शोभा रूप हैं । गृह में लक्ष्मी और स्त्रियों में कोई विशेषता नहीं होती है अर्थात् जैसे लक्ष्मी बिना गृह की शोभा नहीं वैसे ही स्त्रियों के बिना घर की शोभा नहीं है ।³ सन्तान उत्पन्न करना, उत्पन्न हुए का पालन नित्य गृह का कार्य करना, इन सभी वस्तु के प्रत्यक्षा का कारण स्त्रियाँ ही हैं ।⁴ सन्तान, धर्म कार्य, सेवा उद्धमरति, पितरों और अपना स्वर्ग साधन ये सभी कार्य स्त्रियों के ही अधीन हैं ।⁵ जो स्त्री मन, वाणी और शरीर का संयम कर पति के विरुद्ध आचरण नहीं करती वह मरने के बाद पति लोक को जाती है और इस लोक में भी पतिव्रता कहलाती है ।

1- तैत्ति० ब्रा० ३. ३. ५ अथो अर्धो वा एष आत्मन यत पत्नी ।

2- ,, 2. 2. 2. 6 अयज्ञो वा एषः । योऽपत्नीकः ।

3- मनुस्मृति १ . 26 प्रजानार्थं महाभागः पूजार्हा गृहदीप्तयः ।

स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषाडोस्ति कश्चन ॥

गणेशदत्त पाठक, ठाकुर प्रसाद एण्ड संस, वाराणसी, संवत् 2031 ।

4- मनुस्मृति १ . 27 उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम् ।

प्रत्यहं लोक्याम्रायाः प्रत्यक्षां स्त्रीनिबन्धम् ॥

5- ,, १ . 28 अपत्यं धर्माकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा ।

दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मश्च ह ॥

6- ,, १ . 29 पतिं या नाभिवरति मनोवाक्कदेहसंयता ।

सा भर्तृलोकानाप्नोति सन्दिः साध्वीति चोच्यते ॥

स्त्री के सामान्य धर्म :

विवाह : विवाह संस्कार की स्थापना के पूर्व भारतवर्ष में स्त्री पुरुष के संबंध में असंयम और अविविक्तता थी । वैदिक ग्रंथों में इस विषय में कोई सक्ति नहीं प्राप्त होता है । महाभारत¹ में पाण्डु ने कुन्ती से कहा कि प्राचीनकाल में स्त्रियाँ संयम के बाहर थी, जिस प्रकार चाहती थी मिथुन जीवन व्यतीत करती थी । एक पुरुष को छोड़कर अन्य को ग्रहण कर सकती थी यह स्थिति पाण्डु के काल में उत्तर देश में विद्यमान थी । इसे सनातन धर्म की उपमा दी गयी है । उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु ने सर्वप्रथम इस प्रकार के असंयमित जीवन के विरोध में स्वर उठाया और नियम बनाया कि यदि स्त्री पुरुष के प्रति असत्य होगी तो वह भयंकर पाप की भागी होगी ।

विवाह के दो प्रमुख उद्देश्य थे (1) पत्नी पति को धार्मिक कृत्यों के योग्य बनाती है (2) वह पुत्रों की माता होती है और पुत्र ही नरक से रक्षा करते हैं । मनु² के अनुसार पत्नी पर पुत्रोत्पत्ति, धार्मिक कृत्य, सेवा, सर्वोत्तमआनन्द (परमानन्द) अपने तथा अपने पूर्वजों के लिए स्वर्ग की प्राप्ति पर निर्भर होती है।² अतः स्पष्ट है कि धर्म, सम्पत्ति, प्रजा (नरक में गिरने से रक्षा) एवं रति (यौनिक तथा अन्य स्वाभाविक आनन्दोत्पत्ति) ये तीन विवाह सम्बन्धी प्रमुख उद्देश्य स्मृतियों एवं निबन्धकारों ने माने हैं । यही बात

1- महाभारत, आदिपर्व 113.4.-7 अनावृता: -----

----- धर्मः सनातनः ॥

दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, बसलास, 1979

2- मनुस्मृति 9 . 28 अपत्यं धर्माकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा ।

द्वाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ॥

गणेशदत्त पाठक, ठाकुर प्रसाद एण्ड संस, वाराणसी, संवत् 2031 .

याज्ञवल्क्य स्मृति आपस्तम्बों में भी पत्नी के महत्व पर प्रकाश डाला है ।
याज्ञवल्क्य ने यहाँ पर मनु का समर्थन किया है जो स्त्री अपने कर्तव्यों का पालन
करती है वह पुत्र पौत्र प्रपौत्रों के द्वारा दिव्य लोक, अनन्त लोकों को प्राप्त
करती है ।¹ जैमिनी पूर्व मीमांसा सूत्र², आपस्तम्ब धर्मसूत्र³ में भी इसका
समर्थन किया है ।

मनुस्मृति में विवाह के आठ प्रकार बताये गये हैं -

- (1) ब्राह्म विवाह : अच्छे शील स्वभाववाले वर को स्वयं बुलाकर उसे अर्लकृत⁴
और पूजित कर कन्या का विवाह कर देना ब्राह्म विवाह है ।
- (2) दैव विवाह : यज्ञ में सम्यक प्रकार से कार्य करते हुए ऋत्विज को अर्लकृत⁵
कर कन्या देने को दैव विवाह कहते हैं ।
- (3) आर्ण विवाह : वर से एक या दो जोड़े गाय बैल धर्मार्थ लेकर विधिपूर्वक⁶
कन्या देने को आर्ण विवाह कहते हैं ।
- (4) प्राजापत्य विवाह : तुम दोनों एक साथ गृह धर्म की रक्षा करो यह⁷
कहकर और पूजन करके जो कन्यादान किया जाता है वह प्राजा-
पत्य विवाह कहलाता है ।

1-याज्ञवल्क्य स्मृति 1. 78 लोकनन्त्यं विवःप्राप्तिः पुत्रपौत्रप्रपौत्रकैः ।

यस्मात्तस्यात्स्त्रियः सेव्याः कर्तव्याश्च सुरदिताः ॥

2- जैमिनि पूर्व मीमांसासूत्र 6. 1.17

3- आपस्तम्ब धर्मसूत्र 11. 6. 13. 16-17

डा० उमेश चन्द्र पाण्डेय, चौखम्बा संस्कृत सीरीज़, वाराणसी, 1966 ।

4- मनुस्मृति 3. 27 आच्छाद्य चार्यायित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम् ।

आहूय दानं कन्याया ब्राह्मणो धर्मः प्रकीर्तितः ॥

5- ,, 3.28 यज्ञे तु वितते सम्यगृत्विज्जे कर्म कुर्वति ।

अर्लकृत्य सतादानं दैव धर्मं प्रकृताते ॥

6- ,, 3. 29 एकं गो मिथुनं द्वे वा वरादादाय धर्मतः ।

कन्याप्रदानं विधिवदार्णो धर्मः स उच्यते ॥

7- ,, 3. 30 सहो भौ चरता धर्ममिति वाचानुभाष्य च ।

कन्याप्रदानमभ्यर्च्य प्रजापत्यो विधिः स्मृतः ॥

- (5) आसुर विवाह : कन्या के पिता आदि को और कन्या को भी यथाशक्ति धन देकर स्वच्छन्दतापूर्वक कन्या को ग्रहण करना आसुर विवाह है ।¹
- (6) गान्धर्व विवाह : कन्या और वर की इच्छा से दोनों का संयोग होना गान्धर्व विवाह है । यह काम भोग² की इच्छा से होता है तथा मैथुन के लिए हितकर है ।
- (7) राक्षस विवाह : (बाधा डालनेवालों को) मार कर, धायल कर, घर के दरवाजे आदि को तोड़कर रोती हुई कन्या को घर से जबरदस्ती हरण कर ले जाने का नाम राक्षस विवाह है ।³
- (8) पेशाच विवाह : सोई हुई मद से मतवाली या जो कन्या पागल हो उसके साथ एकान्त में संभोग करना अत्यन्त निकृष्ट पापों से भरा हुआ पेशाच विवाह है ।⁴

इस प्रकार से विवाह के इन 8 प्रकारों में दैव, ब्रह्म, आर्ष, प्राजापत्य अच्छे माने जाते थे तथा राक्षस, पेशाच, आसुर और गान्धर्व प्रकार के विवाह निम्नस्तरीय थे फिर भी तत्कालीन समाज में प्रचलित थे । इसका समर्थन स्मृति ग्रंथों, महाकाव्यों और धर्मशास्त्रों से होता है ।⁵

-
- 1- मनुस्मृति 3. 31 ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कन्याये चैव शक्तिः ।
कन्याप्रदानं स्वाच्छन्धावासुरो धर्म उच्यते ॥
- 2- ,, 3. 32 इच्छयान्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च ।
गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मैथुन्यः कामसंभवः ॥
- 3- ,, 3. 33 हत्वा हित्वा च मित्वा च क्रोशन्तीं रुदतीं गृहात् ।
प्रसूय कन्याहरणं रक्षणां विधिरुच्यते ॥
- 4- ,, 3. 34 सुप्ता मुक्ता प्रमत्ता वा रहो यत्रोपगच्छति ।
स पापिष्ठो विवाहानां पेशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥
- 5- डा० राधाकृष्णन, धर्म और समाज, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली,
1950, पृष्ठ 194-195 ।

पहले समाज में वयस्क होने पर ही विवाह किये जाते थे किन्तु कुछ समयान्तरालों में समाज में बाल विवाह प्रचलित हुआ जिसको शारदा अधिनियम द्वारा अवैध घोषित किया गया तथा विवाह की निश्चित आयु निर्धारित की गयी लड़के की अठारह वर्ष तथा लड़की की चौदह वर्ष ।¹

सवर्ण तथा असवर्ण विवाह :

सवर्ण का अर्थ है पति-पत्नी एक ही वर्ण के हो ।

असवर्ण का अर्थ है पति-पत्नी में वर्णों का अन्तराल हो ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र ने अपने ही वर्ण की कन्या के साथ विवाह करने की अनुमति दी है ।² इन्होंने असवर्ण विवाह की भर्त्सना की है । इस मत की पुष्टि मनुस्मृति से होती है । मनुस्मृति में वर्णन है शूद्रा से व्याह करनेवाला ब्राह्मण पतित होता है । यह अत्रि और उत्थय पुत्र गौतम का मत है । शूद्रा से पुत्रोत्पन्न होने पर दात्रिय दात्रियत्व से गिर जाता है, यह शौनक का मत है । इसी प्रकार शूद्रों से सन्तान होने से वैश्य भी पतित होता है । ऐसा भृगु का मत है ।³ जो द्विज मोहवश हीन जाति (शूद्र) की कन्या से विवाह करते हैं वे सन्तान सहित अपने वंश को शीघ्र ही शूद्र बना देते हैं ।⁴

ब्राह्मण दात्रिय और वैश्यों को पहले सवर्णा

(स्वजाति की कन्या) से विवाह करना श्रेष्ठ होता है । कामवश विवाह करने वाले को क्रम से ये स्त्रियाँ भी श्रेष्ठ होती हैं - शूद्र की स्त्री शूद्रा हो, वैश्य की

1- डा० राधाकृष्णन, धर्म और समाज, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, 1950, पृ० 201 ।

2- आपस्तम्ब धर्मसूत्र 26. 13-1-3

3- मनुस्मृति 3. 16 शूद्रावेदी पतत्यत्रेत्तथ्यतनयस्य च ।
शौनकस्य सुतोत्पत्या तदपत्यतया भृगोः ॥

4- मनुस्मृति 3. 15 हीन जातिस्त्रिय मोहादुद्धन्तो द्विजातयः ।
कुलान्येव नयन्त्याशु ससंतानानि शूद्रताम् ॥

स्त्री वैश्य और शूद्रा, दात्रिय की दात्रिय, वैश्य और शूद्रा और ब्राह्मण की चारों वर्णों की कन्याओं से विवाह करने का अधिकार था ।¹ इस प्रकार से तत्कालीन समाज में सवर्ण विवाह ही श्रेष्ठ समझे जाते थे, किन्तु कहीं-कहीं असवर्ण विवाहों की भी चर्चा की गयी है । इसमें भी स्मृतिकारों ने क्रमबद्धता स्थापित की थी ।

असवर्ण विवाहों में क्रमबद्धता इस रूप में शास्त्र सम्मत थी -

- 1) ब्राह्मण की चारों वर्णों की पत्नीयाँ हो सकती थी ।
- 2) दात्रिय की अपनी या वैश्य, शूद्र वर्णों की पत्नीयाँ हो सकती थी ।
- 3) वैश्य की अपनी या शूद्र वर्ण की पत्नीयाँ
- 4) शूद्र की केवल अपनी वर्ण की पत्नी हो सकती थी ।

किन्तु सवर्णों को सवर्णों में विवाह करना श्रेष्ठ एवं श्रेयस्कर बताया गया है । संभवतः इसके पीछे वर्ण शुद्धता की भावना रही हो । वर्ण शंकरता को रोकने के लिए ये नियम प्रशंसनीय रहे होंगे । मनु ने कहा है - ब्राह्मण और दात्रिय को सवर्ण स्त्री न मिलने पर भी शूद्रा को स्त्री बनाने का किसी भी इतिहास में आदेश नहीं पाया जाता ।²

अभिलेखों में भी अन्तर्जातीय विवाहों के उदाहरण मिलते हैं । वाकाटक राजा ब्राह्मण थे उनका गोत्र था विष्णुवृद्ध । प्रभावती गुप्ता के अभिलेख से विदित होता है कि वह सम्राट चन्द्रगुप्त II की पुत्री थी । (5वीं शताब्दी के प्रथम चरण में) उनका विवाह वाकाटक कुल के रुद्रसेन II से सम्पन्न हुआ था । तालागुण्ड स्तम्भ लेख से विदित होता है कि कदम्ब कुल का संस्थापक मयूर शर्मा था

1- मनुस्मृति 3. 12 सवर्णाग्रि द्विजातीनां प्रशस्ता वारकर्मणि ।

कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः क्रमशो वराः ॥

3. 13 शूद्रेव भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विशः स्मृते ।

ते च स्वा चैव राजश्च ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः ॥

2- ,, 3. 14 न ब्राह्मण दात्रिययोरापद्यपि हि तिष्ठतोः ।

कस्मिंश्चिदापि वृत्तान्ते शूद्रा भार्यापदिश्यते ॥

जो स्पष्टतया ब्राह्मण था । इसके वंशजों के नाम के अंत में वर्मा शब्द लगता था । चौथी पीढ़ी के काकुश्वर्मा ने अपनी कन्या को गुप्त तथा अन्य राजाओं को दिया । यशोधर्मा तथा विष्णुवर्धन के घटोत्कच अभि० से पता चलता है कि वाकाटक राजा देवसेन के मंत्री हस्तिभोज के वंशज सोम नामक ब्राह्मण ने ब्राह्मण एवं दात्रिय कुल में उत्पन्न कन्याओं से विवाह किया था । लोकनाथ नामक सरदार के तिप्पेरा ताम्रपत्र से पता चलता है कि उसके पूर्वज भरद्वाज गोत्र के थे । उसके नाना केशव पारश्व थे (ब्राह्मणपुरुषण एवं शूद्रा नारी से उत्पन्न) और केशव के पिता वीर द्विजसत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण थे । विजय नगर के राजा दुक्क प्रथम (1268 - 1229 ई०) की पुत्री विरुपा देवी का विवाह आरग प्रान्त के प्रान्तपति ब्रह्म या बोमण्ण बोदेय नामक ब्राह्मण से हुआ था । प्रतिहार राजा लोग हरिश्चन्द्र नामक ब्राह्मण एवं दात्रिय नारी से उत्पन्न व्यक्ति के वंशज थे । गुहिल वंश का संस्थापक ब्राह्मण गुहदत्त था जिसके वंशज मर्तुपट्ट ने राष्ट्रकूट राजकुमारी से विवाह किया था ।

कालिदास कृत मात्स्यविकाग्निमित्रम् नामक नाटक से त पता चलता है कि ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने दात्रिय राजकुमारी मालविका से विवाह किया था ।

बहुभर्तृकता:

संस्कृत साहित्य में इसका सर्वप्रसिद्ध उदाहरण द्रौपदी का है जो पाँचों पाण्डवों की पत्नी थी । द्रुपद ने युधिष्ठिर को बहुत समझाया कि शास्त्र विधि के अनुसार एक पुरुष के अनेक स्त्रियाँ हो सकती हैं पर एक स्त्री के अनेक पति नहीं हो सकते ।¹ इस पर युधिष्ठिर टस से मस नहीं हुए और कहा -

A 510 वी. डी. कालि. चरित्रशास्त्र का इतिहास II, पृ. 278.

1- महाभारत आदिपर्व 187 . 26,27 एकस्य बहवो विहिता महिष्यः कुरुनन्दन ।
नैकस्या बहवः पुसः श्रूयन्ते पतयः क्वचित् ॥
लोकवेद विरुद्ध त्वं ना धर्मविष्कुचिः ।
क्तुर्महसि कौन्तेय कस्माते बुद्धिरीदृशी ॥

दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, बलसाड, 1979 ।

ऐसा कार्य पहले भी होता था और हम पाण्डवों ने यह तय किया है कि जो भी जो कुछ प्राप्त करेगा वह हम सभी को बराबर मिलेगा । इस विषय में युधिष्ठिर ने केवल दो उदाहरण दिये -

- 1- जटिला गौतमी सप्तर्षियों की पत्नी थी¹ ।
- 2- सभी दस प्राचेतस भाई वासिष्ठी के पति थे ।

अतिशय पति सेवा :

अतिशय पति सेवा स्त्री का सामान्य धर्म था । पति की आज्ञा मानना एवं पति को देवता के समान सम्मान देना उसका प्रमुख कर्तव्य था जब राजकुमारी सुकन्या का विवाह बूढ़े एवं जीर्ण शीर्ण ऋषि च्यवन से हो गया तो सुकन्या के भाइयों ने उसका अपमान किया था इस पर सुकन्या ने कहा था मैं अपने पति को जिन्हें मेरे पिता ने मेरे पति के रूप में चुना है उन्हें मैं जीते जी नहीं छोड़ सकती ।² पत्नी को चाहिए कि वह अपने नपुंसक, कोणवृद्धिग्रस्त, पतित, अंग के अधूरे रोगी पति को भी न छोड़े क्योंकि पति ही पत्नी का देवता होता है। इसे कुछ अन्तर के साथ मनु,³ याज्ञवल्क्य,⁴ रामायण,⁵ महाभारत,⁶ मत्स्यपुराण⁷ एवं

1- महाभारत आदि पर्व, 188. 14

2- शतपथ ब्राह्मण 6. 1. 5. 9

3- मनुस्मृति 9. 86

गणेशदत्त पाठक, ठाकुर प्रसाद एण्ड संस, वाराणसी, 2031

4- याज्ञवल्क्य स्मृति 1. 77

5- रामायण अयोध्या काण्ड, 24. 26-27

6- महाभारत अनु० 146. 55

,, शान्ति० 148. 67

दामोदर सातवलेकर स्वाध्याय मण्डल, बलसाड, 1979

7- मत्स्य पुराण 210. 18

कालिदास¹ आदि में पायी जाती है ।

पथपुराण में वर्णन है कि वह स्त्री पतिव्रता है जो कार्य में दासी की भाँति, संभोग में अप्सरा जैसी भोजन देने में माँ की भाँति विपत्ति में मंत्री की भाँति (अच्छी राय देनेवाली) हो ।² बृहस्पति ने पतिव्रता की परिभाषा में कहा है वह स्त्री जो पतिव्रता है वह पति के आर्त होने पर आर्त होती है, प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है । पति के विदेश गमन पर मलिन³ वेश धारण करती और दुर्बल हो जाती है एवं पति के मरने पर मर जाती है । मनु ने कहा है स्वामी के विरुद्ध आचरण करनेवाली स्त्री इस लोक में निन्दित होती है तथा मरने के बाद अगाल (सियार) योनि में उत्पन्न होकर अनेक प्रकार के रोग भोगती है ।⁴ इसके विपरीत पतिव्रता स्त्रियाँ मरने पर स्वर्ग लोक जाती है तथा उस भूतल पर भी प्रशंसनीय हैं ।

महाभारत में पतिव्रता गान्धारी की शक्ति का वर्णन है गान्धारी बाहने पर विश्व को भस्म कर सकती थी । सूर्य एवं चन्द्र को गति को बन्द कर सकती थी । पात के अन्धे होने पर अपने आँसुओं पर पट्टी बाँध ली थी ।⁵ स्कन्दपुराण⁶ में कई पतिव्रताओं के नाम लिये हैं जिसमें अरुन्धती, अनसूया, सावित्री, शाण्डिल्या, सत्य मेना ये पतिव्रतायें यमदूतों से अपने पातयों को

1- कालिदास शा० 5

2- पथपुराण सृष्टि स्रष्ट 47 . 55

उद्धृत श्री०वी०काणे- धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग 1, पृ० 138

3- बृहस्पति, अपरार्क ने 109 आतर्ति मुदिते हृष्टा प्रोणितो मलिना कृशा ।
याज्ञवल्क्य मितादारा 2 . 86 मृते प्रियते या पत्या सा स्त्री जेया पतिव्रता ॥

4- मनुस्मृति 9 . 30 व्यभिचारात्तु भुर्तुः स्त्री लोके प्राप्नोति निधताम् ।
अगाल योनि चाप्नोति पापरोगेश्च पीडयत ॥

5- महाभारत आविपर्व 103 . 13 ततः सा पट्टमादाय कृत्वा बहुगुणं शुभा ।
बन्धनेत्रे स्वे राजन्मतिव्रत परायणा ।
नात्यभीया पति महमित्येव कृतनिश्चया ॥

दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, बलसाढ़, 1979 ।

6- स्कन्द पुराण ब्रह्मस्रष्ट 3 . 7 ।

उसी प्रकार खींच सकती है जैसे कालग्राही (सर्परा) बिल से साँप खींच लेता है । महाभारत में भी इसकी पुष्टि हुई है कि पतिव्रता अरुन्धवती परम सिद्धि को प्राप्त हुई ।¹

वराहमिहिर (छठी शताब्दी) ने स्त्रियों का ओजस्वी समर्थन किया है । इनके मत से स्त्रियों पर धर्म एवं अर्थ आश्रित है उन्हीं से पुरुष लोग इन्द्रियसुख एवं सन्तानसुख प्राप्त करते हैं । ये धर में लक्ष्मी है इनको सदैव सम्मान एवं धन देना चाहिए । वास्तव में स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक गुणों से संपन्न होती है । अपनी माँ या पत्नी भी स्त्री ही होती है पुरुषों की उत्पत्ति उन्हीं से होती है । शास्त्रों के अनुसार वे पति और पत्नी पापी होते हैं यदि वे विवाह के प्रति सचेत नहीं होते । पुरुष लोग शास्त्रों की बहुत कम परवाह करते हैं किन्तु स्त्रियाँ शास्त्रों को बहुत ही महत्व देती है । अतः स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक उच्च हैं । अकेले पुरुष स्त्री की चाटुकारिता करते हैं किन्तु उसके मर जाने पर उनके पास ऐसे शब्द नहीं होते किन्तु स्त्रियाँ कृतज्ञता के वश आकर अपने पति के शवों का आर्लिंगन करके अग्नि में प्रवेश कर जाती है ।²

कालिदास ने रघुवंश में स्त्री को गृहणि, सचिव,³ मित्र, सखि तथा शिष्या कहा है ।

1- महाभारत शत्य पर्व 47 . 47 एव सिद्धिः परा प्राप्ता अरुधत्या विशुद्धया ।
यथा त्वया महाभागे मर्दर्थं संशितव्रते ॥

2- वराहमिहिर, बृहत्संहिता 74.5.6, 11, 15, 16

येष्यंगनानां प्रवदन्ति दोषान् वैराग्यमार्गेण गुणान् विह्वय । ते दुर्जना मे मनसो वितर्कः सद्भाववाक्यानि न तानि तेषाम् ॥ प्रबूत सत्यं क्तरोडगनानां दोषस्तु यो नाचरितो मनुष्यैः । ध्याष्टर्येन पुभिः प्रमदा निरस्ता गुणाधिकास्ता मनुनाम बोक्तम् । जाया वा स्याज्जनित्री वास्यात्संभव स्त्रीकृतो नृणाम् । हे कृतघ्नास्तयोर्निन्दां कुर्वता वः कुतः सुखम् अहो धाष्टर्यमसाधूना निन्दतामनधाः स्त्रियः । मुष्णतामिव चौराणां तिष्ठ चौरैति जल्पतायु । पुरुषाश्चट्टलानि कामिनीनां कुरुते यानि रहो न तानि पश्चात् । सुकृतज्ञतयागनां गतास्यूनवगुह्य प्रविशन्ति सहा जिह्वम ॥

समय की गति के कारण उन्हें भी कभी अच्छी दृष्टि से देखा गया और कभी उनकी स्थिति अति दयनीय हो गयी जिससे विवश होकर उन्हें कई उचित अनुचित साधनों का सहारा लेना पड़ा । जैसी-जैसी विपत्तियाँ आती गयी वैसे-वैसे स्त्री धर्म में परिवर्तन होता गया । अपने अस्तीत्व रक्षा, कुल की मर्यादा एवं वंशवृद्धि के लिए उसने विविध धर्मों का सहारा लिया जिसे स्त्री के आपद्धर्म कहे गये ।

स्त्री का आपद्धर्म

परदा प्रथा और आपद्धर्म :

ऋग्वेद में वर्णन है कि लोग विवाह के समय कन्या की ओर देखें यह कन्या मंगलमय है एकत्र होवो और इसे देखो और आशीष्ण देकर ही तुम लोग अपने घर जा सकते हो ।¹ ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णन है कि वधू अपने श्वसुर से लज्जा करती है और अपने को छिपाकर चली जाती है ।² इससे यह विदित होता है कि गुरुजनों के सम्मत्ता नवयुवतियों पर कुछ प्रतिबन्ध था । पाणिनी ने रानियों के लिए 'असूर्यपश्या' (जो सूर्य को भी नहीं देखती) शब्द प्रयुक्त किया है इसका तात्पर्य है कि वो रानियाँ राज प्रसादों की सीमा के बाहर या जन समूह में नहीं जा सकती थी ।³

किन्तु आपत्तिकाल में नारीयों ने इस पर्दा प्रथा का उल्लंघन किया और वो कहीं भी किसी के सम्मत्ता स्वच्छन्दता से आ जा सकती थी ।

1- ऋग्वेद 10. 85. 38

2- ऐतरेय ब्राह्मण, 12. 11

3- पाणिनी, अष्टाध्यायी 3. 2. 26

रामायण में वर्णन है कि आज सड़क पर चलते हुए लोग उस सीता को देख रहे हैं जिसे पहले आकाश गामी जीव भी नहीं देख सके थे ।¹ वही आगे वर्णन है । विपत्ति के समय युद्धों में स्वर्गवर में यज्ञ में एवं विवाह में स्त्री का बाहर जनता में आना कोई अपराध नहीं है² । इसी प्रकार से महाभारत में भी वर्णन उपलब्ध होता है - द्रौपदी कहती है - हमने सुना है प्राचीनकाल में लोग विवाहित स्त्रियों को जन साधारण की सभा या समूह में नहीं ले जाते थे, चिर काल से चली आ रही इस प्राचीन प्रथा को कौरवों ने तोड़ दिया है³ । द्रौपदी का दर्शन राजाओं ने स्वर्गवर के समय किया था । उसके उपरान्त युधिष्ठिर द्वारा जुए में हार जाने पर ही लोगों ने उसे देखा । इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि उच्च कुल की नारियाँ विपत्तिकाल में ही पर्दे का परित्याग करती थी । महाभारत में ही अन्यत्र वर्णन है कि कौरवों की पूर्ण हार के बाद उनकी स्त्रियों को जिन्हें महलों में रहते हुए सूर्य भी नहीं देख सकता था, राजधानी में आये हुए लोग देख रहे थे ।⁴ इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि प्राचीनकाल में स्त्रियाँ सभाओं में स्वतन्त्रतापूर्वक आ जा सकती थी । वे उत्सवों में सामूहिक गान करती थी । प्राचीन काल में बहुत सी विदुषी स्त्रियाँ थीं जैसे लोपमुद्रा ने अगस्त्य ऋषि के साथ ऋग्वेद के प्रथम भाग के 179 सूत्रों पर व्याख्यान दिया था । यदि उस समय पर्दा प्रथा रही होती तो यह कदापि संभव नहीं हो सकता था ।⁵ उस समय

1- रामायण, अयोध्या काण्ड 33. 8 यान शक्या पुरा द्रष्टुं भूतीराकाशगौरपि ।
तामथ सीता पश्यन्ति राजमार्गगता जनाः ।

2- रामायण (युद्धकाण्ड) 116. 28 व्यसनेषु न कुक्लेषु न युद्धेषु स्वर्गवरे ।
न क्रतौ नो विवाहे वा दर्शने इष्यते स्त्रियः ॥

3- महाभारत, सभापर्व ७७. 9 धर्म्या स्त्रिय सभा पूर्वे न नयन्तीति नः श्रुतम् ।
स नष्टः कैरवेयुषु पूर्वो धर्मः सनातनः ॥

4- महाभारत, शल्यपर्व 28. 71, 72.
अदृष्टपूर्वा या नायौ भास्करेणापि वेश्यसु ।
ददृशुस्ता महाराज जना यान्तीः पुरं प्रति ।

.....

स्वयंवर प्रथा का भी विवरण संस्कृत साहित्यों से प्राप्त होता है कि स्वयंवर में आये कई प्रतियोगी राजाओं के मध्य कन्या अपने वर का चुनाव करती थी ।¹ वे सामूहिक उत्सवों में भी भाग लेती थी जैसे महाभारत में वर्णन है कि द्रोणाचार्य ने जब अपने राजकुमारों की शस्त्र प्रतियोगिता आयोजित की उस समय कुन्ती और मंधारी भी सभा भवन में थीं । किन्तु धीरे-धीरे उनकी दशा बिगड़ती गयी । वे पुरुषों की सहभागी के स्थात पर उनकी अनुगामी बनी । महाभारत के स्त्री पर्व में वर्णन है कि पति के मृत्यु पर विधवार कुलदोत्र में विलाप कर रही थी ।²

प्रो० इन्द्रा ने डा० भण्डारकर का मत उद्धृत करते हुए आगे कहा है कि³ मुसलमानों के आगमन से ही पर्दा प्रथा प्रचलित हुई जिसका वर्णन हमें भास⁴ और बालीदास के नाटकों से प्राप्त होता है । इसकी पुष्टि वात्स्यायन के कामसूत्र से भी होती है जो 3 शता० की है ।⁵

अशोक के काल में पर्दे के लिए अवरोधन शब्द प्रयुक्त किया गया है, जिसका अर्थ है अन्तःपुर का हरम या स्त्री विभाग, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हरम के कहर पहरे के कर्मचारियों का वर्णन प्राप्त होता है । कौटिल्य का मत है कि यदि स्त्रियाँ पति इच्छा के विरुद्ध भागी हुई (या नृत्य और नाटक देखने जाती थी तो) उन्हें 6 पण दण्ड स्वरूप देना पड़ता था

1- ऋग्वेद 10. 27. 12

उद्धृत प्रो० इन्द्रा, एम०ए० - द स्टेटस आर्व वूमन, पृ० 71

2- महाभारत स्त्री पर्व - "

3- भास अविमर्क, एक्ट 11, 8

4- अभिज्ञान शाकुन्तल, एक्ट ३ अवगुण्डन ।

5- वात्स्यायन सूत्र 83 ।

याव किसी भय से भागे तो अदण्डय भी, पति के रोकने पर भी भाग जाय तो 12 पण दण्ड, पड़ोसी के धर से चली जाय तो 6 पण दण्ड देना पड़ता था ।¹

इस प्रकार से प्राचीनकाल में पदा प्रथा नहीं थी किन्तु बाह्य आक्रमणों के समय उनसे सुरक्षा के लिए यह प्रथा विकसित हुई किन्तु आपत्तिकाल में स्त्रियाँ उस प्रथा को तोड़ भी सकती थी ।”

2. नियोग व्यवस्था :

किसी नियुक्त पुरुष के साथ सम्भोग ही नियोग कहलाता है ।

किसी भी स्त्री के लिए उसके पति का मृत्यु होना अत्यन्त विपत्ति की अवस्था है, विशेषकर उस अवस्था में जब स्त्री को कोई पुत्र न हो । पति के वंश कृता को आगे बढ़ाने के लिए प्राचीन काल में स्त्रियों ने नियोग की प्रथा को स्वीकार किया । राजा केन इस प्रथा के प्रचारक थे । अथर्ववेद² में इसका उदाहरण प्राप्त होता है । मृत पति को प्राप्त होकर पुनः पतिगृह को चाहती हुई यह स्त्री ही जीवित पुरुष तुभे प्राप्त होती है । तू इसे धन और पुत्र दो ।”

गौतम ने इसकी चर्चा करते हुए कहा है कि यदि पति विहीन नारी पुत्र की अभिलाषा रखे तो अपने देवर द्वारा प्राप्त कर सकती है किन्तु उसे गुरुजनों से आज्ञा ले लेनी चाहिए और सम्भोग केवल ऋतुकाल में ही करना चाहिए । वह सपण्ड, सगोत्र, सप्रवर या अपनी जाति वाले से पुत्र प्राप्त कर

1- अर्थशास्त्र 111 (60.4.1) पतिकुलन्निष्यतितायाः स्त्रियाः षट् पणो दण्डोऽन्यत्र विप्रकारात् । प्रतिणिद्याया द्वावशयणः । प्रतिवेश-गृहातिगतायाः षट्पणः ।

दृष्टम् . जे० इन्द्रा , दस्टेट्स आंव वूमिन ५-71.

2- अथर्ववेद 18. 3. 1

इय नारी पतितोर्क वृणानां नि पथत् उपत्वामर्त्यं प्रेतम् ।

धर्म पुराणमनुपालयन्ती तस्यै प्रजां द्रविणं चेह धेहि ॥

सकती है (जब देवर न हो तो) । वह दो से अधिक पुत्र नहीं प्राप्त कर सकती ।¹

वासिष्ठ धर्मसूत्र² में लिखा है कि विधवा का पति या भाई (या मृत पति का भाई) गुरुओं को (जिन्होंने पढ़ाया हो या मृतात्मा के लिए यज्ञ कराया हो) तथा सम्बन्धियों को एकत्र करे और उसे (विधवा को) मृत के पुत्रोत्पत्ति के लिए नियोजित करे । उन्मादिनी विधवा अपने को न संभाल सकनेवाली (दुःख के मारे) रोगी या बूढ़ी विधवा को इस कार्य के लिए नियोजित न करे ।

बौधायन धर्मसूत्र³ में वर्णन है द्यौत्रज पुत्र वही है जो निश्चित आज्ञाके साथ विधवा से या नपुंसक या रुग्ण पति के पत्नी से उत्पन्न किया जाय ।

मनुस्मृति में वर्णन है पुरुष बीज स्वरूप होता है तथा स्त्री द्यौत्र स्वरूप दोनों के सम्मिलन से उत्पन्न पुत्र ही श्रेष्ठ होता है । कहीं पर बीज प्रधान होता है और कहीं पर द्यौत्र प्रधान होता है । जहाँ पर दोनों समान होता है वही श्रेष्ठ सन्तान है ।⁴

कौटिल्य ने लिखा है कि बूढ़े एवं न अच्छे किये जानेवाले रोग से पीड़ित राजा को चाहिए कि वह अपनी रानी को नियुक्त कर किसी मातृबन्धु या अपने ही समान गुणवाले सामन्त द्वारा पुत्र उत्पन्न कराये । एक अन्य स्थल पर पुनः कौटिल्य ने लिखा यदि कोई ब्राह्मण बिना सन्निकट उत्तराधिकारी के मर जाय तो किसी सगोत्र या मातृबन्धु को नियोजित करके द्यौत्रज

1- गौतमधर्मसूत्र 18. 4. 8 अपतिरपत्याकिप्सुर्देवरात् गुरुप्रसूता नर्तुमतीयात् ।
पिण्ड गोत्राणिसम्बन्धेभ्यो योनिमात्राद्वा । नादेवरादित्येके ।
नातिद्वितीयम् ।

2- वासिष्ठ धर्मसूत्र 17. 56-65

3- बौधायन धर्मसूत्र 2. 2. 17

4- मनुस्मृति 9. 34 विशिष्टं कुम्बिद्बीजं स्त्रीयोनिस्त्वेव कुमचित् ।
अभयं तु सयं यत्र सा प्रसूतिः प्रशस्यते ॥

पुत्र उत्पन्न करना चाहिए वह पुत्र रिक्त (धन) प्राप्त करेगा अन्यथा उसके धन के अधिकारी समीप के रिश्तेदार होंगे ।¹

महाभारत में भी नियोग के प्रचुर उदाहरण प्राप्त होते हैं ।

आदि पर्व सभी की जन्म कथा का वर्णन उपलब्ध होता है । महाभारत के लगभग अधिकारि पात्रों का जन्म इसी विधि से हुआ था । जब माता सत्यवती के दोनों पुत्रों की मृत्यु हो जाती है । कुल नाश की शंका से भयभीत होकर भीष्म से विनती करती, भीष्म के अस्वीकार करने पर अपने प्रथम पुत्र व्यासजी इसके लिए आर्मत्रित करती है उससे समागम की बात करती है जिससे कुल की रक्षा हो सके । सत्यवती अम्बिका से कहती है कौसल्ये । तुम्हारे एक देवर हैं वे तुम्हारा गर्भाधान करेंगे वह आज रात्रि तुम्हारे पास आवेंगे तुम एक मन होकर उनकी प्रतिज्ञा करो ।²

भीष्म के रूप को देखकर उसने आर्षं बन्द कर ली जिससे अन्धे पुत्र धृतराष्ट्र की उत्पत्ति हुई ।

पुनः सत्यवती दूसरे वधू से भीष्म को पुत्र उत्पन्न करने को कहती है । अम्बालिका भी समागम के समय पीली हो गयी जिससे पाण्डु उत्पन्न हुए।³

पुनः सत्यवती अम्बिका से दूसरे पुत्र उत्पन्न करने की बात कहती है तो वह अपने स्थान पर अपनी दासी को भेज देती है । उससे समागम कर उठ जाने के समय कृष्ण द्वैपायन बोले तुम्हारा दासीपन मुक्त होगा हे शुभे तुम्हारे गर्भ में स्थित सन्तान धर्मात्मा मंगलभाजन और बुद्धिमान जनों में सब से श्रेष्ठ होगा तब विदुर का जन्म हुआ ।⁴

1- कौटिल्य अर्थशास्त्र 62.6. 4 दोत्रे वा जनयेदस्य नियुक्तः दोत्रंज सुतम् ।

मातुबन्धुः सगोत्रो वा तस्मै तत प्रविशेद्धनम् ।

2- महाभारत, आदिपर्व 100. 2 कौसल्ये देवरस्तेडास्ति सोऽद्यत्वानुप्रवेदयति ।

अप्रमत्ता प्रतीदोनं निशीथे आगमिष्याति ।

3- महाभारत, आदिपर्व 100. 15 ततस्तेनैव विधि ना महर्षिस्तामपद्यत ।

अम्बालिकामथाम्यागादृणि दृष्ट्वा च सापि तम ।

विषण्णा पाण्डुसंकाशा समपद्यत भारत ।

4- महाभारत आदिपर्व 100. 26 उत्तिष्ठन्न ब्रवीदेनामभुजिष्या भविष्यसि ।

अयं च ते शुभे गर्भः श्रेयानुदरमागतः ।

धर्मात्मा भविता लोके सर्वबुद्धिमता वरः

इसी प्रकार से जब पाण्डु च्यवन ऋषि के श्राप से ग्रसित हो गये तो कुल की निरन्तरता को बनाये रखने के लिए कुन्ती ने देवताओं का आह्वान किया, सत्रप्रथम धर्मराज को आमंत्रित किया जिससे पाण्डु का पहला पुत्र धर्मशील, जनों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।¹ तत्पश्चात् पवन को बुलाया जिससे भीम का जन्म हुआ ।² इन्द्र के द्वारा अर्जुन का जन्म हुआ ।³ माद्री ने दोनों आश्वनी कुमारों को स्मरण किया जिससे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ ।⁴ इसी प्रकार से कर्ण भी कुन्ती के प्रथम पुत्र श्रेष्ठ सूर्य देव द्वारा उत्पन्न किये हुए ।

इन वर्णनों से ऐसा ज्ञात होता है कि महाभारतकालीन समाज में ये प्रथा सामान्य हो गयी थी ।

राबर्टलिगट ने अपनी पुस्तक 'द क्लासिकल ला ऑफ इण्डिया' में नियोग का वर्णन करते हुए उसे पाशविक प्रवृत्ति कहा है । यह पशु-धर्म है । उनका मत है कि विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, यदि स्त्री का पति कहीं चला गया हो तो वह उसके आने तक इन्तज़ार कर सकती थी इसके लिए भी समय निर्धारित था । नियोग के लिए भी व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी जिनका समाज में उच्च स्थान नहीं था । इस प्रकार से उत्पन्न बच्चों की माता एक थी तथा 2 विभिन्न प्रकार के पिता होते थे जिनका सम्पत्ति पर अधिकार होता था ।⁵

1- महाभारत आदि पर्व 114. 6 एष धर्मभृता श्रेष्ठो भविष्यति न संशयः ।
युधिष्ठिर इति स्यातः पाण्डोः प्रथमजः सुतः ॥

2- महाभारत आदि पर्व 114. 9 ततस्यथोक्ता पत्या तुवायुमेवा जुहाव सा ।
तस्माज्जज्ञे महाबाहुर्भीयो भीम पराक्रमः ॥

3- महाभारत आदि पर्व 114. 27 एवमुक्त्वा ततः शक्रभाजुहाव यशस्विनी ।
अथाजगाम देवेन्द्रो जनयामास चार्जुनम् ॥

4- महाभारत आदि पर्व 115. 16-17 ततो माद्री विचार्यैव जगाय मनसाश्विनौ

.....

.....

तथैव तावपि यमौ वागुवाचाशशीरिणी ॥

5- राबर्टलिगट - 'द क्लासिकल ला ऑफ इण्डिया', थामसन प्रेस, नई दिल्ली, 1973,
पृ० 182 ।

यह प्रथा पवित्रता और यौन सम्बन्धों में स्थिरता के आदर्शों के साथ असंगत थी, इसलिए आपस्तम्ब और बौधायन ने इसका विरोध किया। मनु ने तो इसे पाश्विक कहकर निन्दा की है।¹ यह उन प्रथाओं में से एक है जो ~~आपस्तम्ब~~ के युग में भी निन्दनीय मानी गयी है। यद्यपि आर्य समाज के प्रवर्तक दयानन्द सरस्वती ने नियोग की अनुमति दी परन्तु उसके अनुयायीयों ने विधवा विवाह को मान्यता दी है।²

नियोग के लिए निम्न दशार्थ आवश्यक थी

- (1) जीवित या मृत पति को पुत्रहीन होना चाहिए।
- (2) कुल के गुरुजनों द्वारा ही निर्णित पद्धति से पति के लिए पुत्र उत्पन्न करने के लिए पत्नी को नियोजित करना चाहिए।
- (3) नियोजित पुरुष पति का भाई (देवर) सपिण्ड या सगोत्र का होना चाहिए।
- (4) नियोजित पुरुष या नियोजित विधवा में कामुकता का पूर्व अभाव एवं कर्तव्य ज्ञान का भार रहना चाहिए।
- (5) नियोजित पुरुष के शरीर पर धूत या तेल का लेप लगा रहना चाहिए, उसे न बोलना चाहिए न रति क्रीड़ा करना चाहिए।
- (6) यह सम्बन्ध केवल एक पुत्र तक ही रहना चाहिए।
- (7) पुत्र प्राप्ति के बाद नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार श्वसुर और बहू सा होना चाहिए।

यदि ये दशार्थ न हों और आनन्द प्राप्ति हेतु देवर भाभी संभोग करे तो वो बलात्कार कहा जायेगा।³

1- मनु पशुधर्म 9 . 66

2- डा० राधाकृष्णन - धर्म और समाज, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, 1950, पृ० 210...

3- मनुस्मृति 9 . 58 ज्येष्ठो यवीयसो भार्या ऋषीयान्वाग्रज स्त्रियम् ।
पतितौ भवतो गत्वा नियुक्ताऽप्यनापाद ॥

विधवा विवाह (पुनर्भूः)

विधवा विवाह को शास्त्रकारों ने पुनर्भू शब्द से सम्बोधित किया है अर्थात् जिसने पुनर् विवाह किया हो । विधवा के पुनर् विवाह के उदाहरण ऋग्वेद¹ में हैं ।
 ' ऐस्त्रो उठो तू उसके लिए विलाप कर रही हो जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है ।
 तू नये पति का वरण करो जो तुझे स्वीकारने के लिए तैयार है ।^{अनुवर्तते} प्राप्त होता है ।
 कि यदि कोई स्त्री पहले दस ब्राह्मण पति करे किन्तु अन्त में यदि वह ब्राह्मण से विवाह करे तो वह उसका वास्तविक पति है । केवल ब्राह्मण ही पति है
 (वास्तविक) न कि दात्रिय या वैश्य यह बात सूर्य पंच मानवों में (पंच वर्गों या पंच प्रकार के मनुष्य गणों में) धोषित करता चलता है ।²

बौधायन धर्मसूत्र³ ने पौनर्भव पुत्र उस स्त्री का पुत्र माना है जो अपने नपुंसक या जातिच्युत पति को छोड़कर अन्य पति करती हो ।

याज्ञवल्क्य पुनर्भू को दो भागों में बाँटा है -

- (1) जिसका पति के साथ समागम न हुआ हो ।
- (2) वह जो समागम कर चुकी हो । इन दोनों का विवाह पुनः हो सकता है (पुनर्भू वह है जो पुनः संस्कृता हो)

याज्ञवल्क्य ने स्वैरिणी उसे माना है जो विवाहित पति को छोड़कर दूसरे से प्रेम करे ।

1- ऋग्वेद 10. 18. 8 उदीर्ष्व नार्सीभि जीवलोकं गतासुमेप्रुं शेषा एहि ।

हस्तग्रामस्य विधिणोस्तवेदं पत्युर्जनित्वममि सं बभूथ ॥

2- अथर्ववेद 5. 17. 8-9 उत यत्पतयो दश स्त्रियाः पूर्वे ब्राह्मणाः । ब्रह्मा चेद्वस्तमग्रहीत्स एव पतिरेकथा ॥ ब्राह्मण एव पतिर्न राजन्यो न वैश्यः । तत्सूर्यः प्रभुवन्नेति पन्वभ्यो मानवेभ्यः ॥

3- बौधायन धर्मसूत्र 2. 2. 31

4- याज्ञवल्क्य स्मृति 1.67 अदाता च दाता चैव पुनर्भूः संस्कृता पुनः ।

स्वैरिणी या पतिं हित्वा सवर्णं कामतः श्रयेत् ॥

¹
कौटिल्य ने मनोहर नियम प्रतिपादित किये हैं -

विदेश गये हुए या सन्यासी या मरे हुए पति की पत्नी को सात ऋतुमास तक इन्तज़ार कर तथा यदि उसे एक बच्चा हो तो साल भर तक इन्तज़ार करके पति के सगे भाई से विवाह कर लेना चाहिए, यदि कई भाई हो तो जो पति की अवस्था के सन्निकट अवस्था वाले भाई जो भरण पोषण कर सके या वह जो सब से छोटा हो उससे विवाह कर लेना चाहिए । यदि कोई भाई न हो तो उसे सपिण्ड या सजाति वाले किसी भी व्यक्ति से विवाह कर लेना चाहिए । मनु के भी विचार इसी प्रकार के हैं ² ।

प्राचीनतम ऐतिहासिक उदाहरणों में रामगुप्त की रानी भ्रुवदेवी का (पति के मृत्यु के उपरान्त) अपने देवर चन्द्रगुप्त II विक्रमादित्य से विवाह अति प्रसिद्ध रहा है जिसका पुत्र कुमार गुप्त I उसके बाद गद्दी पर बैठा । शूद्रों एवं अन्य नीची जातियों में विधवा विवाह , पुनर्विवाह सदा से नियमानुमोदित रहा है । कुछ जातियों में ऐसे विवाह पंचायत से तय किये जाते हैं ।

नारद तथा पराशर स्मृति को एवं अग्निपुराण ⁴ में एक ही श्लोक प्रयुक्त है जिसके अनुसार 5 विपत्तियों में दूसरा पति आज्ञापित है -

- (1) जब पति नष्ट हो जाय (उसके विषय में कुछ न सुनायी दे)
- (2) पति मर जाय ।

1- कौटिल्य अर्थशास्त्र (60. 4. 3) दीर्घप्रवासिन प्रव्रजितस्य प्रेतस्य वा मार्या सप्त तीर्थान्याकाङ्क्षते, संवत्सरं प्रजाता । ततः प्रति सौदर्यं गच्छेत् । बहुषु प्रत्यासन्नं धार्मिकं मर्मसमर्थं कनिष्ठमभार्यं वा । तदभावेऽप्यसौदर्यं सपिण्डं कुल्यं वा आसन्नयेतेषाय् एष एव क्रमः ।

2- मनुस्मृति 9. 76.

3- डा० राधाकृष्णन - धर्म और समाज, पृ० 209, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, 1950
दृष्टव्य अल्टेकर - 'ए न्यू गुप्त किंग' 1928, पृ० 222-253 ।

4- नारद (स्त्रीपुंस प्रकरण 97) नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ ।
पराशरस्मृति 4. 30 पंचस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥
अग्नि पुराण 154. 5-6

- (3) सन्यासी हो जाय
- (4) नपुंसको हो जाय
- (5) पतित हो ।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विधवा विवाह के कई ज्वलन्त प्रसंग प्राप्त होते हैं । त्रिशंकु एक राजा को मार कर उसकी पत्नी से विवाह किया था । जिससे उसका एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ था । दमयन्ती के दूसरे स्वयंवर में राजा ऋतुपर्वा उससे विवाह करने को उत्सुक था जबकि उसे यह ज्ञात था कि वह नल की पत्नी थी । सत्यवती के पति की मृत्यु के कुछ ही समय बाद राजा उग्रायुद्ध ने उससे विवाह करना चाहा था । अर्जुन ने नाग राजा ऐरावत की विधवा कन्या से विवाह किया था उससे एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ था । जातकों में भी इस प्रकार की कई कथाएँ आती हैं । कोशल के राजा ने बनारस के राजा को मार डाला और उसकी विधवा राबी जो पहले से ही एक बच्चे की माँ थी अपनी पत्नी बना लिया ।

विधवाओं के पुनर्विवाह सन् 300 ई०पू० से लेकर 200 ई० के बीच की अवधि में अलोकप्रिय हो गये । उस समय भी बाल विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति थी । अलबरुनी लिखता है कि विधवाओं का पुनर्विवाह प्रथा द्वारा निषिद्ध था और यह निषेध बढ़ाकर बाल विधवाओं पर भी लागू कर दिया गया

कुछ कालान्तर पश्चात् पश्चिमी विचारकों द्वारा लायी गयी सामाजिक चेतना के जागरण का ही सुपरिणाम था कि ईश्वर चन्द्र विद्यासागर और राजा राममोहन राय ने सन् 1856 ई० में एक आवश्यक कानून पास करवाया जिसके द्वारा कुछ विशेष दशाओं में विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति दी गयी । यह बात वैदिक परंपरा और व्यवहार के भावना के अनुकूल है ।

- 1- डा० राधाकृष्णन - 'धर्म और समाज', राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, 1950 पृ० 206-207
- 2- डा० राधाकृष्णन - 'धर्म और समाज', राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, 1950 पृ० 209
- 3- डा० राधाकृष्णन - 'धर्म और समाज', राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, 1950

जी० एच० मीज का मत है कि प्राचीन काल में विधवा विवाह वर्जित नहीं था । विधवा विवाह को समाज में मान्यता मिली थी । ऋग्वेद का उद्धरण देते हुए कहा है कि ऋग्वेद में वर्णन है । ऐश्वरी उठो तू उसके पास लेटी हो जिसका जीवन समाप्त हो चुका है । जीवित संसार में लौट आओ, अपने पति (मृत) से दूर होकर उसे पति मान लो जो तुम्हें अपनाने का इच्छुक हो । इसी प्रकार से अथर्ववेद का उद्धरण देते हुए यह मत व्यक्त करते हैं कि कभी-कभी एक जाति की विधवा दूसरे जाति पुरुष से विवाह कर सकती थी¹ । किन्तु धर्मसूत्रों में विधवा से उत्पन्न सन्तान को ब्राह्मण के श्राद्ध में बुलाने को मना किया गया है अर्थात् उनको हेय समझा जाता था ।

आधुनिक भारतीय समाज में भी विधवाओं की स्थिति बड़ी ही शोचनीय होती है, वे अपने रिश्तेदारों की दासी होती हैं । अक्सर जाति से बहिष्कृत समझी जाती है, वे सादे वस्त्र पहनती हैं तथा सन्यासी जीवन व्यतीत करने को बाध्य की जाती है² । वे अन्य विवाहिता औरतों और बच्चों का देख-रेख (सेवा) करती हैं ।

1- जी० एच० मीज - धर्म एण्ड सोसायटी, पृ० 105-106, ग्रेट रसल , लन्दन

2- जी० एच० मीज - धर्म एण्ड सोसायटी, पृ० 106-107

मीज का मत है कि विधवाओं के ये दशा स्त्रियों के पतनोन्मुख स्तर का परिचायक है । एन० के० दत्त का मत है - ऋग्वेद में स्त्रियाँ विदुषी और ऋषि होती थी । पात के साथ विविध उत्सवों में भाग लेती थी समाज में बड़ा ही सम्मान प्राप्त था । यहाँ तब की वे पुजारी के स्थान पर यज्ञों का सम्पादन कर सकती थी¹ ।

६. सती प्रथा :

समाज के आवश्यकता के अनुरूप ही नियम बने । पहले स्त्रियों की दशा बड़ी ही अच्छी थी किन्तु धीरे-धीरे उनकी दशा बिगड़ती गयी और धर्म प्रावत्य-भावना के कारण पात के मृत्योपरान्त पत्नी उसके चिता में भस्म हो जाना ही अपना धर्म समझने लगी । सवा सौ वर्ष पूर्व (सन् 1829 ई०) विधवाओं का सती हो जाना ही धर्म था । सती होने की प्रथा प्राचीन यूनानियों, जर्मनों, स्लावों एवं अन्य जातियों में भी पायी जाती थी² ।

विष्णु धर्मसूत्र में वर्णन है अपने पात की मृत्यु पर विधवा ऋचर्य रखती थी या उसकी चिता पर चढ़ जाती थी (अर्थात् जल जाती थी)³

रामायण में वर्णन है कि ब्रह्मर्षि की पत्नी एवं वेदवती की माता ने रावण द्वारा छेड़े जाने पर अपने को जला डाला⁴ ।

1- एन०के०दत्त - ओरिजन एण्ड ग्रोथ आव कास्ट इन इण्डिया, वात्स्यम 1, पृ० 78

2- श्वेडर का ग्रंथ - प्रोहिस्टोरिक एण्टीक्वीरीज आव द आर्यन पीपुल का अंग्रेजी अनुवाद 189० पृ० 391.

वेस्टरमार्क, ओरिजिन एण्ड डेवलपमेण्ट आव मारल आइडियाज़, 19०6, जिल्द 1, पृ० 472-476

3- विष्णु धर्मसूत्र - 25.19-मृते भर्तारि ऋचर्य तदन्वारोहण वा

4- रामायण, उत्तर काण्ड, 18. 15

महाभारत के आदि पर्व में भी सती होने के प्रचुर उदाहरण मिलते हैं¹। पाण्डु की प्यारी रानी माद्री ने पति के शव के साथ अपने को जला दिया²। विराट पर्व में कीचक के साथ जल जाने के लिए सौन्धी को आज्ञा दी गयी है। मौसलपर्व में आया है कि वसुदेव की चार रानियाँ देवकी, भद्रा, रोहिणी एवं मादरा ने अपने को पति के साथ जला डाला³। महाभारत में ही कपोती का सती होना अपने पति के साथ⁴।

विष्णु पुराण में लिखा है कि श्री कृष्ण की मृत्यु पर उनकी आठ रानियों ने अग्नि प्रवेश कर लिया⁵।

सती प्रथा विशेषतः राजधरानों एवं बड़े-बड़े वीरों तक ही सीमित रही है। निबन्धकारों का मत है, ब्राह्मणों की पत्नियाँ अपने को केवल पतियों की चिता पर ही भस्म कर सकती हैं। यदि पति कहीं दूर विदेश में मर गया हो और वही जला दिया गया हो तो उसकी पत्नी मृत्यु के बाद अपने को जला नहीं सकती।

भागवत पुराण ने धृतराष्ट्र के शव के साथ गांधारी के भस्म होने की बात लिखी है⁶।

कालिदास ने कुमार संभव में कामदेव के भस्म होने पर उसकी पत्नी अग्नि में प्रवेश करना चाहती है किन्तु स्वार्गिक स्वर उसे ऐसा करने से रोक देते हैं⁷।

1- महाभारत, आदिपर्व 116. 31 इत्युक्त्वा तं चिताग्निस्थं धर्मपत्नी नरर्षभम् ।
भद्रराजात्माजा ह्यूर्णमन्वारोहधशस्विनी ॥

2- महाभारत, विराट पर्व 23. 8

3- महाभारत, मौसल पर्व 8. 18

4- महाभारत, शान्ति पर्व 148

5- विष्णु पुराण, 5. 38. 2

6- भागवत पुराण 1. 13. 57

7- कालिदास कुमार संभव 4. 34

बहुत से अभिलेखों में भी सती होने के उदाहरण प्राप्त होते हैं । इनमें सब से प्राचीन गुप्त संवत् 191 (510 ई०) का है ।¹ एरण प्रस्तर स्तम्भ अभिलेख जिसमें गोपराज की पत्नी का पति के साथ सति हो जाना उत्कीर्ण है । नेपाल अभिलेख (705 ई०) जिसमें धर्मदेव की विधवा राज्यवती अपने पुत्र महादेव को शासन भार संभालने को कहती है और अपने को सती कर देना चाहती है² । बेलतुरु अभिलेख (979 संवत्) जिसमें देकठबे नामक ब्रूह स्त्री अपने पति की मृत्यु पर माता-पिता के मना करने पर भी भस्म हो जाती है और माता पिता उसके स्मृति में स्तम्भ सड़ा करते हैं ।

ऐतिहासिक काल में सती प्रथा के प्रचलन का प्रमुख कारण था कि प्राचीन काल में विजित राजाओं के शूरों की पत्नियों की स्थिति बड़ी ही दयनीय होती थी । जीते हुए लोग विजित लोगों की पत्नियों से बदला चुकाते थे उन्हें बन्दी बनाकर ले जाते थे और उनके साथ दासी जैसा व्यवहार करते थे । मनु ने सैनिकों को युद्ध में प्राप्त रथ, हाथी, घोड़े, कृत्र तथा अन्य द्रव्य वस्तुओं, पशुओं के साथ स्त्रियों को भी पकड़ लेने की आज्ञा दी है जो जिस वस्तु को जीतता था वह उसका हो जाता था।³ प्रभाकर वर्धन की स्त्री यशोमती अपने पुत्र हर्षवर्धन से वर्णन करती है कि विजित राजाओं की पत्नियाँ उसको पंखा फाला करती थी⁴ ।

चित्तौड़ तथा राजस्थान आदि अन्य स्थानों पर राजपुत्रियों और रानियों द्वारा खेले गये जौहर भी सती प्रथा का ही प्रज्वलित उदाहरण है । मुसलमानों के क्रूर हाथों में पड़ने तथा बलात्कार सहने की अपेक्षा राजपूतों की रानियाँ तथा पुत्रियाँ अपने को आग्न में फेंक देती थी ।

1- गुप्त इस्क्रिप्श, फुलीट, पृ० 91

2- इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द 9, पृ० 164

3- मनुस्मृति, 7. 96 रथाश्वं हस्तिं कृत्रं धान्यं पशून्स्रथः ।
सर्वद्रव्याणि कूर्यं च यो यज्जति तस्य तत् ॥

4- वाणभट्ट, हर्षचरित 5 .

दात्रियों से यह प्रथा ब्राह्मणों में भी व्याप्त हो गयी । सतियों के लिए पुण्य फलों की चर्चा की गयी । शक्तिरिखत एवं अंगिरा के अनुसार जो नारी पति की मृत्यु का अनुसरण करती है वह मनुष्य के शरीर पर पाये जाने वाले रोमों की संख्या के तुल्य वर्षों तक स्वर्ग में बिराजता है अर्थात् 311 करोड़ वर्ष । जिस प्रकार सपिरा साप को उसके बिल से खींच लेता है उसी प्रकार सती होनेवाली स्त्री अपने पात (चाहे जहाँ भी वह हो) खींच लेती है और उसके साथ कल्याण पाती है । ... सती होनेवाली स्त्री अरुन्धती के समान ही स्वर्ग में यश पाती है ¹ ।

यात्रियों एवं अन्य लोगों के लेखों से पता चलता है कि सति प्रथा बन्द होने के पूर्व, देश के अन्य भागों की अपेक्षा बंगाल में विधवाएँ बहुसंख्या में जला करती थी । इसके कई कारण थे । बंगाल को छोड़कर अन्य प्रान्तों के संयुक्त परिवारों में विधवा के भरण-पोषण के अतिरिक्त सम्पत्ति में अन्य कोई अधिकार नहीं प्राप्त था किन्तु बंगाल में दाय भाग का प्रचलन था अर्थात् पुत्रहीन विधवा को संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में वही अधिकार प्राप्त था जो उसके पति का होता था । ऐसे समय में परिवार के अन्य लोग पति की मृत्यु पर पत्नी की पति भक्ति को पर्याप्त मात्रा में उत्तेजित कर देते थे जिससे वह पति की चिता में जलकर भस्म हो जाय ।

राजा राम मोहन राय इस प्रथा के प्रबल विरोधी थे, उनका मत था कि इसका मूल कारण सम्पत्ति ही है जो स्त्रियों के सति होने के बाद उसके परिवार वालों को प्राप्त हो जाती थी ² ।

1- याज्ञवल्क्य 1. 86, मिताक्षरा, अपराह, पृ० 110

शुद्धितत्व पृ० 234, पराशर 4. 32-33 ब्रह्मपुराण 10. 76)

तिस्तः कोट्योर्ध्वकोटी च यानि लोभानि मानुषे । तावत्कालं वसेत्स्वर्गं भर्तारं
यानुगच्छति ॥ अलगाही यथा सर्वबलादुद्धरते बिलात् । तद्वदुद्धृत्य सा नारी सह
तनैव भोदते ॥ तत्र भर्तृपरमा स्तूयमानाप्सरोगणैः क्रीडते पतिना सार्धं यावदिन्द्राश्-
चतुर्दश ॥ ब्रह्महर्ता वा कृतघ्नो वा मित्रघ्नो वा भवेत्पतिः । पुनात्यविधवा नारी
तमादाय मृता तु य । मृते भर्तारं या नारी समारोहेद्भुताशनम् । सारुन्धती
समाचारा स्वर्गलोके महीयते ॥ यावच्चाग्ना मृते पत्यौ स्त्री नात्मानं प्रदाध्येत् ॥
तावन्न मुच्यते सा हि स्त्री शरीरात्कर्षणम् ॥ कृष्णकौ, धर्मशास्त्र का सति० I, पृ. 352,

सन् 1829 में लार्ड विलियम बैंटिंग ने इस पार्श्विक प्रथा को अवैध घोषित किया¹।

जी० एच० मीज का मत है - प्राचीन काल के ग्रंथों में इस प्रथा का कहीं भी उल्लेख नहीं है। रामायण और महाभारत में सति प्रथा का वर्णन राजधरानों तक सीमित था किन्तु बाद में यह प्रथा सभी के लिए मान्य हो गयी²।

डा० ए० एस० अल्तेकर ने इस प्रथा की बड़ी ही सुन्दर व्याख्या की है। उनका मत है कि पूर्व ऐतिहासिक काल में लोगों को मृत्यु के पार की दुनिया का सहसास था। लोगों का ऐसा विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन जीने के लिए मृतक शरीर के साथ व्यक्ति से संबंधित सम्पत्ति हाथी, घोड़े, पत्नी, दास, दासी को भी जला या दफना दिया जाता था। प्रारम्भ में ये प्रथा इन्डो योरोपियनों से सम्बन्धित थी। चीन में भी लोगों का ऐसा ही विश्वास था। जब इन्डो योरोपियन भारत आये तो यह प्रथा भी भारत में आयी। किन्तु अवेस्ता और ऋग्वेद, अथर्ववेद में इस प्रथा का कहीं भी वर्णन नहीं प्राप्त होता है। संभवतः आर्यन् यह समझने लगे हों कि यह प्रथा बर्बरतापूर्ण है। इस तथ्य के पीछे इस बात की भी संभावना हो कि उनकी संख्या भारत में कम रही हो तथा अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए विधवा के सति होने पर रोक लगायी गयी हो जिससे उसका पुनर्विवाह कर जनसंख्या बढ़ सके।

बुद्ध के काल में यह प्रथा बन्द थी। मेगस्थनीज तथा कौटिल्य ने इसका वर्णन नहीं किया है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य में विधवाओं के कर्तव्यों की सूची प्रस्तुत की गयी है। महाकाव्य काल में ही इसके प्रचुर उदाहरण प्राप्त होते हैं।

5. विवाह विच्छेद :-

सर्वप्रथम कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में विवाह विच्छेद पर स्पष्ट प्रकाश डाला है। यदि पति नहीं चाहता तो पत्नी को कुटकारा नहीं मिल सकता

1- पी०वी०काणे - धर्मशास्त्र का इतिहास ऋ० पृ० 352

2- जी० एच० मीज - धर्म एण्ड सोसाइटी, पृ० 292 ग्रेट रसल, लन्दन, 1935.

3- ए० एस० अल्तेकर - द पोजीशन ऑफ वूमन इन हिन्दू सिविलाइजेशन,

इसी प्रकार यदि पत्नी नहीं चाहती तो पति को कुटकारा नहीं मिल सकता किन्तु यदि दोनों में पारस्परिक विद्वेष है तो कुटकारा संभव है । यदि पति पत्नी से डर कर उससे पृथक होना चाहता है तो उसे (पत्नी को) विवाह के समय प्राप्त धन को देने से पत्नी से कुटकारा मिल सकता है । अंगीकृत रूप से (धर्म्य) विवाह का विच्छेद नहीं होता¹ । कौटिल्य ने लिखा है विवाह के ब्राह्म, प्राजापत्य, आर्ण एवं दैव नामक चार प्रकार धर्म्य है क्योंकि वे पिता के प्रमाण द्वारा स्वीकृत अथवा किये जाते हैं । किन्तु यदि विवाह गान्धर्व, असुर एवं राक्षस प्रकार के हैं तो विद्वेष उत्पन्न होने पर एक दूसरे की सम्पत्ति से उनमें विच्छेद हो सकता है ।

पाश्चात्यकालीन स्मृतियों एवं निबन्धकारों में नारद का मत है कि नपुंसक, सन्यासी एवं जातिच्युत पत्नी को पत्नी छोड़ सकती है किन्तु याज्ञवल्क्य की टीका में मिताक्षर का मत है कि जब पति पतित हो जाय (जातिच्युत) तब पत्नी उसके नियंत्रण से बाहर रहती है किन्तु उसे तब तक जोहते रहना चाहिए जब तक वह पुनः पवित्र न हो जाय और जाति में न ले लिया जाय² ।

डा० ए० एस० अट्टेकर ने अपनी पुस्तक में स्त्री पुरुष के दूसरे विवाह को विवाह विच्छेद का एक विकल्प माना है । अपने ग्रंथ में दूसरे विवाह, विधवा विवाह और पुनः विवाहों का वर्णन भी इसी के अन्तर्गत किया है³ ।

1- कौटिल्य अर्थशास्त्र (अनु० वाचस्पति गैरोला)

59 . 3 . 5 (विवाह सम्बन्ध 2)

अमोदया भर्तुरकामस्य द्विषतीभार्या, भार्यायाश्चभर्ता । परस्परं द्वेषान्मोदाः ।

59 . 3 . 6 स्त्री विप्रकराद् वा पुरुषाश्चेन्मोदाभिच्छेद, यथागृहीतमस्यै दधात् । पुरुषा विप्रकराद् वा स्त्री चेन्मोदाभिच्छेत् नास्ये यथागृहीतं दधात् । अमोदाो धर्मविवाहानाम् । इति द्वेषः ।

2- याज्ञवल्क्य स्मृति 1. 77 स्त्रीभिर्भर्तृविवः कार्यमिषा धर्मः परः स्त्रियाः ।

आशुद्धेः संप्रतीश्ये हि महापातकं दूषितः ॥

3- डा० ए० एस० अट्टेकर - द पोजीशन आव वूमेन इन रीशयण्ट इण्डिया,

पृ० 83-84 ।

डा० राधाकृष्णन के एक आख्यान का अंश है जिसका उनकी पुस्तक 'धर्म और समाज' में वर्णन प्राप्त होता है कि 'सामान्यतया विवाह सम्बन्ध को स्थायी सम्बन्ध माना जाना चाहिए। तलाक का आश्रय केवल उन अत्यधिक कठिन मामलों में किया जाना चाहिए जहाँ विवाहित जीवन बिल्कुल असंभव हो गया हो। तलाक एक ऐसी उग्र औषधी है जो व्याक्त के अपने जीवन को तो जड़ से हिला ही देती है साथ ही दूसरों के जीवन पर भी प्रभाव डालती है। बच्चों के हितों को दृष्टि में रखकर विवाह के पन्धन को स्थायी सम्बन्ध मानना चाहिए। विवेक्षील माता पिता स्वयं काफी कष्ट सहकर भी अपने बच्चों को मनोवेगात्मक दबाव और स्नायु हासिल से बचाने का यत्न करेंगे। जहाँ विवाह के बाद यदि सन्तान न भी हुई हो तो भी तलाक बेरोक टोक नहीं दिया जाना चाहिए। जोखिम और कठनाईयाँ मानव जीवन का अंग हैं और स्त्री पुरुष दोनों को सद्योग से इनका सामना करना चाहिए दोनों में एक से दोष दुर्बलताएँ और इच्छाएँ होती हैं और सम्जन (तालमेल) एक लम्बी प्रक्रिया है। वैथोलिक चर्च में विवाह के समय स्त्री पुरुष एक दूसरे की ओर फुक्ते हैं दोनों के सिर पर क्रॉस और तलवार रखी जाती है। क्रॉस का तात्पर्य करुणा साहसपूर्ण विश्वास का प्रतीक है तलवार का तात्पर्य है कि क्रॉस के कानून के उल्लंघन का दण्ड उन्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार से यह प्रेम सहानुभूति और साहस का प्रतीक है। केवल कुछ विशिष्ट दशाओं में ही तलाक की अनुमति देनी चाहिए जैसे पारित्याग स्वाभाविक क्रूरता, व्याभ्रार, पागलपन और असाध्य रोग में ही विवाह को रद्द करने की अनुमति देनी चाहिए।

गृहत्याग - (वनवासी जीवन व्यतीत करना) :

महाकाव्यों में स्त्रियों के एक और आपद्धर्म का वर्णन किया गया है जो स्त्रियाँ गृह लक्ष्मी थी, महारानी थी उनको आपात्काल में वन-वन

1- डा० राधाकृष्णन - धर्म और समाज , पृ० 216-217

राजभाल एण्ड सँस, दिल्ली, 1950 ।

भटकना पड़ा । वनवासी जीवन व्यतीत करना पड़ा और पुरुष के उपेक्षाओं का शिकार होना पड़ा ।

वाल्मीकी रामायण में वर्णन है कि सीता 14 वर्ष वन में रही । इसी दौरान रावण उनका अपहरण कर लंका ले गया । वहाँ अनन्य दुःखों का सामना करने के उपरान्त जब राम ने विजय की तो पुनः सीता को राम के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । उस दुःखी सीता को राम की उपेक्षा का भी शिकार होना पड़ा जब राम ने उनके सतीत्व पर सन्देह प्रकट किया तो सीता सतीत्व परीक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश किया¹ । पुनः वर्णन प्राप्त होता है कि लोकोपवाद के डर से जब राम ने सीता का परित्याग किया उस समय वह रानी होकर वनवासी जीवन बिताते हुए अपने पुत्रों (लव कुश) को वनवासियों के सदृश्य पालन-पोषण किया² ।

महाभारत में द्रौपदी का उदाहरण दृष्टव्य है जो महारानी होकर भी अज्ञातवास के समय विराट रानी का दासत्व स्वीकार की थी।³

शोध ग्रंथ के सभी अध्यायों में स्त्री और पुरुष के समान मूल्यों का वर्णन किया गया है किन्तु प्राचीन काल से आज तक सर्वत्र पुरुष प्रधान समाज का ही बोल बाला रहा है । पुरुषों के जीवन काल (उपस्थिति) में स्त्रियों की दशा बड़ी ही सम्मानजनक रही है किन्तु पुरुषों के मरणोपरान्त , विदेश प्रवास या अनुपस्थिति में उनकी दशा बड़ी ही दयनीय हो जाती थी । इस अध्याय में उस दशा विशेष का ही वर्णन स्त्री के आपद्धर्म के अन्तर्गत किया गया है ।

1- वाल्मीकि रामायण , युद्ध काण्ड, 116. 34

2- वाल्मीकि रामायण , उत्तर काण्ड, 66. 11-12

3- महाभारत ॥ खण्ड , वन पर्व, विराट पर्व 3. 17

(स) कुल धर्म -

वैवाहिक जीवन की संपूर्णता पुत्र उत्पन्न से ही मानी जाती है। मनुस्मृति में पुत्र का बड़ा ही महत्व है। 'पुत्र' शब्द के व्युत्पत्ति के विषय में यह मत प्रचलित है कि 'पुं' नामक नरक से अपने पिता को तारने के कारण पुत्र कहलाता है¹। पुत्र का मुख देखकर व्यक्ति अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। मृत्युपरान्त श्राद्ध कर्म, पिण्ड दान और वैदिक कर्म काण्डों के कारण पुत्र से इस लोक में विजयी होता है। पुत्र के जन्म से मनुष्य स्वर्गादि को पाता है; पौत्र के जन्म से दीर्घकाल तक स्वर्ग में रहता है और प्रपौत्र के उत्पन्न होने से सूर्य लोक को पाता है²।

आपद् कुल धर्म (वर्ण संदूरेण सन्तानों से विविध जातियों का उद्भव) :-

कुछ विद्वानों का मत है कि भारत में आर्यों के आगमन के समय उनकी संख्या बहुत ही कम थी। आर्य अपने वंश परंपरा को कायम रखने के लिए अपनी सुविधानुसार नियम बनाये तथा बहुसंख्यक होने पर नियमों में परिवर्तन भी किये। अपनी संख्या वृद्धि के लिए उन्होंने बहुत से नियमों का प्रतिदान किया जिससे संतान रहित व्यक्ति या विधवा स्त्री संतान प्राप्त कर सके, जो उनके मृत्युपरान्त श्राद्ध कर्म पिण्ड दान आदि करे। ऐसे कृत्रिम संतानों को भी सूत्रकारों, स्मृतिकारों, निबन्धकारों द्वारा वैधता प्राप्त हुई क्योंकि इसकी रचना करनेवाले आर्य पुरुष ही थे³।

1- मनुस्मृति - अनु० गणेशदत्त पाठक, ठाकुर प्रसाद एण्ड संस, वाराणसी, संवत् 2031

9. 138 पुनाप्नो नरकाधस्मात्त्रायते पितरं सुतः ।

तस्मात्पुत्र इति प्रोक्ताः स्वयमेव स्वयंभुवाः ॥

2- मनुस्मृति 9. 137 - पुत्रेण लोकाज्जयति पौत्रेणानन्त्यस्मिन्नुते ।

अथ पुत्रस्य पौत्रेयं ब्रह्मस्याप्नोति विष्टपम् ॥

3- दृष्टव्य - डा० ए० एस० अल्टेकर - द पोजीशन आव वूमन इन इंडियन इण्डिया, पृ० 117, 144, 145.

इस अध्याय में इन कृत्रिम उपायों द्वारा संतान प्राप्त करने की विधि को ही आपद् कुल धर्म कहा गया है (इसी द्वारा कुल की रक्षा हो सकी) इसके अनियमन से समाज में वर्ण संकृता का प्रादुर्भाव हुआ और समाज में विविध जातियों का उद्भव हुआ । इसका संक्षिप्त परिचय पूर्व अध्याय में है यहाँ पुत्रों के वर्गीकरण का उल्लेख है ।

आपद् कुल धर्म के महत्वपूर्ण तत्व :-

- I. निः संतान पति के मृत्योपरान्त या पति की अयोग्यता की अवस्था में नियोग विधि द्वारा (इसके प्रचारक थे राजा वेन) ;
- I. II. पत्नी के मृत्योपरान्त या अयोग्यता की अवस्था में पुरुष के दूसरे विवाहोत्सव द्वारा (विवाह अनुलोम या प्रतिलोम हो सकते थे) प्रचारक श्वेतकेतु थे)
- I. III. निःसंतान दम्पति पुत्र गोद लेकर कुल की रक्षा करे ।

इन्हीं नियमों के प्रतिपादन व अनियमन से वर्ण संकृता व विविध जातियों का प्रादुर्भाव हुआ ।

(I) निःसंतान पति के मृत्योपरान्त या पति की अयोग्यता में पुत्र प्राप्त करने का विधि :

नियोग प्रथा :- निःसंतान पति के मृत्योपरान्त (या पति की अयोग्यता की अवस्था में) वंश रक्षा के लिए (आपद्काल में) आपस्तम्ब धर्मसूत्र में वर्णन है कि पति के कुल में प्रवेश करनेवाली स्त्री को दौत्रज पुत्र की इच्छा से उस गोत्र से भिन्न गोत्रवाले पुरुष से नियोग के लिए सम्बन्ध नहीं करना चाहिए ; अर्थात् पति के ही गोत्र के पुरुष से नियोग की आज्ञा देनी चाहिए¹ क्योंकि कहा गया है कि कन्या एक कुल को दी जाती है न कि मात्र पति को। इसमें आगे वर्णन है कि

- 1- आपस्तम्ब धर्मसूत्र - अनु० उमेश चन्द्र पाण्डे, चौखम्बा संस्कृत सीरीज,
2. 26. 2 - सगोत्रस्थानीया न परेम्भस्समाचक्षते ॥
- 2- 2. 26. 3 - कुलाय ही स्त्री प्रदीयत इत्युपदिशान्ति ॥

इस विधि द्वारा प्राप्त पुत्र की अपेक्षा वैवाहिक पवित्रता (शुद्धता) के नियमों का निर्वाह करने का परलोक में प्राप्त फल श्रेयस्कर होता है¹।
गौतम धर्म सूत्र², मनुस्मृति³, महाभारत⁴ में भी इसका वर्णन प्राप्त होता है ।

कुछ आचार्यों का मत है कि देवर के अतिरिक्त किसी अन्य से सन्तान की इच्छा न करे । एक सन्तान के बाद दूसरी सन्तान उत्पन्न न करे । इस प्रकार से उत्पन्न पुत्र उत्पन्न करनेवाले का होता है (दौत्री अर्थात् जिसकी पत्नी हो उसका गरी) यदि नियोग के पूर्व ही निश्चित किया गया हो तो वह पुत्र दौत्री का भी हो सकता है (ये दौत्री के रोगी, कन्ध्य या प्रार्थना पद) देवर के अतिरिक्त किसी अन्य से उत्पन्न की गयी सन्तान उत्पन्न करनेवाले की होती है अर्थात् बीजा और स्त्री दोनों की ही होती है किन्तु यदि पालन पोषण दौत्री करे तो वह सन्तान उसी की होती है⁵ ।

मनु ने इस नियोग व्यवस्था पर बड़ी ही सुन्दर टिप्पणी की है । उन्होंने इस प्रथा को बड़ी ही धुणित तथा निन्दनीय माना है । इसके लिए उन्होंने विशेष विधि की व्याख्या की है और इस प्रकार से उत्पन्न पुत्रों को उत्तम कोटि का नहीं माना है । मनुस्मृति में व्यक्तियों की मर्यादाओं का उल्लेख हुआ है । इस समय मैन स्वेच्छाचारिता पर प्रतिबन्ध लग गया था । मनु का मत है कि अत्यन्त आपत्तिकाल में (मात्र वंश चलाने के लिए) ही नियोग

1- आपस्तम्ब धर्मसूत्र - अनु० उमेश चन्द्र पाण्डे, चौखम्बा संस्कृत सीरीज

2. 26. 6 - नियमारम्भणो हि वर्णयानभ्युदय एवमारम्भणादपत्यात् ।

2- गौतम धर्मसूत्र - 2. 9. 4 , 5, 6.

3- मनुस्मृति 9. 59

4- महाभारत आदि पर्व 1. 53, 54, 55, 69 ।

5- गौतम धर्मसूत्र 2. 9. 7. 14 नादेवरादित्येके । नाति द्वितीयम् । जनचितुरपत्यम्
समयादन्यस्य । जीवतश्च दौत्रे । परस्मात्तस्य ।
द्वयोर्वा । रक्षाणान्तु भर्तृव ।

अनु० उमेश चन्द्र पाण्डे, चौखम्बा संस्कृत सीरीज)

होना चाहिए, सामान्य दशा में यह अत्यन्त धृष्ट तथा निन्दनीय प्रथा थी । इसमें वर्णन प्राप्त होता है कि बड़े भाई की स्त्री छोटे भाई की गुरु पत्नी तुल्य होती है और छोटे भाई की पत्नी बड़े भाई के लिए स्तुणा (पुत्रवधू) तुल्य होती है¹ । अतएव यदि बिना आपत्तिकाल नियुक्त किये ये दोनों परस्पर सम्भोग करे तो पतित हो जाते हैं² । मनुस्मृति में नियोग के लिए विशेष विधि का भी वर्णन है कि नियुक्त पुरुष अपने शरीर में धी लगाकर मौन रहकर रात्रि में विधवा स्त्री में मात्र एक सन्तान ही उत्पन्न करे, दूसरे को नहीं³ । विधवा स्त्री में गर्भ रहने के बाद पुनः दोनों का व्यवहार (स्त्री-पुरुष का गुरु और स्तुणा (पुत्रवधू) की भाँति होना चाहिए⁴ । यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि इस समय के बाद दोनों की स्थिति पुनः पूर्ववत् हो जाती थी । अतः मानव जीवन बड़ा ही संयम और अनुशासनबद्ध था । पुनः मनुस्मृति में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि द्विजातियों को विधवा स्त्री का नियोग दूसरे से नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से सनत्तन (पतिव्रता) धर्म का नाश होता है⁵ । इससे यह ज्ञात होता है कि उस समय मनुष्य अपने वर्णों की पवित्रता का बड़ा ही ध्यान रखते थे ।

-
- 1- मनुस्मृति 9 . 57 भ्रातृर्ज्येष्ठस्य भार्या या गुरुपत्न्यनुजस्य सा ।
यवीयस्सु या भार्या स्तुणा ज्येष्ठस्य सा स्मृता ॥
अनुवादक - गणेश दत्त पाठक
- 2- मनुस्मृति 9 . 58 ज्येष्ठो मवीयोसो भार्या यवीयान्वाग्रजिस्त्रियम् ।
पतिता भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥
- 3- मनुस्मृति 9 . 60 विधवाया नियुक्तस्तु धृताक्तो वाग्यतो निशि ।
एकमुत्पादयेत्पुत्रं न द्वितीयं कथंचन ॥
अनु०- गणेश दत्त पाठक
- 4- मनुस्मृति 9 . 62 विधवाया नियोगार्थे निवृत्ति तु यथाविधि ।
गुरुवच्च स्तुणावच्च वर्तयाता परस्परम् ॥
- 5- मनुस्मृति 9 . 64 नान्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः ।
अन्यस्मिद्भिर्न नियुज्जानां धर्मं हन्युः सनातनम् ॥

मनु ने नियोग की विधि को अवैध क्रिया और पशु धर्म कहा है । उनका मत है कि विवाह क वेदोक्त मन्त्रों में नियोग कहीं नहीं लिखा है और न तो विवाह विधायक शास्त्रों में कहीं भी विधवा विवाह का उल्लेख है¹ । मनु ने राजा वेन को इसका संचालक माना है । राजा वेन के शासन काल में (प्रवर्तित) मनुष्यों के लिए कहे गये इस पशु धर्म की विद्वान द्विजों ने निन्दा की है ।² इसमें आगे वर्णन है कि समस्त पृथ्वी का पालन करते हुए राजर्षि प्रवर वेन ने काम से नष्ट जुद्ध होकर (मनुष्यों को भाई की स्त्री के साथ सम्भोग का नियम चालू कर) वर्णशंकर बनाया । तब से (वेन के शासन काल से) जो मनुष्य भूत पतिवाली विधवा स्त्री को सन्तान के लिए मोहवश इ देवर आदि के साथ) नियुक्त करता है उसकी सज्जन लोग निन्दा करते हैं ।⁴ इन वर्णनों से यह स्पष्ट होता है कि उस समय द्विजों में यह क्रियाकलाप बहुत ही निन्दनीय तथा हेय समझा जाता था । अन्ततः इस विषय पर मनु का यह मत था कि यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो देवर उस कन्या से विधिपूर्वक विवाह करने के बाद ही सम्भोग करे ।⁵

मनु ने इसको अवैध करार देते हुए अपने मत पर जोर दिया है कि यदि एक माता पिता से उत्पन्न सहोदर भाईयों में यदि एक भाई

- 1- मनुस्मृति 9 . 65 नोद्वाहिकेणु मन्त्रेणु नियोगः कीत्यति क्वचित् ।
न विवाहविधायुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥
- 2- मनुस्मृति 9 . 66 अयं द्वि जैर्हि विद्वभिः पशुधर्मो विगर्हितः ।
मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति ॥
- 3- मनुस्मृति 9 . 67 स महीमरिवला भुञ्जन् राजर्षिप्रवरः पुरा ।
वर्णानां सङ्गं चक्रे कामोपहतचेतनः ॥
- 4- मनुस्मृति 9 . 68 ततः प्रभृति यो मोहात्प्रतीत पतिकं स्त्रियम् ।
नियोजयत्यपत्यार्थं तं विगर्हन्ति साधवः ॥
- 5- मनुस्मृति 9 . 70 यथाविध्यधिगम्यैनां शुक्लवस्त्रां शुचिप्रताम् ।
मिथो भजेताप्रसवात्सकृत्सकृतावृता ॥

अनुवादक - गणेश दत्त पाठक ।

को पुत्र हो तो उसी से अन्य पुत्रहीन भाई भी पुत्रवान होते हैं¹। इसी प्रकार से यदि एक पात वाली कई स्त्रियों में से एक स्त्री को पुत्र उत्पन्न हो जाय तो अन्य सभी स्त्रियाँ भी उसी से पुत्रवती होती है²। इन वर्णनों से ऐसा ज्ञात होता है कि संभवतः विद्वानों तथा अन्य उच्च वर्णों में यही प्रथा प्रचलित रही हो।

डा० ए० एस० अल्टेकर का मत है कि यह नियोग प्रथा विश्व की अन्य सभ्यताओं में भी दृष्टिगत होती है जैसे स्पार्टा³; यहूदी विधवाएँ बिना किसी समारोह के अपने दवरों की पत्नियाँ बन सकती थीं।⁴ नियोग से उत्पन्न पुत्र अपने पितृ कुल का प्रतीक होता था। यदि स्त्री अनिच्छुक है, नियोग करवाना नहीं चाहती तो कोई बाध्यता नहीं थी।⁵ नियोग कुल के प्रति स्त्री का मात्र कर्तव्यबोध था न कि इच्छातुष्टि की धारणा। कुछ शास्त्रकारों की धारणा थी कि नियोग से उत्पन्न पुत्र की उपेक्षा गोद लिया पुत्र ज्यादा उत्तम होता था।⁴

स्त्री अपहरण कर पुत्र प्राप्त करना :

विष्णु पुराण में वर्णन है कि बृहस्पति की धर्म पत्नी तारा थी। चन्द्रमा ने तारा का अपहरण कर लिया और तारा द्वारा चन्द्रमा को बुद्ध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसे चन्द्रमा ने अपनाया।

-
- 1- मनुस्मृति 9 . 182 भ्रातृणामेकजातानामेकश्चेत्पुत्रावान्मवेत् ।
सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रिणां मनुरब्रवीत् ॥
 - 2- मनुस्मृति 9 . 183 सर्वासामेक पत्नी नामेका चेत्पुत्रिणी भवेत् ।
सर्वास्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीमनुः ॥
 - 3- स्पेन्सर, सोशियोलॉजी, पृ० 661
 - 4- डा० ए० एस० अल्टेकर - द पोजीशन ऑफ वूमन इन हिन्दू सिविलाइजेशन,
मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, वाराणसी, पटना, 1938
पृ० 143, 144, 147, 148 ।
 - 5- श्री विष्णु पुराण 6 . 31-33 अथ भगवानं पितामहः तं कुमारं तन्निवार्य
स्वयमपृच्छतां ताराम्
..... साधु साधु वत्स प्राज्ञेडसीति बुद्ध रति तस्य च

स्त्रियों की अयोग्यता से कुल रक्षा के लिए पुरुषों के पुनर्विवाह का अधिकार :

कौटिल्य ने पुरुषों को दूसरे विवाह की अनुमति उस दशा में दी है जब स्त्री पुत्र उत्पन्न के योग्य न हो । कौटिल्य का मत है यदि किसी स्त्री की सन्तान न होती हो या उसके अन्दर सन्तान पैदा करने की शक्ति न हो तो पति का चाहिए कि वह आठ वर्ष तक सन्तान होने की प्रतीक्षा करे । यदि स्त्री मरे हुए बच्चे ही जने तो दस वर्ष तक और यदि उसको कन्यायें ही पैदा हो तो बारह वर्ष तक इन्तजार करना चाहिए ; उसके बाद पुत्र की इच्छा करनेवाला पुरुष पुनर्विवाह कर सकता है । जो भी पुरुष इस नियम का उल्लंघन करे उसे दहेज में मिला हुआ धन, स्त्री धन, अतिरिक्त धन अपना पहली स्त्री को गुजारे के लिए देना चाहिए । इसके अतिरिक्त वह चौबीस वर्ष तक जुमाना सरकार को अदा कर सकता है¹ ।

पुत्रों के प्रकार :-

धर्मसूत्रों, कौटिल्य अर्थशास्त्र, स्मृतियों एवं महाकाव्यों में विविध प्रकार के पुत्रों का वर्णन प्राप्त होता है ।

बौधायन धर्मसूत्र में इन विविध प्रकार के पुत्रों की सूची दी गयी है -

दत्तक पुत्र :- इसमें वर्णन है कि माता पिता द्वारा पालनेवाले को दिया गया पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है² ।

कृत्रिम पुत्र :- इसी प्रकार समान जातिवाले का पुत्र किसी कार्य (श्राद्ध धर्म) को करने के लिए ग्रहण किया गया पुत्र कृत्रिमपुत्र कहलाता है ।

1- कौटिल्य अर्थशास्त्र 3. 58 2. 6,7 (विवाह सम्बन्ध)

वर्णाव्यष्टावप्रजायमानाभपुत्रं बन्ध्या चाकाङ्क्षोत् दस
बिन्दु, द्वायश कन्याप्रसविनीम् ।

ततः पुत्रार्थी द्वितीया विन्देत् । तस्यातिक्रमे शुल्कं स्त्रीधन-
मर्ध्वाधिवेदानिकं दद्यात् । चतुर्विंशतिपणपरं च दण्डम् ।

अनु० वाचस्पति गैरोला, पृ० 264

2- आगे देखें - 1-7- बौधायन धर्मसूत्र 2. 2. 19-28 (अनु० उमेश चन्द्र पाडिय)

अपविद्ध पुत्र :- माता-पिता दोनों द्वारा या किसी एक द्वारा व्यक्त पुत्र को यदि कोई स्वीकार कर ले तो वह अपविद्ध पुत्र कहलाता है ।²

कानीन पुत्र :- अविवाहित कन्या का अपने मायके में उत्पन्न पुत्र उसके विवाहित पति का कानीन पुत्र कहलाता है ।³

सहोद पुत्र :- ज्ञात या अज्ञात अवस्था में जो गर्भवती कन्या विवाह के उपरान्त उस गर्भ से उत्पन्न पुत्र जो उसके पात या सहोद पुत्र रहते हैं ।⁴

श्रीत पुत्र :- माता-पिता मृत्यु देकर जिस पुत्र को शरोद ले ले वह श्रीत पुत्र है ।⁵

पौनर्भव पुत्र :- अपने पात द्वारा व्यक्त पत्नी यदि अपनी इच्छा से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पुत्र उत्पन्न करे तो उसे पौनर्भव पुत्र कहते हैं ।⁶

स्वयंदत्तः पुत्र :- जो पुत्र माता-पिता विधिन है और वह अपने को दूसरे पुरुष को समर्पित करे तो वह स्वयंदत्तः पुत्र कहलाता है ।⁷

निषाद पुत्र :- ब्राह्मण पुरुष और शूद्र पत्नी द्वारा उत्पन्न पुत्र निषाद कहलाता है ।

पाराश्व पुत्र :- स्वविवाहिता व्यक्ति यदि कामवश शूद्रा में जिस पुत्र को उत्पन्न करता है पाराश्व अर्थात् जीता हुआ भी भरे हुए वे समान पाराश्व पुत्र कहलाता है ।⁸

1-7 बौधायन धर्मसूत्र 2.2.19-28 (अनु० उभेस वन्द्र पाण्डेय)

मातापितृभ्यां दत्तोऽन्यतरणे वा योऽपत्यार्थे परिगृह्यते स दत्तः ।
सदृशं यं सकामं कुर्यात्स क्रीतमः । गृहे गृहोत्पन्नोऽन्ते ज्ञातो गूहजः ।
मातापितृभ्यानुत्सृष्टोऽन्यतरेण वा योऽपत्यार्थे परिगृह्यते
सोऽपावद्धः । अस्वकृतामनिसृष्टा या मुपयच्छेत्स्या या जातस्य
कालीनः । या गर्भिणी सीसृज्यते विज्ञाता वाऽविज्ञाता वा तस्या
यो जातः स सहोद । मातापितरोऽस्ता क्रीतोऽन्यतरेण वा
योऽपत्यार्थे परिगृह्यते सक्रीतः । क्लीव ल्यक्त्वा पातितं वा याऽन्य
पातितं विन्देत्स्या पुनर्भा यो जातस्य पौनर्भवः । मातापितृविहीनो
यः स्वयमात्मानं दधात्स स्वयंदत्तः ।

8- बौधायन धर्मसूत्र 2.2.29,30

द्विजाति प्रकराच्छूद्रायां जातो निषादः । कामात्यारक्ष्व इति पुत्रः

एक प्रकार से जीरस, पुत्रिका पुत्र, दौत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गूढज, अपविद्ध, सहोद आदि प्रकार के पुत्रों को पिता के धन का थोड़ा-थोड़ा अंश मिलना चाहिए। इसी प्रकार से कान्हीन सहोद, क्रीत, पौनर्भव, स्वर्गदत्त, निष्ठाद आदि को पिता का गोत्र (बान्धव मात्र होते हैं) मिलना चाहिए।¹

पुत्रों के इन प्रकारों का वर्णन कौटिल्य अर्थशास्त्र, मनुस्मृति,² महाभारत³ में भी हुआ है।

वर्णशुद्ध सन्तानों द्वारा विवाह जातियों का अभ्युदय :

जब एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण की स्त्री के साथ समागम करता है तो उससे उत्पन्न पुत्र को शास्त्रकारों ने वर्णशुद्ध सन्तानों की संज्ञा दी है तथा इन पुत्रों को विवाह प्रकार के जातियों के अन्तर्गत सामाजिक व्यवस्था में गणित किया गया है।

वर्णशुद्ध सन्तानों का गणितया का ।

- (अ) (1) अनुलोम - उच्च वर्ण के पुरुषण तन्म वर्ण की स्त्री के विवाह से उत्पन्न सन्तान ।
- (2) प्रातलोम - उच्च वर्ण की स्त्री तन्म वर्ण के पुरुषण के विवाह से उत्पन्न सन्तान ।
- (ब) (3) सवर्ण - अपने वर्ण का व्यवधान से उत्पन्न पुत्र (ब्राह्मण पात और दत्तक पत्नी) ।
- (2) असवर्ण - अपने बाद एक वर्ण के व्यवधान से उत्पन्न पुत्र- ब्राह्मण पात और वैश्य पत्नी ।

1- बौधायन धर्मसूत्र 2.2.31 - जीरस पुत्रिकापुत्र दौत्रज दत्त कृत्रिमा । गूढज पादपविद्ध च रिक्सभाजः प्रकृते ॥

2.2.32 - कान्हीन च सहोद च क्रीत पौनर्भव तथा । स्वर्गदत्त निष्ठाद च गोत्रभाजः प्रकृते ॥

कौटिल्य अर्थशास्त्र 3.63.7 4-7 तत्स धर्मा कधूना सुद्रायाम्नुः अनुवादक - वाचस्पति गैरोला, पृ० 282-283

2- मनुस्मृति - 9. 167-178 ।

3- महाभारत, वान पर्व 49. 20-23 ।

कौटिल्य अर्थशास्त्र में इस प्रकार के विविध वर्णसंकर पुत्रों का वर्णन प्राप्त होता है । इसमें सवर्ण और असवर्ण पुत्रों की चर्चा की गयी है । ब्राह्मण और दात्रिय के अनन्तर (ब्राह्मण के लिए दात्रिय और दात्रिय के लिए वैश्य) जाति की स्त्री से उत्पन्न सवर्ण सन्ताने और एक जाति के व्यवधान से अर्थात् ब्राह्मण से वैश्य स्त्री या दात्रिय से शूद्रा में उत्पन्न पुत्र असर्वण समझे जायेंगे¹। कौटिल्य ने पुनः कई प्रकार की सन्तानों की चर्चा की है जिससे विविध जातियों का निर्माण हुआ ।

अम्बष्ठ :- ब्राह्मण से वैश्य पत्नी में उत्पन्न सन्तान अम्बष्ठ कहलाता है ।

निषाद या पारश्व :- ब्राह्मण से शूद्र पत्नी में उत्पन्न सन्तान निषाद या पारश्व कहलाता है ।

उग्र :- दात्रिय से शूद्रा में उत्पन्न पुत्र उग्र कहलाता है ।²

शूद्र :- वैश्य से शूद्रा में उत्पन्न पुत्र शूद्र ही मानी जायेगी ।³

आयोगव, दात्त, चाण्डाल :- शूद्र द्वारा वैश्या, दात्रिया तथा ब्राह्मणी में उत्पन्न पर क्रमशः आयोगव, दात्त और चाण्डाल कहलाते हैं ।⁴

मागध, वैदेहक :- वैश्य द्वारा दात्रिया तथा ब्राह्मणी में उत्पन्न पुत्र क्रमशः मागध और वैदेहक कहलाते हैं ।⁵

सूत :- दात्रिय द्वारा ब्राह्मणी में उत्पन्न पुत्र सूत कहलाता है । कौटिल्य का मत है कि पुराणों में वर्णित सूत और मागध इन जातियों

- 1- कौटिल्य अर्थशास्त्र, दाय विभाग(3) ३ 63.7 . 6 ब्राह्मण दात्रिय योरनन्तरा पुत्राः सवर्णाः, एकान्तरा असर्वणाः ।
अनु० - वाचस्पति गैराला (पृ० 283)
- 2- कौटिल्य अर्थशास्त्र 3. 63. 7. 7 ब्राह्मणस्य वैश्यायामम्बष्ठः शूद्रायां निषादः पारश्वो वा दात्रियस्य शूद्रायामुग्रः ।
- 3- ,, ,, 3. 63. 7.8 शूद्र एव वैश्यस्य ।
- 4- ,, ,, 3. 63. 7.2 शूद्रादायोगवदात्तचण्डालाः ।
- 5- ,, ,, 3. 63. 7.3 वैश्यान्मागध वैदेहकौ ।
- 6- ,, ,, 3. 63. 7.4 दात्रियात् सूतः ।

से सर्वथा भिन्न है वे ब्राह्मण और दात्रियों से श्रेष्ठ समझे जाते हैं ।¹ कौटिल्य ने पुनः इन वर्णसंकर जातियों से उत्पन्न स्त्री पुरुषों के परस्पर सम्मिलन ने अनेक उपजातियों की भी चर्चा की है ।

कुक्कुट :- (दात्रिय शूद्रा से उत्पन्न) उग्र पुरुष द्वारा निषाद जाति की स्त्री में उत्पन्न बालक कुक्कुट कहलाता है ।

पुल्क्स :- निषाद पुरुष से उग्रा स्त्री में उत्पन्न बालक पुल्क्स कहलाता है ।

वैण :- अम्बष्ठ पुरुष से वैदेहिका स्त्री में उत्पन्न बालक वैण कहलाता है ।

कुशीलव :- वैदेहक पुरुष से अम्बष्ठा स्त्री में उत्पन्न बालक कुशीलव कहलाता है । इसी प्रकार उग्र दात्ता से श्वापक आदि आवन्तर संकर जातियों के सम्बन्ध सम्पन्ना चाहिए । वैप्य कर्म करने से रथकार कहा जाता है ।²

कौटिल्य का मत है कि जब राजा धर्म भ्रष्ट हो जाता है तभी ये प्रतिलोभ वर्णसंकर सन्तानें पैदा होती हैं । उक्त संकर वर्णों का विवाह अपनी ही जाति में होना चाहिए । वे धर्म का निर्णय करने में अपने पूर्वजों का अनुगमन करें । चाण्डालों को छोड़कर सभी संकर जातियों का धर्म शूद्रों के ही समान सम्पन्ना चाहिए ।³ कौटिल्य का पुनः मत है कि इन सभी संकर जातियों में जायदाद का बराबर-बराबर हिस्सा होना चाहिए । इन्होंने कहा कि देश-जाति-संघ और गाँव को भी प्रमाण माना है जैसी वहाँ की धर्म नीति हो वैसा ही दाय विभाग मिले । मनु ने भी इसका समर्थन किया है⁴ ।

1- कौटिल्य अर्थशास्त्र, दाय भाग (3) 3.63. 7.5

2- ,, ,, 3. 63. 7. 7 उग्रान्नैबाधा कुक्कुटकः विपर्यये पुल्क्सः । वैदेहि कायाम्बष्ठाद् वैणः विपर्यये कुशीलवः । दात्तायामुग्राच्छ्वपाकः । इत्येतेऽन्ये चान्तरालाः । कर्मणा वैप्यो रथकारः ।

3- ,, ,, 3. 63. 7. 8 तेषां स्वयोनौ विवाह पूर्वविरगामित्वं वृत्तानुवृत्तं च स्वधर्मान् स्थापयेत् । शूद्रसंघर्माणो वा अन्यत्र चण्डालेषुः ।

अनुवादक - वाचस्पति गैरोला (पृ० 284)

4- मनुस्मृति 10. 15-39 ।

महाभारत¹ तथा याज्ञवल्क्य स्मृति में भी इसी प्रकार के विविध वर्णसंकर पुत्रों का वर्णन वर्ण जाति विवेक प्रकरण के अन्तर्गत किया गया है। इसमें भी अनुलोमज सन्तानों को श्रेष्ठ (उच्च वर्ण के पिता निम्न वर्ण की माता) तथा प्रतिलोमज पुत्रों को निन्दित कहा गया है।²

डा० पी०वी० काणे ने अपनी पुस्तक धर्मशास्त्र के इतिहास (1) में वर्णसंकर सन्तानों द्वारा उत्पन्न 172 जातियों, उपजातियों की विस्तृत चर्चा की है। यहाँ वर्ण संकर सन्तानों से उत्पन्न जातियों की चर्चा मात्र आपद्काल में कुल निर्माण के प्रसंग में किया गया है।

महाभारत में वर्णसंकर पुत्रों के विषय में कहा गया है कि यदि एक ब्राह्मण की चार भार्या में चारों वर्णों की हो तो उनमें से 2 पत्नियों ब्राह्मणी तथा दात्रिया के गर्भ से ब्राह्मण पुत्र उत्पन्न होता है किन्तु शेष दो वैश्या और शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुआ ब्राह्मण पुत्र क्रमशः माता की जातिवाले समभक्त जाते हैं। शूद्रा से उत्पन्न पारशव पुत्र को अपने कुल की सेवा करनी चाहिए, इस सेवा रूप आचार का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए।⁴ महाभारत में वर्णसंकर सन्तानों को बड़ा ही निन्दनीय तथा कुल विनाश का कारण माना गया है। महाभारत में एक स्थल पर वर्णन प्राप्त होता है कि माता-पिता के

1- महाभारत दान पर्व 48 . 15 (अनु० दामोदर सातवलेकर)

2- याज्ञवल्क्य स्मृति 1. 90- 1. 95 (वर्ण जाति विवेक प्रकरणम्)

3- पी०वी०काणे - धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग 1, पृ० 126-141 ।

4- महाभारत अनुशासन पर्व (दान पर्व) 48 . 4-5

परश्वाद् ब्राह्मणस्यैव पुत्रः ।

शूद्रपुत्रं पारश्वं तमाहुः ॥

शुश्रूषाण स्वस्य कुलस्य सस्यात् ।

स्ववरित्रं नित्यमथो न जह्यात् ॥

(अनुवादक - दामोदर सातवलेकर)

व्यतिक्रम से ये वर्णसंकर जातियाँ उत्पन्न होती है । इनमें से कुछ की जातियाँ गुप्त होती हैं, इनको कर्मों से ही पहचानना चाहिए¹ । जोत जातिक्रम का विचार न करके स्वेच्छानुसार अन्य वर्णों की स्त्रियों के साथ समागम करते हैं तथा जो यज्ञों के अधिकार और साधु पुरुषों द्वारा बहिष्कृत है ; ऐसे वर्ण बाह्य मनुष्यों से ही वर्ण संकर सन्ताने उत्पन्न होती हैं और वे अपनी रुचि के अनुकूल जीविका के लिए भिन्न-भिन्न कार्य करते हैं² ।

महाभारत में वर्णसंकर सन्तानों से सतर्क रहने को कहा गया है क्योंकि वे कुल का नाश कर देते हैं । इसमें कहा गया है कि ऋषि मुनियों का मत है कि बाह्य जातियों की स्त्रियों में मनुष्य को अपने हितार्थित की भलीभाँति विचार करके ही सन्तान उत्पन्न करनी चाहिए ; क्योंकि नीच योनि में उत्पन्न हुआ पुत्र भवसागर से पार जाने की इच्छा वाले पिता को उसी प्रकार डूबो देता है जैसे गले में बंधा पत्थर तैरनेवाले मनुष्य को नदी में डूबो देता है ।

महाभारत में वर्ण के निर्धारण में कर्म की प्रसुमता को महत्त्व दिया गया है । इसमें वर्णन है कि मनुष्य अपने शुभाशुभ कर्म, शील, आचरण और कुल के द्वारा अपना परिचय देता है यदि उसका कुल नष्ट हो गया हो तो भी वह अपने कर्मों द्वारा फिर शीघ्र ही प्रकाश में ला देता है³ । इस प्रसंग में विश्वामित्र का दृष्टान्त उल्लेखनीय है जो दान्त्रिय होकर भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर ब्राह्मण वंश के प्रवर्तक हुए⁵ ।

1- महाभारत अनुशासन पर्व (दान पर्व) 48 .29

इत्येते संकरे जाताः पितृमातृव्यतिक्रमात् ।
प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितयाः स्वकर्मभिः ॥

2- ,, ,, 48 . 31 यदृच्छयोप सम्पन्नेऽर्थज्ञ साधु बहिष्कृतैः ।
बाह्या बाह्येष्व जायन्ते यथावृत्ति यथाश्रयम् ॥

3- ,, ,, 48 . 37

4- ,, ,, 48 . 49 आत्मानमाख्याति हि कर्म निर्भरः
सुशील चरित्र कुलैः शुभाशुभैः ।
प्रवष्टप्रप्याशु कुलं तथा नरः
पुनः प्रकाश कुरुते स्वकर्मतः ॥

5- ,, ,, 48 . 4 ततो ब्राह्मणता या तो विश्वामित्रो महातपाः ।
दान्त्रियः सोऽप्यथ तथा ब्रह्म वंशस्य कारकः ॥

जात्युत्कर्ष - जात्यपकर्ष :-

गौतम का मत है कि आचार्यों के अनुसार अनुलोम लोग जब इस प्रकार का विवाह करते हैं कि वर उच्च वर्ण का हो और कन्या निम्न वर्ण की तो इसी क्रम में लगातार 7वीं या 5वीं पीढ़ी में जाति का उत्कर्ष होता है इसके विपरीत यदि कन्या उच्च वर्ण की हो और वर निम्न वर्ण का तो लगातार इसी क्रम से 7वीं या 5वीं पीढ़ी में जाति का अपकर्ष होता है अर्थात् बच्चे निम्न वर्ण के हो जाते हैं।¹ हरदत्त ने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है - जब एक ब्राह्मण एक द्वात्रिंश नारी से विवाह करता है तो उत्पन्न कन्या सवर्णा कहलायेगी, यदि सवर्णा कन्या लगातार सात या पाँच पीढ़ियों तक ब्राह्मण से विवाह किया जाय तो वह पाँचवीं या सातवीं पीढ़ी में ब्राह्मण हो जायेगी। इसे जाति का उत्कर्ष या उत्थान कहते हैं। इसके विपरीत यदि ब्राह्मण द्वात्रिंश नारी से विवाह करता है तो उत्पन्न पुत्र सन्तान सवर्ण होगा और लगातार सवर्ण पुत्र द्वात्रिंश कन्या से विवाह करे तो 5वीं या 7वीं पीढ़ी में वे द्वात्रिंश वर्ण प्राप्त करेगा इसे जाति का अपकर्ष या पतन कहते हैं।²

मनु ने इसका समर्थन किया है। इनका मत है-ब्राह्मण शूद्रा से उत्पन्न कन्या का विवाह ब्राह्मण से हो तो लगातार यही क्रम 7वीं पीढ़ी में ब्राह्मण कहलायेगा और नीच योनी से उसका उद्धार हो जायेगा।³

याज्ञवल्क्य ने जाति निर्धारण में कर्म विवाह के साथ-साथ कर्म को आधार माना है। कर्म के आधार की व्याख्या में उनका मत है कि आपत्ति काल में दूसरी निम्न जाति का कर्म स्वीकार करने पर आपत्तिकाल समाप्त होने पर भी जो उस वृत्ति को नहीं छोड़ता उसकी जाति 7वीं या 5वीं पीढ़ी में उसी निम्न जाति की हो जाती है जिसका वह कर्म करता है।

1- गौतम 4. 18-19 वर्णान्तरगमनमुत्कर्षापकर्षाभ्यां सप्तमे पञ्चमे वाचार्याः ।
सुष्टयन्तरजातानां च ।

2- दृष्टव्य पी०वी०काणे - धर्मशास्त्र का इतिहास , पृ० 121, 122

3- मनुस्मृति 10. 64 शूद्राया ब्रह्मणाज्जातः श्रेयसा चेत्प्रजायते ।

अश्रेयान् श्रेयसीं जातिं गच्छत्यासप्तमाधुगात् ॥

4- याज्ञवल्क्य स्मृति 1. 96 जात्युत्कर्षो युगे ज्ञेयः सप्तमे पञ्चमेऽपि वा ।
व्यत्यये कर्मणां साम्यं पूर्ववच्चा धरोत्तरम् ॥

इस प्रकार से ऐसा ज्ञात होता है कि इस समय भी वर्ण निर्धारण में कर्म प्रमुख तत्व था । वर्ण व्यवस्था का स्थान जातियाँ ले रही थी जो विविध कर्मों में संलग्न थी ।

राबर्ट लिंघट का मत है कि जातियों का उद्भव वर्णश्रंकर सन्तानों द्वारा हुआ । चारों वर्णों के मिश्रण से जातियाँ बनी । इस तथ्य को स्वीकार करते हुए उन्होंने धर्म सूत्रों के साक्ष्य को प्रामाणिक बताते हुए कहा
ब्रह्म ब्राह्मण पिता वैश्य माता से अम्बष्ठ

ब्राह्मण पिता शूद्रा माता से निष्ठाद, पारशव

ये सब एक विशेष जाति के जन्मदाता थे इनका अलग ही कार्य था । इसी प्रकार से कई जातियों का उद्भव उच्च वर्ण की माता तथा निम्न वर्ण के पिता के संयोग से हुआ जैसे -

दात्रिय पिता ब्राह्मण माता का पुत्र सूत

वैश्य पिता दात्रिय माता का पुत्र मगध

शुद्ध पिता ब्राह्मणी माता का पुत्र चाण्डाल

वैश्य पिता शूद्र माता का पुत्र रथकार ।¹

इस प्रकार से असमान सम्बन्धों से नयी-नयी जातियाँ उत्पन्न हुई । इसी प्रकार से यवन और इण्डोग्रीक की मिश्रित सन्तानों के शूद्र (विदेशी आक्रामक) पिता और दात्रिय की माता से उत्पन्न वर्णश्रंकर सन्ताने हुई ।

लिंघट के अनुसार जो ब्राह्मण शूद्र पत्नी रखता था वह मात्र स्वयं सुख के लिए थी न कि पूजा-पाठ में सहयोग के लिए । वशिष्ठ धर्मसूत्र को प्रामाणिक मानते हुए कहा है कि द्विजों का शूद्रों से विवाह उनके पतनोन्मुख दशा का परिचायक है जो उन्हें स्वर्ग से विमुख कर देता है । उन्होंने मनुस्मृति

1- राबर्ट लिंघट - द क्लासिकल ला आंव इण्डिया, पृ० 33-42

गौतम 4. 17, बौधायन 1. 16. 8. 17. 7-8,

और याज्ञवल्क्य स्मृति पर जोर देकर अपने मत की पुष्टि में कहा है कि मिश्रित जाति में जब पिता उच्च वर्ण का हो माता निम्न वर्ण की हो तो जाति का उत्कर्ष 6 पीढ़ी में होता है और यदि माता उच्च वर्ण की हो पिता निम्न वर्ण का हो तो जाति का अपकर्ष 6 पीढ़ी में होता है ।'

इस प्रकार से कुल की निरन्तरता बनाये रखने के लिए आपद्कुल धर्म का निवेशन धर्मसूत्रकारों और स्मृतिकारों ने की जिससे वर्ण व्यवस्था लुप्त प्राय हो गयी और वर्ण संकरता तथा जातियों का प्रादुर्भाव हुआ ।

1- राबर्ट लिट - द क्लासिकल लॉ ऑव इण्डिया, पृ० 42

मनु० 64-65

याज्ञ० 1.96

राज धर्म

ईसा जन्म के पूर्व एवं पश्चात् कुछ शताब्दियों को छोड़कर एक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था ही विद्यमान थी और भारतीय ग्रंथकारों ने सामान्यतः एक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था का ही प्रतिपादन किया, इसका परिणाम यह हुआ कि राजा अन्त में शासन एवं राज्य का ही पर्यायवाची हो गया। राजनीतिज्ञों ने प्रजातन्त्र एवं अल्पजन शासित व्यवस्था की व्याख्या भी कहीं उपस्थित नहीं की। राजा एवं सामान्य प्रजा के बीच में न तो कोई शक्तिशाली एवं विरोधी वर्ग था और न कोई संस्था। भारत की ही तरह से यूरोप में भी 15वीं, 16वीं शताब्दी तक छोटी-छोटी राजतन्त्रात्मक शक्तियों में मूठभेड़ होती रहती थी और वे एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे।

भारत में ईसा जन्म के उपरान्त की प्रथम शताब्दी से लेकर ग्यारहवीं शताब्दी तक सिथियन, हूणों, मुस्लिमों के लगातार आक्रमण हुए और भारत में कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो सभी राजाओं को एकता के सूत्र में आबद्ध कर उनका सामना कर सके।¹

प्राचीन भारतीय राजनीतिशास्त्र का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में राज्य का तात्कालिक ध्येय था ऐसी वशार्थ एवं वातावरण उत्पन्न कर देना कि सभी लोग शान्ति एवं सुखपूर्वक जीवन यापन कर सकें, अपने-अपने व्यवसाय कर सकें, अपनी परम्पराओं रूढ़ियों एवं धर्म का पालन कर सकें, निर्धरोध अपने कर्मों एवं अपनी अर्जित सम्पत्ति का फल भोग सकें। वास्तव में राजा शान्ति सुव्यवस्था एवं सुख की दशाओं को उत्पन्न करने का साधन था जो ईश्वर से सहज रूप में प्राप्तमाना जाता था। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ के आरंभ में ही कहा है 'राजा को यह देखना चाहिए कि लोग कर्तव्यच्युत न हों, क्योंकि जो अपने धर्म में तत्पर रहता है और

1- पी०वी०काणो - धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग 2, पृ० 699-701।

आर्यों के लिए जो नियम बने हैं उनका पालन करता है तथा वर्ण एवं आश्रम के नियमों का सम्मान करता है वह इहलोक एवं परलोक दोनों में प्रसन्न रहता है।¹

‘ राजधर्म ’ विषय **३** को स्पष्ट करने के पूर्व यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ‘ राजा ’ शब्द का अर्थ क्या है । कैसा व्यक्ति राजा हो सकता है । राजत्व का सिद्धान्त क्या है ?

ऋग्वेद और अथर्ववेद के कुछ स्थलों पर ‘ राजा ’ के चुनाव की चर्चा प्राप्त होती है । ऋग्वेद में वर्णन है सभी लोग तुम्हें राजा की भाँति² चाहे । अथर्ववेद में वर्णन है लोग राज्य करने के लिए तुम्हें चुनते हैं, ये दिशाएँ ये पंचवेदियां तुम्हें चुनती हैं ।³ भद्र लोग राज निर्माता या राजा के कर्ता, सूत ग्राम मुखिया, ददा, रथकार, कुशल धातु निर्माता राजा को चुनते थे ।³ तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णन है, ‘ राजा के निर्माता (राजकर्ता) को रत्निना⁴ कहा गया है, ‘ रत्नी लोग राष्ट्र (राज्य) राजा को देते हैं ।⁴ रामायण के अयोध्या काण्ड में वर्णन है राजा दशरथ ने राम को युवराज पद देने के लिए सामन्तों, नागरिकों, ग्रामिकों आदि की सभा बुलाई थी । उन सभी लोगों ने राम के पदा में अपना अभिमत दिया था ।⁵ महाभारत के आदिपर्व में वर्णन है परीक्षित के मृत्यु के उपरान्त राजधानी के सभी नागरिकों ने जनमेजय को⁶ राजा बनाया, जो मंत्री और पुरोहित की की सहायता से राज्य किया था ।

1- कौटिल्य अर्थशास्त्र, 1. 3, 1. 4

2- ऋग्वेद 10. 173 ।

3- अथर्ववेद 3. 4. 2 त्वा विशो वृणता राज्याय त्वाभिन्नाः प्रदिशः पञ्च देवीः ।

3. 5. 7 ये राजानो राजकृत्तः सूता ग्रामण्यश्च ये ।
उपस्तीन् पर्णा मह्यं त्वं सर्वान् कृत्वभिन्नो जनान् ॥

4- तैत्तिरीय ब्राह्मण 1. 7. 3 रत्निनामेतानि हवीणि भवन्ति । एते वै
राष्ट्रस्य प्रदातारः

5- रामायण अयोध्या काण्ड 1,2

6- महाभारत, आदिपर्व, 44. 6

प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने लिखा है कि राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद मुख्य मंत्री मण्डी ने मंत्रियों की एक सभा की और मंत्रियों और न्यायाधिकारियों ने हर्ष को राजा बनाया । इसी प्रकार से पल्लव राजा परमेश्वर वर्मा की मृत्यु के बाद प्रजा ने राजा को चुना था ।¹

इस प्रकार की व्यवस्था में इसी द्वारा उद्घोषित सामाजिक समझौते के सिद्धान्त की फलक मिलती है । इसके मूल में सरकार में जनता की स्वीकृति की फलक मिलती है ।

राजनीति शास्त्रज्ञों ने राजा में दैविक गुणों को भी स्वीकृत किया है । मनुस्मृति में वर्णन है कि राजा² में इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा और कुबेर के अंश होते हैं । लगभग इसी प्रकार का मत याज्ञवल्क्य का भी है ।

श्री जे०एन०फिगिंगस ने अपनी पुस्तक में दैवीय अधिकारों के चार प्रमेय स्वीकृत किये हैं-

- 1- राजा दैवी है
- 2- राजत्व पर आनुवंशिक अधिकार
- 3- राजा पूर्णरूपेण स्वतन्त्र है परमेश्वर के समझा उत्तरदायी है ।
- 4- राजा का प्रतिरोध करना पाप है ।^{4 5}

1- पी०वी०काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग 2, पृ० 591

2- मनुस्मृति 7. 4 इन्द्रनिलयमाकर्णामगनेश्व वरुणस्य च ।

चन्द्रविदेशयोश्चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वतीः ॥

3- याज्ञवल्क्य स्मृति 1. 350

4- जे० एन० फिगिंगस - द डिवाइन राइटर्स ऑफ किंग्स, पृ० 5. 6
वर्ष 1934 ।

हरिवंश तथा कुछ पुराणों में ऐसा वर्णन है कि कलियुग में अधिकतर शूद्र राजा होंगे और वे अश्वमेध यज्ञ करेंगे । ¹ ~~वेद-संघ~~ ने अपने याज्ञा वृद्धान्त में उल्लेख किया है कि सातवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सिंध पर शूद्र राजा राज्य करेगा ।

कई स्थलों पर राज्य शासन स्त्रियों के अधीन भी देखा गया है । शान्तिपर्व में वर्णन है कि विजित देश के सिंहासन पर राजा के भाई पुत्र या पौत्र को बैठाना चाहिए किन्तु राजकुमार के न रहने पर भूतपूर्व राजा की पुत्री को यह पद मिलना चाहिए । ² तेरहवीं शताब्दी के गंगाम ताप्रपत्र ने शुभाकर के मर जाने पर उसकी रानी तथा पुत्री इण्डी महादेवी के राज्य पद सुशोभित करने का वर्णन किया है और इण्डी महादेवी को ' परम भट्टारिका महाराजाधिराजपरमेश्वरी ' की उपाधि दी है ।

राजत्व बहुधा अनुवंशिक होता था ज्येष्ठ पुत्र को मिलता था किन्तु कभी-कभी योग्यता के बल पर छोटे पुत्र भी प्राप्त कर लेते थे (जैसे रामगुप्त का राज्य, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने प्राप्त किया था) संभवतः इसी प्रकार के सिद्धान्त भारत में भी प्रचलित रहे होंगे जो सामाजिक समकालीन और दैवी अधिकारों का मिला-जुला रूप रहा होगा ।

राजा कौन होगा ? यह भी एक तथ्यसंगत प्रश्न है । राजा शब्द का एक अर्थ है दात्रिय मनु का मत है यथाविधि यज्ञोपवीत संस्कार पाये हुए दात्रिय राजा को न्यायपूर्वक सभी प्रजाओं की रक्षा करनी चाहिए । ³ कुल्छूक के अनुसार ' राजा ' शब्द किसी भी जाति के व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो सकता है । जो व्यक्ति प्रजा रक्षा का कार्य करता है वह राजा है ।

1- हरिवंश पुराण 3. 3. 6
मत्स्य पुराण 144. 40, 43
लिङ्ग पुराण 40. 7. 42

2- शान्ति पर्व 33. 43, 45

3- मनुस्मृति 7. 2 ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं दात्रियेण यथाविधि ।
सर्वस्यास्य यथान्यार्य कर्त्तव्यं परिरक्षाणम् ॥

यही बात अवेष्टि नामक इष्टि के संपादन के विषय में भी कही गयी है। अवेष्टि राजसूय यज्ञ का एक प्रमुख अंग है। राजा राजसूय यज्ञ करता था। अवेष्टि के संपादन के सिलसिले में ब्राह्मणों, द्रात्रियों एवं वैश्यों की घी चर्चा हुई है। इससे प्रकट होता है कि राजसूय करनेवाला राजा किसी भी जाति का हो सकता है।

बहुत से ब्राह्मण वंशों ने राज्य एवं साम्राज्य स्थापित किये थे। शुंग साम्राज्य का संस्थापक पुष्यमित्र ब्राह्मण जाति का था। शुंगों के उपरान्त कण्वों, वाकाटकों तथा कण्व आदि ब्राह्मण वंशों ने राज्य किया था। जैमिनी की व्याख्या में कुमारिल ने लिखा है कि सभी जातियों के लोग शासक होते हुए देखे गये हैं।

पालवंश का संस्थापक गोपाल शूद्र था। मनु ने लिखा है कि शूद्र द्वारा शासित देश में वास न करे +.....।

प्रायः सभी राजनीति शास्त्रज्ञों ने राज्य के सात अंग बतलाये हैं -

- 1) स्वामी (सम्राट या राजा)
- 2) अमात्य
- 3) जनपद या राष्ट्र
- 4) दुर्ग
- 5) कोश
- 6) दण्ड (सेना)
- 7) मित्र ।

1- हरिवंश पुराण, 3. 2. 35

2- जैमिनि 2. 3. 3

3- मनुस्मृति 4. 61 न शूद्रराज्ये निवसेन्नाधार्मिकजनाकृते

4- कौटिल्य 6. 1 - स्वाम्यमात्यजनदुर्ग कोशदण्डमित्राणि प्रकृतयः ।

याज्ञवल्क्य 1. 353, मनु 9. 294, शान्तिपर्व 69. 64-65 ।

राज्य के इन अंगों को प्रकृति भी कहा जाता है । राजनीतिज्ञों ने शासक (राजा) को सत्सप्त सप्तांगों में सर्वश्रेष्ठ कहा है । कौटिल्य का मत है कि राजा ही मंत्रियों, कर्मचारियों एवं अधीक्षकों की नियुक्तियाँ करता है वही अन्य प्रकृतियों पर विपत्तियाँ धहराने पर दुःखमोचन करता है । राजा जिस स्वभाव का होता है उसकी प्रकृतियाँ भी वैसी ही हो जाती है । राजा पर ही उसकी प्रकृतियों का अम्युदय एवं पतन निर्भर होता है ।¹

शुक्नीतिसार ने लिखा है यदि राजा ममाना कार्य करता है तो इससे विपत्तियाँ धहराती है, मन्त्रियों की हानि होती है और अन्त में राज्य का नाश हो जाता है ।² इसमें राज्य के सप्तांगों की तुलना शरीर के अंगों से की है यथा राजा सिर है, मन्त्री लोग आँखें हैं, मित्र कान हैं, कोश मुख है, बल (सेना) मत्त है, दुर्ग (राजधानी) एवं राष्ट्र हाथ एवं पैर है । कामन्दक ने लिखा है कि सातों अंग एक दूसरे के पूरक हैं यदि एक अंग भी दोषपूर्ण हुआ तो राज्य ठीक से चल नहीं सकता ।⁴ शान्तिपर्व ने भी सभी अंगों की महत्ता स्वीकृत की है । मनु ने राज्य के सप्तांगों की तुलना सन्यासी के त्रिदण्ड से की है, राज्य के ये सात अंग परस्पर एक दूसरे के उपकारी होने के कारण सन्यासी के त्रिदण्ड की तरह सभी एक दूसरे से मिले हुए और समान हैं ।⁵

1- कौटिल्य 127 . 1 . 8 . 1

नेति कौटिल्यः तत्कूट स्थानीयो हि स्वामी

2- शुक्नीतिसार 2 . 4

3- शुक्नीतिसार 1 . 61-62

दृष्टव्य - पी०वी०काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग 2, पृ० 586

4- कामन्दक 4 . 1-2

5- मनुस्मृति 9 . 296 - सप्ताङ्गस्येह राजस्य विष्टब्धस्य त्रिदण्डवत् ।
अन्योन्यगुणवैशेष्यान्न किञ्चिदतिरिच्यते ॥

आपद्‌राजधर्म

आपत्ति काल में राजा का धर्म क्या है इस विषय में विस्तृत वर्णन हमें कौटिल्य अर्थशास्त्र, मनुस्मृति तथा महाभारत में प्राप्त होता है। कोण, बल, धर्म इन तीनों की रक्षा करना राजा का प्रमुख कर्तव्य माना गया है। राजा का कोण नष्ट होने पर बल का नाश हो जाता है। अतएव निर्जल स्थान में जल उत्पन्न करने के समान जिस तरह हो सके धन संग्रह करना चाहिए। आपत्तिकाल टल जाने पर प्रजा पर दया करना राजा का धर्म है।¹ राजा को वही कार्य करना चाहिए जिसको करने से धर्म को कोई हानि न हो और जिससे अपने को शत्रु के हाथ में न पड़ना पड़े। अपने को विपत्ति में डालना कदापि उचित नहीं है। विपत्ति आ पड़ने पर कोण, दण्ड, बल, मित्र और अन्यान्य संचित द्रव्य राज्य की रक्षा में लगाना राजा का प्रधान कर्तव्य है। अपना धन खर्च करके राज्य की रक्षा करनी चाहिए।²

आपद्‌काल से रक्षा के लिए राजा के गुणों की चर्चा :-

किसी भी राज्य का उत्थान पतन राजा के ही गुणों पर निर्भर करता है। साधारण अवस्था में राजा प्रजा के सुख सुविधाओं और उत्थान के कार्यों में संलग्न रहता है। वह प्रजा के भौतिक तथा अध्यात्मिक उन्नति की चिन्ता करके विविध सुविधाओं को प्रदान करता है।

1- महाभारत शान्तिपर्व, आपद्‌धर्मपर्व 130. 9. 13

कोशं च जनयेद् राजा निजलिप्त्यो यथा जलम् ।

कालं पाप्यानुगृह्णीयदेशं धर्मः सनातनः ॥

उपायं धर्मं प्राप्येत् पूर्वैरचितं जनैः ।

2- ,, ,, 130. 9. 17

कौटिल्य अर्थशास्त्र से पता चलता है कि दामाशील राजा को चाहिए कि वह वर्तमान और भविष्य में बिना किसी शंका के उचित रूप में अपने तथा दूसरे के फल में गूढ़ दण्ड का प्रयोग करे ।¹ राजा को चाहिए कि वह दुष्ट पुरुषों का धन उसी प्रकार से ले ले जिस प्रकार वाटिका से पके फल को लिया जाता है किन्तु धर्मात्मा पुरुषों का धन वह उसी प्रकार छोड़ दे जैसे कच्चे फल को छोड़ दिया जाता है । कच्चे फल के समान धर्मात्मा पुरुषों से वसूला गया धन प्रजा के कोप का कारण बन जाता है ।² आय-व्यय का ध्यान रखनेवाले राजा पर कभी भी आर्थिक या सैनिक आपत्तियाँ नहीं आ पाती । यहाँ तक की भ्राता व जेतन के संबंध में बारीकी से विचार करना चाहिए ।³

राजा के अभिगामिक गुण :-

स्वामी (राजा) के गुणों के विषय में अर्थशास्त्र में वर्णन है कि महाकुलीन, दैवबुद्धि, धैर्यसम्पन्न, दूरदर्शी, धार्मिक, सत्यवादी सत्यप्रतिज्ञ, कृत्ज्ञ, उच्चाभिलाषी, बड़ा उत्साही, शीघ्रकार्य करनेवाला, सामन्तों को वश में करनेवाला वृद्धबुद्धि, गुण सम्पन्न, परिवारवाला और शास्त्र बुद्धि राजा के ये गुण अभिगामिक गुण कहलाते हैं ।⁴

1- कौटिल्य अर्थशास्त्र 89 . 1. 5. 1 (गैरोला, चौसम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 1984)

स्वफलो परफलो वा तूष्णी दण्ड प्रयोजयेत् ।

आयत्या च तदात्वे च दामावान विशद्वितः ॥

2- वही - 90 . 2. 5. 3

पक्वं पक्वमिषारामात् फलं राग्यादवाप्नुयात् ।

आत्मच्छेवभ्यादार्यं वज्येत् कोपकारकम् ॥

3- वही - 91 . 3. 2 - एवमेवेदिताचव्यायः कोशदण्डव्यसनं नावाप्नोति ।

91 . 3. 3 - इतिभ्रवेतन विकल्पः ।

4- वही - 96 . 1. 2 - महाकुलीनो दैव बुद्धिसत्त्वसम्पन्नो वृद्धदर्शी धार्मिकः

सत्यवागविसर्वादकः कृत्ज्ञः स्थूलद्रोहो महोत्साहोद्धीर्ध, सूत्रः

शक्यसामन्तो वृद्धबुद्धिरुद्ग परिणक्तो विनयकाम इत्याभिगामिका

गुणाः ।

राजा के प्रज्ञा गुण : -

शास्त्र चर्चा शास्त्रज्ञान, प्रत्येक बात को ग्रहण कर लेना, ग्रहण की हुई बात को याद रखना, ग्रहण की हुई बात का विशेष ज्ञान, तर्क, कितर्क द्वारा किसी बात के तह को पकड़ना, दुरे पक्ष को त्यागना और गुणियों के पक्ष को ग्रहण करना आदि राजा के प्रज्ञा गुण कहलाते हैं ।¹

राजा के उत्साह गुण :-

शौर्य, अर्मण, द्वाप्रकारिता और क्दाता ये चार गुण उसके उत्साह गुण कहलाते हैं ।²

आत्म सम्पन्न राजा :-

बाग्भी, प्रगल्भ, स्मरणशील, बलवान, उन्नतमन, संयमी, निपुण सवार, विपत्तिग्रस्त शत्रु पर आक्रमण करनेवाला, विपत्ति के समय सेना की रक्षा करनेवाला किसी के उपकार या अपकार का यथोचित प्रतीकार करनेवाला लज्जावान, दुर्भिक्षा, सुभिक्षा के समय अन्नादि का उचित विनियोग करनेवाला दीर्घदर्शी, दूरदर्शी, अपनी सेना का युद्धोचित देशकाल उत्साह एवं कार्य को स्वयं देखनेवाला, संधि के प्रयासों को स्वयं सम्पन्न करनेवाला ; युद्ध में चतुर, सुपात्र के दान देनेवाले, प्रजा को कष्ट दिये बिना ही कोण बढ़ानेवाला, शत्रु के व्यसनों से लाभ उठानेवाला, अपने मंत्र को गुप्त रखनेवाला दूसरे की हँसी न उड़ानेवाला, टेढ़ी भाँहि करके न देखनेवाला, काम-क्रोध-लोभ-मोह

1- कौटिल्य अर्थशास्त्र ,96.1. 3 (गैरोला, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 1984)

शुश्रूषा श्रवणग्रहण धारण विज्ञानोहापोद्धतत्वाभिनिवेशा प्रज्ञागुणाः ।

2- वही, 96. 1. 4

शौर्यमर्मणः शीघ्रता दादय चोत्साहगुणाः ।

चपलता, उपताप, एवं चुगलखोरी से सदा अलग रहनेवाला, प्रियभाषी, ईसम्बल, उदारभाषी और वृद्धजनों के उपदेशों एवं आचारों को माननेवाला, इन गुणों से युक्त राजा आत्म सम्पन्न कहा जाता है ।

आत्म सम्पन्न राजा गुणहीन प्रकृतियों को भी गुणी बना लेता है और आत्म सम्पन्नहीन राजा गुण समृद्ध तथा अनुरक्त प्रकृतियों को भी नष्ट कर देता है ² । यही कारण है कि दुष्ट प्रकृति राजा चारों समुद्र पर्यन्त पृथ्वी का अधिपति होता हुआ भी या तो अपनी प्रकृतियों द्वारा विनष्ट हो जाता है या शत्रु के कब्जे में चला जाता है ³ । किन्तु आत्म सम्पन्न राजा नितिज्ञ होकर थोड़ी भूमि का स्वामी होता हुआ भी आत्म प्रकृति के द्वारा सारी पृथ्वी का अधिपत्य प्राप्त कर लेता है और कभी भी दाीण नहीं होता है ⁴ । कौटिल्य द्वारा वर्णित राजा के गुणों की व्याख्या

-
- 1- कौटिल्य अर्थशास्त्र 96. 1. 5 - वाग्भी प्रगल्भः स्मृतिमति बलवानु
द्रगः स्वग्रहः कृतशिल्पी व्यसने दण्डनायुयुपकारापकारयो
दुष्टप्रतिकारी स्त्रीमानापत्प्रकृत्योर्विनियोक्ता दीर्घदूरदर्शी
देशकाल पुरुषकार कार्य प्रधानः सन्धिविक्रमत्यागसंयमपण
परच्छिद्रविभागी संवृतादीनाभिहास्यजिहनभ्रुकुटीदाणः कामक्रोध-
लोभस्तम्भ चापलोपताय पैशुन्यहीनः शक्यः स्मियोग्रामिभाषी
वृद्धोपदेशाचार इत्यात्यसम्पत् ।
(गैरोला, चौसम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 1984)
- 2- कौटिल्य अर्थशास्त्र 96. 1. 2 सम्पादयव्यसम्पन्नाः प्रकृतीरात्मवान्नुप
विवृद्धाधानुरक्ताश्च प्रकृतीर्हन्त्यनात्मवान् ।
(गैरोला, चौसम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 1984)
- 3- ,, ,, 96. 1. 3 ततः स दुष्ट प्रकृतिश्चातुरन्तोदप्यनात्यवान् ।
हन्त्ये वा प्रकृतिर्भ्याति वा द्विगता वशम् ।
- 4- ,, ,, 96. 1. 4 आत्मवास्त्वल्पदेशोपि युक्तः प्रकृतिसम्पदा
नयज्ञः पृथ्वीं कृत्स्नां जयत्येव न हीयते ॥

मनु¹, महाभारत के राजधर्म पर्व² तथा याज्ञवल्क्य स्मृति³ में भी किया गया है। एम०वी० कृष्णाराव का मत है कि ग्रीक और भारतीय राजत्व के नियम में आश्चर्यजनक समता है। प्लेटों का मत है कि परसियन राजा को शिक्षा देने के लिए चार प्रकार के शिक्षाक होने चाहिए जैसे (1) बहुत होशियार (2) बहुत न्यायिक (3) बहुत ज्ञानी (4) बहुत बड़ा योद्धा। पहला शिक्षाक उसे सिखाता था कि जोरेस्टर से प्रेम करो, दूसरा शिक्षा देता था कि सत्यप्रिय बनो, तीसरा सिखाता था कि किसी चीज की लत न पालो और चौथा शिक्षाक भय मुक्त करता था। इस प्रकार का स्वतन्त्र और निष्पक्ष राजा किसी का दासत्व न स्वीकार करे।⁴

राजा ही युग निर्माता है :-

मनुस्मृति में वर्णन है कि सत्ययुग त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलियुग में चारों राजा के ही वैष्टा विशेष (आचार व्यवहार) से होते हैं अतएव राजा ही युग कहलाता है, ऐसा विचारकर राजा को कार्यारम्भ से उदासीन कभी नहीं होना चाहिए।⁵

सोते हुए (अज्ञान, आलस्य के कारण उद्यमहीन) राजा के होने पर कलियुग, जागते हुए किन्तु कर्म न करते हुए अवस्था में द्वापर, कर्म में लगे हुए (सन्धि-विग्रह) होने पर त्रेता और शास्त्रानुसार विचरण करने पर सत्ययुग होता है।⁶

1- मनुस्मृति 9.2.98-9.300

2- महाभारत शांति० राजधर्म पर्व 84.46-86.18

3- याज्ञवल्क्य स्मृति 13.309-311 महोत्साह
अनु० उमेश चन्द्र पाण्डे । नं० रांधिपं:

4- एम०वी० कृष्णाराव, स्टडीज़ इन कौटिल्या, पृ० 119

5- मनुस्मृति 9.301 कृत् त्रेतायुगं चैवद्वापरं कालरेव च ।

राज्ञो वृद्धानि सर्वाणि राजा हि युग-मुच्यते ॥

6- ,, 9.302 कलिः प्रसुप्तो भवति स जाग्रद्वापरं युगम् ।

कर्मस्वभ्युधत्तत्रेता विवरस्तु कृत् युगम् ॥

राजा में दैवीय गुणों का समावेश :-

राजा को इन्द्र, सूर्य, वायु, यम, वरुण, चन्द्रमा, अग्नि और पृथ्वी के तेज का आचरण करना चाहिए । राज्य के कण्टकभूत चोर आदि को वश में करने के लिए इण्ड, प्रताप तथा स्नेह दोनों का ही सम्यानुसार कार्यों में प्रयोग करना चाहिए । इन उपायों के युक्त होकर राजा नित्य² निरालस्य होकर राजा स्वदेशीय और परराष्ट्रीय चोरों का दमन करे ।

महाभारत के शान्तिपर्व, राजधर्मपर्व में भी राजा के सामान्य धर्मों का वर्णन किया गया है । इसमें वर्णन है कि राजा प्रसन्न होने से देवता की भाँति सब अर्थों को सिद्ध करता है और क्रुद्ध होने पर अग्नि की भाँति जड़ सहित भस्म करता है ।³

मत्स्य पुराण में भी राजा में दैवीय गुणों की परिकल्पना की गयी है कि राजा को इन्द्र, सूर्य, वायु, यम, वरुण, चन्द्र, अग्नि और पृथ्वी के तेजोवृत्त का आचरण करना चाहिए ।

1- मत्स्यपुराण 9. 303 - इन्द्रस्यार्कस्य वायोश्च यमस्य वरुणस्य च ।

9. 304 से 311 - चन्द्रस्याग्नेः पृथिव्याश्च तेजोवृत्त नृपश्चरेत् ॥

गणेशदत्त पाठक, ठाकुर प्रसाद एण्ड संस, वाराणसी, संवत् 2031 ।

2- ,, 9. 312 - स्तेरुपायैरन्यैश्च युक्तो नित्यमन्द्रितः ।

स्तेनान् राजा निगृह्णीयात् स्वराष्ट्रे पर एव च ॥

3- महाभारत शान्तिपर्व , राज० 83. 31 देवदेव हिं सर्वार्थान्कुर्याद्राजा प्रसादितः

वैश्वानर इव क्रुद्धः समूलमपि निर्वहति ॥

वामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, बलसाड, 1964 ।

4- मत्स्यपुराण 104. 8,9

इन्द्रस्यार्कस्य वातस्य वरुणस्य च ॥

चन्द्रस्याग्ने पृथिव्याश्चते जो व्रत नृपश्चरेत् ।

इसका तात्पर्य है कि राजा देवताओं के समान कार्य करे । डा० काणे ने कई राजाओं का उद्धरण दिया जो अपने को देव कहते थे उनमें प्रमुख अशोक है जिसके अभिलेखों में उसको देवानांप्रिय कहा गया है । इसी प्रकार से कनिष्क तथा हुविष्क आदि कुशाण राजा अपने को देवपुत्र कहते थे किन्तु फिर भी राजा मनमाना शासन नहीं कर सकता था क्योंकि कुछ ग्रंथों में राजा को प्रजा का नौकर कहा गया है जिसे रक्षा करने के कारण वेतन स्वरूप कर दिया जाता है । एक ओर तो ऐसा कहा गया कि राजा को देवत्व प्राप्त है दूसरे ओर उसे बुरा कर्म करने पर सिंहासनच्युत या मार डालने की व्यवस्था दी गयी है । ऐसी विपरीत धारणाओं के मूल में दो दृष्टिकोण थे । ग्रन्थकारों ने वर्णों एवं आश्रमों की स्थिति को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए तथा आनेवाले कालों में सामाजिक कुव्यवस्था न उत्पन्न हो, लोग आदर करे इसलिए राजा को देवत्व प्रदान किया । किन्तु बुरे राजाओं एवं मंत्रियों के अत्याचारों का भी भय था । अतः राजा तथा उसके मंत्रियों को नारा एवं मृत्यु की धमकी भी दे दी गयी थी । शुक्र नीतिसार में वर्णन है यदि ब्राह्मण लोग अत्याचारी राजा को हटाकर मार डाले तो इस कर्म से पाप नहीं लगेगा।¹ अपने मन को वश में रखनेवाला बुद्धिमान और ऐश्वर्य वैभव की अभिलाषा करनेवाला राजा अपने मंत्री सेवकों के समस्त गुण दोषों की परीक्षा करे ।² अत्यन्त श्रेष्ठ योद्धा वेद जाननेवाले, परमपारंगत और अवष्कृत मनुष्यों को ही (अपनी उन्नति की इच्छा करनेवाले) राजा मंत्री करे ।³

1- डा० पी०वी०काणे - धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग 2, पृ० 589-590 ।

शुक्रनीति 4. 7. 332-333

बौधायन 1. 10. 1

कौटिल्य 10. 3

2- महाभारत शान्तिपर्व, राज० 84. 16 अत उर्ध्वममात्यानां परीक्षाते गुणागुणान् ।

~~मैश्वानर इव कृत्वा ब्रह्ममणि निवर्तित्वा~~

स्यतात्मा कृतप्रज्ञो भूतिकामश्च भूमिपः ॥

3- ,, ,, 84. 14 - योधाः स्तोवास्तथाः मौलास्तथैवान्येऽप्यवस्कृताः

कर्त्तव्या भूतिकामेन पुरुषेण बुभूषतः ॥

राजा किसी आपद् में किसी के दूत का कभी वध न करे क्योंकि दूत को मारनेवाला राजा अपने मंत्रियों के सहित नरक गामी होता है ।¹
 राजा स्वयं दूसरे का विश्वास पात्र होवे किन्तु दूसरे का कभी विश्वास न करे । ऐसा ही पुत्रों का भी विश्वास करना उत्तम नहीं है ।² राजा उस नगर में वास करके उस स्थान में कोण सेना मित्र और व्यवहार की सदा वृद्धि करे और पुर तथा जनपद स्थित सब दोषों का निवारण करे ।³
 जलाशय तलाब कूर्श उदपान बहुत जल से भरे हुए श्रेष्ठ तलाब दूधवाले कृता इन सब सामग्रियों की सदा निज नगर में रक्ता करे ।⁴ राजा स्वयं दूतों को मिलकर गुप्त सलाह करना कोण देखना विशेष करके गुप्त नीति की आलोचना करे क्योंकि राजा इन्हीं पर प्रतिष्ठित हुआ करता है ।⁵
 दीन, अनाथ, बूढ़े और विधवा स्त्रियों की जीविका तथा योग द्रोत्र का सदा प्रबन्ध करे ।⁶ धर्मशील राजा प्रजा का हितैषी होकर देश और काल

1- महाभारत शान्तिपर्व, राज० 86. 25

न तु हन्यान्नृपां जातु दूत कस्याचिदापदि ।

इतस्य हन्ता निरयमाविरोत्सचिवैः सः ॥

दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, बलसाड, 1984 ।

2- ,, ,, 86. 32 - विश्वासयेत्पराश्चैव विश्वसेत्र तु कस्यचित् ।
 पुत्रेष्वपि त्वं राजेन्द्र विश्वासो न प्रशस्यते ॥

3- ,, ,, 87. 11 तत्र कोशं बलं मित्रं व्यवहारं च वधयित् ।
 पुरे जनपदे चैप सर्वदोषान्निवतयित् ॥

4- ,, ,, 87. 15 आशयाश्चोदपानाश्च प्रभूतं सलिला वराः ।
 निरोद्धव्याः सदा राज्ञा क्षीरिणाश्च महीरुहाः ॥

5- ,, ,, 87. 20 चारान्मन्त्रं च कोशं च मंत्रं चैव विशेषतः ।
 अनुतिष्ठेत्स्वयं राजा सर्वहयत्र प्रतिष्ठितम् ॥

6- ,, ,, 87. 24 कृष्णानाथवृद्धानां विधवानां च योगिताम् ।
 योगक्षोभं च वृद्धिं च नित्यमेव प्रकल्पयेत् ॥

का ध्यान रखकर अपने बल के अनुसार प्रजा का शासन करे ।¹ जैसे बकड़े माता के स्तन को न काटकर केवल दूध दोहन करते हैं और जैसे लोग मधु भक्षियों को पीड़ित न करके मधु सेवन करते हैं वैसे ही राजा राष्ट्र रूपी गौ से धन ग्रहण करे ।²

राजा के सम्राट् कर्ष प्रकार की आपत्तियाँ हो सकती थी आन्तरिक विद्रोह, बाह्य युद्ध, प्राकृतिक कोप (बाढ़, महामारी) आर्थिक संकट आदि । एक नित्य राजा ही इन विविध संकटों से अपनी तथा राज्य की रक्षा कर सकता था । सामान्य रूप से आपद् राजधर्म कि चर्चा राज्य के विविध अंगों के परिप्रेक्ष्य में की गयी है ।

राजा की आपद्कालीन तत्त्वदर्शिता (दूरदर्शिता) :-

राजा भविष्य में जो संकट आनेवाला हो उसे पहले से ही जानने का प्रयत्न करे जो भय सामने उपस्थित हो जाय उसे दबाने का प्रयास करे । दबा हुआ भय भी पुनः बढ़ सकता है । इस डर से यही समझे कि अभी भी वह निवृत्त नहीं हुआ है ।³

महाभारत के शान्तिपर्व के आपद्धर्म पर्व में संकटकाल के परिहाण के विषय में 3 तत्त्वदर्शियों को दर्शित किया गया है । इसमें वर्णन है कि जो संकट काल आने के पहले ही अपने बचाव का उपाय कर लेता है

1- महाभारत शान्तिपर्व, राज० 89 . 2 यथादेशं यथाकालमपि चैव यथाबलम् ।

अनुशिष्यात्प्रजा राजा धर्माधी तद्धिते रतः ।

(दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, बलसाड़, 1984)

2- ,, ,, 89 . 4 मधुदोहं दुहेद्राष्टं भ्रमरान्न विपाकतयेत ।

वत्सापेक्षी दुहेच्चैव स्तनाश्च न विकुट्टयेत ॥

3- महाभारत शान्तिपर्व, आप० 140 . 35

अनागतं विधानीयाद् अच्छेद भयमुपस्थितम् ।

पुनर्वृद्धिमयात् किञ्चिद् निवृत्तं निशाम्येत् ॥

उसे अनागतविधात तथा जिसे ठीक समय पर ही आत्मरक्षा का उपाय सूक्तता है वह प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है । ये दो प्रकार के लोग ही सुख से अपनी उन्नति कर सकते हैं । परन्तु जो प्रत्येक कार्य में अनावश्यक विलम्ब करनेवाले दीर्घसूत्री मनुष्य का शीघ्र ही विनाश हो जाता है ।¹ जो पुरुष सोच समझकर या जानबूझकर काम करनेवाला तथा सतत सावधान रहनेवाला है । वह अभीष्ट देश और काल का ठीक-ठीक उपयोग करता है और उनके सहयोग से ही इच्छानुसार फल प्राप्त करता है ।²

जो पुरुष भय आने के पहले ही उसकी ओर से संशक रहते हैं उसके सामने प्रायः भय का अवसर ही नहीं आता । परन्तु जो निःशक होकर दूसरों पर विश्वास कर लेता है उसे सहसा बड़े भारी भय का सामना करना पड़ता है ।³

जो मनुष्य अपने को बुद्धिमान मानकर निर्भय विचरता है उसे कभी कोई सलाह नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह दूसरे की सलाह कभी नहीं सुनता । भय को न जानने की अपेक्षा उसको जाननेवाला ठीक है क्योंकि वह उसके बचने के उपाय जानने की इच्छा से परिणामदर्शी पुरुषों के पास जाता है । राजा को इन्हीं वृत्तियों का पालन आपदाकाल में करना चाहिए । प्राचीन विश्व की सभ्यताओं का अवलोकन करने पर राजा की सही स्थिति ज्ञात होती है ।

1- महाभारत शान्तिपर्व, आप० 137 . 1

अनागतविधात च प्रत्युत्पन्नमतिश्च यः ।

द्वादेव सुखमेधते दीर्घसूत्री विनश्यति ॥

2- ,, ,, 138 . 13

अमित्रो मित्रतां याति मित्रं चापि प्रदुष्यति ।

सार्थयुगोत्तमात् कार्याणामान्त्या वैसदागतिः ॥

3- ,, ,, 138 . 210

4- ,, ,, 138 . 211

अभीश्चरति यो नित्यं मन्त्रोद्धेयः कथंचन ।

अविज्ञानाद्धि विज्ञानो गच्छेदास्पददर्शिणु ॥

बेबीलोनियन सभ्यता में लोग मानते थे कि राजा देवताओं के समान पवित्र, दयालु, बुद्धिमान और न्यायप्रिय होता है। ज्यों-ज्यों जनता में ज्योतिष ज्ञान के प्रति प्रेम बढ़ा, त्यों-त्यों राजा को निरंकुश होने में और भी सहायता मिली क्योंकि जनता को यह विश्वास हो गया था कि संसार चक्रभाग्य के बन्धन से बड़ी कठोरता के साथ बंधा है अतः देवताओं का प्रतिनिधि राजा यदि देवताओं के समान ही कठोर है तब भी वह देवताओं की इच्छा मात्र है।

मिस्र सभ्यता में सम्राट को फराओ कहा जाता था। उसे सूर्यदेव का प्रतिनिधि समझा जाता था। साम्राज्य की समस्त शक्ति राजा के हाथ में केन्द्रित रहती थी वही राज्य का सर्वोच्च सेनापति, न्यायधीश और पुजारी होता था। उसे सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। वही विधानों का निर्माता और धार्मिक कार्यों का सृष्टा सम्पन्न होता था। साम्राज्य के समस्त अधिकारी उसके अधीन रहते थे और उनकी इच्छा उसकी इच्छा पर निर्भर रहती थी। समय-समय पर सम्राट निरंकुश भी हो जाता था। वह सब से बड़ा पुरोहित था। अतः धार्मिक क्षेत्र में भी उसे बड़ा सम्मान प्राप्त था। मिस्र के निवासी बड़े धर्मभीरु थे और धर्म का सब से बड़ा पुरोहित होने के फलस्वरूप राजा के विरुद्ध किसी भी प्रकार का विद्रोह करना पाप समझते थे।

हिचि सभ्यता में भी राजा देश का प्रधान न्यायधीश, पुजारी और सेनापति होता था। वही पड़ोसी राजाओं से सन्धि एवं युद्ध की घोषणा कर सकता था। उसका आदर प्राचीन पुजारी के रूप में होता था।

ईरानी सभ्यता में भी सम्राट सब से बड़ा पदाधिकारी था। उसका प्रत्येक शब्द कानून था। वह बिना किसी कारण के किसी को भी दण्ड या उच्च पद पर आसीन कर सकता था किन्तु उसे परम्पराओं का पालन करना आवश्यक था।

पुनानी सभ्यता का ज्ञान (1200 ई० पू० 600 ई०पू०) का ज्ञान होमर के इलियड ओडिसी नामक ग्रंथों से होती है। इस सभ्यता में भी

सम्राट सर्वोच्च अधिकारी था । राज्य का वास्तविक पुरोहित था उसे परामर्श देने के लिए दो सभारं थी व्यूल और रेगोरा ।

इस प्रकार सभी सभ्यताओं में दृष्टिगत होता है कि राजा या सम्राट ही सर्वोच्च अधिकारी था ।

2- आपत्तिकाल में अमात्यों की भूमिका :-

राज्य के सात अंगों में दूसरा स्थान अमात्य का है जिसे सचिव या मंत्री भी कहा जाता है । ऋग्वेद में इस शब्द का बीज या आरंभिक रूप पाया जाता है । इसमें वर्णन है हे अग्नि, मन्त्रियों (अमावान्) के साथ हाथी पर चढ़े हुए राजा के समान आओ ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में अमात्य शब्द मंत्री के अर्थ में वास्तविक अर्थ में प्रयुक्त किया गया है इसमें वर्णन है राजा को अपने गुरुओं (गुरुजनों या कुर्जुगों) एवं अमात्यों से बढ़कर सुखपूर्वक नहीं जीना या रहना चाहिए ।

कौटिल्य अर्थशास्त्र में वर्णन है कि राजा जिन लोगों से जितनी ही अपनी गुप्त बातें प्रकट करता है उतना ही शक्ति से दायिण होकर वह उनके वश में हो जाता है । इसलिए जो पुरुष राजा की प्राणघातक आपत्तियों में रक्षा करे ; उनको अमात्य नियुक्त करना चाहिए जिनके अनुराग की परीक्षा राजा कर चुका हो ।

1- विनोदचन्द्र पाण्डे एवं के० सिंह - विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ, न्यू बिल्डिंग्स, अमीनाबाद, लखनऊ, 1977, पृ० 41, 85, 149, 183 ।

2- ऋग्वेद 4. 4. 1 कृष्णुष्व पाजः प्रसिति न पृथ्वी याहि राजेवामवा इमेन ।

3- आपस्तम्ब धर्मसूत्र 2. 10. 25. 10 - गुरुनमात्याश्चैव नाभित्तेजीवेत्
दृष्टव्य पी०वी०काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग 2, पृ० 623

4- कौटिल्य अर्थशास्त्र 3. 7. 4, यावन्दयो गुह्यमाचेष्ट जनेभ्यः पुरुषाधिपः ।
अनु० वाचस्पति गैरोला, पृ० 20 अवशः कर्मणा तेन वश्यो भवति तावताम् ॥

,, ,, पृ० 21, 3. 7. 1 य एनमापत्सु प्राणाबाध युक्ता स्वनुगृह-
नीयुस्तानमात्यान् कुर्वति, दृष्टानुरागत्वादिति ।

इसमें विभिन्न आचार्यों के मतों का वर्णन भी प्राप्त होता है जिनमें भारद्वाज, विशालादा पराशर, पिशुन, कौणप्यन्त, वातव्याधि, बाहुदन्ती पुत्र आदि प्रमुख हैं। कौटिल्य का मत है कि राजा उन कार्यों को अकेला नहीं कर सकता जिससे कार्यों के संपादन में देशकाल का अतिक्रमण न हो, एतदर्थ अमात्यों के द्वारा परीक्षा रूप से राजा उन कार्यों को कराये इसी हेतु अमात्यों की नियुक्ति करे।¹ इसी का समर्थन मनु ने भी किया है।² पुरोहित के विषय में कौटिल्य का मत है कि उच्च कुलोत्पन्न, शीलगुण संपन्न, वेद वेदागों का ज्ञाता, ज्योतिषशास्त्र शकुन शास्त्र दण्डनीति में पारंगत, अथर्ववेद में निर्दिष्ट उपायों द्वारा दैवी तथा मानुषी विपत्तियों का प्रतिकार करनेवाला इन योग्यताओं से संपन्न पुरोहित को नियुक्त करना चाहिए। जैसे आचार्यों के पीछे शिष्य, पिता के पीछे पुत्र स्वामी के पीछे भृत्य चलता है वैसे ही राजा को पुरोहित का अनुगामी होना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मण पुरोहित से संबंधित सर्वगुण संपन्न योग्य मंत्रियों के परामर्श से अभिरक्षित और शास्त्रोक्त अनुष्ठान का आचरण करनेवालों राजकुल युद्ध के बिना भी अजेय एवं अलभ्य वस्तुओं को सहज ही प्राप्त कर लेता है।³ युद्ध में (आपत्तिकाल में) मंत्री और पुरोहित सेना का उत्साह वर्धन करते थे उनका मत था कि यज्ञ और दक्षिणा देने से जो फल यज्ञमान को मिलता है वही फल युद्ध दौत्र में वीर गति पाये सैनिकों को मिलता है।⁴

मनु का मत है कि मंत्रियों में जो ब्राह्मण, विशेष विद्वान और विशिष्ट हो राजा उसके साथ सन्धि विग्रह आदि कृ: गुणों से युक्त परम मन्त्रणा करे।⁵ मनु ने राजा को पशुद पर या निर्जन राज म्हल के एकान्त स्थान में

1- कौटिल्य अर्थशास्त्र 4.8. 1 योगपधातु - - - - -

अनु० वास्वपति गरौला, कार ये दित्यमात्य कर्म ।
प० 24

2- मनुस्मृति 7.55 अपि चत्सुकरं ----- राज्य महोदयम् ।

3- कौटिल्य अर्थशास्त्र 1.4 8.2 3 पुरोहित मुदितोदित, कुलील -----
अनु० वाचस्पति गरौला, पृ० 24 ----- शास्त्रानुगतशास्त्रतम्

4- ,, 10. 150-152. 3. 5 ----- वदेष्वप्यनुभूयते -----
पृ० 646 ----- सा ते गतियाशूराणाम इति ।

5- मनुस्मृति 7. 58 सर्वेणां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन विपश्चिना ।

अथवा वन में सतर्क होकर सत्रणा करने की परामर्श दी है । उनका मत है कि जिस राजा के विचार को अन्य लोग एक होकर भी नहीं जानते वह राजा दरिद्र होने पर भी सारी पृथ्वी को भोगता है । बुद्धिहीन, गूंगा, अन्धा, अहंरा, शुक सारिकादि पक्षी, बूढ़ा, स्त्री, म्लेच्छ, रोगी और अंगहीन इन सब को मन्त्रणा करते समय हटा देना चाहिए क्योंकि ये लोग अपमानित होने पर गुप्त मन्त्रणा प्रकट कर देते हैं ।¹ इसी प्रकार के मत याज्ञवल्क्य के भी हैं ।²

इसी प्रकार के अनेक दृष्टान्त हर्षचरित में दृष्टव्य होते हैं । इसमें वर्णन है कि नागवंश के नागसेन का नाश पद्मावती में इस कारण हुआ कि उसका गुप्त रहस्य मैना ने प्रकट कर दिया था, श्रुतवर्मा ने अपना राज्य श्रावस्ती में इसलिए लौ दिया कि उसका रहस्य एक तोत्रे ने खोल दिया था, राजा सुवर्ण वूर्ण अपने प्राण इसलिए गवार कि वह अपनी नीति के विषय में स्वप्नावस्था में अड़कड़ा उठा था ।³

पुरोहित, सेनापति, दूत, गुप्तचर आदि इसी के अंग हैं । मनु का मत है सेनापति की अधीनता में दण्ड होता है । विनय रूप क्रिया दण्ड के अधीन होता है । कोश और राष्ट्र राजा के अधीन होता है तथा सन्धि और विग्रह दूत के अधीन होता है ।⁴

अग्नि पुराण में वर्णन है कि मंत्रियों के सोचने में मुख्य विषय हैं - मंत्र, निर्धारित नीति से उत्पन्न फल की प्राप्ति (किसी देश को जीतना या रक्षा करना) राज्य के कार्य करना, किसी को दिये जानेवाले कार्य के अच्छे बुरे प्रभावों के विषय में भविष्य वाणी करना आदि, व्यय, शासन (दण्ड) शत्रुओं को दबाना, अकाल जैसी विपत्तियों का सामना करना तथा राजा एवं राज्य की रक्षा करना ।⁵

1- मनुस्मृति 7.147-150 - गिरि पृष्ठ समारुह्य -----

----- तस्मात्रमादूतो भवेत् ॥

2- याज्ञवल्क्य स्मृति 13.312.313

स मन्त्रिणः ----- ।

----- कुशलम्यर्वाडिसे तथा ॥

3- हर्षचरित (6) नागकुलजन्मतः -----

----- श्रावस्त्याम् ।

4- मनुस्मृति 7.65 - अमात्ये दण्ड आयत्तौ दण्डे कर्तव्यी क्रिया ।

नृपतौ कोशराष्ट्र चदूते सन्धि विपर्यया ॥

5- अग्नि पुराण 241.16-18 मंत्रो मंत्र फलावाप्ति -----

----- व्यसनान्वितः ।

डा० काणे ने मंत्री पद आनुवंशिक होने के कुछ प्रभाव दिये हैं यथा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ती का लेखक हरिषेण जो महादण्डनायक था यही पद उसके पिता का भी था । चन्द्र गुप्त ॥ का मंत्री वीर सेन ने भी पैतृक पद प्राप्त किया था किन्तु राजनीति प्रकाश व मत्स्य पुराण का मत है कि यदि व्यक्ति अयोग्य हो तो यह नियम त्याज्य समझा जायेगा । मध्यकालीन लेखकों का मत है कि मंत्रियों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वर्ण का होना चाहिए किन्तु शुद्ध को मंत्री होने का अधिकार नहीं है परन्तु राजतरंगिणी में वर्णन है कि कभी-कभी नीच कुल के व्यक्ति भी मंत्री पद पर पहुँच जाते थे जैसे अक्वन्ती वर्मा का अभियन्ता एक अश्विन्त्र बालक था । इसी प्रकार एक चौकीदार आगे चलकर मंत्री बना ।¹

आपत्तिकाल में आमात्यों की भूमिका के ऐतिहासिक उदाहरण -

डा० अल्टेकर ने राज्य में मंत्रियों की वास्तविक स्थिति की ऐतिहासिक विवेचना की है । इनका मत है कि राजा के दुर्बल होने पर मंत्री सिंहासन पर कब्जा करने के ताक में रहते थे । राजा और मंत्री में बराबर तनावनी तथा परस्पर अविश्वास रहता था । सावित्री के पति सत्यवान के पिता का राज्य मंत्रियों के ही षड्यंत्र से गया ऐतिहासिक युग में मौर्य और शुंग वंश के अन्तिम राजाओं का भी यही हाल हुआ ।

यह मंत्रियों की अपवादात्मक स्थिति थी किन्तु सामान्यतः मंत्री प्रजा के कार्यों में राजा के सहयोगी होते थे । मंत्री का प्रथम कर्तव्य था राजा को कुमार्ग पर जाने से रोकना । कामन्दक का कथन है कि वे ही मंत्री राजा के सुहृद हैं जो उसे उत्पथ पर जाने से रोकते हैं । राज्य का सब से बड़ा दुर्भाग्य था जिसके मंत्री विश्वासघाती प्रवृत्ति के हो और शत्रु सहयोगी हो, किसी राष्ट्र का इससे बड़ा संकट और कुछ हो ही नहीं सकता । इसके विपरीत बहुत से राजा मंत्रियों के नियंत्रण में होते थे जैसे चन्द्रगुप्त मौर्य कौटिल्य के नियंत्रण में थे । अशोक के मंत्रियों ने उसके अंधाधुंध दान का विरोध किया था । एक अवसर पर वह मात्र आधा आर्वाला ही संध को दान दे पाया था । श्रावस्ती के राजा विक्रमादित्य

1- डा० काणे, धर्म शास्त्रों का इतिहास, भाग 2, पृ० 652-659, शुक 2. 246-247, राजतरंगिणी 5. 73, 7. 207.

प्रतिदिन पाँच लाख मुद्राएँ दान देना चाहते थे किन्तु मंत्रियों ने उन्हें ऐसा करने पर रोक कर दिया क्योंकि सज़ाना शीघ्र खाली हो जाता और प्रजा पर अतिरिक्त कर लगाने पड़ते । पादजलि जातक में वर्णन है कि मंत्रियों ने पादजलि को इसलिए युवराज नहीं बनने दिया क्योंकि वह बुद्धिहीन था । राजतरंगिणी में वर्णन है कि मंत्रियों ने राजा अजयपीड़ मम्म को राज्यच्युत किया तथा शूर को राजपद दिया । सिंहल के राजा के मृत्यु पर मंत्रियों ने एक वर्ष तक राज्य संभाला और उसके मन्त्री के भारत लौटने पर शासन सूत्र सौंपा, हर्ष को कन्नौज का राज्य मंत्रियों ने ही सौंपा । इसी प्रकार से मंत्री अपने प्राण पछा से राज्य तथा राजा की रक्षा भी करते थे । राजा जयापीड़ के बन्दी हो जाने पर उसके मंत्री ने अपने प्राण दे दिये ताकि उसके फूले शव के सहारे राजा नदी पार कर शत्रु के पंजे से मुक्ति पा सके । इस प्रकार से मंत्री प्रजा के प्रति उत्तरदायी न होने पर भी राजा और प्रजा की रक्षा उनका प्रमुख लक्ष्य था ।

कौटिल्य का मत है कि राजा को चाहिए कि महामंत्री, मंत्री पुरोहित आदि के समीप गुप्तचर नियुक्त करने के पश्चात् वह अपने प्रति प्रजाबनों तथा नगर निवासियों का अनुराग द्वेष जानने के लिए वहाँ भी गुप्तचरों की नियुक्ति करे ।² राजा का गुप्तचर विभाग ही आपद्ग्रस्त स्थितियों की पूर्व सूचना देने का कार्य करता था जिसके द्वारा राजा स्वयं को और प्रजा को सुरक्षा देने का उपाय कर सकता था ।

राष्ट्र और उसकी विपत्तियों का निवारण :

राष्ट्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है । एक स्थल पर वर्णन प्राप्त होता है कि ' मेरा राष्ट्र दोनों ओर या दोनों गोलकों में है ।'³ अथर्ववेद में भी राष्ट्र शब्द प्रयुक्त किया गया है इसमें पृथ्वी को माता कहा

1- डा० ए०एस०अल्तेकर, प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पृ० 134-136 ।

2- कौटिल्य अर्थशास्त्र 8, 12, 1 वृत्तमहाधात्यापसर्पः घोर जानपदानपसपयित् ।

3- ऋग्वेद 4, 42, 1 मम द्विता राष्ट्र -----

गया है और उसका आह्वान किया गया है कि वह राष्ट्र को जल एवं दीप्ति दे।
तैत्तिरिय संहिता में वर्णन है कि इस राष्ट्र में राजा शूर, महारथी और धनुर्धर हो।²

कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राष्ट्र को विभिन्न प्रकार की आपत्तियों से बचाने के लिए राजा के कर्तव्यों का विस्तृत विवेचन किया है। कौटिल्य का मत है राजा को चाहिए कि वह शत्रुओं, जंगली लोगों, व्याधियों एवं दुर्भिक्षों से अपने देश को बचावे। वह उन क्रीड़ाओं का भी बहिष्कार कराये जो धन का अपव्यय और विलासप्रियता को बढ़ानेवाली हो। राजा दण्ड, विष्टि (बेगार) कर (टैक्स) आदि की बाधा से कृषि की रक्षा करे इसी प्रकार चोर, हिंसक जंतु, विष प्रयोग तथा अन्य कष्टों से भी किसानों की रक्षा करे।³ बल्लभ (राजप्रिय) कार्मिक (राज कर वसूलनेवाले) चोर, अंतपाल (सीमारदाक) और व्याध आदि राजपुरुषों, लुटेरों एवं हिंसक जन्तुओं से ग्रस्त व्यापार मार्गों का भी राजा परिशोधन करे अर्थात् अपने देश से इन सब आपत्तियों को दूर करे।⁴ इन विपत्तियों से बचने के लिए मानवीय एवं धार्मिक क्रियाओं एवं कृत्यों के विषय में व्यवहारिक निर्देश भी दिये हैं।

दुर्भिक्ष के समय राजा को बीज एवं भोजन देने की व्यवस्था करनी चाहिए, विपत्ति में फंसे लोगों की सहायता के लिए कुछ निर्माण कार्य आरंभ कर देना चाहिए, राज भण्डार या धनिक लोगों के भण्डार या मित्र राष्ट्रों के

1- अथर्ववेद, 12.1. 8

2- तैत्तिरिय संहिता 7. 5. 18

दृष्टव्य डा० पी०वी०काणे- धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग 2, पृ० 624 ।

3- कौटिल्य अर्थशास्त्र 17. 1. 1 - परचक्राटवीग्रस्त व्याधि दुर्भिक्षापीडितम् ।
देशं परिहरे प्राजा व्ययक्रीडाश्च वारयेत् ॥
अनु० वाचस्पति गैरोला, पृ० 81

4- ,, ,, 17.1. 2 - दण्डविष्टि कराबाधेः रक्षोदुपहता कृषिम् ।
स्तेनव्यालविषाग्राहैर्व्याधिभिश्च पशुजान ॥

5- ,, ,, 17. 1. 3 - बल्लभे कार्मिके स्तेनैरन्तयालैश्च पीडितम् ।
शोधयेत्पशुसद्वैश्च दायिमाणा वणिक्वथम् ॥

भण्डार से अन्न लेकर बटवाना चाहिए । धनिकों पर इतना कर लगाना चाहिए कि वे प्रचुर मात्रा में धन दे सके या ऐसे देश को चल देना चाहिए जहाँ प्रचुर मात्रा में अन्न हो । राष्ट्रीय विपत्तियाँ ' इति ' के नाम से पुकारी गयी है, उनके छः प्रकार हैं यथा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूणक (चूहे) टिड्डी बल (शलम), तोते तथा परदेशी राजाओं के बहुत पास में होना¹ ।

मनु ने एक अच्छे राष्ट्र के गुणों की व्याख्या की है कि जो देश प्रचुर धान्यादिक से सम्पन्न हो जहाँ धार्मिक लोग बसते हो, नीरोगादि से निरुपद्रव और रमणीय स्थान जहाँ आस-पास के रहनेवाले विनीत हो जहाँ सुलभ जीविका हो ऐसे देश में राजा को निवास करना चाहिए² ।

याज्ञवल्क्य ने भी इसका समर्थन किया है कि रमणीक पशुओं की (चारे आदि से) वृद्धि योग्य जीवन निर्वाह में (कन्द, मूल, पुष्प और फल से) सहायता देनेवाले एवं वन प्राय देश में विकास करे उस स्थान पर परिजनों, कोश एवं अपनी रक्षा के लिए दुर्ग बनावे³ ।

इन वर्णनों से ज्ञात होता है कि राष्ट्र की सम्पन्नता एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व था राष्ट्र को हरा - भरा एवं पूर्ण साधन सम्पन्न होना चाहिए किन्तु आचार्य कौटिल्य ने इसके आपद्ग्रस्त परिस्थितियों का भी सूक्ष्म निरीक्षण किया था तथा उसके निराकरण के उपायों का भी वर्णन किया⁴ ।

डा० पी०वी०काणे ने अपने ग्रंथ में राष्ट्र के आपत्तियों के विविध दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं । छान्दोग्य उपनिषद् में वर्णन है कि जब देश पर उपलवृष्टि (टिड्डियों का आक्रमण हुआ तो उषस्ति चाक्रायण को उच्छिष्ट भोजन करना पड़ा था । रोमपाद के शासन काल में अंग देश दुर्भिक्षा से अक्रान्त हो

1- राजनीति प्रकाश , पृ० 447 - अतिवृष्टिरनावृष्टिभूणकाः शलभाः शुकाः ।

अत्यासन्नाश्च राजानः षडते इतयः स्मृताः ॥

2- मनुस्मृति 7 . 96 - जाङ्गलं सस्यसंपन्नमार्यप्रायं मनाविलम्

रम्यमानवसामन्तं स्वाजीष्यं देशमानसेत् ॥

3- याज्ञवल्क्य स्मृति 13 . 321 - रम्यं ----- जनकोशात्मगुप्तयो ।

गया था । निरुक्त से पता चलता है कि राजा शान्तनु के समय में 12 वर्षों तक दुर्भिक्षा पड़ा था । महास्थान से प्राप्त मौर्य अभिलेख से ज्ञात होता है कि दुर्भिक्षा पीड़ित लोगों में गण्डक नामक सिक्के एवं अन्न बाटें गये थे ।¹

दुर्ग (किला या राजधानी) द्वारा आपत्तियों से रक्षा :

कुछ विद्वानों ने राजधानी को शासन यंत्र की धुरी माना है । इनका मत है कि यदि देश का कुछ अंश शत्रु ले ले तो भी यदि राजधानी सुरक्षित है तो जीता हुआ देश पुनः वापस लिया जा सकता है ; क्योंकि दुर्ग ही एक ऐसा केन्द्र है जहाँ आपत्ति के समय में भी राजा, प्रजा, सेना, कोष, सुरक्षित रहता है ।

कौटिल्य ने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए दुर्गों को अति आवश्यक बताया है । उनका मत है कि जनपद सीमाओं के चारों दिशाओं में राजा युद्धोचित प्राकृतिक दुर्ग का निर्माण करवाये । कौटिल्य ने दुर्गों के चार प्रकार बताये हैं -

(I) औदक दुर्ग :- चारों ओर पानी से घिरा हुआ टापू के समान गहरे तालाबों से आवृत स्थल प्रदेश औदक दुर्ग कहलाते हैं ।

(II) पार्वत दुर्ग :- बड़ी-बड़ी चट्टानों अथवा पर्वत की कन्दराओं के रूप में निर्मित दुर्ग पार्वत दुर्ग कहलाता है ।

(III) धान्वन दुर्ग :- जल तथा धास आदि से रहित अथवा सर्वथा ऊसर भूमि में निर्मित दुर्ग धान्वन दुर्ग है ।

(IV) वन दुर्ग :- चारों ओर दलदल से घिरा हुआ अथवा काटिदार सघन फाड़ियों से परिवृत दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है ।

1- डा० पी०वी०काणे - धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग 2, पृ० 655

शान्दोग्य उपनिषद् 1. 10. 1-3

निरुक्त 2. 10

ज० ए० एस० वी० 1932, पृ० 123

इनमें से औदक तथा पार्वतदुर्ग आपत्तिकाल में जनपद की रक्षा के लिए उपयोग में लाये जाते हैं । धान्वन और वन दुर्ग वनपालों की रक्षा के लिए उपयोगी होती है ; अथवा आपत्ति के समय इन दुर्गों में भाग कर राजा भी अपनी रक्षा कर सकता है ।¹

मनु ने भी 6 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया है ।

(1) धनु दुर्ग (मरुवेष्टित) (2) मही दुर्ग (पाषाणखण्ड वेष्टित) (3) जलदुर्ग (4) कूटा दुर्ग (5) नृदुर्ग (6) गिरि दुर्ग का आश्रय लेकर नगर का वास करे ।²

मनु ने दुर्ग को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना है । उनका मत है जैसे किले के आश्रित भूगादि जीवों को इनके शत्रु नहीं मार सकते वैसे ही दुर्ग के आश्रित राजा को भी शत्रु नहीं मार सकते ।³ किले में रहनेवाला एक धनुंधारी बाहरवाले सौ योद्धाओं का सामना कर सकता है और किले की एक सौ सेना दस सहस्र सेना के साथ युद्ध कर सकती है इसलिए दुर्ग अवश्य बनाना चाहिए । वह किला अस्त्र, शस्त्र,⁴ धन-धान्य, वाहन, ब्राह्मण, शिल्पी, यन्त्र, तृण और जल से परिपूर्ण रहना चाहिए ।⁵

-
- 1- कौटिल्य अर्थशास्त्र 19 . 3 . 1 - चतुर्विंश जनपदान्ते साम्प्रदायिक देवकृतं दुर्गं कारयेत् ; अन्तर्द्वीप स्थलं वा निम्नावरुद्धमौदकं, प्रास्तरं, गुहां वा पार्वतं, निरुदकस्तम्भं मारिणं वा धान्वनं रक्ज्जनोदकं स्तम्भं गहनं वा वन दुर्गम् । तेषां नदी पर्वत दुर्गं जनपदारदास्थानं धान्वनं वनदुर्गमृष्टवीस्थानम् आप्यपसारो वा ।
- 2- मनुस्मृति 7 . 70 - धन्वदुर्गं महीदुर्गमब्दुर्गं वादाश्रितं वा ।
नृदुर्गं गिरिदुर्गं वा समाश्रित्य वसेत्पुरम् ॥
- 3- मनुस्मृति 7 . 73 - यथा दुर्गाश्रितानेतान्तो परिहसन्ति शत्रवः ।
तथारयो न हिंसन्ति नृपं दुर्गसमाश्रितम् ॥
- 4- मनुस्मृति 7 . 74 - एकं शतं योध्याति प्राकारस्थो धनुर्धरः ।
शतं दशसहस्राणि तस्माद्दुर्गं विधीयते ॥
- 5- मनुस्मृति 7 . 75 - तत्स्यादायुधसंपन्नं धनधान्येन वाहनैः ।
ब्राह्मणैः शिल्पिभिर्यन्त्रैर्वसेनोदकेन च ॥

मनु के विचार से ऐसे दुर्ग के बीच में पर्याप्त खाई और सब प्रकार के कृत्यों के फल फूल और निर्मल जल से भरे हुए कुओं और बावलियों से युक्त अपना राजभवन बनवाये ।¹

याज्ञवल्क्य का भी यही विचार है कि दुर्ग की स्थिति² से राजा की सुरक्षा, प्रजा एवं कोश की रक्षा होती है ।

आपत्तिकाल में कोश संग्रह :

कौटिल्य का मत है कि जिस राजा का कोश रिक्त हो जाता है वह नगर निवासियों को चूसने लगता है । राज्य के सारे व्यापार³ कोश पर निर्भर रहते हैं । अतः राजा को सर्वप्रथम कोश पर ध्यान देना चाहिए । खजाने के कम हो जाने या अकस्मात् ही अर्थ संकट उपस्थित हो जाने पर राजा को कोश संवय करना चाहिए ।⁴ राज्य को एक बार ही लेना चाहिए दुबारा नहीं । कौटिल्य का द्यन है यदि एक बार कोश लेने में खजाने को न बढ़ाया जा सके तो समहर्ता को चाहिए कि किसी कार्य का बहाना बनाकर वह नगरवासियों और प्रदेशवासियों से धन की याचना करे । यदि कोई थोड़ा धन दे तो गुप्तचर उसकी निन्दु⁵ समाज में फैलाये । धनी व्यक्तियों से उनकी हैसियत के अनुसार धन लिया जाय । कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजा को आपत्ति काल में धन संग्रह करने के लिए विभिन्न कूटनीतिक सुझावों की विस्तृत व्याख्या की है जिसके द्वारा राजा अधिकाधिक धन संग्रह कर सके ।

राज्य की ओर से उपकृत लोगों पर उपकार के अनुपात से जितना धन मिले हुए लोग दे उतनी ही रकम धनवानों से देने का आग्रह किया

1-मनुस्मृति 7. 76 - तस्य म्हये सुपर्याप्तं कारयेद्गृहमात्यनः ।

गुप्तं सर्वं तुर्कं शुभ्रं जलं कृत्वा समान्वितम् ॥

2- याज्ञवल्क्य स्मृति 1. 321 - जनकीशास्त्रगुप्तये

3- कौटिल्य अर्थशास्त्र 2. 2 - कोशमूला कोशपूर्वाः सवारिम्भाः । तस्मात्पूर्वं कोशमेकौत्

4- ,, 90.2.1 - कोशमकोशः प्रत्युत्पन्नार्थकृच्छः संगृहणीयात् ।

अनु० वाचस्पति गैरौला

5- ,, 90. 2. 1 - सक्तेव नः शिः प्रयोज्य -----

पृ० 415 ----- शिरण्यमादयान् याचेत ।

जाय, सहायता देनेवाले धनी पुरुषों को अधिकार, उच्चासन, दान, वेष्टन (फाड़ी) आभूषण आदि देकर सम्मानित करना चाहिए । किसी पारसी समूह की सम्पत्ति जिसका कोई भी अंश श्रोत्रिय के पास नहीं जाता हो तथा मरे हुए एवं धर जले हुए ¹ सम्पत्ति को उनका कर्म कराने के अहाने राजकोष में जमा कर लिया जाय ।

कौटिल्य अर्थशास्त्र में वर्णन है कि अपने कोष की वृद्धि के लिए राजा इस प्रकार के उपायों का प्रयोग दूष्यों और अधार्मिक व्यक्तियों पर ही करे दूसरों पर नहीं । ² राजा को चाहिए कि वह दुष्ट पुरुषों का धन उसी प्रकार ले ले जिस प्रकार वाटिका से पके हुए फल को लिया जाता है, किन्तु धर्मात्मा पुरुषों या उन उसी प्रकार छोड़ दे जैसे कच्चे फल को छोड़ दिया जाता है । कच्चे फल के समान धर्मात्मा पुरुषों से वसूला गया धन प्रजा के कोष का कारण बन जाता है । ³

मनु का मत है कि राजा व्यापार, कृषि आदि करनेवाले व्यवसायियों का लाभ हो इसका विचार कर सदा कर की कल्पना करनी चाहिए । राजा को कर वसूली के समय जोक, भ्रमर और पच्छा और क वृत्ति को अपना चाहिए अर्थात् थोड़ा-थोड़ा ही पार्ष्णिक कर लेनी चाहिए ।

- 1- कौटिल्य अर्थशास्त्र १०.२.२ यथोपकारं वा स्ववशा -----
अनु० वाचस्पति गैरोला, ४१५ ----- हस्ते न्यस्तमित्युपहरेयुः ।
- 2- ,, ,, १०.२.२ एवं दूष्येष्व धार्मिकेषु च वर्तेत । नेतरेषु ।
पृ० ४१९
- 3- ,, १०.२. ३ पक्वं पक्वमिवारामात् फलं राज्यादवाप्नुयात् ।
पृ० ४१९ आत्मच्छेदभयावामं वज्यित् कोपकारकम् ॥
- 4- मनुस्मृति ७. १२८ - यथा फलेन पुज्येत राजा कर्ता च कर्मनाम् ।
तदााकेय नृपो राष्ट्रे कल्पयेत्सततं करान् ।
७. १२९ - यथात्पात्पमदन्त्याय ----- ।
----- वरः ॥

महाभारत के शान्तिपर्व में वर्णन है कि आपत्तिकाल में कोण और सेना की प्राप्ति के लिए दूसरों को पीड़ित करना राजाओं का निन्दित कार्य नहीं है ।¹ राजा को चाहिए कि वह अपने तथा अपने शत्रु से धन लेकर लजाने को भरे । कोण से ही धर्म की वृद्धि होती है और राज्य की जड़े सुदृढ़ होती है इसलिए राजा कोण का संग्रह करके सदैव उसकी रक्षा करे और निरन्तर बढ़ावे यही राजा का धर्म है । लक्ष्मी के कारण ही राजा सर्वत्र बड़ा भारी आदर सत्कार पाता है जिस प्रकार कपड़ा नारी के गुप्त अंगों को ढकता है वैसे ही लक्ष्मी राजा के दोषों को ढक देती है ।² धन के अभाव में ही प्रजा को पीड़ित किया जाता है । आपत्तिकाल में प्रजा को पीड़ित किये बिना और किसी उपाय से धन नहीं मिल सकता है । जैसे पशु, यज्ञ और चित की शुद्धता ये तीन मोक्ष के साधन हैं उसी प्रकार कोण, बल और विजय ये तीन राज्य को पुष्ट करने के साधन हैं । धन से यह लोक परलोक सत्य धर्म सब कुछ अपने अधीन किया जा सकता है । निर्धन मनुष्य भुँदों के समान है । संसार में धनवान मनुष्य बलवान और निर्धन मनुष्य निर्बल है । धनवान मनुष्य सभी वस्तुओं को अपने अधिकार में कर सकता है और सभी विपत्तियों को पार लगा सकता है ।

राजा को यज्ञानुष्ठान करनेवाले द्विषों का धन नहीं लेना चाहिए, इसी प्रकार उसे देव सम्पत्ति में भी हाथ नहीं लगाना चाहिए वह लुटेरों तथा अकर्मण्य मनुष्यों के धन का भी अपहरण कर सकता है ।⁴ ये समस्त प्रजाएँ दात्रियों

1- महाभारत शान्ति पर्व 130. 36

नान्यानपीडयित्वेह कोशः शक्यः कृतो बलम् ।

त्वर्थं पीडयित्वा च कोणं प्राप्सु न सोऽर्हति ॥

2- " " 133. 7

भ्रियोहि कारणाद् राजा सत्त्रिया लभते पराम् ।

सास्य गूहति पापानि वासो मुख्यमिव स्त्रियाः ॥

3- " " 130. 43

धनेन व्यर्ते लोकांशुर्भी परामिय तथा ।

सत्यं च धर्मं वर्त्त यथा नास्त्यधनस्तथा ॥

4- " " 130. 44

अधनं दुर्बलं प्राधने बलवान भवेत् ।

सर्वं धनवता प्राप्य सर्वं तरति कोणात्तान ॥

की है राज्य भोग भी द्वात्रिंशो का है और सारा धन भी द्वात्रिंशो का है दूसरों का नहीं किन्तु वह धन उसकी सेना के लिए है या यज्ञानुष्ठान के लिए ।¹ यही विचार मनु का भी है कि अत्यन्त संकटावस्था में भी त्रिंशो ब्राह्मण से कर न ले और उसके राज्य में रहनेवाला वेदाध्यायी ब्राह्मण भूख से पीड़ित न होने पाये ऐसा ध्यान रहे, जिस राजा के राज्य में वैदिक ब्राह्मण भूख से दुःख पाता है उस राजा का राज्य भी उसकी द्वाधा से शीघ्र नष्ट हो जाता है ।²

अल्टेकर का मत है मुसलमान लेखकों ने इस बात का विशेष उल्लेख किया है कि हिन्दू राजा अपने पूर्वजों से भरा पूरा कोष पाते थे और अत्यन्त संकट काल में इनका उपयोग करते थे । जिनका कोष भरा पूरा रहता था वही राज्य संकट से अपनी रक्षा कर पाते थे । स्थायी कोष का एक बड़ा हिस्सा गुप्त स्थल पर गाड़कर रखा जाता था जो संकट के समय उपयोगी होता था एक किम्बदन्ती के अनुसार विजय नगर राज्य की स्थापना करने में मंत्री विधारण्य ने एक बड़ा खजाना गुप्त स्थल में गाड़कर रख दिया था जो आगे आनेवाले संकट के लिए था ।³ आपत्काल में बल, सेना, दण्ड का महत्व :

ऋग्वेद में सेना, अस्त्र-शस्त्रों, युद्धों आदि का वर्णन कई बार हुआ है । शस्त्र सामग्रियों में धनुष, बाण, कवच, प्रत्यया तूरीन, सारथी रथों आदि की चर्चा की गयी है । युद्ध के रीतिकों के लिए सेनानी शब्द का प्रयोग किया गया है ।⁴

1- महाभारत शान्तिपर्व 136.2 - न धनं यज्ञशीलानां मर्घं देवस्वमेव च ।

दस्यूनां निष्क्रियाणां च द्वात्रिंशो हर्तुमर्हति ॥

2- मनुस्मृति 7.133- भ्रिममाणोऽप्याददीत न राजा त्रिंशोऽत्रियात्करम् ।

न च द्वाधास्य संसीदेच्छोत्रियो विषये वसन् ॥

7.134- यस्तु राजस्तु विषये त्रिंशोऽत्रियः सीदति द्वाधा ।

तस्यापि तद्द्वाधा राष्ट्रमचिरेणैव सादति ॥

3- डा० ए० एस० अल्टेकर - प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पृ० 221

4- ऋग्वेद 10.84.2 अग्निरिव मन्थो त्विषितः सहस्व सेनानीर्नः सुहरे हूँ रधि ॥

अनु० दामोदर सातवलेकर ।

कौटिल्य का विचार है कि विजिगीष्णु का चाहिए कि वह अपने और शत्रु के बीच शक्ति, देश, काल, युद्ध काल, सेना की उन्नति का समय (बल समुत्थान काल) पश्चात्कोप (सेना रहित राजधानी में आक्रमण की आशंका) हाय, व्यय, लाभ और आपत्ति आदि बलाबल के संबंध में फलीभांति जानकर शत्रु की अपेक्षा अधिक सेना लेकर उस पर आक्रमण करे यदि अधिक सैन्य बल का प्रबन्ध न हो सके तो चुपचाप बैठा रहे ।¹ कौटिल्य अर्थशास्त्र में विविध आचार्यों के मतों का वर्णन है कुछ के विचार में राजा के प्रभाव शक्ति को महत्वपूर्ण माना है कुछ ने राजा की मन्त्र शक्ति को महत्वपूर्ण माना है, इन मतों के विपरीत कौटिल्य का मत है कि प्रभाव शक्ति की अपेक्षा राजा की मन्त्र शक्ति ही श्रेष्ठ है क्योंकि जिस राजा के पास बुद्धि तथा शास्त्र रूपी नेत्र हैं वह थोड़ा प्रयत्न करने पर ही मन्त्र का अच्छी तरह अनुष्ठान कर सकता है और उत्साह, प्रभाव, साम तथा औपनिषदिक उपायों द्वारा शत्रुओं को वश में कर सकता है । इसी प्रकार उत्साह, प्रभाव और मन्त्र तीनों शक्तियाँ उचरोत्तर बलवान हैं अर्थात् उचरोत्तर शक्ति² से सम्पन्न राजा पूर्व, पूर्व शक्ति से सम्पन्न राजा को वश में कर सकता है । कुछ आचार्यों ने विजय प्राप्त करने में देश को महत्वपूर्ण माना है । कुछ ने काल को महत्वपूर्ण माना है उनका विचार है कि समय ही प्रबल होता है उसी के प्रभाव से दिन में कौवा उल्लू को मार ल देता है तथा रात में उल्लू कौवे को मार देता है³ किन्तु इसके विपरीत कौटिल्य ने शक्ति-देश-काल⁴ इन तीनों को ही प्रबल और एक दूसरे का पूरक माना है । कौटिल्य ने आपत्तिकाल का साधना करने के लिए विविध प्रकार के सेनाओं की चर्चा की है :-

-
- 1- कौटिल्य अर्थशास्त्र 135-136.1 विजिगीष्णुरात्मनः परस्प ---
अनु० वाचस्पति गैरोला, पृ० 589 --- अन्यथासीत
 - 2- ,, ,, 135-136.1 नेति कौटिल्यः । मन्त्रशक्तिः श्रेयसी
पृ० 590 --- एवमुत्साहप्रभावशक्तीनामुचरोत्तरा-
धिकोडत्तिसन्धते ।
 - 3- ,, ,, 9. 135-136.1 नेति कौटिल्यः । ---
पृ० 592 परस्पर साधका हि शक्तिदेशकालः

1- मौल बल :- यह राजधानी की रक्षा करनेवाली सेना होती है । यदि शत्रु किसी शक्तिशाली सेना लेकर युद्ध में आया हो तो उस समय मौलबल को अपने साथ रखना चाहिए । मौल बल अत्यन्त स्वामि भक्त सेना होती है । इसे कभी फोड़ा नहीं जा सकता । इसे दूर देश, दीर्घकालीन युद्ध, दाय, व्यय की अवस्था में और यदि विजिगिणु के सेना के खेत छोड़कर भागने की आशंका हो तो सदैव इसे अपने साथ युद्ध भूमि में ले जाना चाहिए ।¹

2- भूतक बल (सवैतनिक सेना) :- यदि विजिगिणु राजा यह समझे की मौलबल की अपेक्षा मेरा भूतक बल अधिक सुदृढ़ है तथा शत्रु का मौलबल थोड़ा तथा अविश्वासी है या शत्रु के साथ तूष्णी युद्ध करना पड़ेगा या थोड़े श्रम में युद्ध में विजय प्राप्त हो सकती है । गंतव्य देश दूर नहीं है तो ऐसी स्थिति में भूतक बल को साथ लेकर युद्ध करना चाहिए ।²

3- श्रेणी बल (विभिन्न कार्यों में अनियुक्त शस्त्रास्त्र में निपुण सेना) :-

यदि विजिगिणु को यह विश्वास हो कि मेरे पास श्रेणी बल इतना पोस्ता है कि उसको राजधानी की रक्षा में भी लगाया जा सकता है और शत्रु के साथ युद्ध करने में भी उनको साथ लिया जा सकता है या सफर कम है तथा मुकाबले की सेना भी प्रायः श्रेणी बल के साथ युद्ध करने के लायक है या शत्रु तूष्णी युद्ध (मन्त्र) प्रकाशयुद्ध (व्यायाम) से मुकाबला करना चाहता है या शत्रु अपनी सेना किसी राजा के अधीन करने की सोच रहा है ऐसे अवसरों पर श्रेणी बलों को साथ लेकर युद्ध करना चाहिए ।³

1- कौटिल्य अर्थशास्त्र 9 . 137-139 .2 मूलरक्षाणादतिरिक्तं मौलबलम् -----
अनु० वाचस्पति गैरोला, पृ० 595 ----- मौलबलकालः ।

2- ,, ,, 9 . 137-139 .2 प्रभूर्त ये भूतबलमर्त्य च
पृ० 596 भूतबलकालः ।

3- ,, ,, 9 . 137-139 .2.2 प्रभूर्त में श्रेणीबल -----
पृ० 596 ----- श्रेणी बल कालः ।

4- मित्र बल (मित्र राजा की सेना) :- कौटिल्य अर्थशास्त्र में वर्णन है कि यदि विजिगिष्णु राजा यह समझे कि उसका मित्रबल इतना पोस्ता है कि वह राजधानी की रक्षा करने में और शत्रु पर चढ़ाई करने में भी समर्थ है या युद्धादि के कार्य में मित्र का तथा अपना समान प्रयोजन है या इस कार्य की सिद्धि मित्र के हाथ में है या अपने समीपस्थ अंतर्रा मित्र का अवश्य ही उपकार करना है अथवा अपने मित्र से द्रोह करनेवाली सेना को शत्रु सेना के साथ भिड़ाकर मरवा डालूंगा - ऐसे अवसरों पर या परिस्थितियों में मित्र की सेना को भी युद्ध में ले जाना चाहिए ।¹

5- अमित्र बल (शत्रु राजा की सेना) :- यदि विजिगिष्णु यह समझे कि शत्रु सेना अत्यधिक है जो कि उसके नगर में ठहरी है जिसको वह अपने दूसरे शत्रु के साथ भिड़ा सकता है अथवा आटविक सेना के साथ भिड़ा सकता है, इस प्रकार दोनों शत्रु सेना के लड़ जाने पर उसका अमिष्ट सिद्ध हो जावेगा, यदि विजिगिष्णु का शत्रु अपने किसी दूसरे शत्रु के साथ युद्ध कर रहा हो तो उस युद्ध के समाप्त हो जाने पर दूसरे के अवसर पर शत्रु सेना को ही दूसरे शत्रु के मुकाबले भिड़ा दे ऐसी स्थितियों में शत्रु सेना को ही युद्ध में भेजना चाहिए ।²

6- आटवी बल (आटविक सेना) :- यदि विजिगिष्णु को गंतव्य स्थान बताने की आवश्यकता हो या आटविक सेना शत्रु के आयुद्धों की शिक्षा में बहुत निपुण हो या बिना विजिगिष्णु के आज्ञा के आटविक सेना शत्रु सेना से युद्ध करे, या शत्रु आटविक सेना का प्रयोग कर रहा हो ऐसी परिस्थितियों में आटविक सेना लेकर युद्ध भूमि में जाना चाहिए ।³

1- कौटिल्य अर्थशास्त्र 9 . 137-139 . 2 प्रभूत ये मित्र बलं शक्यं -----
पृ 595-597 ----- मित्रबलकालः ।

2- ,, ,, 9 . 137-139 . 2 . 1 प्रभूतं में शत्रुबलं -----
पृ 597 ----- इत्यमित्रबलकालः

3- ,, ,, 9 . 137-139 2 . 3 पागदिशिक -----
पृ 597 ----- इत्यटवीबलकालः ।

7- औत्साहिक बल :- औत्साहिक सेना नेतृत्वहीन, भिन्न-भिन्न देशों में रहनेवाली राजा की स्वीकृति या अस्वीकृत से ही दूसरे देशों में लूटमार करनेवाली सेना को ही औत्साहिक बल कहते हैं, यह सेना दो प्रकार की होती है -

(ए) मेघ :- दैनिक भत्ता या मासिक वेतन देकर शत्रु के देश में लूटमार करनेवाली दुर्गों में काम करनेवाली और राजाओं के सामयिक आज्ञाओं का पालन करनेवाली सेना औत्साहिक सेना मेघ कहलाती है । इसे अधिक भत्ता देकर फोड़ा भी जा सकता है ।

(बी) अमेघ :- यह सेना प्रायः एक ही देश, एक ही जाति, एक ही व्यवसाय की होती है, इसे वेतन आदि का प्रलोभन देकर फोड़ा नहीं जा सकता, उसे अपने देश का अधिक ध्यान रहता है, वह बड़ी ही संगठित रहती है इसलिए इस सेना को उपयुक्त समय के लिए संग्रह करके रखना चाहिए¹ ।

इन सब के अतिरिक्त आचार्य कौटिल्य ने चारों वर्णों की सेनाओं का वर्णन अपने अर्थशास्त्र में किया है, उनका मत है शत्रुपक्ष ब्राह्मण सेना के समक्ष नमस्कार कर या फिर भुक्काकर अपने वश में कर लेता है इसलिए युद्ध विधा में निपुण दान्त्रिय सेना को ही सर्वाधिक श्रेष्ठ समझना चाहिए अथवा वैश्य सेना और शुद्ध सेना को भी श्रेष्ठ समझना चाहिए यदि उनमें वीर पुरुषों की अधिकता हो ।² इस कथन से ज्ञात होता है कि चारों वर्णों के लोग सैनिक हो सकते थे । इस प्रकार से पूर्वोक्त रीति से सेनाओं की पारस्परिक श्रेष्ठता, गुरुता

1- कौटिल्य अर्थशास्त्र 9 . 137-139 . 2.1 सैन्यमनेकमनेजातीय स्थयुक्तमनुक्तं -----
(अनु० वाचस्पति गैरोला) पृ० 598 ----- इति बलोपादानकालाः ।

2- ,, ,, 9 . 137-139 2.2 नेति कौटिल्यः । प्रणिपातेन ब्राह्मणैर्बलं परोडम्भितारयेत् । प्रहरण विधाविनीतं तु दान्त्रियबलं श्रेयः बहुलसार् वा वैश्यशुद्धबल-
पृ० 600 मिति

लधुता का किञ्चार करके ही उपयुक्त सेनाओं का संग्रह करना चाहिए । इसी प्रकार मौलभूत आदि अपनी सेनाओं की शक्ति के अनुसार एवं सेनाओं के अंगभूत साधन हाथी धोड़े अस्त्र-शस्त्र आदि की अधिकता अल्पता दृष्टि में रखकर अलग-अलग विभागों के अनुसार ही सेना का संग्रह तथा शत्रु का प्रतिकार करना चाहिए।¹

कौटिल्य अर्थशास्त्र में चतुरंगिणी सेना का वर्णन है । क्वच-धारी हाथी, क्वचधारी धोड़े, मज्जुत लोहे के पतों से मढ़े हुए रथ और क्वचधारी पैदल सेना इन चारों को क्रमशः हस्तिबल, अश्वारोही, रथारोही और पदाति इसे चतुरंग सेना का प्रति बल समझना चाहिए । इस प्रकार से कौटिल्य अर्थशास्त्र में सेना के प्रबन्ध, आक्रमण के समय वाह्य तथा आन्तरिक आपत्तियों के प्रकार सेना के निवास स्थान, व्यूह रचना आदि का बहुत विस्तृत वर्णन मिलता है ।

दण्ड : मनुस्मृति में भी शत्रु को अपने वश में करने के विविध उपायों में बल तथा दण्ड के महत्त्व को स्वीकार किया गया है । मनु का मत है राजा बगुले की तरह धन लेने की चिन्ता करे सिंह के समान पराक्रम करे भेड़िये की भाँति अवसर पाकर शत्रु को मार डाले और बलवान शत्रु से घिर जाने पर खरट्टे की तरह से जाना चाहिए । इस प्रकार विजयी राजा सामादिक उपायों से अपने सभी शत्रुओं को वश में लाये यदि वे पहले साम, दाम भेद से वश में न आये तो उनके राज्य पर चढ़ाई कर दण्ड द्वारा वश में लावे । पण्डित लोग सामादिक चार उपायों में से राष्ट्र वृद्धि के लिए साम और दण्ड की सदा ही प्रशंसा करते हैं ।⁴ याज्ञवल्क्य भी यही मत है ।⁵ शत्रु को वश में करना दण्ड नीति पर निर्भर है । दण्डनीति का

1- कौटिल्य 9 . 137-139 2.3 एवं बलसमुद्धान परसैन्यनिवारणम् ।

अनु० गैरोला, पृ० 601 विभवेन स्वसैन्यानां कुर्यादङ्गविकल्पशः ॥

2- ,, ,, २ 2 वर्मिणो वा हस्तिनोडश्वा वा वर्मिणः क्वचिनी रथा आवरणिनः पतयश्चतुरंग बलस्य प्रतिबलम् ।

3- मनुस्मृति 7 . 106 - क्वचिन्तयेदर्थान्सिंहवच्च पराक्रमेत् ।
वृक्वच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत् ॥

4- मनुस्मृति 7 . 107,8,9 एवं विजयमानस्य -----
----- नित्यं राष्ट्राभिवृद्धये ॥

5- याज्ञवल्क्य स्मृति 13 . 346 उपायाः ----- गतिः ॥

आश्रय लेता हुआ राजा समस्त प्रजा की रक्षा करता है । दण्ड से सम्पत्ति बढ़ती है । दण्ड शक्ति के अभाव में मंत्री समूह विचिक्चिन् हो जाता है । दण्ड शक्ति के कारण लोग न करने योग्य कार्यों को नहीं करते हैं । अपनी सुरक्षा भी दण्ड नीति पर निर्भर है ।¹ अपनी सुरक्षा किये जाने के बाद ही दूसरे की रक्षा की जा सकती है । उत्थान और विनाश दोनों ही अपने ही हाथों में है । भलीभाँति सोच विचारकर दण्डनीति का प्रयोग करना चाहिए । किसी राजा को दुर्बल सोचकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । भीष्म को ही दुर्बल कह सकता है ।²

महाभारत के शान्तिपर्व में भी बल के महत्व को स्वीकार किया गया है । इसमें वर्णन है कि धर्म और अधर्म का फल किसी ने कभी यहाँ प्रत्यक्ष नहीं देखा । अतः राजा बल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे क्योंकि यह सब जगत् बलवान के ही कश में रहता है ।

बलवान पुरुष इस जगत् में सम्पत्ति सेना मंत्री सब कुछ पा लेता, जो दरिद्र है वह पतित सम्पत्त जाता है । बलवान पुरुष में बहुत सी बुराईयाँ होती है तो भी भय के कारण उसके विषय में मुँह से कुछ बात नहीं निकल सकता । यदि बल और धर्म दोनों सत्य के ऊपर प्रतिष्ठित होते हैं तो मनुष्य की महान भय से रक्षा करते हैं ।³ महाभारत शान्तिपर्व के आपद्धर्म पर्व में भीष्म जी कहते हैं कि अधिक धर्म से बल को ही श्रेष्ठ मानता हूँ क्योंकि बल से धर्म

1- कौटिल्य अर्थशास्त्र, चाणक्य प्रणीत सूत्र 78-83

अभित्री दण्डनीत्यामायतः । दण्डनीतिमधितिष्ठान् प्रजाः संरक्षति ।
दण्डः सम्पदा योजयति । दण्डाभावे मंत्रिवर्गा भाणः न
दण्डादकार्याणि कुर्वन्ति । दण्डनीत्यामायन्तामात्म रक्षाणम् ।

2- कौटिल्य अर्थशास्त्र, चाणक्य प्रणीत सूत्र 84-88

आत्मानि रक्षिते सर्व रक्षितं भवति । आत्मादतौ वृद्धि
विनाशी । दण्डो हि विज्ञाने प्रणीयते । दुर्बलोऽपि राजा
नावमन्तव्यः । नास्त्यग्नेदौर्बल्यम् ।

3- महाभारत 134 5

बहवपथ्यं बलवति न किञ्चित् क्रियते भयात् ।
उभासत्याधिकारस्थौ त्रायेते महतो भयात् ॥

की प्रवृत्ति होती है । जैसे चलने फिरनेवाले सभी प्राणी पृथ्वी पर ही स्थित है उसी प्रकार धर्म भी बल पर प्रतिष्ठित होता है ।¹ जैसे धुँआ वायु के अधीन होकर चलता है उसी प्रकार धर्म भी बल का अनुसरण करता है । जैसे भोग सामग्री से सम्पन्न पुरुषों के अधीन सुख भोग होता है उसी प्रकार धर्म बलवानों के वश में रहता है । बलवानों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है । बलवानों की सारी वस्तुएँ, शुद्ध व निर्दोष होती है ।² दुर्बल अपनी संपत्ति से वंचित हो जाता है और सब के उपमान और उपेक्षा का पात्र बनता है तथा दुःखमय जीवन व्यतीत करता है । जो जीवन निन्दित हो जाय वह मृत्यु के ही तुल्य है । दुर्बल मनुष्य के विषय में लोग इस प्रकार कहने लगते हैं अरे, यह तो पापाचरण के कारण जन्धु बान्धवों द्वारा त्याग दिया गया है । उनके इस वाग्बाण द्वारा धायल होकर वह संतप्त हो उठता है ।³ बल ही दण्ड निर्धारक तत्व था ।

मत्स्य पुराण में भी दण्ड के महत्त्व की चर्चा की गयी है ।

इसमें वर्णन प्राप्त होता है कि जो मनुष्य साम, दाम और भेद इन तीनों उपायों से वश में नहीं किये जा सकते उनको दण्ड से ही अपने वश में करना चाहिए क्योंकि दण्ड ही ऐसा साधन है जो मनुष्यों को वश में करनेवाला होता है । राजा द्वारा दण्ड का प्रणयन भलीभाँति व शास्त्रानुसार ही होना चाहिए । दण्ड ही प्रजा पर शासन करता है तथा वही प्रजा का अभिरक्षण करता है । सुप्त लोगों में दण्ड ही जागता है तथा प्रबुद्ध लोग दण्ड को ही धर्म जानते हैं । राजा के द्वारा प्राप्त होनेवाले दण्ड के भय से ही पापी लोग कर्म नहीं करते ।⁴

1- महा०शा०आप० 134. 6 अतिधर्माद् बल मान्ये बलाद् धर्म प्रवर्तते ।
बले प्रतिष्ठितो धर्मो धरण्याभिव जङ्गमन ॥

2- ,, ,, 134.8 वशे बलवता धर्मः सुख भोगवतामिव ।
नास्त्यसाध्यं बलवता सर्वं बलवता शुचि ॥

3- महा० शा० पर्व, 134. 10, 11

4- मत्स्य पुराण 103.1- 103.15 स शक्या वश -----

अनु० श्रीराम शर्मा आचार्य -----

बरेली, 1972 -----

पापाः पापं न कुर्वत ॥

• प्राचीनकाल में बल सेना तथा दण्ड के महत्व को स्वीकार करते हुए शास्त्रकारों ने युद्ध के कुछ नियम निर्धारित किये थे जिसका पालन करना सैनिकों को आवश्यक था । युद्ध की भी परिसीमार्द निर्धारित की गयी थी जिनके अन्दर ही युद्ध करना नियमानुमोदित था । गौतम का मत है कि जिन्होंने अश्व सारथि आयुद्ध खो दिया हो, हाथ जोड़ लिया हो, युद्ध में पीठ दिखा दिया हो, जो भूमि पर बैठ गया हो, दूत, गाय, ब्राह्मण युद्ध में अवध्य थे । इसका समर्थन मनु ने भी किया है । मनु का मत है कि युद्ध में लड़ते हुए शत्रुओं को कूटशस्त्रों से कर्णिका के आकार सदृश्य फलकवाले, विण से बुभेक हुए अग्निदिप्त बाणों से न मारे । इन्होंने भी नपुंसक, हाथ जोड़े, नीचे बैठे, मै तुम्हारा हूँ कहते हुए शत्रु, सोये, निःशस्त्र, दर्शक तथा दूसरे से लड़ते हुए व्यक्ति को न मारने की अनुमति दी है । महाभारत ने भी इसका समर्थन किया है ।

मेगस्थनीज़ ने लिखा है, " कृष्णकामण मस्तो से, निर्भय हो अपना कृष्ण कर्म करते थे और पास पड़ोस में भयंकर युद्ध चला करता था, युद्ध लिप्त लोग उनको किसी प्रकार तंग नहीं करते थे ।" मनु की व्याख्या करते हुए मेधातिथि ने कहा है कि शत्रु देश के लोगों में यथासंभव ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिए । गदा युद्ध का नियम था कि जधि के नीचे कोई वार न करे किन्तु भीम ने इसका उल्लंघन किया था दुर्योधन के भला बुरा कहने पर कृष्ण ने पाण्डवों की ओर से

1- गौतमधर्मसूत्र 10. 17. 18

2- मनुस्मृति , 7. 90 न कूटैरायुधैर्हन्वाधु -----
----- दिग्धैर्नाग्निज्वलितते जनैः ।

3- मनुस्मृति, 7. 91-93 न च हन्यात्स्थलाब्ध -----
-----धर्ममनुस्मरन् ।

दृष्टव्य - डा० पी०वी०काणे - धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग 2, पृ० 843

4- मेगस्थनीज़ (फ्रेगमेण्ट 1) पृ० 32 .

5- मनुस्मृति 7. 32

गणेशच पाठक, ठाकुर प्रसाद रंढ संस, वाराणसी ।

उत्तर दिया कि महाभारत के युद्ध में कई बार नैतिकता की सीमाओं का उल्लंघन किया गया था जैसे सूर्यास्त के बाद भी युद्ध करना, अभिमन्यु को कई वीरों द्वारा मारता आदि इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि उन नैतिकता नियमों का विरोध भी होता था ।¹

7- (मित्र) - आपत्तिकाल में शत्रु-मित्र की पहचान :-

कौटिल्य अर्थशास्त्र में मित्रों के महत्व के विषय में वर्णन है कि जो व्यक्ति आपत्ति के समय स्नेह से अपने साथ बना रहे वही मित्र है। अधिक मित्रों के बना लेने से अपना बल बढ़ जाता है ।² मनुस्मृति में मित्र की महत्ता पर बल देते हुए कहा गया है कि सुवर्ण और भूमि को पाकर राजा जैसे वृद्धि को नहीं पाता है जैसे किसी अशक्तकाल में दुर्बल किन्तु आगे बढ़नेवाले ध्रुव मित्र को पाकर होता है । धार्मिक, कृतज्ञ, प्रसन्नचित्त, प्रेमी और दृढ़ता से कार्य आरंभ करनेवाला मित्र छोटा भी हो तो उत्तम है ।⁴ महाभारत शान्तिपर्व में वर्णन है न तो कोई किसी का मित्र है और न कोई किसी का शत्रु, स्वार्थ को लेकर ही शत्रु और मित्र एक दूसरे से बंधे हुए हैं । जैसे पालतू हाथियों द्वारा जंगली हाथी बांध लिये जाते हैं उसी प्रकार अर्थों द्वारा अर्थ बांधे जाते हैं । शुक का मत है कि साहसी, शक्तिशाली

1- महाभारत, शल्य पर्व 606

भीष्म पर्व 49 . 52--53

द्रोण पर्व 163 . 16

दृष्टव्य डा० पी०वी०काणे- धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग 2, पृ० 684

2- कौटिल्य अर्थशास्त्र, चाणक्य प्रणीत सूत्र, ३५ . 36

अनु० वाचस्पति गैरोला आपत्सु स्नेह संयुक्त ॥ मित्रसंग्रहणे बलं संपद्यते ।
पृ० 776

3- मनुस्मृति 7 . 208 - हरिण्यभूमि संप्राप्त्या पार्थिवो न तथैधते ।

यथा मित्रं ध्रुवं लब्ध्या कुक्षमय्यायत्किंवायम् ॥

4- मनुस्मृति 7 . 209- धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टं प्रकृतिभेदं च ।

अनुरक्तं स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रशस्यते ॥

5- महाभारत शान्तिपर्व आप० 138 . 110 .

न कश्चित् कस्याचिन्मित्रं त कश्चित् रिपुः ।

अर्थस्तु निबद्धयन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ।

अर्थोर्धार्थं निबद्धयन्ते गजैर्वनगणा इवा ।

विनम्र के सामने अन्य लोग ऊपर से मित्रवत् व्यवहार करते हैं किन्तु भीतर ही भीतर शत्रुता रखते हैं और अवसर की ताक में लगे रहते हैं कि कब आक्रमण कर दे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्या वे स्वयं भूमि की विजय लिप्सा नहीं रखते ? राजा का कोई मित्र नहीं और न वह किसी का मित्र है ।¹ कामन्दक ने मित्र राजा के गुणों का वर्णन किया है - हृदय की पवित्रता, उदारता, वीरता, सुख-दुःख में साथ देना, प्रेम, जागरूकता और सच्चाई² । कामन्दक का मत है कि सच्चे मित्र की विशेषता है कि मित्र द्वारा वांछित उद्देश्यों के प्रति श्रद्धा । मित्र बनाने का उद्देश्य होता है धर्म, अर्थ, काम में से किसी एक की प्राप्ति ।³

पड़ोसी राजाओं के प्रकार :

एक राजा की सीमा के आस-पास पड़ोसी देश के राजा की प्रकृतियों का वर्णन कौटिल्य अर्थशास्त्र में बड़े ही सुन्दर ढंग से किया गया है ।

1- विजिगीष्णु :- जो राजा आत्मसंपन्न आसक्त्यादि द्रव्य प्रकृति संपन्न और नीति का आश्रय लेनेवाला हो उसको विजिगीष्णु कहते हैं।

2- अरि :- विजिगीष्णु राजा के चारों ओर के राजा अरि प्रकृति (पड़ोसी शत्रु) कहलाते हैं किन्तु नीतिवाक्यामृत का कथन है कि यह कोई नियम नहीं है कि पड़ोसी सदैव अरि ही हो और हर का राजा मित्र । सानिध्य एवं दूरी शत्रुता एवं मित्रता का कारण नहीं बल्कि उद्देश्य ही मुख्य है जिसके फलस्वरूप मित्र या शत्रु बनते हैं । हाँ यह सत्य है कि पड़ोसी राजा बहुधा अरि हो जाते हैं ।⁴

1- शुक्नीति 4. 1.8-10

2- कामन्दक नीति शास्त्र 4. 75-76

3- कामन्दक नीतिशास्त्र 4. 72

4- नीति वाक्यामृत , पृ० 321

दृष्टव्य - डा० पी०वी०काणे- धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग 2, पृ० 688

- 3- मित्र :- अरि प्रकृति राजाओं की सीमाओं से लगे हुए राजा मित्र प्रकृति कहलाते हैं ।
- 4- अरि-मित्र :- अरि का वह मित्र जो विजिगीष्णु के मित्र की सीमा का हो
- 5- मित्र मित्र :- जो राजा मित्र का मित्र हो ।
- 6- अरिमित्र-मित्र :- जो राजा शत्रु के मित्र का मित्र हो ।
- 7- पाष्णिग्राह :- जब युद्ध में अरि विजिगीष्णु के सम्मुख होता है तो वह राजा जिसका राज्य विजिगीष्णु के पीछे हो और वह पीछे से विजिगीष्णु पर आक्रमण कर दे या पकड़ सके उसे पाष्णिग्राह कहते हैं । ऐसा शत्रु, राजा के विजय अभियान में विपत्ति सड़ा कर देता है ।
- 8- आक्रंद :- आक्रंद वह मित्र है जो पाष्णिग्राह की सीमा से सटा होता है जिसकी सहायता प्राप्त करने के लिए विजिगीष्णु प्रार्थना कर सकता है ।
- 9- पाष्णिग्राहासार :- पाष्णिग्राह के मित्र को पाष्णिग्राहासार कहा जाता है ।
- 10- आक्रंदासार :- आक्रंद का मित्र ।²

इस प्रकार से राजा को विजय यात्रा में आगे क्रमशः शत्रु मित्र, अरिमित्र, मित्र-मित्र, अरिमित्र-मित्र ये पाँच राजा आते हैं इसी प्रकार अरिमित्र, उसके पीछे क्रमशः पाष्णिग्राह, आक्रंद, पाष्णिग्राहासार,

1- कौटिल्य अर्थशास्त्र 6 . 97 . 2 . 1

राजा आत्मद्वयप्रकृति सम्पन्नो नयस्याधिष्ठानं विजिगीष्णुः ।
अनु० वाचस्पति तस्य सम्पन्नतो मण्डलीभूता भूम्यन्तरा अरिप्रकृतिः । तथैव
गैरोला, भूम्येकान्तरा मित्र प्रकृतिः ।
पृ० 446

आक्रंदासार ये राजा होते हैं । विजिगीष्णु राजा के सहित आगे पीछे के राजाओं को मिलाकर एक राजमण्डल कहलाता है ¹ । मनु ने भी इसी प्रकार का वर्णन किया है ² ।

शत्रु एवं मित्र के अन्य प्रकार

।अ।

सहज मित्र : सहज मित्र वे हैं जो माता पिता के संबंध से प्राप्त होते हैं ।
यथा मामा, मौसा, फुफा के पुत्र आदि ।

कृत्रिम मित्र : कृत्रिम मित्र वे हैं जो प्राप्त किये जाते हैं अर्थात् जो विजिगीष्णु को अपनी सहायता से अनुगृहीत करते हैं या स्वयं अनुगृहीत होते हैं ।

प्राकृत मित्र : प्राकृत मित्र वे हैं जो प्राकृतिक रूप से विजिगीष्णु के राज्य सीमा से सटा हुआ हो ।³

आचार्य कौटिल्य ने केवल सहज और कृत्रिम मित्रों का वर्णन किया है, उनके अनुसार विजिगीष्णु के राज्य से एक राज्य को छोड़कर उसके बाद का स्वभावतः मित्र राजा और विजिगीष्णु का ममेरा या फुफेरा भाई ये सहज मित्र हैं । धन या जीविका के लिए आश्रय लेनेवाला कृत्रिम मित्र कहलाता है, उन्होंने प्राकृत मित्र का वर्णन नहीं किया है ⁴ । विष्णु धर्मोत्तर एवं अग्नि-⁵पुराण का मत है कि प्राकृत वास्तव में कृत्रिम हैं ।

1- कौटिल्य अर्थशास्त्र 6. 97. 2.3 - तस्मामिन्ममरिमित्रं मित्रमित्रयुं
अनु० वाचस्पति अरिमित्रमित्रं चानन्तर्येण भूमीनां प्रसज्यते पुरस्तात् ।
गैरोला, पृ० 446 पश्चात्पाविष्णुग्राह आक्रंदः पाष्णिग्राहासार आक्रंदासार इति।

2- मनुस्मृति 7. 156 एताः प्रकृतयो ————— ताः स्मृताः ॥

3- डा० पी०वी०काणे- धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग 2, पृ० 690

4- कौटिल्य अर्थशास्त्र 6. 97. 2.1 - भूम्येकान्तरं प्रकृतिमित्रं मातृपितृ सम्बन्ध
अनु० वाचस्पति गैरोला, सहजं धनजीवितहेतोरश्रितं कृत्रिममिति ।
पृ० 447

5- विष्णु धर्मोत्तर 2. 145. 15-16
अग्निपुराण 233, 21-22

(ब)

मध्यम : मध्यम राजा उसे कहा जाता है जिसका राज्य अरि तथा विजिगीष्णु की राज्य-सीमा से सटा हो, जो दोनों राजाओं की संधि में संधि का समर्थक तथा विग्रह में विग्रह का समर्थक हो ।¹

उदासीन : उदासीन राजा वह है जो विजिगीष्णु की राज्य सीमा से बहुत दूर राज्य करता हो जो राज्य तत्वों से संपन्न हो, जो अरि विजिगीष्णु और मध्यम की संधि में संधि का समर्थक विग्रह में विग्रह का समर्थक हो वह राजा उदासीन है ।² किन्तु मनु के भाष्यकार कुल्लूक मत है कि उदासीन राजा किसी कारणवश विजिगीष्णु के त्रियाकलापों से उदासीन हो उठा³ हो वह शक्ति-शाली राजा ही उदासीन राजा कहलाता है ।

मनु का मत है कि नीतिज्ञ राजा सभी उपायों से ऐसा कर्म करे कि जिसमें उसके मित्र, उदासीन और शत्रु की संख्या न बढ़ने पाये । जिस नियम से मित्र, उदासीन और शत्रु कोई कभी उसे कष्ट न दे सके ऐसे ही नियम से चलना चाहिए । संक्षेप में यही नीति है ।⁴ याज्ञवल्क्य का मत है कि सीमा में सटे हुए राज्य उसके बाद के राज्य और उसके भी बाद के राज्य पर शासन करनेवाले राजा क्रमशः शत्रु-मित्र और उदासीन होते हैं । इन राज्य मण्डलों पर क्रमशः ध्यान रखना⁵ चाहिए तथा इनके साथ साम दामादि उपायों का प्रयोग करना चाहिए ।

1- कौटिल्य अर्थशास्त्र 6. 97. 2. 2 - अरिविजिगीष्णोर्मध्यमन्तरः संहतासंहत अनु० वाचस्पति गैरोला योरनुग्रहसमर्थो निग्रहे चासंहतयोर्मध्यमः ।

2- कौटिल्य अर्थशास्त्र 6. 97. 2. 3

3- मनु पर कुल्लूक की टिप्पणी 7. 153

4- मनुस्मृति 7. 177 - सर्वोपायेस्तथा -----
----- स्युर्मित्रोदासीनशत्रवः ॥

गणेशच पाठक, ठाकुर प्रसाद रंढ संस, वाराणसी

7. 180 - यथैत -----

----- नयः ॥

5- याज्ञवल्क्य 13. 345 अरिमित्र -----

----- सामादिभिरुपक्रमैः ॥

महाभारत में, वर्णन है -

बुद्धिमान, विद्वान और नीतिशास्त्र में निपुण पुरुष भारी और भयंकर विपत्ति में भी डूब नहीं जाते उससे कूटने की चेष्टा करते हैं ।¹ आचार्यों का कथन है कि संकट के समय जीवन चालनेवाले बलवान पुरुष को भी निकटवर्ती² शत्रु से मेलजोल कर लेना चाहिए । विद्वान शत्रु अच्छा होता है मूर्ख मित्र नहीं ।³ मित्रों को भी जानना चाहिए, शत्रुओं को भी अच्छी तरह से जानना चाहिए । अवसर आने पर कितने ही मित्र शत्रुरूप हो जाते हैं और कितने ही शत्रु मित्र बन जाते हैं । परस्पर संधि कर लेने के पश्चात् जब वे काम और क्रोध के अधीन हो जाते हैं तब यह समझना³ बड़ा असंभव हो जाता है कि वे शत्रुभाव से युक्त है या मित्र भाव से युक्त है । न कभी कोई शत्रु होता है और न मित्र होता है । आवश्यक शक्ति के संबंध में लोग एक दूसरे के शत्रु और मित्र हुआ करते हैं । मैत्री कोई स्थिर वस्तु नहीं है और शत्रुता भी सदा स्थिर रहनेवाली चीज़ नहीं है । स्वार्थ के संबंध में शत्रु और मित्र होते रहते हैं ।⁴

कभी-कभी समय के फेर से मित्र शत्रु बन जाता है और शत्रु भी मित्र हो जाता है क्योंकि स्वार्थ बलवान होता है ।⁵ जो विश्वास पात्र न हो उस पर कभी भी विश्वास न करे और जो विश्वास पात्र हो उस

1- महाभारत शांति० आप० 138-39, 40

दामोदर सातवलेकर, न हि बुद्ध्याचितः प्राज्ञो नीतिशास्त्र विशारदः ।
पारडी, बलसाड़ निमज्जत्यापदं प्राप्य महतीं दारुणामपि ॥

2- ,, ,, 138 .46 - श्रेष्ठो हि पण्डितः शत्रुं च मित्रमण्डितः ॥

3- ,, ,, 138 - शत्रुरुपा हि सुहृदो मित्ररुपाश्च शत्रवः ।
संधितास्ते न बुद्धयन्ते काम क्रोध वशगता ॥

4- ,, ,, 138 .14 नास्ति मैत्री स्थिरा नाम न च ध्रुवमसौहृदम ।
अर्थयुक्त्यानुजायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥

5- ,, ,, 138 .142 मित्रं च शत्रुतामेति किस्मिंश्चित् कालपर्ययि ।
शत्रुश्च मित्रतामेति स्वार्थो हि बलवन्तरः ॥

पर भी अधिक विश्वास न करे क्योंकि विश्वास से उत्पन्न हुआ भय मनुष्य का मूलोच्छेद कर डालता है ।¹ मनुष्य कारण से ही प्रेमपात्र और कारण से ही द्वेषपात्र बनता है । यह जीव जगत स्वार्थ का ही साथी है । कोई किसी का प्रिय नहीं है । दो सगे भाईयों तथा पात और पत्नी में भी जो परस्पर प्रेम होता है वह भी स्वार्थवश ही है । इस जगत में कोई प्रेम निष्कारण नहीं है ।² मित्रता और शत्रुता के रूप तो बादलों के समान क्षण-क्षण में बदलते रहते हैं । आज ही तुम मेरे शत्रु होकर, आज ही तुम मेरे मित्र और पुनः शत्रु बन सकते हो स्वार्थवश । किसी कारण को लेकर उत्पन्न होनेवाली प्रीति जब तक वह कारण रहता है तब तक बनी रहती है । कारण के समाप्त हो जाने पर वह प्रीति भी समाप्त हो जाती है । सम्यक् कारण के स्वरूप को बदल देता है और स्वार्थ उस सम्यक् का अनुसरण करता है विद्वान् पुच्छन् उस स्वार्थ को समकता है ।³

इस विषय में महान राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ शुक्राचार्य ने दो उपाय बताये हैं -

11। जब अपने और शत्रु दोनों पर एक ही विपत्ति आयी हो तो निर्बल को सबल शत्रु के साथ मेल करके बड़े सावधानी और युक्ति से अपना काम निकालना चाहिए और जब काम पूरा हो जाय तो फिर शत्रु पर विश्वास नहीं करना चाहिए ।

12। जो विश्वास पात्र न हो उस पर विश्वास न करे

1- महा० शान्ति० आप० 138 . 14- न विश्वसेद विश्वस्ते नाति विश्वसेत ।

विश्वसाद् भयमुत्पन्नमपि मूलानि कृन्तति ॥

2- ,, ,, 138 . 152 अर्थाधी जीवलोकेषु न कश्चित् कस्याचित् प्रियः

सस्य सोदर्य योऽभिर्दोषमत्योर्वा परस्परम् ॥

कस्यचिन्नाभिजानानि प्रीति निष्कारणामिहि ॥

3- ,, ,, 138 . 157-8 कालो हेतु विकुरुते स्वार्थमनुवर्तति ।

स्वार्थं प्राज्ञोऽभिजानाति प्राज्ञं लोकोऽनुवर्तति ॥

अपने प्रति सदा दूसरों का विश्वास उत्पन्न करे किन्तु स्वयं दूसरों पर विश्वास न करे ।

सूत्रोप में नीतिसार का यह सार है कि किसी का भी विश्वास न करना ही उत्तम माना गया है । इसलिए दूसरे लोगों पर विश्वास न करने में ही अपना विशेष हित है । जो विश्वास न करके सावधान रहते हैं वे दुर्बल होने पर भी शत्रुओं द्वारा मारे नहीं जाते । जो उन पर विश्वास करते हैं वे बलवान होने पर भी शत्रुओं द्वारा मार डाले जाते हैं ।

मनुष्य भयभीत होकर भी निडर के समान और किसी पर विश्वास न करते हुए भी विश्वास करनेवाले के समान बर्ताव करे, उसे कभी असावधान होकर नहीं चलना चाहिए यदि चलता है तो नष्ट हो जाता है । समय के अनुसार शत्रु के साथ भी संधि और मित्र के साथ भी युद्ध करना चाहिए । संधि तत्त्व को जाननेवाले विद्वान् पुरुष उस बात को सदा कहते हैं ।

1- महाभारत० आप० 138 . 193-94

अस्मिन्नर्थे च याथे द्वे निवोधोशनसकृते ।
शत्रु साधारणे कृत्ये कृत्वासंधि बलियसा ॥
समाहित्श्वरेद युक्त्या कृतार्थश्चन विश्वसेत् ।
न विश्वसेद विश्वस्ते विश्वस्ते नाति विश्वसेत् ।
नित्य विश्वास्येन्ध्यात् परेणात् तु न विश्वसेत् ।

2- ,, ,, 138 . 197

वध्यन्ते न सविश्वस्ताः शत्रुनिर्दुर्बला अपि ।
विश्वस्तास्तेषु वध्यन्ते बलवन्तोऽपि दुर्बलः ॥

3- ,, ,, 138 . 206

तस्माद्भीतवद भी तो विश्वस्तवद विश्वसन् ।
न सप्रमत्तश्चलति चलितो वा विनश्यति ॥

4- ,, ,, 138 . 207

काले रिपुणां संधि काले मित्रेण विग्रहः ।
कार्य इत्येव संधिज्ञा प्राहुर्नित्यं नराधिप ॥

प्राचीन भारतीय आचार्य जानते थे कि युद्ध का एकदम त्याग कर देना संभव नहीं, अतः युद्ध की संभावना यथासंभव कम करने के लिए उन्होंने विविध राज्यों के मण्डल बनाकर उनमें शक्ति संतुलन कायम रखने की व्यवस्था की थी। स्मृति और ग्रंथकारों की प्रख्यात मण्डल नीति शक्ति संतुलन के सिद्धान्त पर आधारित थी। इनकी यह नीति थी कि आस-पास के पड़ोसी राज्यों से ऐसा सम्बन्ध रहे कि आक्रमण करनेवाले राज्यों को सदा भय बना रहे कि वे शक्तिशाली राज्य हैं। अतः नीतिशास्त्रकारों ने राज्यों को मण्डल बनाने की सलाह दी जिनमें विजयिणु, मित्र, मित्र-मित्र, अरिमित्र पारिष्वर्ग ग्राह आदि आते थे।¹ जिनकी भूमिका आधुनिक युग के संयुक्त राष्ट्र संधि की भाँति ही होती थी।

युद्धकाल में राजा के कर्तव्यों की व्याख्या

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा के युद्धकालीन (आपातकालीन) कर्तव्यों की व्याख्या बड़े ही सुन्दर ढंग से की गयी है। सामान्य अवस्था में तो राजा सामान्य ढंग से अपने राजकार्य करता है किन्तु आपत्ति के समय संकटकाल में एक राजा अपने प्रखर प्रतिभा का परिचय देता है। कूटनीति, संधिविग्रह, शत्रु मित्र की परख राजा के बुद्धि कौशल द्वारा ही संवालिप्त होता है, अपने इन्हीं कौशलों के माध्यम से एक राजा अपने राज्य की उन्नति और अवनति का कारण बनता है।

कौटिल्य ने पुरातन आचार्यों के मत को उद्धृत करते हुए राजा के युद्धकालीन कर्तव्यों का विवेचन किया है -

- । 1 । संधि - दो राजाओं का कुछ शर्तों पर मेल हो जाना ही संधि है।
- । 2 । विग्रह - शत्रु का कोई अपकार करना विग्रह है।
- । 3 । आसन - शत्रु की उपेक्षा करना।

- । 4 । यान - शत्रु पर चढ़ाई करना ।
 । 5 । संश्रय - आत्म समर्पण करना ।
 । 6 । द्वैधीभाव - संधि तथा विग्रह दोनों से काम लेना ।¹

मनु ने भी कौटिल्य के इस मत का समर्थन किया है ।²

1।1। संधि - कौटिल्य का मत है कि विजिगीष्णु राजा को चाहिए कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार सन्धि आदि ह्यः गुणों में जिसको उचित समझे उसी को व्यवहार में लाये । उसके लिए उचित यही है कि बराबर तथा बड़ी शक्तिवाले राजा के साथ वह सन्धि कर ले और शक्तिहीन के साथ विग्रह कर दे, क्योंकि अधिक शक्ति वाले के साथ विग्रह करने पर हीन शक्ति राजा की वही दुर्दशा होती है जो कि गजारोही सैनिकों के साथ पैदल सैनिकों की । समान बल विक्रम वाले के साथ विग्रह करने पर दोनों उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे दो बक्खे घड़े आपस में भिड़कर टूट जाते हैं ।

आपत्तिकाल में (युद्ध के समय) सेना आदि के द्वारा बलवान राजा से दबाये हुए निर्बल राजा को चाहिए कि वह तत्काल धन, सेना और भूमि आदि के सहित आत्म समर्पण करके बलवान राजा के सामने झुक जाये ।

संधियों के प्रकार :- कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में विविध प्रकार के संधियों की चर्चा की है ।

1- कौटिल्य अर्थशास्त्र 7. 98-99. 1.5 तत्र पणबन्धः सन्धिः, अपकारो विग्रहः,
 अनु० वाचस्पति उपेक्षाण-मासनम्, अभ्युच्चयो धानं, परार्पणं संश्रयः,
 गैरोला, 453 संधि विग्रहोपादानं द्वैधीभाव इति षड्गुणाः ।

2- मनुस्मृति 7. 169 - 172
 गणेशच पाठक, ठाकुर प्रसाद एंड संस, वाराणसी

3- कौटिल्य अर्थशास्त्र 7. 101-102. 3.1 विजिगीष्णुः शक्त्यपेक्षाः _____
 अनु० वाचस्पति _____हीनैकान्तसिद्धिमवाप्नोति ।
 गैरोला, पृ० 461

4- ,, ,, 7. 101-102 3. 2 प्रवृत्तक्रेणाक्रान्तो _____
 पृ० 468 _____ कौशलेष्वात्मभूमिभिः ॥

(1) अभिषेकसंधि - जब विजित राजा विजयी राजा के कथनानुसार अपनी शक्ति भर सेना तथा धन लेकर आत्म समर्पण कर दे तो उस संधि को अभिषेकसंधि कहते हैं ।¹

(2) पुरुषांतर (आत्मरक्षण) संधि :- सेनापति और राजकुमार को शत्रुराज की सेवा में पेश करके जो संधि की जाती है वही पुरुषांतर संधि कहते हैं, इसमें राजा शत्रु के दरबार में न जाने से आत्मरक्षा कर लेता है ।²

(3) अदृष्टपुरुष संधि (दण्डमुख्यात्मरक्षण) संधि :- जब यह सोच कर संधि की जाती है कि शत्रु के कार्य की सिद्धि के लिए जब मैं स्वयं अकेला ही जाऊंगा या मेरी सेना ही जायेगी * ऐसा कहकर संधि की जाती है तब उसे अदृष्ट पुरुष संधि कहते हैं, इसी संधि की दण्डमुख्यात्मरक्षण संधि भी कहते हैं क्योंकि इसमें मुख्य सैनिकों की और राजा की रक्षा हो जाती है ।³

इन संधियों में शक्तिशाली राजा प्रमुख राजपुरुषों की कन्याओं से विवाह करे जैसा बम्हृगुप्त मौर्य ने सेल्युक्स की कन्या से विवाह किया था, गुप्तकाल में समुद्रगुप्त ने भी कन्योपायनदान संधि प्रचलित की थी । इन तीन संधियों को दण्डोपगत संधि भी कहते हैं ।

(4) परिक्रम, उपग्रह (प्रत्यय, सुवर्ण, कन्यादान) संधि - जिस संधि में बलवान शत्रु द्वारा युद्ध में गिरफ्तार किये गये अमात्य आदि प्रकृतिजनों को धन देकर छोड़ा जाय उसे परिक्रम संधि कहते हैं और यही संधि जब सुविधानुसार विस्तवार धन अदा करने की शर्त पर की जाय तो उसे उपग्रह संधि कहते हैं, जब

1- कौटिल्य अर्थशास्त्र 7.101-102.3.4 - स्वयं संख्यातदण्डेन ----- मतः ॥
अनु० वाचस्पति गैरोला ५७५.

2- ,, ,, 7. 101-102.3.4- सेना पात -----
पृ० 463 -----स्यान्नात्मनेत्यात्मारक्षणः ॥

3- ,, ,, 7.101-102.3.5 - एकैकान्यत्र ----- सन्धिर्दण्डमुख्यात्म-
रक्षणः ॥

उपग्रह संधि के लिए स्थान और समय निश्चित की जाय तो उसे प्रत्यय संधि कहते हैं । नियमित धनराशि देने के कारण यह कन्यादान संधि कहलाती है इसका एक नाम सुवर्ण संधि भी है क्योंकि यह तपे हुए सुवर्ण के समान शत्रु और विजिगीष्णु दोनों के मिलने का साधन सिद्ध होती है ।

कपाल संधि :- इस संधि में संपूर्ण धनराशि तत्काल ही अदाकर देने की शर्त होती है ।²

कोशोपनत संधि :- संधि में देय धन का कुछ हिस्सा देकर और यह कह दे कि अभी मेरी स्थिति बिगड़ी है कुछ समय बाद और धन दे दूंगा ऐसा कहकर जो संधि की जाती है वही कोशोपनत संधि है ।³

आदिष्ट और उच्छिन्न संधि :- राष्ट्र और प्रकृति की रक्षा के लिए भूमि का कुछ भाग देकर संधि करने को आदिष्ट संधि तथा राजधानी और दुर्गों को छोड़कर सारहीन भूमि शत्रु को देकर जो संधि की जाती है उसे उच्छिन्न संधि कहते हैं इसमें राजा सोचता है कि कब विजिगीष्णु पर विपत्ति पड़े और हम अपनी भूमि वापस ले लें ।⁴

अपक्रम और परदूषण संधि :- जिस संधि में भूमि की पैदावार को देकर भूमि को छोड़ा लिया जाय उसका नाम अपक्रम संधि है और जिस संधि में पैदावार के बलावा कुछ और देना पड़े वह परदूषण संधि कही जाती है ।⁵

1- कौटिल्य अर्थशास्त्र 7. 101-102, 7.1 कोशदानेन शेषाणां -----

अनु० वाचस्पति गैरोला,
पृ० 463-464

----- सुवर्णसन्धि विश्वासादेकी भागवतो भवेत् ।

2- ,, ,, पृ० 464 विपरीतः कपाल स्यादत्यादानादभाणितः

3- ,, ,, पृ० 464 तृतीये प्रणयेवर्ध कथयन् कर्मणां दायम् ।
तिष्ठेच्चतुर्थे इत्येते कोशोपनतसन्ध्यः ॥

4- ,, ,, पृ० 464-465 भूम्ये क्वेशत्यागेन -----
-----परव्यसनकादिणः ॥

5- ,, ,, पृ० 465 फलदानेन भूमिनां मोक्षणां स्यादवक्रयः ।
फलातिमुक्तो भूमिम्यः सन्धिः स परदूषणः ॥

इस प्रकार से निर्बल राजा को चाहिए कि वह आपत्तिकाल में दण्डोपनत कौशोपनत तथा देशोपनत इन तीन प्रकार की¹ संधियों को अपने कार्य देश तथा समय के अनुसार उपयोग करे ।¹

विग्रह करके आसन और यान का अवलंबन :-

इसका संदिप्त अर्थ है युद्ध करना । कौटिल्य का मत है जब विजिगीषु देखे कि अपने तथा मित्र की या आटविक राजा की सेना के द्वारा में बराबर के या अधिक शक्तिवाले शत्रु राजा की सेना को परास्त कर सकूँगा² तो भीतर और बाहर की व्यवस्था को ठीक करके विग्रह कर देना चाहिए । उसे इसका भी ध्यान रहे कि उसकी अमात्यादि प्रकृतियाँ उत्साह तथा शौर्य से भरी हों और वे शत्रु पर आक्रमण करने को व्याकुल हों । जब विजिगीषु को यह विश्वास हो जाय कि शत्रु व्यसनों में फँसा है, उसका प्रकृतिमण्डल भी व्यसनों में उलझा है उसकी प्रजा उससे विरक्त हो गयी है । राजा स्वयं उत्साह हीन तथा प्रकृति मण्डल परस्पर क्लृप्त युक्त है, वह सभी दैविक आपत्तियों द्वारा क्षीण हो गया हो, तो ऐसी दशा में विग्रह करना उचित है ।

आपत्तिकाल में सश्रयवृत्ति का आश्रय लेना :-

सश्रय वृत्ति का अर्थ है आत्म समर्पण करना या आश्रय लेना, आश्रय उसका लेना चाहिए जो अपने शत्रु राजा से बलवान हो यदि ऐसा बलवान राजा न मिले तो अपने शत्रु राजा का ही आश्रय लेना चाहिए किन्तु दूर से ही धन सेना भूमि आदि को देकर उसका उपकार करे उसके पास न आवे क्योंकि बलवान

1- कौटिल्य अर्थशास्त्र 7. 101-102.4
अनु० वाचस्पति गैरोला, पृ० 465

2- ,, ,, पृ० 466

3- ,, ,, पृ० 468

स्वकार्याणि वशैते देशे काले च भाषिताः ।
आबलीयसिकाः कार्यास्त्रिविधा हीनसन्ध्यः ।

युद्ध वा पश्येत् _____
_____ विगृह्यासीत् ।

विगृह्यासनहेतुभिरभ्युच्यतः _____
_____ तदा विगृह्या यायात् ॥

राजा का साथ कभी-कभी महान अनर्थकारी सिद्ध होता है । यदि उस बलवान राजा ने किसी शत्रु से दुश्मनी ठानी है तो उसके निकट रहने में कोई हानि नहीं है । इसका एक महत्वपूर्ण फल भी है कि जो जिसका प्रिय है, वे दोनों एक दूसरे के अवश्य प्रिय होते हैं इसलिए जो जिसका प्रिय हो वह उसी का आश्रय ले उसी को सर्वश्रेष्ठ आश्रय स्थान बताया गया है ।

मनु का मत है कि शत्रुओं के सताये जाने पर कार्य और अर्थ की सिद्धि के लिए किसी बलवान राजा का आश्रय लेना अथवा किसी शत्रु के सताये जाने की आशंका से किसी बलवान का आश्रय घोषित करना यह दो प्रकार के संश्रय हैं ।³

आपत्तिकाल में द्वेषी भाव का आश्रय लेना -

द्वेषी भाव का अर्थ है संधि तथा विग्रह दोनों द्वारा आपत्तियों का निवारण करना यदि एक राजा संधि करने के बाद भी अनिष्ट करना चाहता हो तो उसके साथ विग्रह कर देना ही उचित है इसके लिए सर्वप्रथम विजिगीष्णु को अपनी स्थिति सुदृढ़ कर लेनी चाहिए । विजिगीष्णु राजा को चाहिए कि अपने पड़ोसी के शत्रु राजा को वह अपनी सहायता के लिए इन तरीकों से तैयार करे - किसी सामन्त से मिलकर यातक सामन्त पर चढ़ाई करे । यदि उसे विश्वास हो जाय कि वह मेरे सुख दुःख में सम्भाव से मेरे साथ रहेगा इसको साथ रखने से मेरी शक्ति दुगुनी होगी आपत्ति आ जाने पर यातक्य से मेरी संधि करा देगा तो इस अवस्था में इसे पड़ोसी शत्रु राजा से संधि या मेल कर लेना चाहिए । इसी प्रकार से

- 1- कौटिल्य अर्थशास्त्र 7 . 100.2.4 यद्वलः -----
 अनु० वाचस्पति गैरोला, पृ० 458 ----- राज्ञामन्त्रारिविगृहीतात् ॥
- 2- ,, ,, पृ० 460 प्रियो मस्य भवेद् यो वाप्रियोडस्य पतरस्तयोः ।
 प्रियो यस्य स तं गच्छेदित्याश्रयगतिः परा ॥
- 3- मनुस्मृति 7 . 168 - अर्थ संपादनार्थ ----- स्मृतः ॥

समक्षक्ति सामन्त दूसरे समक्षक्ति सामन्त के साथ दुष्ट बुद्धि और कल्याण बुद्धि ही देखकर ही निग्रह तथा अनुग्रह करे ।¹

इस प्रकार से कौटिल्य ने इन छह गुणों के विषय में कहा है कि शत्रु की तुलना में अपने को निर्बल समझने पर संधि कर लेनी चाहिए, बलवान समझे तो विग्रह कर देनी चाहिए, शत्रु-बल और आत्मबल में अन्तर न समझे तो आसन अपना लेना चाहिए । स्वयं को शक्ति संपन्न समझे तो यान (चढ़ाई) कर देना चाहिए । अपने को निराशक्त समझने पर संश्रय से काम लेना चाहिए और यदि सहायता की अपेक्षा समझे तो द्वैधीभाव अपनाना चाहिए।²

मनु का मत है जब संधि करने पर अपनी वृद्धि समझे तो थोड़ा कष्ट और हानि सहकर भी सन्धि कर ले । जब अपनी प्रकृति (मंत्री आदि अधिकारी) पूरे तौर पर संतुष्ट हो और अपने शत्रु से बल में सब प्रकार से बढ़े हो तो विग्रह करे । जब अपने को शत्रु के हाथ में जानेवाला समझे तब वह शीघ्र ही किसी धार्मिक और बली राजा का आश्रय ले यदि संश्रय करने पर भी रक्षा न हो सके तो निःशंक होकर युद्ध ही करे ।³

याज्ञवल्क्य स्मृति में भी षडगुण सम्बन्धी यही विचार दृष्टिगत होते हैं । याज्ञवल्क्य का विचार है कि सन्धि विग्रह (अपकार) यान (चढ़ाई) अपेक्षा भाव बलवान का आश्रय तथा अपनी सेना का द्विधा विभाजन इन गुणों का यथोचित देश काल शक्ति व मित्र का विचार करके अवलम्बन करे ।⁴

1- कौटिल्य अर्थशास्त्र 7. 112.7.1,2
अनु० वाचस्पति गैरोला,
पृ० 484-486

2- ,, ,, 7. 98-99 ↓ 6
पृ० 453

3- मनुस्मृति 7. 169, 170, 174, 176

4- याज्ञवल्क्य स्मृति 13. 347.

विजिगीष्णु द्वितीया -----
----- विश्वासयिज्यति ति ।
एवं समः सम्मति संख्यादनुगृह्वीयाद्वा ।।

परस्माद्दीयमानः -----
----- द्वैधीभावं गच्छेत् ।

संधिं च विग्रहं यानमासन्नं संश्रयं तथा ।
द्वैधी भावं गुणानेतान यथावत्परिकल्पयेत् ।।

महाभारत के शान्तिपर्व के आपद्धर्मपर्व में संधि विग्रह के विषय में वर्णन है कि देशकाल को समझकर कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय करके किसी पर विश्वास और किसी के साथ युद्ध करना चाहिए । कर्तव्य का विचार करके सदा हित चाहनेवाले विद्वान मित्रों के साथ संधि करनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं से भी संधि कर लेनी चाहिए क्योंकि प्राणों की रक्षा सदा ही प्रथम कर्तव्य है ।²

जो मूर्ख मानव शत्रुओं के साथ कभी किसी भी दशा में संधि ही नहीं करता वह किसी भी उद्देश्य को सिद्ध नहीं कर सकता और न कोई फल ही प्राप्त कर सकता है । जो स्वार्थ सिद्धि का अवसर देखकर शत्रु से तो संधि कर लेता है और मित्रों के साथ विरोध बढ़ा लेता है वह महान फल प्राप्त कर लेता है । इसी विषय में महाभारत शान्तिपर्व के आपद्धर्मपर्व में विडाल चूहे का आख्यान बढ़ा ही महत्वपूर्ण है । इससे ज्ञात होता है कि बैभो के शुरु किया कार्य करनेवाले के लिए लाभदायक नहीं होता और वही उपर्युक्त समय के आने पर आरंभ किया जाय तो महान अर्थ का साधक हो जाता है । जो व्यक्ति बलवान से संधि करके अपनी रक्षा का ध्यान नहीं रखता उसका वह मेल-जोल लाये हुए अपथ्य अन्न के समान हितकर नहीं होता है ।⁶

-
- 1- महा० शान्ति० आप० 134 . 14 तस्माद् विश्वसितव्यं च विग्रहं च समाचरेत् ।
देशं कालं च विज्ञाय कार्याकार्याविनिश्चये ॥
- 2- ,, ,, 138 . 15 संधातव्यं वुर्धनित्यं व्यवस्य च हितार्थिभिः ।
अमित्रैरपि संधियं प्राणः रक्षया हि भारत ॥
- 3- ,, ,, 138 . 16 यो ह्याभिमेररो नित्यं न संदध्यादपण्डितः ।
न सोढ्यं प्राप्नुयात् किञ्चित् फलन्यपि भारत ॥
- 4- ,, ,, 138 . 17 यस्त्वमित्रेण संदध्यान्मित्रेण च विरुद्धयते ।
अर्थयुक्तिं समालोक्य सुमहद्विदते फलम् ॥
- 5- ,, ,, 138 . 95 अकाले कृत्यभारब्धं क्तुर्वाधाय कल्पते ।
तदेव कालं आरब्धं महतेढ्यार्य कल्पते ॥
- 6- ,, ,, 138 . 96 कृत्वा बलवता संधिमात्मानं यो न रक्षति ।
अपथ्यमिव तद्मुक्तं तस्य नार्थव्यं कल्पते ॥

आपत्तिकाल में आत्मरक्षा के उपाय :- (कूटनीति)

महाभारत के शान्तिपर्व में राजा के आत्मरक्षाक उपायों का विस्तृत वर्णन किया गया है । राजा या किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए प्राण रक्षा करना सर्वोपरि है क्योंकि जीवित रहने पर ही व्यक्ति धर्म का पालन करेगा और यदि जीवित ही न रहे तो धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है । कूटनीति के विषय में महाभारत के शान्तिपर्व में वर्णन है कि यदि शत्रु का धरित्र शुद्ध हो वह धर्म के अनुसार विजय करना चाहता हो तो उसके साथ शीघ्र ही सन्धि करके धीरे-धीरे अपने छिने हुए गाँव व नगरों पर अधिकार कर ले । यदि शत्रु बलवान हो और अधर्म से विजय करने पर उतारू हो तो कुछ ले देकर उसके साथ सन्धि कर ले अथवा राजधानी तथा अन्यान्य सब सम्पत्ति छोड़कर विपत्ति से पीछा छुड़ा ले क्योंकि जीवित रहने पर फिर से ऐश्वर्य मिल सकता है । अतएव कौण्डिन्याय देने पर जिस आपत्ति से छुटकारा मिल सकता है । उस आपत्ति में शरीर त्याग कर देना निरी मूर्खता है । यदि स्त्रियों बच्चों की रक्षा न हो सके और शत्रुओं के हाथ में पड़ जाय तो उनका स्नेह न करके राजा आत्म रक्षा ही करे ।

एक बार शत्रुता हो जाने पर पुनः किसी भी प्रकार से मित्रता नहीं हो सकती इसलिए किसी भी बहलावे में नहीं आना चाहिए । जहाँ पहले सम्मान मिला हो वही बाद में अपमान मिलने लगे तो प्रत्येक शक्तिशाली पुरुष को उस स्थान का परित्याग कर देना चाहिए । (पूजनी ब्रह्मवत् संवाद में पूजनी

-
- 1- महा० शांति० आप० 131.6 - आपस्य राजधानी वा तरेद्द्रव्येण चापद्म ।
तम्दावमुक्तो द्रव्याणि जीवन पुनरुपाययते ॥
- 2- ,, ,, 131.7 वास्तुकोशबलत्यागाच्छक्यास्तरितु भापदः ।
वस्तत्राधिकामात्मानं सत्यजेदव्यं धर्मवित् ॥
- 3- ,, ,, 131.8 अवरोधान जुगुप्सते का सपत्नधने दया ।
न त्वेवात्मा प्रदातव्यः शक्ये सति कथंचन ॥
- 4- ,, ,, 139.33 पूर्वसम्माना यत्र पश्चाच्चैव विमानना ।
जह्यात् तत् सत्त्ववान स्तान् स्त्रीः सम्मानितोऽपिसन् ॥

का कथन है) बैर 5 कारणों से होते हैं (1) स्त्री के लिए (2) घर और जमीन के लिए (3) कठोर वाणी के कारण (4) जातिगत दोषों के कारण (5) किसी समय के किए अपराध के कारण जिसने बैर बांध लिया हो । ऐसे सुहृदय पर भी इस जगत में विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि लकड़ी के भीतर आग छुपी रहती है उसी प्रकार हृदय में बैर भाव छुपा रहता है ।¹ जिस प्रकार बलवानक समुद्र में किसी तरह शान्त नहीं होता उसी प्रकार क्रोधाग्नि भी न धन से न कठोरता से न मीठे वचन द्वारा सम्मानने बुझाने से और नहीं शास्त्र ज्ञान से शान्त होती है ।² कठोर अथवा कोमल जो अपने लिए हितकर हो वह कर्म करते रहना चाहिए, जो कर्म छोड़कर बैठ जाता है वह निर्धन होकर सदा अर्थों का शिकार होता है ।³ विद्या, सूरता, ददाता, बल और धैर्य ये 5 मनुष्यों के स्वाभाविक मित्र हैं, विद्वान पुरुष इनके द्वारा ही जगत कार्य करते हैं । दुष्ट भार्या, दुष्ट पुत्र, कुटिल राजा, दुष्ट मित्र, दूषित संबंध, दुष्ट देश को दूर से ही त्याग देना चाहिए ।

बलवान के साथ कभी भी युद्ध छेड़ना अच्छा नहीं माना जाता⁵ जिससे बलवान के साथ भगड़ा मोल ले लिया उसके लिए कहा राजा और कहा सुख ।

- 1- महा० शान्ति० आप० 139 . 44 कृत बैरे न विश्वासः कार्यस्त्विह सुहृदपि ।
हृन् संतिष्ठते बैरं गूढोऽग्निरिव दारुणु ॥
- 2- ,, ,, 139 . 45 न विद्वेन न पारुष्येन सान्त्वने न च श्रुते ।
कोपाग्निः शाक्यते राजं स्तोयाग््निरिव सागरे ॥
- 3- ,, ,, 139 . 83 कर्मचात्महितं कार्यं तीक्ष्णं वा यदि वा मृदु ।
ग्रस्यतेऽहं कर्म शीलस्तु सदानर्थैरकिञ्चनः ॥
- 4- ,, ,, 139 . 93 कुभार्या च कुपुत्रं च कुराजं कुसाहृदम् ।
कुसम्बन्ध कुदेशं च दूरतः परिवर्जयित् ॥
- 5- ,, ,, 197 . 111 बलिना विग्रहो राज्ञ न क्वाचित् प्रशस्यते ।
बलिना विग्रहो यस्य कुतो राज्यं कुतः सुखम् ॥

राजा को सर्वदा दण्ड देने के लिए उद्यत रहना चाहिए और सदा ही पुरुषार्थ प्रकट करना चाहिए । राजा अपने में क्लिष्ट अर्थात् दुर्बलता न रहने दे । शत्रु पक्ष में क्लिष्ट अर्थात् दुर्बलता पर सदा ही दृष्टि रखे और यदि शत्रुओं के दुर्बलता का पता लग जाय तो उस पर आक्रमण कर दे ।¹

संकट काल उपस्थित होने पर राजा को सुन्दर मंत्रणा उत्तम पराक्रम एवं उत्साहपूर्वक युद्ध करे तथा अवसर आ जाय तो सुन्दर ढंग से पलायन भी करे² आपातकाल के समय आवश्यक कर्म ही करना चाहिए । सोच विचार नहीं करना चाहिए । शत्रु के साथ सम्झौते आदि कार्य में संधि कर लेने पर भी उस पर विश्वास न करे और अपना कार्य बना लेने पर भी उस पर विश्वास न करे । अपना कार्य बना लेने पर बुद्धिमान पुरुष शीघ्र ही कहां से हट जाय । ऐश्वर्य चाहनेवाले राजा को चाहिए कि वह अवसर देखकर शत्रु के सामने हाथ जोड़े शपथ खाये आश्वासन दे और चरणों में सिर झुका कर बातचीत करे इतना ही नहीं वह धीरज देकर आसू तक पोछे ।

जब तक समय बदल कर अपने अनुकूल न हो जाय तब तक शत्रु के कथि पर धिक्काकर ढोना पड़े तो वह भी करे परन्तु अनुकूल समय आ जाय तो उछे उसी प्रकार नष्ट कर दे जैसे घड़े को पत्थर पर पटक कर नष्ट कर दिया जाता है ।³

अनेक प्रकार के प्रयोजन रखनेवाला मनुष्य कृतघ्न के साथ आर्थिक संबंध न जोड़े किसी को भी काम पूरा न करे क्योंकि जो अर्थी होता है (प्रयोजन सिद्ध की इच्छा रखनेवाला) उससे तो बराबर काम लिया जा सकता है परन्तु जिसका प्रयोजन सिद्ध हो जाता है वह अपने उपकारी पुरुष की उपेक्षा कर देता है, इसलिए दूसरों के सारे कार्य (जो अपने द्वारा होनेवाले हों) अधूरे ही रखना चाहिए ।⁴

-
- 1- महाशक्तिआप० 140.7 नित्यमुद्यतदण्डः स्थानित्यं विकृत पौरुषः ।
अच्छिप्रशिक्षप्रदर्शी च परेणा विवराकृदः ॥
- 2- ,, ,, 140.12 सुमंत्रित सुविक्रान्त सुमुद्ध सुपलायितम् ।
आपफदास्पद काले सु कुर्वीत न विचारयेत् ॥
- 3- ,, ,, 140.18 वदेह मित्रं स्कन्धेन यावत्कालस्य पर्ययः ।
प्राप्त कालं तु विज्ञायमिन्धाद् धटमिपाश्मन्नि ॥
- 4- ,, ,, 140.20 नानार्किकोऽर्थं सम्बन्धं कृतघ्ने समाचरेत् ।
अर्थी तु शक्यते भोक्तुं कृतकार्योऽवमन्यते ।
तस्मात् सर्वाणि कार्याणि सावशेषाणि कारयेत् ॥

राजा को चाहिए कि वह प्रतिदिन उठकर पूर्ण सावधान होकर शत्रु के घर जाय 1 और अर्माल ही क्यों न हो रहा हो सदा उसकी कुशल पूछे और मंगल कामना करे। राजा बगुले के समान एकाग्रचित्त होकर कर्तव्य विषय का चिन्तन करे सिंह के समान पराक्रम प्रकट करे भेड़िये की भाँति सहसा आक्रमण करके शत्रु का धन लूट ले तथा बाण की भाँति शत्रु पर टूट पड़े। राजा बाँस का धनुष बनावे, हिरण के समान चौकन्ना होकर सोवे अर्धा बने रहने योग्य समय हुआ तो अधि का भाव लिये रहे और अवसरानुकूल बहरे का भाव भी स्वीकार कर ले। बुद्धिमान पुरुष देशकाल को अपने अनुकूल पाकर पराक्रम प्रकट करे देशकाल की अनुकूलता न होने पर किया गया पराक्रम निष्फल होता है। 4 शत्रु के भी बल को समझकर युद्ध या संधि के कार्य में अपने को लगावे जो राजा दण्ड से नतमस्तक हुए शत्रु को पाकर भी उसे नष्ट नहीं कर देता वह अपनी मृत्यु को आमंत्रित करता है ठीक उसी तरह जैसे मौत के लिए सच्चरी गर्भधारण करती है। नितिज्ञ राजा ऐसे क्रुद्ध के समान रहे जिसमें फूल तो खुब लगे हों परन्तु फल न लगे हों। फल लगाने पर भी उस पर चढ़ना कठिन हो वह रहे तो कच्चा पर दिखे पके के समान एवं स्वर्ण कभी जीर्ण शीर्ण न हों। 5 जो राजा शत्रु राजा के साथ संधि करके विश्वासपूर्वक सुख से सोता है वह उसी मनुष्य के समान है जो क्रुद्ध की शाखा पर गाढ़ी नीचे में सो गया हो। ऐसा मनुष्य नीचे गिरने से ही सचेत हो सकता है। मनुष्य कोमल हो या कठोर जिस किसी उपाय से संभव हो दीन दशा से अपना उद्धार करे इसके बाद शक्ति शाली

1- महाशांतिआप० 140. 22 उत्थायोत्थाय गच्छेत् नित्युक्तो रिपोर्गुहाम् ।

कुशलं चास्य पृच्छेत् यद्यत्य कुशलं भवेत् ॥

2- ,, ,, 140.25 वक्वच्चिन्तयेदयान् सिंहवच्च पराक्रमेत् ।

वृक्वच्चा ॥

3- ,, ,, 140.27 कुर्यात् तममर्षं चापं शायीत् मुग्धाशायिकाम् ।

अन्धः स्यादन्ध्वेलायां बाधिर्यमपि संश्रयेत् ॥

4- ,, ,, 140.28 देशकालौ समासाद्य विक्रयेत् विन्दमाणः ।

देशकाल व्यतीतौ हि विक्रमो निष्फलो भवेत् ॥

5- ,, ,, 140.31 सुपुष्पितः स्यादफलः फलवान् स्याद्दुरारुहः ।

आयः स्यात् पक्वर्षकाशी न च शीर्येत कस्यचित् ॥

होकर पुनः धर्म धारण करे ।¹

जो लोग शत्रु के शत्रु हो उन सब का सेवन करना चाहिए । अपने ऊपर शत्रुओं द्वारा जो गुप्तचर नियुक्त किये हो उनको भी पहचानने का प्रयत्न करे ।² अपने तथा शत्रु के राज्य में ऐसे गुप्तचर नियुक्त करे जिनको कोई जानता पहचानता न हो शत्रु के राज्य में पाण्ड, वेशधारी, तपस्वी आदि को ही गुप्तचर बनाकर भेजना चाहिए । किसी यथार्थ कारण से शत्रु के मन में विश्वास उत्पन्न करके जब कभी उसका पैर लड़खड़ाता दिखे अर्थात् उसे कमजोर सम्मते तभी उस पर प्रहार करे ।³ जो सन्देह करने योग्य न हो ऐसे व्यक्ति पर भी सन्देह करे उसकी ओर से चौकन्ना रहे और जिससे भय की आशंका रहे उसकी ओर से तो सदा सब प्रकार से सावधान रहना चाहिए क्योंकि जिसकी ओर से भय की आशंका न हो उसकी ओर से यदि भय उत्पन्न हो तो वह ञाड़ मूल सहित नष्ट हो जाता है ।⁴ शत्रु के हित के प्रति मनोयोग दिखाकर मौनव्रत लेकर गेरुआ वस्त्र पहन कर तथा जटाभूषण धारण करके अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करके और जब विश्वास उत्पन्न हो जाय तो भूखे भेड़िये की तरह उस पर टूट पड़े । भाई, पुत्र, पिता, मित्र जो भी अर्थ प्राप्त में बाधक बने उन्हें ऐश्वर्य चाहनेवाला राजा अवश्य मार डाले । यदि गुरु भी धमण्ड बें भर कर कर्तव्याकर्तव्य नहीं समझ रहा हो और बुरे मार्ग पर चलता है तो उसे भी दण्ड देना चाहिए । दण्ड उसे राह पर लाता है ।⁵

- 1- महा० शान्ति० आप० 140. 38 कर्मज्ञा येन तत्रैव मृतुना दारुणैश्च ।
उद्धरेद दीनमात्मानं सर्वथाः धर्ममाचरेत् ॥
- 2- ,, ,, 140. 39 ये सफलानाः सफलानां सर्वास्तानुपसेवयेत् ।
आत्मानश्चपि बौद्धं व्यान्त्रा विनिहिताः परैः ॥
- 3- ,, ,, 140. 40 विश्वासयित्वा तु परं तत्त्वभूतेन हेतुना ।
अथास्य प्रहरेत काले किञ्चित् विचलितं पदे ॥
- 4- ,, ,, 140. 45 आशङ्क्यमपि शक्तिं नित्यं शक्तिं शङ्कितान् ।
भयं ह्यशङ्कितं ताज्जार्तं समूलमपि कृतान्ति ॥
- 5- ,, ,, 140. 48 गुरोरव्यवलिहास्य कार्याकार्यमज्ञानतः ।
उत्पथं प्रतिपन्नस्य दण्डो भवति शासनम् ॥

शत्रु के आने पर उसका स्वागत करे, उठकर उसे प्रणाम करे, उसे कोई अपूर्व उपहार दे । इन सब उपायों द्वारा उसे पहले वश में करे । इसके बाद ठीक वैसे ही जैसे तीखी चोचवाला फली कृत्वा के प्रत्येक फल फूल को चोंच मारता हो उसी प्रकार उसके साध्य और साधन पर आघात करे ।

शत्रु करुणाजनक वक्त बोल रहा हो तो उसे भी न छोड़े बिना मारे। जिसने पहले अपना अपकार किया हो उसको अवश्य भार डाले और उसमें दुःख न माने । ऐश्वर्य की इच्छा रखनेवाले राजा दोषदृष्टि परित्याग करके सदा लोगों को अपने फल में मिलाये रखना तथा दूसरों पर अनुग्रह करके के लिए यत्नशील बना रहे और शत्रुओं का दमन भी प्रबल पूर्वक करे, प्रहार के लिए उद्यत होकर भी प्रिय वचन बोले और प्रहार के पश्चात् भी प्रिय वचन बोले । तलवार से शत्रु का मस्तक काट कर भी उसके लिए शोककरे और रोये । कृष्ण अग्नि और शत्रु में से कुछ भी बाकी रह जाय तो निरन्तर बढ़ता जाता है । इसलिए इनमें से कुछ भी शेष नही छोड़ना चाहिए । जो समय पर कोमल और समय पर कठोर बन जाता है वह अपने सारे कार्य सिद्ध कर लेता है और शत्रु पर भी विजय कर लेता है ।

विद्वान् पुरुष से विरोध करके " मैं दूर हूँ " ऐसा समझकर निश्चिन्त नहीं रहना चाहिए क्योंकि बुद्धिमान की बाहें बड़ी लम्बी होती है, अतः बुद्धिमान पर चोट की गयी तो अपने विशाल भुजाओं द्वारा दूसरे भी शत्रुओं का विनाश कर सकता है ।

-
- 1- महाशक्तिआप० 140. 49 अभ्युत्थानाभिवादाभ्यां सम्प्रदानेन केनचित् ।
प्रतिपुष्पफलाधाती तीक्ष्ण तुण्ड इव द्विजः ॥
- 2- ,, ,, 140. 54 प्रहरिष्यन् प्रियं ब्रूयात् प्रहृत्यैव प्रियोत्तरम् ।
अस्मिापि शिरश्चित्त्वा शोचते च रुदते च ॥
- 3- ,, ,, 140. 58 कृष्णशेषामाग्निशेषं शत्रुशेषं तथैव च ।
पुनः पुनः प्रवर्धन्ते तस्माच्छेषं न धारयेत् ॥
- 4- ,, ,, 140. 67 काले मृत्युर्भूयति कालेभवति दारुणहू ।
प्रसाधयति कृत्यानि शत्रुं चाप्यधितिष्ठति ॥
- 5- ,, ,, 140. 68 पण्डितेन विरुद्धः सन् दूरस्थोऽस्मीति नाश्वसेत् ।
दोषो बुद्धिमतो बाहूचाभ्यां हिंसति हिंसतः ॥

जिस नदी के पार न उतर सके उस नदी में तैरने का साहस न करे । जिस धन को शत्रु बलपूर्वक वापस ले उस धन का अपहरण ही न करे, जिसकी जड़ उखाड़ फेंकना संभव ही न हो उस शत्रु की जड़ न खोदे, जिस वीर को मार न सके उस पर आघात न करे ।¹

राजा इन विविध उपायों को अपना कर अपनी तथा प्रजा की रक्षा करे ।

इस प्रकार से आपद् राजधर्म में राजा के आपत्तिकालीन कर्तव्यों की व्याख्या की गयी है । आपद् राजधर्म में राजा को अपने तथा प्रजा के प्राण रक्षा के लिए किसी भी प्रकार के उचित या अनुचित उपाय, कूत्नीति, संधि-विग्रह आदि कार्योंकी छूट होती है जिसका सहारा लेकर वह अपनी बुद्धि कौशल तथा प्रखर प्रतिभा के द्वारा अपने तथा प्रजा के प्राणों की रक्षा कर सके और संकट काल टल जाने पर पुनः धर्म का संवर्धन कर सके । प्रजा की नैतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति कर सके । इसी को आपद् राजधर्म कहते हैं ।

प्रस्तुत अध्याय में राजनीति से संबंधित प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों की सैद्धान्तिक व्याख्या की गयी है । शोध ग्रंथ के चतुर्थ अध्याय के तृतीय खण्ड में राजधर्म तथा आपद् राजधर्मों का तिथि क्रमागत ऐतिहासिक विश्लेषण किया गया है ।

000

1- म्हा० शांति० आप० 140. 69 न तत् तरेद् यस्य न पारमुत्तरे ।
 न तद्वरेद् यत् पुनराहरेत् पर ।
 न तत् खनेद यस्य न मूलमुद्वरे -
 न्न तर्हन्त्याद यस्य शिरोन पातयेत् ॥

प्राचीन भारतीय , सामाजिक गतिशीलता में आपद्धर्मों के
महत्त्व एवं योगदान का ऐतिहासिक विश्लेषण

प्रस्तुत अध्याय में सामाजिक गतिशीलता में आपद्धर्मों के योगदान का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया गया है । पिछले तृतीय अध्याय में आपद्धर्मों की विविधताओं पर सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से प्रकाश डाला जा चुका है, इस अध्याय विशेष में आपद्धर्मों के क्रमशः विकास द्वारा समाज की गतिशीलता, ऐतिहासिक तिथिक्रमों तथा धटनाओं की विश्लेषणात्मक व्याख्या प्रस्तुत की गयी है । प्रस्तुत शोध अध्याय में समस्त प्रयुक्त तिथियाँ सँभावित हैं । तिथियों के निश्चय के संबंध में डा० पी०वी०काणे, डा० आर० एस० शर्मा, डा० ए० एस० अट्टेकर तथा व्यूलर महोदय के ग्रंथों की सहायता ली गयी है ।

आपद्धर्म की अवधारणा के संबंध में जैसा कि प्रथम अध्याय में ही कहा जा चुका है कि काल चक्र के परिवर्तन के कारण कभी-कभी धर्म अप्रासंगिक हो जाते हैं, तब धर्म, मूल्य मान्यताएँ, साधक न होकर सामाजिक गति के लिए बाधक बन जाती है । बदलते परिस्थितियों में समाज की गतिशीलता को बनाये रखने के लिए मनुष्य को कुछ काल विशेष के लिए (संकट के समय) नये मानकों और मूल्यों का आविर्भाव करना पड़ता है जो तत्काल प्रचलित धर्म के विपरीत होते हैं और संक्रमण (संकट) काल भोजनका पालन कर व्यक्ति अपना निर्वाह कर सके व्याक्त केवही कर्तव्य आपद्धर्म कहे जाते हैं ।

(अ) प्राचीन भारतीय , सामाजिक गतिशीलता में आपद्धर्मों-धर्म के महत्त्व का
ऐतिहासिक विश्लेषण (4,000 बी०सी० - 500 बी०सी०)

डा० आर० एस० शर्मा ने 1000 ई० पू० से 500 ई० पू० के काल को वैदिक युग की संज्ञा दी है । उनके अनुसार ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि ऋग्वेद , यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, संहिताएँ तथा ब्राह्मण ग्रंथों का प्रणयन-स्त्री काल में हुआ । इस काल को कुछ विद्वानों ने दो भागों में विभाजित किया है ।

1- आर० एस० शर्मा : शूद्राज इन रीशियण्ट इण्डिया, पृ० 39, 45, 48 ।

पूर्व वैदिक¹ उत्तर वैदिक काल । डा० शर्मा ने ईरानियन सभ्यता में प्रयुक्त दाहे (Danae) शब्द को भारतीय दास के समकक्षी माना है । इसी के लिए स ग्रीक शब्द (Kudros) कुद्रोस मिलता है जिसका प्रयोग होमर के काव्यों में हुआ है जो 10वीं से 9वीं शताब्दी ई०पू० के है । शर्मा का मत है कि जब ग्रीकों ने भारत पर आक्रमण किया उसी समय इन शूद्रों (Kudros) का भी प्रवेश भारत में हुआ जो संभवतः 2000 ई०पू० के बाद का समय रहा होगा जब वे वैदिक आर्यों द्वारा परास्त हुए होंगे तथा उत्तर वैदिक काल में चौथे वर्ण के रूप में ग्रहित हुए । उस समय आवस्ती शूद्रों से परिपूर्ण थी । वहाँ से प्राप्त पेन्टेड ग्रे वेयर (Painted Grey Ware) जो 1000 ई० पू० के है शूद्रों की उपस्थिति का भाव कराते हैं ।¹ डा० काणो का मत है कि ऋग्वैदिक काल में दो परस्पर विरोधी वर्ण थे आर्य तथा दस्यु जो एक दूसरे से चर्म रंग पूजा पाठ बोलवाल में भिन्न थे तथा परस्पर ईर्ष्या करते थे।²

वैदिक समाज में न कोई स्त्रीवादिता थी न ही कोई निश्चित नियमों का प्रादुर्भाव हुआ था । सभी व्यक्ति सभी कार्य करते थे । एक ही परिवार के व्यक्ति जीविकोपार्जन हेतु बिना किसी भेद-भाव के विविध कार्य कर सकते थे, ऋग्वेद में एक स्थल पर वर्णन है कि मैं व्ज्जारु (मंत्रदृष्टा, निर्माता, मूर्तिकार) मेरे पिता भिकाक (वैद्य) मेरी माता उपल प्रदिाणी (पत्थर की चक्की से अनाज पीसनेवाली) अपने विभिन्न कार्यों को करते हुए हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं । इससे यह ज्ञात होता है कि इस समय व्यक्ति के अन्दर कार्यों के स्तर विभाजन का सूत्रपात्र नहीं हुआ था । संभवतः उनका समाज कबिलेवाला रहा हो व्यक्ति विविध कर्मों से जीविकोपार्जन करता रहा हो तथा उसके यायावार

1- आर०एस०शर्मा : शूद्राज इन रेशियण्ट इण्डिया, पृ० 39,45,48

2- डा० काणो : धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग 1, पृ० 110

3- ऋग्वेद , अनु० दामोदर सातवलेकर, पारडी, बल्लाड

9. 112 3 कारुरह ततो भिणगुपल प्रदिाणी नना ।

नानाधियो वसूयवोडनुग इव तस्थिम् ।

जीवन पद्धति में स्थिरता का सूत्रपात हुआ हो । डा० काणे का विचार है कि ऋग्वेद में पहली बार वैश्य और शूद्र का वर्णन पुरुष सूक्त में हुआ है ।¹

ऋग्वेद के पुरुषसूक्त ने चार वर्ण ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति क्रमशः विराट पुरुष के मुख, भुजा, उरु और पाद से बताया गया है ।² यद्यपि प्रस्तुत सूक्त में वर्ण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है तथापि समाज के कार्य विभाजन के आधार पर चतुर्वर्ण्य के सिद्धान्त का बीज रूप प्राप्त होता है । इस सूक्त में चतुर्वर्ण्य व्यवस्था को अति प्राचीन स्वाभाविक तथा देवी उत्पत्ति सिद्ध करने का प्रयास किया गया है । अधिकांश विद्वान् इसे उत्तर कासीन रचना मानते हैं उनका मत है कि यह सूक्त उत्तरकालीन समाज का चित्रण करती है।³

उत्तर वैदिक ग्रंथों में समाज के चार वर्णों ब्राह्मण राजन्य(दात्रिय) वैश्य तथा शूद्रों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है । इस काल में चतुर्वर्ण्य व्यवस्था स्थापित हो गयी थी । पहले के कबीलेवाले समाज में इस प्रकार का पारिवर्तन अम के विभाजन एवं अन्य सामाजिक तत्वों के समावेश के कारण हुआ था । तैत्तिरीय संहिता में चारों वर्णों ब्राह्मण, दात्रिय, वैश्य तथा शूद्र के लिए प्रार्थना प्राप्त होती है।⁵

ब्राह्मण ग्रंथों की विशद व्याख्या करते हुए जोगीराज बसु का मत है कि शतपथ ब्राह्मण में स्पष्टतः चार वर्णों का उल्लेख हुआ है ब्राह्मण-राजन्य-वैश्य शूद्र उनके अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों का युग संहिता ग्रंथों के लंबीलेपन और 30 वैदिक काल की कठोरता के बीच का काल रहा होगा । इस समय मनुष्यों

1- डा० काणे : धर्मशास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, पृ० 110

2- ऋग्वेद - अनु० दामोदर सातवलेकर, पारडी, बलसाड़

10. 90. 12 ब्राह्मणोऽस्यमुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः ।

उरुतदस्ययदवैश्यः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत् ॥

3- वैदिक इण्डेक्स, खिल्ड 2, पृ० 275

दृष्टव्य - राजा रणजीत सिंह, धर्म की हिन्दू अवधारणा, पृ० 90 ।

4- डा० आर० एस० शर्मा - शूद्राज इन रीसिप्ट इण्डिया, पृ० 29

5- तैत्तिरीयसंहिता 5.7. 6. 4 ।

में ही नहीं अपितु देवता, पशु, सञ्जियों का भी वर्गीकरण हो गया था जैसे -

चार वर्ण	ब्राह्मण	दात्रिय	वैश्य	शूद्र
देवों के चार वर्ण	अग्नि वृहस्पति	इन्द्र, वरुण शोम, रुद्र, यम	सु अदित्य मरुत	मुशान
जानवर के चार वर्ण	बकरी	धोड़ा	गवहा	गवहा
	फलाश	डूब	ऊन	

पुरुष सूक्त में चार वर्णों के कर्मों की व्याख्या नहीं दी गयी। संभवतः इनका वर्गीकरण समाज के कार्यों, व्यवसायों के विभाजन का मुख्य उद्देश्य था जिससे समाज रूपी शरीर के सभी कार्य सुसंवाहित तथा सुव्यवस्थित हो सके। वर्ण व्यवसाय के चुनाव का माध्यम था। ब्राह्मण बौद्धिक वर्ग था, दात्रिय प्रशासनिक वर्ग जो लोगों को सुरक्षा प्रदान करता था, वैश्य, वाणिज्य, व्यवसाय, कृषक वर्ग का तथा शूद्र सेवा करता था।¹

शतपथ ब्राह्मण में ब्राह्मण का प्रमुख कार्य अध्ययन, अध्यापन कहा गया है। स्वाध्याय को ही ब्राह्मणों का यज्ञ, ब्रह्मयज्ञ कहा गया है।² स्वाध्याय के अन्तर्गत विविध विषयों का अध्ययन आवश्यक था जैसे अनुशासन, क्रिया ब्राह्मणवाक्य, इतिहास पुराण गाथा नाराशंसी आदि इसके अध्ययन को करने मात्र से ब्राह्मण देवताओं को शब्द की आहुति प्रदान करता है उन्हें तृप्त करता है। यदि ब्राह्मण किसी दिन स्वाध्याय न करे तो उस दिन ऐसा प्रतीत

1- जोगीराज बसु, इण्डिया आव द एज आव द ब्राह्मन्स, पृ० 9-10, 11

शतपथ ब्राह्मण 5.5.4.9

ऐतरेय ब्राह्मण 1.2.3

शतपथ ब्राह्मण शुक्लयजुर्विदिय माध्यमन्दिनी शाखा ।।। भाग

मूल अल्बर्ट बेवर, अनु० गंगा प्रसाद उपाध्याय, गोविन्दराम, हासनन्द, दिल्ली, 1988, पृ० 81

2- ,, 11. 5. 6. 3 स्वाध्यायो वै ब्रह्मयज्ञ स्तस्य

3- ,, 11.5.6.8 मध्वाहुतयो ह वाऽस्तादेवानाम् प्राणैर्न रे ।

होगा जैसे उस दिन आदित्य चन्द्र पृथ्वी की गति अवरुद्ध हो गयी हो ।¹
 शतपथ ब्राह्मण में ब्राह्मणों के चार विल्क्षण गुणों की कथा की गयी है - ब्राह्मण
 (माता-पिता द्वारा प्राप्त पैतृक गुण) प्रत्किपचर्या (नवित्रता) यश(महता)
 लोकमक्ति (लोगों को पूर्ण करना, पढ़ाना, जब लोग ब्राह्मण से पढ़ते हैं या
 उसके द्वारा पूर्ण होते हैं तो वे उन्हें चार विशेषाधिकार देते हैं - अर्था (आदर देना)
 दान, अज्येयता, अवध्यता ।² संभवतः इसी काल में सभी वर्णों के वर्णों में
 निश्चितता तथा स्थिरता का प्रतिपादन हुआ क्योंकि एक स्थल पर शतपथ ब्राह्मण
 में वर्णन है कि ब्राह्मण राज्य के योग्य नहीं हैं ।³

शूद्रों के विषय में बसु का मत है दस्यु क ही शूद्र थे उनका
 निम्न स्तर था । सेवावृत्ति करते थे, तैत्तिरिय ब्राह्मण में वर्णन है शूद्र द्वारा दूहा गया
 दूध यज्ञ में नहीं प्रयोग किया जायेगा । शतपथ ब्राह्मण में वर्णन है केवल ब्राह्मण
 क्षात्रिय वैश्य ही माजनिय है, यज्ञ कर सकते हैं । यज्ञ स्थल पवित्र जल से धोया जाय
 किन्तु शूद्रों का उसमें प्रवेश वर्जित था । शूद्र ब्राह्मणों की पक्ति में नहीं बैठ सकते
 थे । आर्यों का पर्याय बना ब्राह्मण क्षात्रिय वैश्य तथा अनार्यों से शूद्रों की उत्पत्ति
 हुई । ऐतरेय ब्राह्मण में विविध प्रकार के वाह्य जातियों और दस्युओं से शूद्रों
 की उत्पत्ति का वर्णन है विश्वामित्र की कथा से प्राप्त होती है । विश्वामित्र
 राजधराने से संबंधित थे । उन्होंने अपने पौत्रों को शाप दिया (उनके कर्मव्युत होने
 पर) कि वे निम्न वर्णों⁴ में जन्म लें जैसे आन्ध्रा, पुन्दर, शबर, पुलिन्द आदि
 दस्युओं के प्रधान होंगे ।

-
- 1- ,, 11.5.7. 10 --- तद्ब्राह्मणो भवति यद्दहः स्वाध्यायं ना धीते
 तस्मात्स्वाध्यायोऽध्येतव्यस्तस्माद्बुध् --- ।
- 2- ,, 11.5.7.1 प्रज्ञा वर्धमाना चतुरो धमन् । ब्राह्मणमभिनिष्पादयति
 ब्राह्मण्यं प्रत्किपचर्या यशो लोकमक्तिम् लोकः । पच्वमानश्च-
 तुर्मिथैर्ब्राह्मणं भुक्त्यर्चया च दानेन चाज्येयतया चावध्यतया च ।
- 3- ,, 115.1.1 12 न वै ब्राह्मणो राज्यायाल्म् ।
- 4- जोगीराज बसु , इण्डिया आव द स्ज आ . ब्राह्मणस, पृ० 11-14, 28
 तैति०ब्रा० 3.2.3.9 संस्कृत पुस्तक भण्डार, कलकत्ता, -1969
 शत०ब्रा० 3.1.1 10
 ऐत०ब्रा० 7. 33.6

उपनिषदों में ब्रह्माकिं दात्रियों के नाम आते हैं जहाँ ब्राह्मण लोग शिष्य के रूप में उपस्थित होते थे । यथा याज्ञवल्क्य ने जनक से, बालाकि गार्ग्य ने काशीराज अजातशत्रु, श्वेतकेतु आरुणेय ने प्रवाहकजैवाल से, पंच ब्राह्मणों ने केकय राज अजातशत्रु से ज्ञान प्राप्त किया था ।¹ बाद के धर्मसूत्र काल में ये आपद्धर्म बना कि ब्राह्मण गुरु के अभाव में व्यक्ति दात्रियों से शिक्षा ग्रहण करे । छान्दोग्य उपनिषद्² में बहुत महत्वपूर्ण विचार मिलते हैं । यहाँ यह कहा गया है कि किसी वर्ण में उत्पन्न होना पूर्व जन्म के कर्म फल के आधार पर होता है । इस प्रकार जो सदाचार का अनुसरण करते हैं वे अपर जन्मों में अच्छा जन्म प्राप्त करेंगे, ब्राह्मण, दात्रिय, वैश्य के रूप में उत्पन्न होंगे । यहाँ पर कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धान्त और वर्ण व्यवस्था का संबंध सर्वप्रथम दृष्टिगत होता है यही सिद्धान्त कालान्तर में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का अभिन्न अंग बनी ।

उस प्रकार से वैदिक काल में वर्ण लचीले सामाजिक वर्ग थे । कूली³ के शब्दों में ये मुक्त सामाजिक वर्ग थे एक दूसरे में जान असंभव नहीं था । जी०एच० मीज का मत है कि व्यक्ति के स्वभाव, प्रवृत्तियों और अन्तः प्रेरणाओं के विभिन्नता के कारण सामाजिक व्यवस्था में इस प्रकार का वर्गीकरण हुआ जो सामाजिक सुरक्षा एवं विकास के लिए आवश्यक था ।

(600 ई०पू० - 300 ई०पू०) धर्मसूत्र, बौद्ध जैन ग्रंथ, पाणिनी व्याकरण -

उस काल में विविध रचनाओं से यह तथ्य प्रकाशित होता है कि धीरे-धीरे समाज को वर्ण व्यवस्था कर्मगत से जन्मगत की ओर अग्रसर हो रही थी ।

1- डा० काणे : धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग ३, पृ० 142

शत० ब्रा० 6. 21.5

बृहदारव्यक उप० 2.1

कौषीतकी उप० 4

छान्दोग्य उपनिषद् 5.3.1 श्वेतकेतुर्हारुणोयः पन्वालाना-----
हि भगव इति ।

2- छान्दोग्य उपनिषद् 5.10.7 तय इह ----- चण्डाल्यानि वा
डा० पी०एच०प्रभु, हिन्दू सोशल आर्गनाइजेशन, पृ० 292-293

3- कूली : सोशल आर्गनाइजेशन, पृ० 21

4- जी० एच० मीज : धर्म एण्ड सोसायटी, पृ० 72

इनमें जन्मगत वर्ण व्यवस्था का बीज रूप दृष्टव्य होता है । धर्मशास्त्रकारों ने समाज की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए मानव जीवन रक्षा के लिए वर्ण व्यवस्था की कठोरता में कुछ ढील दी जिससे आपत्तिकाल में व्यक्ति आपद्धर्मों द्वारा अपने जीवन की रक्षा कर सके ।

धर्मसूत्रों में हमें वर्ण-धर्म विषयक अलग अध्याय मिलते हैं । इस समय विभिन्न वर्णों के कर्तव्यों का आदर्श स्थिर होने लगा था । वशिष्ठ धर्मसूत्र में वर्णन है ब्राह्मण का कर्तव्य, अध्ययन-अध्यापन, यजन(यज्ञ करना) याजन (यज्ञ कराना) दान, प्रतिगृह । क्षत्रिय का कर्तव्य वैदिक अध्ययन यज्ञ करना, दान देना, प्रजा का परिखाण और उसकी जीविका का साधन प्रस्तुत करना माना गया है । वैश्य के कर्तव्य कृषि, व्यापार, पशुपालन तथा कुसोद माना गया । शूद्रों का कर्तव्य अपने से उच्च वर्णों की सेवा करना इससे वर्ण व्यवस्था में कठोरता आयी इसके साथ ही साथ धर्मसूत्रकारों ने प्रतिकूल परिस्थितियों का अन्वेषण कर आपत्कर्तव्यों का भी निवेश किया कि व्यक्ति आपत्तिकाल में अपने से निम्न वर्णों के ही कर्म करे, उच्च वर्णों के कर्मों को करने अनुमति नहीं दी गयी । ये ही आपद्धर्म कहलाये । इसी समय वर्णभ्रंशक सन्तानों द्वारा (जो अनुलोम, प्रतिलोम विवाहों द्वारा उत्पन्न) अनेक उपजातियों को रचना हुई जिससे मलेच्छों (निम्न वर्ण) को सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रहित किया जा सके, इनमें प्रमुख आयोगव, करणिक, मगध, माहिष्य आदि थे ।¹

गौतम धर्मसूत्र में ऐसा वर्णन है कि ब्राह्मण का ब्राह्मणोत्तर² (क्षत्रिय या वैश्य) वर्णों से विद्या ग्रहण करना आपत्कालीन नियम है । ब्राह्मण आपत्तिकाल में सभी अयोग्य व्यक्तियों का भी यज्ञ करा सकता है, सब को

1- एस०सी०बनर्जी : धर्मसूत्राज ए स्टडी इन देयर ओरिजिन एण्ड डवलपमेण्ट,
पृ० 126, 130, 180

2- गौतम धर्मसूत्र : डा० उमेश चन्द्र पाण्डे, चौखम्बा संस्कृत सीरीज़,
१. 1 आपत्काली ब्राह्मणस्याब्राह्मणाद्विधोपयोगः ।

पढ़ा सकता है और सब का दान भी ले सकता है । ब्राह्मण को आपत्तिकाल में पहले दान लेकर जीविका चलानी चाहिए उससे जीविका न चले तो याजन द्वारा (यज्ञ कराना) जीविका चलानी चाहिए ।¹ प्राण संशय की वशा में ब्राह्मण को द्वात्रिंश वृत्ति करनी चाहिए अर्थात् ब्राह्मण शस्त्र धारण करे ।² ब्राह्मण को यदि द्वात्रिंश के कर्मों द्वारा लाभ न हो तो वैश्य वृत्ति करे, इसमें उसे शास्त्र विहित वस्तुएं ही बेंबनी चाहिए जिसकी सूची धर्मसूत्रों में दी गयी है ।³ इस प्रकार से जीविकों पार्जन करे यही नियम और ब्रह्म द्वात्रिंश, वैश्य तथा शूद्र वर्णों के लिए भी था, शूद्रों को आपत्तिकाल में शिल्प आदि करने की अनुमति दी गयी । डॉ० शर्मा का मत है कि इस समय शूद्रों का वर्ण शिल्प कला में निपुण था जैसा कि गौतम का मत है । इसके अतिरिक्त वह जुलाहा, बड़ई, चमड़े का कार्य, कुम्भार और रंगरेज का कार्य कर सकता था । इसका वर्णन पाली ग्रंथों में भी है।⁴

यहां पर ग्रंथों में अन्तर्विरोध दर्शित होता है, धर्मसूत्र जहां ब्राह्मणों को सर्वोच्च मानते थे वहीं बौद्ध तथा जैन ग्रंथ द्वात्रिंशों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ घोषित किये थे । संभवतः यह पूर्वी भारत का प्रदेश रहा होगा । ओल्डेन-वर्ग का कथन सत्य ही है कि इस समय व्यक्ति का स्तर जन्म से आका जाने लगा था । इसके प्रभाव में आपस्तम्ब धर्मसूत्र में वर्णन है कि दूसरे वर्णों के लोग अपने से श्रेष्ठ वर्ण के व्यक्ति के लिए मार्ग छोड़े ।⁵ अपने धर्म का सतत पालन करने पर निम्न वर्ण के व्यक्ति (शूद्रादि) उत्तरोत्तर जगले जन्मों में अपने वर्ण

1- गौतमधर्मसूत्र 7.4-5 याजनाध्यापन प्रातिग्रहाः सर्वेणाम् ॥ 4

पूर्वः पूर्वोः गुरुः ॥ 5

2- ,, 7.25 प्राणशंसये ब्राह्मणोपि शस्त्रमाददीत ॥

3- ,, 7.7 तद्दलाये वैश्यवृत्तिः

7.8 तस्या पण्ययु

4- आर० एस० शर्मा, शूद्राज इन एशियण्ट इण्डिया, पृ० 44

गौतम 10. 54-57

5- आपस्तम्ब धर्मसूत्र 5.8 वर्णज्यायसां चेतरेर्वर्णैः

की अपेक्षा श्रेष्ठ वर्णों में जन्म प्राप्त करते हैं और इस प्रकार उनका जाति परिवर्तन होता है ।¹ इससे वर्ण व्यवस्था जन्मगत हुई यह तथ्य प्रमाणित होता है।

अध्ययन आदि कार्यों में भी जाति और आचार प्रमुख निर्धारक तत्व थे । एक स्थल पर वर्णन है कि अध्ययन के लिए आये हुए व्यक्ति की जाति और आचार के विषय में शंका हो तो अग्नि के उपस्माधान की विधि के अनुसार अग्नि प्रज्वलित करे और उससे उसके जाति और आचार के विषय में प्रश्न करे ।² इसकी पुष्टि प्रमाण में डा० शर्मा ने बौद्ध ग्रंथों के उद्धरणों का अवलोकन करते हुए कहा है कि उस समय एव धनुंधारी के लिए यह निश्चित करना आवश्यक था कि वह ब्राह्मण है, क्षत्रिय है कि वैश्य या शूद्र है ।³ इस समय के सम्पन्न शूद्र गृहपाति कहलाते थे जो संभक्तः कुछ शिल्पी शूद्र थे जिनकी दशा अच्छी हो गयी थी । इनके रहने के अलग-अलग द्रोत्र थे जहाँ ये समूहों में रहते थे । डा० शर्मा ने उस समय को (नार्थ ब्लैक पालिस्ट केयर से जोड़ा है (600 बीसी से 250 बी०सी०) । उनका मत है कि मौर्यों के पूर्व निश्चित व्यापार व्यवसाय शुरु हो गया था । (~~300 बी०सी०~~ 100 ई०पू०)

कौटिल्य अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, मेगस्थनीज के विवरण पार्तजली का एक व्याकरण त्रिपिण्डिक की रचना तथा अशोक के अभिलेखों का काल था । रामायण तथा महाभारत के भी कुछ अंश इसी काल में लिखे गये । ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह मौर्यवंश ब्राह्मणवंश तथा कुशाणवंश का काल था । कौटिल्य के विषय में

1- आपस्तम्ब धर्मसूत्र 5.10 धर्मवर्षया जघन्यो वर्णः पूर्वं पूर्वं वर्णभाषयते जातिपरिवृत्तौ ।

2- ,, ,, 2 प्रश्न 3.1 डा० उमेशचन्द्र पाण्डे, चौखम्बा संस्कृत सीरीज जात्याचारसंशये धर्मार्थमागतमग्निमुपसमाधाय जाति माचारं च पृच्छेत

3- मफिमम निकाय 1. 429

4- आर० एस० शर्मा : शूद्राज इन रॉशियण्ट इण्डिया, पृ० 92-101

अर्थशास्त्र के अन्तिम अध्याय में वर्णन प्राप्त होता है कि जिसने शास्त्र-शस्त्र और नन्दराजा के अधीनस्थ भूमि का शीघ्र उद्धार अपने क्रोध से किया । उसी विष्णुगुप्त कौटिल्य ने इस अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ की रचना की है ।¹ प्राचीन अर्थशास्त्रों में बहुधा भाष्यकारों के मतभेदों को देखकर स्वयं ही विष्णुगुप्त कौटिल्य ने इस अर्थशास्त्र के सूत्रों और उनके भाष्य का निर्माण किया है ।² इन ग्रन्थों से यह सिद्ध होता है कि नन्दवंश के उत्थूल में कौटिल्य का प्रमुख हाथ था तथा अर्थशास्त्र की रचना भी कौटिल्य ने ही की । कौटिल्य चन्द्रगुप्त मौर्य का प्रधान मंत्री या अतः अर्थशास्त्र भी उसी काल की रचना है । इस ग्रन्थ के प्रमाण में डा० शर्मा का मत है कि कौटिल्य ने राजा को उच्च वर्ण का होना आवश्यक माना है क्योंकि आर्य कभी भी निम्न वर्ण के व्यक्ति के राजकाज में रहना नहीं पसन्द करते । चन्द्रगुप्त मौर्य को कुछ लोगों ने शूद्रा माता से उत्पन्न माना है किन्तु ये अनुश्रुति यश गलत साबित होता है क्योंकि कौटिल्य कभी भी शूद्र शासित देश में रहना नहीं पसन्द करते जैसा कि वर्ण व्यवस्था की जाटिलता का विवरण अर्थशास्त्र में कौटिल्य में प्रस्तुत किया है अतः ऐसा प्रतीत होता है कि चन्द्रगुप्त मौर्य अवश्य ही क्षत्रिय रहा होगा ।³

कौटिल्य अर्थशास्त्र में एक स्थल पर वर्णन है शूद्र जिस अंग से ब्राह्मण पर प्रहार करे उसका वह अंग काट देना चाहिए । शूद्र यदि ब्राह्मण का हाथ पैर फटक दे तो उस पर यथोचित दण्ड किया जाय और केवल कू दे तो उक्त दण्ड का आधा दण्ड किया जाय । इसी प्रकार चाण्डाल आदि नीच जातियों के सम्बन्ध में भी यही दण्ड व्यवस्था समझनी चाहिए । इस ग्रन्थ से ऐसा प्रतीत

1- कौटिल्य अर्थशास्त्र 180.1.2 अनु० वाचस्पति गैरोला, पृ० 771

येनशास्त्रं च शस्त्रं च नन्दराजगता च भूः ।

अमर्षोणोद्धृतान्याशु तेन शास्त्रमिदं कृतम् ॥

2- ,, 180. 1. 3 दृष्ट्वा विप्रतिपत्तिं बहुधा शास्त्रेषु भाष्यकाराणाम् ।

771. स्वयमेव विष्णुगुप्तप्रकारं सूत्रं च भाष्यं च ॥

3- आर० एस० शर्मा : शूद्राज इति रक्षिष्यन्तः संप्रहृष्टाः, पृ० 172

4- कौटिल्य अर्थशास्त्र 76. 19. 1 शूद्रोयेनाङ्गेन ————— व्याख्याताः ॥

होता है कि यदि कौटिल्य शूद्र राजा के मंत्री होते तो शूद्रों के लिए ऐसे कठोर नियम नहीं बनाते । संभवतः चाण्डाल आदि शब्द अनार्यों विदेशियों के लिए प्रयुक्त किया गया था ।

मेगस्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तान्त में भारत में 7 प्रकार की जन-जातियों का उल्लेख किया है - (1) दार्शनिक (2) कृषक (3) गोपाल गडरिया (4) शिल्पकार (5) सैनिक (6) अवेदाक (7) सभासद एवं कर ग्राही । इनमें मिले जुले रूपों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र वर्णों के विविध कर्मों का भ्रूलक मिलती है संभवतः वे जन्म से ही ये व्यवसाय अपना लेते हों, इसी से मेगस्थनीज को ये भ्रम हो गया हो कि ये व्यवसायिक संगठन नहीं अपितु जातियाँ ही हैं । मेगस्थनीज के यह भी कहना कि वे केवल अपनी ही जाति में विवाह करते थे तथा अपना ही व्यवसाय करते थे ।¹ इससे ज्ञात होता है कि जाति प्रथा अब मौर्य काल में धीरे-धीरे विकट रूप ले रही थी और इसमें कुआकूत का सूत्रपात हो रहा था ।

आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ब्राह्मणों के अपराधों पर हल्के दण्ड तथा शूद्रादि के अपराधों पर अपेक्षाकृत कठोर दण्ड की व्यवस्था की । उनके अनुसार ब्राह्मण वेदज्ञ और तपस्वी को इतना मात्र दण्ड दिया जाय कि सिपाही उनको इधर-उधर दौड़ा फिरा दे । जो लोग इन नियमों का उल्लंघन करे या कराये तथा अपराधी (ब्राह्मण) से काम कराये या उसको मारे उन्हें उतम साहस दण्ड दिया जाय ।² ब्राह्मण को किसी अपराध में मृत्यु दण्ड या ताड़नदण्ड न दिया जाय बल्कि जैसे-जैसे वह अपराध कर उसके मस्तिष्क पर वैसे निशान अंकित कर दिया जाय जिससे वह पतितों को कोटी में रखा जा सके जैसे चोरी करने पर कुत्ते का निशान, मनुष्यों की हत्या करने पर मनुष्य के हड़ का निशान, गुरु पत्नी

1- डा० काणे - धर्मशास्त्र का इतिहास, 1 भाग, पृ० 117

2- कौटिल्य अर्थशास्त्र 83. 8. 1 ब्राह्मणस्य सत्रिपरिग्रह -----

के साथ संभोग करने पर यौनि का चिन्ह, शराब पीये तां प्याले का चिन्ह,
ब्राह्मण के मस्तक पर अंकित करके उसे निर्वासित करे या खानों में रहने की आज्ञा दे ।¹

इस समय संभवतः विदेशी आक्रमणों का भय आदि रहा हो
क्योंकि युद्ध बन्धकों के दास वृत्ति करने का वर्णन भी कौटिल्य ने किया है। संभवतः
इस समय दास प्रथा का भी प्रचलन भारत में हुआ है क्योंकि कौटिल्य ने अपने
अर्थशास्त्र में स्पष्ट उल्लेख किया है कि म्लेच्छ लोग अपनी सन्तान को बेच व गिरवी
रख सकते हैं परन्तु आर्य जाति किसी भी हालत में गुलाम नहीं बनायी जा सकती² ।
पुनः वर्णन है आर्य जाति का कोई भी व्यक्ति यदि युद्ध में पराजित होने पर
दास बनाया गया हो तो वह अपने कार्य के बल पर³ या समय के अनुसार अपने पकड़े
जाने का आधा मूल्य देकर छुटकारा पा सकता है ।

कौटिल्य के उक्त वर्णन से ऐसा ज्ञात होता है कि उस समय
कि राजनैतिक स्थिति युद्धमय थी युद्ध में पराजित राजा के व्यक्तियों को विजित
राजा अपना दास्यु या दास बना लेते होंगे । उ० मौर्यकालीन राजनैतिक स्थिति
बहुत ही लुप्त हो गयी थी । इसी से ब्रह्मदृश्य जैसे निर्बल शासक कावधकर ब्राह्मण
राजवंशों (शुंग, सातवाहन, कच्छ) ने शासन का बागडोर संभाला (ब्राह्मणों को
दात्रिय वृत्ति (राजा बना उनका) करुणा उनका आपत्कालीन कर्म था जैसा⁴
कि गौतम धर्मसूत्रों में कहा जा चुका है ।

बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में वर्णन है कि ब्राह्मण और वैश्य
दोनों ही राजगृह में भत्ते पर काम करते थे (भुक्तकावेति) । एक अन्य स्त्रोत से ज्ञात
होता है कि नगर में गरीब और धनिक दोनों ही रहते थे । गरीब वर्ग ही किराये
पर कार्य करनेवाले मजदूर वर्ग था । भुक्तकावेति में केवल गरीब, गन्दे वस्त्रों वाले
व्यक्ति ही नौकरी पा सकते थे यह नौकरी अच्छे वस्त्रोंवाले संपन्न व्यक्ति को

1- कौटिल्य अर्थशास्त्र 83.8.2,3 सर्वापराधेष्वपीडनीयो -----
पृ० 379 ----- मध्वजः ।

ब्राह्मण ----- वासयेदाक्रेणु वा ॥

2- ,, 69.13.2 म्लेच्छानामदोषः ----- दासभावः
पृ० 311

3- ,, 69.13.3 आर्यप्राणो घक्जाहृतः कर्मकाल्पुरुपेव मूल्यार्धेन वा विमुच्यते।

4- गौतम धर्मसूत्र 7.25 प्राणशंसये ब्राह्मणोपि शस्त्रमाददीत ।

नहीं मिल सकती था भले ही वह दिन भर उन्तज़ार करे । इसी में आगे वर्णन मिलता है कि शूद्र उच्छिष्ट भोजन और पुराने वस्त्रों तथा विस्तरों का प्रयोग करते थे यहाँ पर मनु तथा गौतम के मतों का अनुशीलन किया गया है । मिलिन्दपन्ह में वर्णन है कि द्वात्रिंश ब्राह्मण और गृहपति (वैश्यो) की पत्नियाँ अच्छे वस्त्र तथा भोजन ग्रहण करती थी, यहाँ पर कहीं शूद्र की पत्नी का उल्लेख नहीं है । इसे ज्ञात होता है कि उस काल में भी विपत्ति के समय ब्राह्मण श्रमिकों का कार्य कर सकते थे या ऐसी भी संभावना व्यक्त की जा सकती है कि बौद्ध ग्रंथ ब्राह्मणों को नीचा दिखाने के लिए ऐसा वर्णन किये हो ।

इसके पश्चात् यवन शक पार्थियनो एवं कुशाणों के बाह्य आक्रमणों के कारक चातुर्वर्ष्य - व्यवस्था को एक गहरा धक्का लगा होगा । संभवतः इन्हीं परिस्थितियों में मनुस्मृति (200 ई०पू० - 200 ई०) की रचना हुई होगी ।² उत्तर मौर्य काल की राजनीतिक दशा का चित्रण मनु के उन पाठ पण्डों से ज्ञात होता है कि शूद्र द्वारा शासित देश में स्नातक (ब्राह्मण) न वास करे, जो गाँव चार, डाकू, हली, कपटी आदि दुरात्माओं की बस्तियों से धिरा हो या नास्तिकों वेद निन्दकों से आक्रान्त हो या जहाँ चाण्डाल आदि अधम जातियों के उपद्रव होता हो वहाँ भी न रहे ।³ मनु के इन वर्णनों से ज्ञात होता है कि इस काल में शूद्र राजा राज्य करते होंगे किन्तु राजनैतिक इतिहास में शूद्र राजा का वर्णन नहीं मिलता है । इस समय शक, यवन, पार्थियन, कुशाण आदि राजाओं का वर्णन है, मनु ने इनको निम्न स्तरीय द्वात्रिंश कहा जो क्रिया लोप और ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि से वर्चित होने के कारण शूद्रत्व को प्राप्त हो गयी है ऐसा वर्णन किया है ।⁴ जी० एच० मीज ने इसी श्लोक का उद्धरण देते हुए

1- डा० आर०एस०शर्मा : शूद्राज इति उच्छिष्ट इण्डिया, पृ० 206 ।

2- कहीं, पृ० 176

3- मनुस्मृति 4. 61 - न शूद्रराज्ये -----

----- नोपसृष्टेऽन्त्यजैर्नृभिः ॥

4- मनुस्मृति 10. 43. शतकेस्तु क्रियालोपविध्याः द्वात्रिंशजातयः
बृणालत्वं गता लोके ब्राह्मण दक्षिण च ॥

,, 10.44

पौण्ड्रकाश्वाद्भूप्रविहाः काम्बोजा यवनाः शकाः ।
पारदाः पहलवाश्चीना किराताः दरदाः रवसाः ॥

कहा है कि विदेशी जो युद्धप्रिय जातियाँ थीं जैसे शक, यवन, कुशाण आदि उन्हें मनु सदृश्य शास्त्रकारों ने भारतीय वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत दात्रिय वर्ण में निम्न स्तर का स्थान देकर ग्रहित किया क्योंकि युद्ध एवं प्रशासन दोनों का ही जन्मजात कर्म था ।¹ इस प्रकार से मनुस्मृति में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के पुनर्स्थापना का विशेष प्रयास मिलता है । इसमें वर्ण धर्म का विस्तृत द्रमब्ध एवं व्यवस्थित रूप प्राप्त होता है ।² परन्तु यह तथ्य विचारणीय है कि सूत्रों में वर्णित आदर्श ही मूलतः यहाँ पर भी रखे गये हैं । इसके साथ ही साथ विदेशी आक्रामकों को भी भारतीय वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रहित कर उनके सामाजिकरण का सुन्दर प्रयास किया गया । मनुस्मृति³ में वर्णों के कर्तव्यों का विधान कालान्तर में सभी स्मृतिकारों⁴ द्वारा प्रामाणिक माना गया । इस प्रकार मनुस्मृति में वर्णधर्म का पूर्ण एवं स्थिर रूप हमारे समक्ष उपास्थित होता है । याज्ञवल्क्य और अन्य स्मृतिकारों ने भी मनु द्वारा प्रतिपादित आदर्श को ग्रहण किया ।

वर्ण धर्म के साथ ही साथ आपद्धर्म की भी चरमोन्नति विकास का भी काल था । मनुस्मृति में अत्यन्त विपत्ति की दशा में ऋणियों द्वारा मांस भक्षण का दृष्टान्त उपलब्ध होता है ।⁵ सभी वर्णों के आपद्धर्मों के साथ-साथ शूद्रों के भी आपद्धर्मों का वर्णन प्राप्त होता है कि यदि ब्राह्मण सेवा से जीवन निर्वाह न हो तो दात्रिय सेवा करे उससे भी पेट न भरे तो धनिक वैश्य की सेवा करे ।⁶ इस प्रकार से इस काल में वर्णों के आपत्तुकार्यों में विविधता दर्शित होती है ।

1- जी०स्व०मी० - धर्म एण्ड सोसाइटी, पृ० 84

2- जी०एस०धूर्ये - कास्ट एण्ड क्लास इन इण्डिया, पृ० 89-90

3- मनुस्मृति 1. 87-91

4- याज्ञ० स्मृ० 1. 118, 3. 36-38

दृष्टव्य - डा० रणजीतसिंह राणा - धर्म की हिन्दू अवधारणा, पृ० 102

5- मनुस्मृति - 10. 105-108 अजीगर्तः सुत -----

----- धर्माधर्म विकलाणः ।

6- मनुस्मृति 10. 121 - शूद्रस्तु वृत्तिभाकाडण्डान्दात्रमाराध्येधदि ।

धनिर्न वाप्युपाराध्य वैश्यं शूद्रो जिजीविषेत् ॥

मनु ने आपत्कर्मों को व्यक्ति के जीवन रक्षा और पवित्रता से जोड़ा है जिससे आपत्काल में वह सुरक्षित ढंग से अपना जीवन यापन कर सके। उनका मत है कि वारों वर्णों के आपत्काल कर्मों का सम्यक प्रकार ने अनुष्ठान करके सभी वर्ण वाले परमाति को पा सकते हैं।¹

किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उस काल में जाति प्रथा लुप्त प्राय हो गयी थी। उस काल में जाति प्रथा बहुत ही कठोर थी। निम्न वर्णों के व्यक्ति उच्च वर्णों के व्यक्तियों के साथ यदि बैठने या दूने का साहस करे तो बहुत ही कठोर दण्ड देने का विधान था। यदि नीच वर्ण ब्राह्मणादि वर्ण के साथ आसन पर बैठना चाहे तो राजा उसकी कमर में चिन्ह अंकित करके देश से निकाल दे अथवा उसके चूतड़ का मांस कतरवा ले।² मनु ने तो यहाँ तक कहा कि अन्त्यज जिस ऋण से द्विजों को मारे या छुर उनका कही ऋण काटना चाहिए।³ इस प्रकार से यह ज्ञात होता है कि उस समाज में अस्पृश्यता की भावना भी बलवती हो गयी थी। (100 ई० - 500 ई०)

(100 ई० - 500 ई०)

इस काल में याज्ञवल्क्य, विष्णु, नारद, वसिष्ठ आदि स्मृतियों की रचना हुई। इसी काल में रामायण और महाभारत के कुछ खण्ड पाठों का सृजन हुआ। हाप्लिक्स का मत है कि महाभारत का रचनाकाल 200 ई० पू० से 200 ई० तक का रहा होगा। ऐतिहासिक दृष्टि से यह गुप्तों का काल था इस काल में बहुत से प्रकाण्ड नाटककार हुए जिनमें वाल्मीकि की अभिज्ञान शाकुंतल, मेघदूत, रघुवंश, शूद्रक का मृच्छकटिकम्, कामन्दक नीतिशास्त्र, भारत का नाट्यशास्त्र,

1- मनु० 10. 130 - स्ते चतुर्णां वर्णानाभापद्वयाः प्रकीर्तिताः ।

यान्सम्यगनुषिष्ठन्तो ब्रजान्ति परमां गतिम् ॥

2- मनु० 8. 28

- सहासनमाभिप्रेप्सुरुत्कृष्टस्यापकृष्टम् ।

कृत्वा कृत्वाङ्को निवास्यः स्फिर्च वास्यावक्तयित् ॥

3- मनु० 8. 279

- येन केचिदङ्गेन हिंस्याच्येच्छेष्टमन्त्यजः ।

केचिद्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम् ।

वात्स्यायन कामसूत्र, वाराहमिहिर वृत्संहिता, अमर सिंह का अमर कोष आदि प्रसिद्ध हैं जिसे तत्कालीन सामाजिक दशा का गच्चित्र चित्रण प्रस्तुत होता है ।

इस काल में भी मनु द्वारा निर्देशित सभी विधि-विधानों वर्ण धर्म के नियमों आपत्कालीन कर्मों को याज्ञवल्क्य स्मृति द्वारा प्रामाणिकता प्राप्त हुई, ऐसा संभव है कि मनु बाद के स्मृतिकारों के आदर्श पुरुष रहे हों । नारद स्मृति में प्रत्येक वर्ण के कार्यों का स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजन किया गया, एक तो वे जो धनोत्पादक नहीं हैं दूसरे वे जो धनोत्पादक हैं । जहाँ तक वर्णों के कर्तव्यों का प्रश्न है उनमें कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई । परन्तु कालान्तर में 300 ई० से सामान्तवाद की प्रथा का उत्कर्ष होने लगा । इसके साथ ही साथ ऐसी संभावना की जाती है कि दात्रियों में अभिजात्य शासक वर्ग का उदय हुआ होगा । संभवतः इन्हीं परिस्थितियों में वृहस्पति स्मृति में यह उल्लेख है कि दात्रिय का एक कर्तव्य कर वसूलना भी है । उस कर्तव्य का उल्लेख प्रारंभ की स्मृतियों में नहीं मिलता है ।

इस काल में बहुत से ब्राह्मण और दात्रिय कृषि कार्य में लगे हुए थे । (जो धर्मसूत्रों के अनुसार आपत्कर्तव्य थे) इस कार्य को परिस्थितियों की वास्तविकता में परिणित करने के लिए पराशर ने अपने स्मृति (600 ई०) में यह विधान बनाया कि ब्राह्मण अपने उक्त कृः कर्तव्यों के अतिरिक्त कृषि कर्म भी कर सकता है तथा दात्रिय भी लेती कर सकता है ।

1- आर० एस्० शर्मा - शुद्धाज इन एशियण्ट इण्डिया, पृ० 246

2- याज्ञवल्क्य स्मृति 1. 118 ; 3. 36-38

3- नारद स्मृति 2. 48-57 वैशेषिक धर्म -----

----- गरीयसी ॥

4- वृह० स्मृति 1.7. 11 त्रिविध दात्रियस्यापि प्राहुर्वैशेषिकं धनम् ।

युद्धोपलब्धं करतो दण्डश्च व्यवहारतः ॥

5- पराशर स्मृति 2. 2 षट् कर्म संहितो विप्रः कृषिकर्म च कारयेत् ।

2. 13 दात्रियोऽपि कृषिं कृत्वा देवान् विप्रांश्च पूजयेत् ।

देखते हैं कि वर्ण धर्म कोई अबल आदर्श नहीं था जो सदैव एक समान रहा हो बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के साथ-साथ उसमें भी कुछ परिवर्तन होना अनिवार्य था । संभवतः प्रारंभ में ये परिवर्तन आपद्धर्मों के कारण हुए होंगे किन्तु कुछ काल पश्चात् परिस्थितियों के कारण उनको मूल वर्णों में शामिल कर धर्म के अन्तर्गत ग्रहित कर लिया गया हो ।

इसी समय चक्र परिवर्तनों के कारण आपद्धर्म, धर्म स्वरूप हो जाते हैं, उन्हें सामाजिक मान्यतारूप मिल जाती हैं । इस मन्त्र को पुष्टि में महाभारत शान्ति पर्व के राजधर्म अनुशासन पर्व का श्लोक अति महत्वपूर्ण एवं विवेचनीय है कि किसी समय धर्म ही अधर्म रूप हो जाता है और कहीं अधर्म रूप दिखनेवाला धर्म ही धर्म बन जाता है । इसलिए विद्वान पुरुष को धर्म और अधर्म का रहस्य अच्छी तरह समझ लेना चाहिए ।² महाभारत में आपद्धर्मों के कई विवेचनीय दृष्टान्त प्राप्त होते हैं जैसे कई ब्राह्मण शस्त्र विद्या में निपुण थे जैसे कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम³ । महाभारत के युद्ध में पांडवों ने अपने गुरु को मार डाला जबकि सामान्य ज्ञान में ब्राह्मण और गुरु अबध्य थे । ब्राह्मणों के विविध कर्मों का उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व के 33वें अध्याय में वर्णित है जैसे - कुछ ब्राह्मण खेती और गोरक्षा से जीवन चलाते हैं, कुछ भिक्षा पर जीवन चलाते हैं, कितने ही चोरी करते हैं और कोई भूठ बोलते, दूसरे कितने ही नटों तथा नर्तकों का कार्य करते हैं, कितने ही ब्राह्मण राजाओं के यहाँ विविध प्रकार के कर्म करते हैं ।⁴ ब्राह्मणों द्वारा

1- डा० पी०एच०प्रभु : हिन्दू सोशल आर्गनाइजेशन, पृ० 308-312

2- महाभारत शांतिपर्वराजधर्म अनु० प० 33.32

अधर्मो धर्मो हि कश्चिदस्ति नराधिप ।

धर्माश्चाधर्मोऽस्ति तच्च ज्ञेयं विपश्चिता ॥

3- महा० अनु० प० आश्वमेधिक पर्व 29. 15

4- महा० अनु० प० 33. 12 कृष्ण गोरक्ष्यमप्येके भक्ष्यमन्येऽप्यनुतिष्ठिताः ।

चौराश्वान्येऽनुताश्वान्ये तथान्ये नटनर्तकाः ॥

„ 33. 13 सर्वं कर्महाश्वान्ये पार्थिविष्वितरेणु च ।

विावधाकारयुक्ताश्च ब्राह्मणा भरतर्षभिः ॥

कतिपय कार्यों का वर्णन उनके अनन्ततम सामाजिक दशा का परिचायक है ।

आपद् वर्ण धर्म का एक अन्य रोचक उदाहरण महाभारत के द्वितीय खण्ड के विराट पर्व में दर्शित होता है । पाण्डव दानिय होते हुए भी अज्ञातवास के समय विराट नरेश के यहाँ विविध कार्य करते थे तथा द्रौपदी रानी लेकर भी आपत्काल में दासी रूप में विराट रानी सुदेष्णा का श्रृंगार करती थीं ।¹ इस प्रकार वर्णों के आपत्कर्मों में विविधता दृष्टिगत होती है ।

ऐतिहासिक घटनाओं की दृष्टि से गुप्तकाल में ब्राह्मणों का काम केवल अध्ययन-अध्यापन ही नहीं बल्कि उनमें भी बड़े धनाढ्य और सम्भवतः व्यापारी से धन प्राप्त करनेवाले व्यक्ति थे । इस प्रकार ब्राह्मण अपने पैतृक कार्य (अध्ययन-अध्यापन) को छोड़कर व्यापार द्वारा धन संग्रह के कार्य में व्यस्त थे (जबकि धर्मसूत्रों में वर्णन था कि व्यापार ब्राह्मण का आपत्कालीन वृत्ति थी) । शूद्रक मुच्छकटिकम् नाटक से ज्ञात होता है कि आर्य चारुदत्त के पितामह बड़े भारी सेठ थे । इसमें ब्राह्मण पात्र की विशेषताओं में जुआ खेल्ना, दम्भ, माया, कपट, असत्य, धूर्ति और वेश्या वृत्ति का वर्णन है । आगे कहा गया है वसन्त सेना कर्त्री है आर्य मैत्रेय तुम्हारे जुआरी (चारुदत्त) कहा है ।² इस प्रकार से यह ज्ञात होता है कि ब्राह्मणों के भीतर भी छल कपट का प्रवेश हो गया था । ब्राह्मण युवकों में से अनेक का जीवन जुआ, छल-कपट में बीतता था ।

बौद्ध धर्म में भी निकम्मे लोगों की भरमार थी । वैसे तो यह युग समृद्धि का था किन्तु इसमें संपन्नता से आनेवाली विलासिता तथा बुराईयों की भरमार थी । गुप्तकाल में शूद्र ब्राह्मणों के साथ बैठ सकते थे वे उनके धर्म कार्यों में भाग ले सकते थे क्योंकि ब्राह्मण वर्ण यह सोचता था कि उनके मत्तों को माननेवालों

1- महाभारत, द्वितीय खण्ड - वन पर्व, विराट पर्व, 2.7-12

2- शूद्रक - मुच्छकटिकम्, अंक 5, 36

साटोप कूटक पटानृत जन्मभूमे -----

----- सिद्धिरस्तु ।

वसन्तसेना — अज्ञ मित्रेय कर्हि तुम्हारा जूदि अरो ।

की संस्था हो ।¹ इसके विपरीत कुछ कट्टरपंथी धारणार्थ भी समाज में विद्यमान थी । फाह्यान के विवरणों से ज्ञात होता है कि चाण्डाल जब नगर में या बाजार में प्रवेश करते थे तो लकड़ी से ड्रम पीटना पड़ता था जिसे लोग सावधान हो जाय और अपवित्र होने से बच जाय वे चाण्डाल आसेटक मनुओं और कसाइयों का वर्ग था ।² इस प्रकार से शूद्रों के दो वर्ग थे (1) भोजन्य (2) अभोजन्य जो निर्वासित और अनिर्वासित श्रेणियों में विभक्त थे । प्रथम प्रकार के शूद्रों ने यहाँ भोजन किया जा सकता था जो नगर में ही रहते थे दूसरे प्रकार के शूद्र नगर से बाहर रहते थे उनका कुछ भोजन अपवित्र समझा जाता था । अमरकोश में वर्णन है कि शूद्रों के कार्यों के आधार पर विविध वर्ग हो गये थे जैसे माला बनाने-वाले, धोबी, कुम्भार, ईंट निर्माता, जुलाहे, खनिक, रंगरेज, लूहार, इथियार बनानेवाले इसके अतिरिक्त ड्रम बनानेवाले, वासुरी वीणा वादन करनेवाले, नर्तक तथा कलाकार आदि थे ।

(600 ई० - 1200 ई०)

इस काल सण्ड के अन्तर्गत पुराणों की रचना की जायेगी जैसे डा० पी०वी०काणे का मत है कि कुछ पुराणों की रचना 600 ई० के पूर्व ही चुकी थी ।⁴ अतः ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है कि पुराण गुप्तकाल और वर्धनकालीन सामाजिक गतिशीलता के चित्रण करनेवाले माध्यम हैं । ऐतिहासिक दृष्टि से यह काल वर्धन वंश का था जिसकी तिथि (600 ई०-) है इसी काल सण्ड में मनुस्मृति के व्याख्याकार मेधातिथि (900 ई०) तथा याज्ञवल्क्य स्मृति के व्याख्याकार विज्ञानेश्वर (1200 ई०) थे जिन्होंने मिताक्षरा भाष्य लिखा, अल्बरुनी का यात्रा विवरण भी इसी काल की रचना है ।

1- धूर्ते, कास्ट सण्ड क्लास, पृ० 95

2- स्न०के०त्यागी, प्राचीन भारतीय इतिहास, पृ० 328-329

3- अमरकोश II, 10.5-12

दृष्टव्य - आर०एस०शर्मा, शूद्राज इन एशियटिक इण्डिया, पृ० 267

4- डा० पी०वी०काणे - धर्मशास्त्र का इतिहास, I, पृ० 49

पुराणों का अनुशीलन करने पर यह ज्ञात होता है कि पुराणों में भी वर्णों के आपत्कर्तव्यों की विस्तृत व्याख्या की गयी थी । विष्णु पुराण में यह वर्णन प्राप्त होता है कि ब्राह्मण आपत्तिकालीन अवस्था में द्वात्रिंशोपिधत धर्म अपना सकता है इसके आतिरिक्त द्वात्रिंश तथा ब्राह्मण वैश्य के कर्मों का अनुसरण कर सकते हैं पर शूद्र का नहीं प्रस्तुत सन्दर्भ में उस बात पर बल दिया गया है कि यह अवस्था केवल आपत्काल के लिए थी, समर्थ होने पर पुनः अपने कर्म करना चाहिए ।¹ ऐसा ज्ञात होता है कि पुराणों का भी लक्ष्य व्याक्त के^{कर्म}संकरत्व जन्म संकरत्व को रोकने के लिए ही परन्तु तत्कालीन पौराणिक समाज में कतिपय कुछ ऐसे दृष्टान्त मिलते हैं जिन्होंने साधन होता है कि उस समाज में जाति परिवर्तन होता था ।

कुछ पुराणों में उन विशिष्टब्राह्मणों का वर्णन है जिनमें द्वात्रिंश धर्म स्वीकार किया था ।² विष्णु पुराण में कहा गया है कि नृप दुरुदाय के पुत्र ने जाद में विप्रत्व स्थापार किया था । शूद्रा के उत्पन्न काक्षीजान के विषय में वर्णन प्राप्त होता है कि तपस्वियों के कारण उन्हें ब्रह्मणत्व की प्राप्ति हुई थी ।⁴

1- विष्णु पुराण 3.8.40 गुणास्तथापद्धमश्च विप्रादीनाभिमाकृणु ।
 द्वात्रिंश कर्म द्विजस्योक्तं वैश्यकर्म तथापिदि ।
 राजन्यस्य च वैश्यस्योक्तं शूद्रकर्म न चैतयोः ।
 शार्ङ्गिर्मे जति तत्कन्यमुभाभ्यामापि पार्थिव ।
 तदेवापिदि कर्तव्यं न कुर्यात्कर्मसंहरम ॥

2- विष्णु पुराण 4. 19 मुद्गलाच्च मौद्गत्याः द्वात्रोपेता द्विजातयो वभू व ।
 वायु पुराण 88. 7 रथो तराणां प्रवराः द्वात्रोपेता द्विजातयः ।
 ब्रह्माण्ड पुराण 3. 63 7 ,,
 मत्स्य पुराण 144. 37 श्रुयति हि तपः सिद्धा ब्रह्मात्रादयो नृपाः

3- विष्णु पुराण 4. 19. 26 तच्च पुत्रत्रितय पश्चाद्द्विप्रताभुजगाम ।

4- वायु पुराण 99. 94 विभूय सानुजो वीणानुब्रह्मण्यं प्राप्तवान्प्रभुः ।
 ब्रह्माण्ड पुराण 3. 74. 96

वायु, ब्रह्माण्ड और मत्स्य पुराणों में वर्णन है कि वाल के पुत्र ब्राह्मण और दान्त्रिय दो प्रकार के वर्णों में विभक्त हुए ।¹ विष्णु तथा ब्रह्माण्ड पुराणों में उल्लेख है कि गो वध के कारण नृपपुत्र पृथग्भ्रू शूद्रत्व को प्राप्त हुआ ।² विष्णु पुराण के अनुसार राजा भिक्षु नीच कर्म करने के कारण बाण्डालत्व को प्राप्त हुए थे ।³ इस प्रकार से ज्ञात होता है कि उस काल में जाति निर्धारण में कर्म का स्थान न्यूनाधिक अंशों में विद्यमान था ।

पुराणों में कलिकाल का वर्णन प्राप्त होता है । कूर्म पुराण में कलिकाल की तिथि 700 ई० 800 ई० है । उसी के प्रसंग में 550 ई० के एक पल्लव शासक सिंह वर्मन के अभिलेख में ज्ञात होता है कि धर्म की कलिकाल के पावों से रक्षा करो, इसका तात्पर्य यह हुआ कि कलिकाल कोई बहुत पुराना काल नहीं है जब भारत में म्लेच्छों का प्रवेश हुआ और भारतीय सभ्यता में उनका शूद्र वर्णों के अन्तर्गत एकीकरण हुआ उसी समय से कलिकाल का वर्णन प्राप्त होता है । पुराणों में वर्णन है कि विदेशी ब्राह्मण और स्त्रियों को मारेगे ।⁴

मत्स्य पुराण में वर्णन है कि कलियुग के दशरुतों में विप्र अपने कर्मों से दूषित हो गये हैं और उनके ही कर्मों के दोषों के कारण प्रजाओं में भय उत्पन्न हो जाया करता है । मनुष्यों में हिंसा, मान, ईर्ष्या, क्रोध, असूया, अदामा, अधृति, लोभ और अतृप्त्य मोह आदि अङ्गुण उत्पन्न

1- वायु पुराण 99. 29 बालेया ब्राह्मणश्चैव तस्य वंशकराः प्रभोः

ब्रह्माण्ड पुराण 3.74.28

मत्स्य पुराण 48. 25

2- विष्णु पुराण 4.1.17 पृथग्भ्रूस्तु मनु पुत्रो गुरुगोवधाच्छूद्रत्वमाप्त ।

ब्रह्माण्ड पुराण 8.61.2 पृथग्भ्रूो हिसयित्वा तु गुरोर्गा निशि तत्दाये ।

शापाच्छूद्रत्वमापन्नश्च्यवनस्य महात्मनः ।

3- विष्णु पुराण 4.3.21-23 यो ड सौ भिक्षुर्जामवाप ।

स बाण्डालतामुपागतश्च ॥

दृष्टव्य डा० एस०एन०राय - पौराणिक धर्म एवं समाज , पृ० 157-158

4- जायसवाल , हिस्त्री जाव इण्डिया , पृ० 151-52

दृष्टव्य - आर०एस०शर्मा - शूद्राज इन रंशियण्ट इण्डिया , पृ० 234

हो जाते हैं । इस कलियुग में अनेक संतोष उत्पन्न हो जाया करता है । द्विजाति गण वेदों का अध्ययन नहीं करते और न वे भजन करते हैं । दानियों का वैश्यों से संबंध हो जाता है । शूद्रों का ब्राह्मणों के साथ मन्त्र और योनि का संबंध हो जाता है । इस धोर कलियुग में शूद्रों का ब्राह्मणों के साथ शयन आसन और भोजन का संबंध हो जाता है । राजा कर्म में प्रायः शूद्रों की अधिकता होती है । चारों ओर पातण्डी धूर्तों का समुदाय दिखायी देता है । सब का लक्ष्य केवल धर्मों का आडम्बर दिखाकर रोजी कमाना हुआ करता है । कलियुग में शूद्र लोग वेदों का अध्ययन करते हैं वे ही धर्म तथा अर्थ के विद्वान होते हैं । शूद्र योनि से समुत्पन्न राजा इस कलियुग में अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भजन किया करते हैं । ये लोग गौ, स्त्री, बालकों का वधकर धन अपहरण करते हैं —————
 इस कलियुग में समस्त वेद होकर भी नहीं हुआ करते अपात्र वे निष्फल होते हैं, केवल धर्म के हेतु यज्ञ उत्सीदमान हुआ करते हैं ।

जो ब्राह्मण पहले अवध्य थे कौटिल्य और मनु आदि शास्त्रकारों ने जिन्हें अन्य वर्णों की अपेक्षा इत्के दण्ड का विधान प्रणीत किया था उन्हीं ब्राह्मणों के लिए पुराणों ने शारीरिक दण्ड (वध) का विधान बनाया । कूर्म पुराण में वर्णन है यदि ब्राह्मण सुवर्ण की चोरी करे तो राजा उसे मूसल से मारे जिससे उसका चोरीपन का पाप दूर हो जाता है अन्यथा उसका पाप राजा को लगेगा ।² इस प्रकार यह काल ब्राह्मणों के पतन की दशा का परिचायक है ।

1- मत्स्य पुराण 57. 36-47 विप्राणां कर्म दोषैस्तेः प्राजानां जायते भयम्

----- उत्सीदन्ते तथा यज्ञाः केवलं धर्महितवः

अनु० श्रीराम शर्मा आचार्य, संस्कृत संस्थान, जरेली, 1971

2- कूर्मपुराण 32. 4,5,8. सुवर्णस्तेयन्दकृद् ----- भवाननुशास्त्रिति ।

गृहीत्वा ----- ब्राह्मणस्तयसेव वा

शासनाद् ----- कित्वणम् ।

ऐतिहासिक घटनाओं के कालक्रम में हर्षोत्तर काल में जातिप्रथा धीरे-धीरे कठोर होने लगी थी।¹ जाति व्यवस्था में कर्तव्यों पर नहीं अपितु जातियों के अधिकारों पर बल दिया जाने लगा था।² मनुस्मृति के भाष्यकार मेधातिथि (900 ई०) ने वर्ण धर्म वाले श्लोक का भाष्य करते समय वर्ण को जाति के अर्थ में ग्रहण किया है तथा वर्णधर्म के प्रथम उदाहरण रूप में कर्तव्य नहीं अपितु जाति विशेष के अधिकार का निर्देश करते हुए वर्णन करते हैं कि ब्राह्मण को न मारना चाहिए। यह ब्राह्मण का अधिकार है और उन्हें सुरापान नहीं करनी चाहिए।³ यह भी उल्लेखनीय है कि मनु ने जहाँ पर शूद्र के लिए उच्च वर्णों की सेवा का ही कार्य बताया है वहीं मेधातिथि कहते हैं यह कार्य⁴ दृष्टान्त के लिए है और इससे शूद्र के दानादिक कार्यों का निषेध नहीं होता। एक अन्य स्थल पर भाष्यकार का मत है कि शूद्र व्याकरण का अध्यापक भी हो सकता है तथा यदि वह धन सम्पन्न होकर आश्रित होकर स्वतन्त्र जीवन यापन करे तब कोई दोष नहीं है।⁵ इस प्रकार से ब्राह्मणों और शूद्रों की दशा का जैसा चित्रण मेधातिथि ने किया है उससे और पुराणों के कथनों में साम्यता दृष्टिगत होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुस्मृति का भाष्य करते समय भाष्यकार के समस्त सामाजिक परिस्थितियाँ सर्वथा बदल चुकी थी जिससे प्रभावित होकर उन्होंने मनु के आदर्श कवनों का संशोधित अर्थ समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया।

1- डा० आर० सी० मजूमदार - एज आव इम्पीरियल कनीज, पृ० 371-72

2- के०वी०आर० आर्यगर - सम आस्पेक्ट्स ऑव हिन्दू कु आव लाइफ
स्कार्दिंग टु धर्मशास्त्र, पृ० 112-113

3- मनु० 2. 25 पर मेधातिथि का भाष्य - वर्णधर्मः यथा ब्राह्मणों न हन्तव्यः
ब्राह्मणों सुरा न पेयेति, जाति मामास्याडडत्यादु-
च्छ्वासादेण धर्मः ।

4- मनु० 1.91 पर मेधातिथि का भाष्य

5- मनु० 8. 415 पर मेधातिथि का भाष्य - यदि शूद्रों विद्यमानधनः स्वातन्त्र्येव
जीवेद् ब्राह्मणाधनपाश्रितो न जातु दुष्येत् । न हि
तस्य दानाधान क्रिया युज्यते ।

ग्यारहवीं सदी का विदेशी यात्री अलवरुनी का मत है कि इस काल में ब्राह्मण कपड़े व सुपारियों के व्यवसाय में अपना भाग्य अजमा सकता है किन्तु उत्तम यह है कि वह इसके लिए वैश्य को रखे स्वयं व्यापार न करे क्योंकि व्यापार में भूठ व धोखा होता है जो ब्राह्मणों के लिए वर्जित है । वह आगे कहता है कि गाय, धोड़ा आदि पशुओं का व्यापार करना ब्राह्मणों के लिए निषिद्ध है ।¹

बारहवीं सदी ईसवी में विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा नामक भाष्य लिखा था । उस समय ब्राह्मण अपने निश्चित कर्तव्यों के अतिरिक्त बहुत से अन्य कर्तव्यों का पालन करने लगे थे तथा कुछ अपने आचार से च्युत भी हो गये थे फलतः भाष्यकारों ने ब्राह्मणों का उनके वास्तविक कर्तव्य² और आचार के आधार पर निम्नलिखित रूप से विभाजन किया -

- 11। देव
- 12। मुनि
- 13। द्विज
- 14। राज
- 15। वैश्य, व्यापारी एवं पशुपालक
- 16। शूद्र : युद्ध जीवी
- 17। मार्जर निर्दयी
- 18। पशु गन्दे रहनेवाले
- 19। म्लेच्छ, मन्दिरों को गन्दा रखनेवाले
- 110। बाण्डाल, धर्म विमूख वेद अध्ययन रहित तथा संध्या न करनेवाले ।

1- अलवरुनी का भारत, भाग II, पृ० 132

दृष्टव्य - जयशंकर मिश्र, ग्यारहवीं सदी का भारत, पृ० 134

2- डा० बी०एन०एस०व्यादव - सम आस्पेक्टस आव सोसाइटी इन नार्दन इण्डिया इन द देवेत्य सेंचुरी ए०डी०, पृ० 71-72

इस सम्बन्ध में कुछ ऐतिहासिक प्रभाव भी मिलते हैं । बंगाल के राजा बल्लासेन ने व्यापार करनेवाले ब्राह्मणों को जातिच्युत कर दिया था ।¹

इस प्रकार से सामाजिक गतिशीलता में आपद् वर्णधर्मों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है । यह धर्म को सुसंचालित करनेवाले द्वितीयक माध्यम थे, धर्म के अवलम्ब गति उ को क्रियान्वित करने में आपद्धर्मों की महत्वपूर्ण भूमिका विविध ढालों में विविध रूपों में दृष्टिगत होती है ।

1- डा० आर० सी० मजूमदार - हिस्ट्री ऑफ बंगाल, पृ० 116, 340.

के योगदान का ऐतिहासिक विश्लेषण

प्रस्तुत शोध ग्रंथ के तृतीय अध्याय में 'ब' व 'स' सण्डों के अन्तर्गत आपद् स्त्री धर्म और आपद् कुल धर्म की चर्चा की जा चुकी है। प्रस्तुत अध्याय में प्राचीनकालीन समाज में नारी के स्थान व सामाजिक गतिशीलता में उसके आपद्धर्मों के योगदान का ऐतिहासिक तिथि क्रमागत विश्लेषण किया गया है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि समाज का एक अंग यदि पुरुष है तो दूसरा अंग स्त्री। बिना स्त्रियों के सहयोग के समाज का निर्माण हो ही नहीं सकता। स्त्री ही कुल निर्मात्री होती है जिस पर पुरुष अपने नाम व वंश की मुहर अंकित करता है। समय असमय के चक्र का सामना पुरुषों की भाँति स्त्रियों को भी करना पड़ता है उनका भी समाज की गतिशीलता में सक्रिय योगदान रहता है उनके आपद्धर्म समाज को गति प्रदान करते हैं जैसे - विधवा विवाह, नियोग प्रथा (सति प्रथा) आदि उनके आपत्कर्वव्योद्ये जो तत्कालीन समाज में प्रचलित थे। इस अध्याय में इन्हीं विषयों पर ऐतिहासिक तिथिक्रम के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया गया है।

4000 ई०पू० से 500 ई०पू०

डा० काणे का विचार है कि ऋग्वेद अथर्ववेद एवं तैत्तरीय संहिता तथा ब्राह्मण की कुछ ऋचाएँ 4000 ई०पू० से पहले की हैं।¹ किन्तु ए०एस०अल्तेकर ने ऋग्वेद को 2500 ई०पू० से 1500 ई०पू० तथा उत्तर संहिताएँ ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों को 1500 ई०पू० से 500 ई०पू० के अन्तर्गत रखा है।²

इस काल में ऋग्वैदिक समाज का जो चित्रण किया गया है वह बहुत ही उन्मुक्त था कोई जटिलता नहीं थी न ही कोई कथन था। इस समय

1- डा० पी०वी०काणे - धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग 1, पृ० 14

2- ए० एस० अल्तेकर - द पोजीशन आव वूमन इन एशियण्ट इण्डिया, पृ० 337

पुरुष स्त्री से बलवान समझा जाता था । वह जानवरों और दुश्मनों से युद्ध करके स्त्री और बच्चों की रक्षा करता था । मेहनत कर अन्न उत्पन्न करता था । शारीरिक दृष्टि से बलवान होने के कारण स्त्री के ऊपर भी उसकी प्रभुता थी । इस काल में स्त्रियों को न कोई सुविधा थी और न ही कोई अधिकार प्राप्त था । वे पुरुषों से-उसकी सहयोगी समझी जाती थी ।

डा० अल्टेकर ने उस काल के स्त्रियों की समझा-ग्रीक और रोमन की स्त्रियों से की है । उनका मत है कि उस समय ग्रीक में भी यही प्रथा थी । एक लेखक का व्यंग्य है - रोम में औरतें उस समय सविज्यों के तरह थी । स्पार्टा में भी पुरुष जानवरों से थोड़े सम्य थे । प्राचीन रोम का यह नियम था कि पुरुष का अधिकार अपनी पत्नी की उंगुलियों पर था । फिलिस्तीन में स्त्रियाँ धन सम्पदा समझी जाती थी जिन्हें तरीदा बेया जा सकता था ।¹

वैदिक समाज में स्त्रियों की दशा इन सब से अच्छी थी । लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक अच्छे समझे जाते थे । लड़कियाँ भी ब्रह्मचर्य धारणकर शिक्षा प्राप्त करती थी । 16, 17 वर्ष पर विवाह होता था । वे समाज में स्वतंत्रतापूर्वक धूम सकती थी । विवाह एक धार्मिक आवश्यकता थी बिना उसके वे स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकती थी ।²

यदि वे विधवा हो जाती तो स्वेच्छा से दूसरा विवाह कर सकती थी । ऋग्वेद में एक स्थल पर वर्णन है - ऐ स्त्री उठो तू उसके लिए विलाप कर रही हो जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है । तू नये पति का वरण करो, जो तुम्हें स्वीकारने के लिए तैयार है । वे नियोग अपना सकती थी । उनका कोई धन नहीं था , न ही वे पैतृक धन पा सकती थी । भारत में आर्य धीरे-धीरे अपना

1- डेविस - ए शार्ट हिस्ट्री ऑफ वूमन, पृ० 172

2- दृष्टव्य डा० अल्टेकर - द पोजीशन ऑफ वूमन, 337

3- ऋग्वेद 10.18.8 उदीर्ष्व मार्यभि जीवलोक गतासुमेतमपु शेष एहि ।

हस्तग्रामस्य दिधिगोस्तवेद पत्युर्जनित्वयभि स अभूय ॥

विस्तार कर रहे थे वे ही नियमों के आदि प्रणेता थे अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए वे ही नियम बनाते थे नियोग और विधवा पुनर्विवाह भी उनमें से एक था । जो ऋग्वैदिक समाज में प्रचलित था ।¹

प्रो० इन्द्रा ने वैदिक काल में स्त्रियों के स्तर निर्धारण करते समय ऐसी व्याख्या की है कि उस काल में भी स्त्रियों की दशा कोई बहुत अच्छी नहीं रही होगी क्योंकि ऋग्वेद में कहीं-कहीं स्त्रियों के सम्मान के विपरीत व्याख्यान उपलब्ध होते हैं जैसे एक स्थल पर वर्णन है कि राज ऋषि पुरुवरवा कहते हैं कि उर्वशी स्वयं अपने लिए की यातना भुगतेगी औरतों में हृदयहीनता होती है । उनकी कोई धर मैत्री नहीं होती ।² प्रो० लुडविग का मत है कि वैदिक युग में स्त्रियाँ युद्ध के पुरस्कार के रूप में ग्रहण की जाती थी । विजय के बाद स्त्रियों का बंटवारा युद्ध की सामग्रियों की भाँति होता था । विजेता पक्ष के कैम्पों में वे सुसज्जित व अलंकृत अवस्था में पहुँचायी जाती थी ।³

अथर्ववेद का विश्लेषण करते हुए डा० राजकात्र मिश्र का मत है कि तत्कालीन समाज में पुत्री का जन्म पुत्र की अपेक्षा निश्चित रूप से अच्छा नहीं समझा जाता था क्योंकि इस काल में पुत्र प्राप्ति के लिए एक संस्कार विशेष का प्रचलन हुआ जिसे पुंसवन संस्कार कहा जाता था । उसमें कहा गया है कि प्रजापति अनुमति और सिनीवाली तुम्ही ने इस गर्भ को बनाया है । स्त्री का जन्म कहीं और हो परन्तु इस गर्भ में पुरुष संतति आवे ।⁴ गर्भ संस्थापन के विषय में कहा गया है कि

1- डा० अल्टेकर - द पोजीशन आव वूमेन इन एशियण्ट इण्डिया, पृ० 339

2- ऋग्वेद 10.95.15 पुरवो मा म्या मा प्र फ़ो मा त्वा वृकासो अशिवास उदान् ।
न वै स्त्रीणांन सस्थानि सन्ति सालावृकाणां हृदयान्येता ॥

3- ऋग्वेद 8.46.33 अध स्या योषणा मही प्रतीची वशमश्वयम् ।
अधिरुक्त्वा वि नीयते

दृष्टव्य प्रो० इन्द्रा - द स्टेटस आव वूमेन इन एशियण्ट इण्डिया, पृ० 9

4- अथर्ववेद 6. 11.3 प्रजापति^{३१}मतिः सिनीवात्यची कुरुपत् ।
स्त्रैण्यमन्यत्र दधत्पुमांसु वधादिह ॥

दृष्टव्य - डा० राजकात्र मिश्र - अथर्ववेद में सांस्कृतिक तत्व, पृ० 65 ।

हे पति उत्पन्न होनेवाले पुत्र की रक्षा करो उसे स्त्री न बनाओ¹ लेकिन जन्म के बाद कहीं भी पुत्री फेंकने का प्रकरण नहीं प्राप्त होता है ।

स्त्रियों को कुल रक्षाक सम्पन्न जाता था । अथर्ववेद में एक स्थल पर वर्णन प्राप्त होता है कि हे राजन यह कन्या तुम्हारी वधू बने, यह तुम्हारे कुल की रक्षा करनेवाली है । हम इसे तुम्हें² प्रदान करते हैं । सन्तान उत्पन्न करने के कारण माता को जनित्री³ कहा जाता था । पुत्र को जन्म देनेवाली माता का समाज में श्रेष्ठ स्थान था । राजा के घर में पुत्रों को जन्म देनेवाली स्त्री को महिष्णी का पद मिलता था ।⁴ पत्नी पति के साथ शान्ति प्रिय वचन बोलती हुई प्रदर्शित की गयी है ।⁵ वह घर के साथ सामाजिक उत्सवों में भाग लेती थी । और वह विदथ नामक संस्था में भाषण भी करती थी ।⁶ इससे ज्ञात होता है कि पदा प्रथा नहीं थी । स्त्रियाँ सभाओं में भाषण कर सकती थी तथा सामाजिक उत्सवों में स्वतन्त्रता पूर्वक भाग ले सकती थी । इस काल में भी विधवा विवाह का प्रचलन था, नियोग प्रथा थी । अथर्ववेद में एक स्थल पर वर्णन प्राप्त होता है कि - मृत पति को प्राप्त होकर पुनः पतिगृह को चाहती हुई विधवा स्त्री नियोग विधि द्वारा हे जीवित पुरुष तुझे प्राप्त होती है, इस विधवा स्त्री के लिए⁷ तु इस गृहस्थलोक में प्रजोत्पादन कर इस विधवा में उत्तम धन वीर्य का आधान कर । इस प्रकार के कृत्यों को तत्कालीन समाज में पुराण धर्म की संज्ञा दी गयी थी ।

1- अथर्ववेद 8.6.25 - पिङ्ग रक्षा जायमान मा पुमांसं स्त्रियं क्रन ।

2- ,, 1.14.2,3 एषा ते राजकन्या वधूर्नि धूयतां यम ।

एषा ते कुलपा राजन् तामु ते परिददयसि ।

3- ,, 6.110.3 स मा वधीत्पितरं वर्धमानो मा मातरं प्रमितीज्जनित्रीय ।

4- ,, 3.23.3 पुमांसं पुत्रं जनय तु पुमाननु जायताम् ।

भवासि पुत्रावा माता जातानां जनयाश्च यान ।

5- ,, 2.36.3 सुवाना पुत्रान्महिष्णी भवाति ।

6- ,, 3.20.2 जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवाम् ।

7- ,, 2.36.1 जुष्टा वरेणु समनेणु ।

8- ,, 14.1.20 गृहान गच्छ गृहपत्नी यथासौ त्वं विदथमा वदासि ।

9- ,, 18.3.1 इय नारी पतिलोक वृणाथा नि पथत उप त्वा मत्यप्रितम् -
धर्म पुराणमनुपालयन्ती तस्यै प्रजां द्रविणं चेह धेहि ।

ब्राह्मण ग्रंथों के काल में लड़कियों का भी उपनयन होता था । उन्हें उच्च शिक्षा दी जाती थी । शतपथ ब्राह्मण में गार्गी के विद्वता का वर्णन प्राप्त होता है, वह कहती है कि मैं याज्ञवल्क्य से दो प्रश्न करना चाहती हूँ यदि वह उत्तर दे देगा तो अज्य रहेगा नहीं तो इसका सिर पतित हो जायेगा ।¹ इस काल में भी वीर पुत्रों की कामना ज्यादा की जाती थी । उन्हें लड़कियों से ज्यादा अच्छा सम्झा जाता था । एक स्थल पर वर्णन है तू मित्रवरुणी इडा है । तूने वीरों में वीर को उत्पन्न किया है सो तू वीर बनी हो तू ने हमको वीर युक्त किया है ।² कहीं-कहीं पर वीर पुत्र तथा विद्वान पुत्री दोनों की ही समान रूप से कामना की गयी है । उनके उत्पन्न होने की विधियों की बर्चा है ।³

(1500 ई०पू० से 500 ई०पू०) धीरे-धीरे स्त्रियों की शिक्षा में गिरावट आयी क्योंकि गुरुकुल में उनका जाना बन्द हो गया । घर पर ही पिता भाई या चाचा उन्हें शिक्षा देते थे । सभ्य शिक्षित उच्च वर्ग के परिवारों में स्त्रियाँ वैदिक प्रार्थना कर सकती थी, पति जब बाहर गया हो (व्यवसाय, शिक्षा के लिए) तो उसकी अनुपस्थिति में उनके ओर से यज्ञ भी कर सकती थी जैसे रुद्रयज्ञ, सीतायज्ञ ।

विवाह में स्वर्यवर प्रथा दात्रियों में थी । विवाह विच्छेद भी हो सकता था । आज्ञा की आवश्यकता नहीं थी । सति प्रथा अज्ञात थी । विधवा विवाह देवर या परिवार के बाहरी व्यक्ति से भी हो सकता था । पर्दा प्रथा नहीं थी फिर भी स्त्रियों का स्थान घर के अन्दर ही था । वे बाहर विशेष अवसरों पर जाती थी । स्त्रियों को समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त था । परिवार में शांति तथा युद्ध में क्रिय में के लिए उनका सहयोग आवश्यक था । इस समाज औरतें होती,

1- शतपथ ब्राह्मण - 14.6.8.1 अथह वाचक्रव्युवाच ----- गार्गिति ।

2- शतपथ ब्राह्मण - 14.9. 4. 27 अथास्य मातरमभिस्त्रयते -----

----- यास्मान्वीरकताड करदिति ।

3- ,, - 14. 9. 13-16.

युद्ध के अस्त्र-शस्त्र धनुष बाण और वस्त्र निर्माण में सक्रिय सहयोग देती थी ।

ग्रीक समाज में 1000 ई०पू० होमर काल में स्त्रियों को ज्यादा सम्मान प्राप्त था । अपेक्षाकृत पेरिक्लिज युग (500 ई०पू०) के जिसका प्रमुख कारण था कि होमर काल में स्त्रियाँ समस्त घर के कार्य करती थी, पुरुषों के समान परिश्रमी थी, ग्रीक के वस्त्र व्यवसाय उन्हीं के संरक्षण में पनपते थे । घर के प्रमुख कार्यों में वस्त्र धोना, पानी भरना, खाना पकाना, उनका प्रमुख कार्य था, किन्तु पेरिक्लिज युग में दासों का एक सँघ बन गया तथा समस्त घरेलू कार्य उन्हीं से कराया जाता था जिसके परिणाम स्वरूप धीरे-धीरे समाज में स्त्रियाँ अपने कार्य तथा सम्मान दोनों ही खोने लगी ।

नियोग और पुर्न विवाह उक्त काल में भी था । पिटलर और मुञ्जोलिनी की तरह से वैदिक मुषियाँ भी विधि-निर्माता थे जिनका लक्ष्य था ज्यादा से ज्यादा वीरों को पैदा करना । ऐसी लोकोक्ति है कि वैदिक आर्य 10 पुत्रों की कामना करते थे । आर्यों का लक्ष्य अनार्यों को समाज से बहिष्कृत करने का था । यही प्रथा थी ही नहीं क्योंकि वैदिक आर्य विधवा पुर्न विवाह नियोग आदि के माध्यम से प्रजा उत्पादन के फल धर थे । धार्मिक कार्यों के लिए भी स्त्री की आवश्यकता थी बिन उसके यज्ञ अपूर्व समझा जाता था ।¹

500 ई०पू० - 500 ई०

यह काल धर्मसूत्रों, बौद्ध जैन ग्रंथों कौटिल्य अर्थशास्त्र मनुस्मृति तथा महाकाव्यों का था । उन्हीं ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य में इस काल की नारी दशा और उनके आपद्धर्मों का चित्रण किया गया है ।

(600 ई०पू० से 300 ई० पू०) इस काल में धर्मसूत्रों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज में अर्त्तजातीय विवाहों, नियोग, विधवा पुर्न विवाहों का प्रचलन बढ़े जोर शोर से था, इसके फलस्वरूप विविध अर्त्तजातियों

1- डा० ए० एस० अल्टेकर - द पोजीशन आव वूमन इन एशियण्ट इण्डिया, पृ०341-42

उप जातियों का प्रार्दुभाव हुआ तथा इस काल में वर्ण व्यवस्था कर्मगत से जन्मगत हो चुकी थी । सभी धर्मसूत्रकारों ने वर्णशंकर सन्तानों को वर्ण व्यवस्था में ग्रहित करने के लिए उनकी अलग-अलग जातियों का निर्धारण कर उन्हें सामाजिक व्यवस्था में वैधता प्रदान किये ।

गौतम धर्मसूत्र में वर्णन है कि यदि पति विहीन नारी पुत्र की अभिलाषा रखे तो अपने देवर द्वारा पुत्र प्राप्त कर सकती थी । किन्तु उसे गुरुजनों से आज्ञा लेनी चाहिए और संभोग केवल ऋतुकाल में करना चाहिए । जब देवर न होता वह सपिण्ड सगोत्र , स-प्रवर या अपनी जाति वाले से पुत्र प्राप्त कर सकती है । ऐसा दशा में वह दो से अधिक पुत्र नहीं प्राप्त कर सकती । बाद के धर्मसूत्रों में भी इसी मत को प्रामाणिकता दी है । बौधायन ने पौनर्भव पुत्र उस स्त्री के पुत्र को कहा है जो नपुंसक या जातव्युत पति को छोड़कर अन्य पति करती हो ।² आपस्तम्ब धर्मसूत्र में भी इसी प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है कि पति के कुल में प्रवेश करनेवाली (पति के गोत्र वाली) स्त्री को दौत्रज पुत्र की इच्छा से उस गोत्र से भिन्न गोत्रवाले पुरुष से नियोग संबंध नहीं करना चाहिए अर्थात् भरसुक देवर या सगोत्री से ही नियोग करे क्योंकि कन्या एक कुल को दी जाती है ।³ इसी प्रसंग में विविध वर्ण शंकर सन्तानों का वर्णन भी विवेचनीय है जिसकी विस्तृत व्याख्या तृतीय अध्याय के (ब) व (स) खण्डों के अन्तर्गत की जा चुकी है ।

कौटिल्य अर्थशास्त्र (300 ई०पू० से 100 ई०) में भी⁴ नियोग प्रथा के प्रवर्तन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं । ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह मौर्य

1- गौतम धर्मसूत्र 18.4.8 अपातरपत्यक्तिप्सुर्वशत् । गुरु प्रसूता नर्तुमतीयात् ।
पिण्ड गोत्रणिसम्बन्धेभ्यो योनिमात्राद्वा । नादेवरादित्येके
नातद्वितीयम् ।

डा० उमेश चन्द्र पाण्डे, बीसम्बा संस्कृत सीरीज़, वाराणसी ।

2- बौधायन 2. 2 13

3- आप० धर्मसूत्र 2. 26. 2-3 सगोत्र स्थानीया न परेभ्यरसमाच दातेत ।
कुलाय हि स्त्रीः प्रदीयत इत्युपदिशान्ति ॥

4- कौटिल्य अर्थशास्त्र 62.6.4 दौत्रे वा जनयेदस्य नियुक्तः दौत्रज सुतम् ।

काल था (4 शताब्दी ई०पू०) इस काल के पूर्व यूनानियों का भारत पर आक्रमण हो चुका था वे भारतीय सामाजिक व्यवस्था में धुल मिल रहे थे ऐसे समय में राजनीति-शास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित आचार्य कौटिल्य ने विविध नियमों का सृजन कर उन विदेशियों को भी भारतीय समाज में ग्रहित किया ।

विविध प्रकार के वर्ण संकर सन्तानों की कौटिल्या कौटिल्य अर्थशास्त्र में प्राप्त होती है । अर्न्तजातिय विवाहों के परिणामस्वरूप विविध जातियों उफजातियों का सृजन हुआ जो सर्वज्ञ या उन-सवर्ण दोनों ही प्रकार के हो सकते थे इनसे अम्बष्ठ, निषाद, पारशव, उग्र, शुद्र, आयोजक, चण्डाल, दाक्षार, वैदेहक, मागध, सूत, कुक्कुट, कुशीलव आदि थे ।¹ इसका विस्तृत वर्णन पिछले अध्याय 3¹ से उण्ड में किया जा चुका है । तत्कालीन समाज में पुत्र न होने की अवस्था में पुरुष दूसरा विवाह कर सकता था² तथा स्त्री पुरुष परस्पर विवाह विच्छेद भी कर सकते थे । विवाह विच्छेद दोनों पक्षों में परस्परिक विद्वेष होना आवश्यक था । किसी एक के सहमात से कुटकारा नहीं मिल सकता था ।³

चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में स्त्रियों को उण्ड देने का भी विधान बनाया था । उनके अनुसार दाम्पत्य नियमों का उल्लंघन करनेवाली स्त्री को पहले नंगी, अधनंगी, लूली, लंगड़ी, मां मरी, बाप मरी आदि गालियां न देकर उसे भले ढंग से नम्रता तथा सभ्यता सिखानी चाहिए यदि इससे कार्य न सधे तो उसकी पीठ पर बांस की लपानी, रस्सी तथा डप्पण से तीन बार चोट करे फिर भी वह सीधी राह पर न आये तो वाक्यारुष्य या दण्डपारुष्य का आधा दण्ड दिया जाय ।⁴

1- कौटिल्य अर्थशास्त्र 3.63.7.7-8 ब्राह्मणस्य वैश्यायाम्बष्ठ ----- वैश्यस्य

वैश्यान्मागध ----- रथकारः

अनु० वाचस्पति गैरोला, पृ० 283-284

2- कौटिल्य अर्थशास्त्र 3.58.2.6,7

अनु० वाचस्पति गैरोला, पृ० 264

3- कौटिल्य अर्थशास्त्र 59.3.5 अमादया ----- द्वेषान्मोदाः

4- ,, ,, 59.3.4 मन्ने विनग्ने न्यद्वेः अमितृके अमातृके इत्यनिर्देशिन विनय-
ग्राह्णाम । वेणुर्दल रज्जुहस्ताना मन्यतमेन वा
पृष्ठे त्रिराधातः । तस्यातिक्रमे वाग्दण्डपारुष्य-
दण्डाभ्यामर्धदण्डाः ।

दृष्टव्य - प्रो० इन्द्रा : द (पोजीशन) आव' वूमै इन एशियण्ट इण्डिया, पृ० 16
स्टेट्स

अर्थात् - इस काल में स्त्रियों के साथ भी दण्ड विधान था । उन्हें कड़े अनुशासन में रहना पड़ता था ।

• मनुस्मृति का काल 200 ई० पू० से 200 ई० तक का था । इस काल में से मनु ने समाज के कुछ आदर्श निर्धारित किये जिससे नियोग की स्वच्छन्दता पर अंकुश लगा ।

मनु का मत था कि छोटा भाई बड़े भाई के स्त्री को गुरुपत्नी के समान तथा बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री को पुत्रवधू के तुल्य माने यह ऋषियों का मत है ।¹ बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री के साथ और छोटा भाई बड़े भाई की स्त्री निरापेक्ष स्थिति में नियुक्त होकर यदि समागम करे तो वह पतित होता है ।² द्विजातियों की विधवा स्त्री का नियोग दूसरे से नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से वह सनातन धर्म (पातत्रता धर्म) का नाश हो जाता है ।³ यहाँ पर यह धिक्खेनीय तथ्य है कि अथर्ववेद⁴ में नियोग को एक स्थल पर पुराण धर्म, सनातन धर्म कहा गया है और मनु ने इसे अधन्य माना और नियोग को सनातन धर्म का नाश करनेवाला बताया । अर्थात् धर्म की परिवर्तन शीलता युगानुरूप हो रही थी । मनु का पुनः यह मत है कि विवाह के वेदोक्त मंत्रों में नियोग क्यों नहीं लिखा है⁵ और न तो विवाह विधायक शास्त्रों में ही कहीं विधवा विवाह का उल्लेख है । ऐसा संभव है कि उस समय के प्रबलित समाज में उच्च वर्णों में यह प्रथा निन्दनीय हो गयी हो क्योंकि मनु का मत है कि विद्वान् ब्राह्मणों ने इस पशु धर्म की अत्यन्त

1- मनुस्मृति 9.57 भ्रातृर्ज्येष्ठस्य भार्या या गुरुपत्न्यनुजस्य सा ।
यवीयसस्तु या भार्या स्तुषा ज्येष्ठस्य सा स्मृता ॥

2- ,, 9.58 ज्येष्ठो यवीस्यो भार्याः यवीयान्वाग्रजस्त्रियम् ।
पतितौ भवतो मत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥

3- ,, 9.64 नान्यस्मिन्विधवा नारी नियुक्तव्या द्विजातिभिः ।
अन्यस्यैहित् नियुज्जाना धर्म हन्युः सनातनम् ॥

4- अथर्ववेद 18.3.1

5- मनुस्मृति 9.65 नोद्वाहिकेणु मन्त्रेणु नियोगः कीर्त्यति कर्वावत ।
न विवाह विधावुक्तं विधवावेदन पुनः ॥

निन्दा की है, मनुष्यों में भी केराजा के समय से यह पशु धर्म प्रचलित हुआ है ।¹
 उस समय से जो लोग विधवा स्त्री को सन्तानोत्पत्ति के लिए नियुक्त करते हैं उनकी
 अच्छे लोगों की पण्डली में निन्दा होती है ।² किन्तु मनु ने भी दूसरे विवाह को
 समर्थन दिया है । उनका मत है कि वाग्दान हो जाने के बाद जिस कन्या का पति
 मर जावे^{2ए} ऐसी कन्या के साथ (आगे वर्णित विधि के अनुसार) उसका देवर विवाह
 करे ।

ऐतिहासिक तिथि क्रम से यह काल ब्राह्मण वर्गों का था ।
 (185 ई० पू०- 78 ई०पू०) जिसमें शुंग सातवाहन कण्य प्रमुख थे । इसी काल में
 जाक्रमण भी हुए थे । ब्राह्मणों की पवित्रता को ध्यानगत करते हुए ही मनु ने
 निधोग प्रथा की भर्त्सना की, साथ ही साथ उन्होंने अर्त्तजातीय विवाहों की भी
 निन्दा की है । मनु का मत है कि ब्राह्मण और द्रात्रिय को सर्वथा स्त्री न मिलने³
 पर भी शूद्रा का स्त्री बनाने का किसी भी इतिहास में आदेश नहीं पाया जाता ।
 जो द्विज मोहवश हीन जाति (शूद्र) की कन्या से विवाह करते हैं वे सन्तान सहित
 अपने वंश को शीघ्र शूद्र बना देते हैं ।⁴ शूद्रा से व्याह करनेवाला ब्राह्मण पतित होता
 है यह अत्रि और उत्थय पुत्र गौतम का मत है । शूद्रा से पुत्रोत्पन्न होने पर द्रात्रिय
 द्रात्रियत्व से गिर जाता है । यह शौनक का मत है । इसी प्रकार शूद्रों से सन्तान⁵
 होने पर वैश्य भी पतित होता है ऐसा भृगु का मत है । ब्राह्मण शूद्रा के साथ शयन

1- मनुस्मृति 9.66 अथ द्विजैश्च ----- प्रशासति ॥

2- ,, 9.68 तयः प्रभृति यो मोहात्प्रमीतपतिकार् स्त्रियम् ।
 नियोजयत्यपत्यार्थं तं निगर्हन्ति साधवः ॥

2ए - ,, 9.69 यस्या म्रियते कन्याया काचा सत्ये कृते पातः ।
 तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥

3- ,, 3. 14 न ब्राह्मण द्रात्रिययोरापर्याप हि तिष्ठतोः ।
 कस्मिंश्चिदपि वृक्षान्ते शूद्रा भार्योपादश्यते ॥

4- ,, 3.15 हीन जातिस्त्रियं मोहादुद्धहन्तो द्विजातयः ।
 कुलान्येव नयन्त्याशु ससंतानानि शूद्रताम् ॥

5- ,, 3.16 शूद्रावेदी पतत्यत्रेरुथ्यतनयस्य च ।
 शौक्यस्य सुतोत्पत्या तदपत्यतया भृगोः ॥

करने से अधोगति (नरक) को जाता है और उससे पुत्र उत्पन्न करके ब्राह्मणत्व से भी रहित हो जाता है ।¹

यहां यह तथ्य विवेचनीय है कि वाह्य जातियां शुद्ध वर्ण के अन्तर्गत भारतीय सामाजिक व्यवस्था में ग्रहित हुई थी । अतः मनु ने निम्न वर्णों को स्त्रियों से उच्च वर्णों के पुरुषों को सावधान करने के लिए इन नियमों की परिकल्पना की थी जिससे उनके वर्णों की शुद्धता व पवित्रता बनी रहे ।² इसी व्यवस्था को प्रामाणिकता देने के लिए मनु ने यह भी नियम बनाया कि यदि एक ही माता-पिता से उत्पन्न उनके भाइयों में से यदि एक ही भाई पुत्रवान हो तो उसी एक ही पुत्र से सभी पुत्रवान होंगे तथा उसी प्रकार सभी सपत्नियों में से यदि एक को ही पुत्र हो तो उसी से सभी पत्नीयां पुत्रवती होंगी ।³

उस काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी । मनु का मत है कि ब्रह्मा जी ने स्त्रियों का ऐसा स्वभाव बनाया है कि पुरुष को सदैव स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए ।⁴ सृष्टि में शैश्या आसन आभूषण, काम, क्रोध, कुटिलता द्रोह और दुराचार स्त्रियों के लिए ही परिकल्पित है ।⁵ ये समाज में पुरुषों द्वारा ही जानी जाती थी । अधम योनि में उत्पन्न होनेवाली अक्षामाला और शारङ्गी क्रम से वाशिष्ठ और मन्दपाल के साथ ब्याह होने से परम पूज्य हुई थी ।⁶

1- मनुस्मृति 3. 17 शुद्धा शयन मारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम् ।

अनायत्वा सुतं तस्त्रां ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥

2- डा० ए०एस०अल्टेकर - द फौजीशन आव कूमेन इन द एशियण्ट इण्डिया, पृ० 345

3- मनुस्मृति 9. 182, 183 भ्रामृणोयेकजातानामेकत्रयेत्पुत्रवान्मवेत् -----

----- पुत्रवती मनुः ॥

4- ,, 9.16 एवं स्वभावं ज्ञात्वासां प्रजापतिनिसर्गजम् ।
परम यत्नमातिष्ठेत्पुरुषो रक्षार्णं प्रति ॥

5- ,, 9.17 शय्यासनमर्लकार काम क्रोधमानार्जवम् ।
द्रोह भावं कुर्व्या व स्त्रीभ्यो मनुरकल्पयत् ॥

6- ,, 9.23 अक्षामाला वसिष्ठेन संयुक्ताऽधमयोनिजा ।
शारङ्गी मन्दपालेन जगामाम्यर्हणीयताम् ॥

मनु ने स्त्रियों के दण्ड की भी व्यवस्था की थी । यदि स्त्री, पुत्र, नौकर, दूत और सगे भाई लोग यदि कोई अपराध करें तो रस्सी या बांस की पतली छड़ी से ताड़ना देनी चाहिए ।

प्रो० इन्द्रा ने स्त्रियों की दशा का वर्णन करते हुए उनकी तुलना ईसाई ग्रंथों से की है । ईसाई ग्रंथों में भी लगभग इसी प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है । जेनेसिस मिस हेकर ने अपना पुस्तक 'द शार्ट हिस्ट्री ऑफ वूमैन राइट (पृ० 10) में कहा कि स्त्रियाँ ही मानवता के पतन का कारण है । सेंट जेम्स का मत है कि सभी दुर्गुण स्त्रियों से आते हैं । सेंट आगस्टिन ने कहा कि ईश्वर ने पुरुषों को कल्पना कर बनाया स्त्रियों को नहीं । स्त्री को पुरुष पर कभी भी शासन नहीं करना चाहिए न ही उन्हें कोई अधिकार या सुरक्षा मिलनी चाहिए ।

स्त्रियों का सब से बड़ा आपद्धर्म सती प्रथा थी । इस प्रसंग में डा० काणे का मत है कि विष्णु धर्मसूत्र (100 ई० से 300 ई०) को छोड़कर किसी अन्य धर्मसूत्र में सती प्रथा का कोई संकेत नहीं प्राप्त होता है । इसमें वर्णन है कि अपने पात की मृत्यु पर विधवा ब्रह्मचर्य रखती थी या उसकी विता पर चढ़ जाती थी (जल जाती थी) । इस प्रसंग में मनु का मत त्रिवेचनीय है कि रथ, धोड़े, लोथी दात्र, धन, धान्य, पशु स्त्री (दासी) गुण नमक द्रव्य, तौबा, पीतल आदि द्रव्य जो जिस वस्तु को जीतकर लाता है वह उसी का होता है ।⁴ अर्थात् संभव है कि इस समय विदेशी जातियाँ भारतीयों पर विजय प्राप्त कर उनकी स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, अतः उनसे बचने के लिए यह प्रथा चल पड़ी हो । डा० अत्तेकर भी 200 ई०पू० से 300 ई० के समय को भारतीय इतिहास में बहुत ही अधिकारपूर्ण माना है । भारत

1- मनुस्मृति 8 . 299 - भार्या पुत्रश्च प्रेष्यो भ्राता च सोदरः ।

प्राप्तापराधास्ताड्याः स्यू रज्ज्वा वेणुदलेन वा ॥

2- प्रो० इन्द्रा - द एन्जीशन/आव वूमैन इन एशियण्ट इण्डिया, पृ० 15

3- विष्णु धर्मसूत्र - 25.14 मृते भर्तारि ब्रह्मचर्यं तदन्वारोहण ।

दृष्टव्य - पी०वी०काणे - धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग 1, पृ० 15, 348

4- मनुस्मृति 7 . 96 रथाश्वं ----- तस्यतंतु ॥

में पहले ग्रीक आये । डेमेट्रियस और फिनेन्डर के नेतृत्व में (190 - 150 ई० पू०) पटना और बिहार के क्षेत्रों में फिरसिथियन और पार्थियनों का प्रवेश हुआ । (100 ई०पू० 50 ई०) इसी का अनुकरण कुषाणों ने भी किया । ¹ संभवतः सति प्रथा के प्रचलन का भी यही काल रहा होगा । जैसा कि डा० वाणो ने विचार है ।

इसके पश्चात भारतीय इतिहास में गुप्तों का शासन काल (320 ई०पू० से 550 ई०) दर्शित होता है । महाकाव्यों के कुछ अण्ड इस काल में भी लिखे गये । ² प्रो० वाक्सलमहाभारत के रचनाकालके 200 ई० पू० से 200 ई० तक का माना है । डा० एस० अल्टेकर ने महाकाव्यों के समय को 500 ई०पू० से 500 ई० तक का माना है । ³

रामायण में स्त्री जाति का बड़ी ही सम्मानपूर्ण स्थिति दर्शित होती है । रामायण में सीता और उर्मिला के चरित्र को बहुत ही उज्ज्वल दर्शित किया गया है । साथ ही साथ स्त्रियाँ पुरुषों की सहायोगी भी थी, जैसे कैकेयी ने दशरथ की रक्षा युद्ध में की थी। सीता के बनवास में राम का साथ दिया किन्तु फिर भी कहीं-कहीं वर्णनों में विरोधाभास प्रतीत होता है । एक स्थल पर वर्णन प्राप्त होता है कि एक राजपुत्र को यदि चारों वर्णों की रक्षा (के हित) के लिए यदि स्त्री-हत्या भी करनी पड़े तो उसे मुँह नहीं मोड़ना चाहिए । राजा का सनातन धर्म ⁴ उसी में है, रामायण में ही ताटका वध, मन्थरा वध का वर्णन प्राप्त होता है ।

इन वर्णनों से ऐसा ज्ञात होता है कि समाज में जहाँ उज्ज्वल चरित्र की स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था वही समाज के लिए धातक स्त्रियों का वध भी निःसंकोच किया जाता था । सीता के उज्ज्वल चरित्र के होने के बावजूद भी

1- ए०एस०अल्टेकर - द पोजीशन आव वूमन इन ईशियण्ट इण्डिया, पृ० 350 ।

2- आर०एस०शर्मा - शूद्राज इन ईशियण्ट इण्डिया, पृ० 246

3- ए० एस० अल्टेकर - द पोजीशन आव वूमन इन ईशियण्ट इण्डिया, पृ० 336

4- वाल्मीकीय रामायण - बालकाण्ड, 25. 17-21

दृष्टव्य - प्रो० इन्द्रा, द (पोजीशन) ^{स्टेड} आव वूमन इन ईशियण्ट इण्डिया, पृ० 16 ।

राम ने उन्हें दोबारा वन त्याग दिये जहाँ वाल्मीकी आश्रम में लव कुश का जन्म हुआ । अतः इस समय भी स्त्रियों की दशा विवादास्पद थी । इस काल में स्त्री प्रथा के प्रार्दुभाव के सकेत मिलते हैं । रामायण के उत्तर काण्ड में कुशध्वज की मृत्यु पर उनकी पत्नी उनके चिता के साथ जल मरी जो वेदवती की माता थी और वेदवती भी रावण द्वारा तिरस्कृत होकर आग्न में कूद पड़ी ।¹ महाभारत में स्त्रियों को सम्मानित स्थान नहीं प्राप्त था ।

महाभारत में भी नियोग प्रथा के प्रचुर उदाहरण प्राप्त होते हैं । महाभारत के अधिकांश पात्र धृतराष्ट्र, पाण्डु, विदुर,² कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सभी का जन्म उसी विधि से हुआ था । महाभारत के आदि पर्व में स्त्री प्रथा के भी उदाहरण दर्शित होते हैं जैसे पाण्डु की प्यारी रानी माद्री ने पति के शव के साथ अपने को जला दिया ।³ विराट पर्व में कीचक के साथ सौन्धो का अज्ञा⁴ मौसल पर्व में अशुदेव का चार रातियाँ ने अपने को जला दिया⁵ । शान्ति पर्व में अक्रूर ने गाय कपोती का अज्ञा⁶ । सात प्रथा के ज्वलन्क उदाहरण हैं ।

गो० एच० मीज का मत है कि प्राचीन काल के ग्रंथों में इस प्रथा का कहीं भी उल्लेख नहीं है । रामायण और महाभारत में सात प्रथा का वर्णन⁷ राज धरानों तक सीमित था किन्तु बाद में यह प्रथा सभी के लिए मान्य हो गयी ।

उस काल में विधवाओं की स्थिति भी बड़ी ही शोचनीय थी । महाभारत में वर्णन है कि अनेक पुत्रों से युक्त होने पर विधवा का जीवन बड़ा ही शोचनीय था ।⁸

1- वाल्मीकीय रामायण, उत्तर काण्ड, 17.15,30

2- महाभारत, आदि पर्व 100.2, 15, 26 ; 114.6,9,27 ; 115.16,17

3- महाभारत, आदि पर्व 116.31

4- ,, , विराट पर्व, 23.8

5- ,, , मौसलपर्व 8. 18

6- ,, , शान्तिपर्व, 148.1,2

7- जी०एच०मीज - धर्म एण्ड सोसायटी, पृ० 202

8- महाभारत शान्तिपर्व 148.2 सर्वापि विधवा गारी बहुपुत्रापि शोचते ।

भास कृत प्रतिभा नाटक में कैकेयी के जीवन को धिक्कारा है । जिसके राज्य के लोभ से अपना वैधव्य बुलाया था ।¹ स्वप्न वासवदत्ता से भी विदित होता है कि विवाह के अवसर पर उदयन मगधराज के अन्तःपुर में प्रवेश कर रहे थे । वहाँ से विधवाओं को हटा दिया गया था ।²

500 ई० ----- 1200 ई०

डा० काणे ने विविध अभिलेखीय साक्ष्यों को प्रस्तुत किया है जिससे सिद्ध होता है कि तत्कालीन समाज में सती प्रथा प्रचलित थी । इनमें सब से प्राचीन गुप्त संवत् 191 (510 ई०) का है । एरण प्रस्तर स्तम्भ लेख में गोपराज की पत्नी का पति के साथ सती होना उत्कीर्ण है । नेपाल अभिलेख (705 ई०) में धर्मदेव की विधवा राज्यवती अपने पुत्र महादेव को शासन भार संभालने को कहती है और अपने को सति कर देना चाहती है । बेल्लुरु अभि० (979 शक संवत्) में देकम्बे नामक शूद्र स्त्री अपने पति की मृत्यु पर माता पिता के मना करने पर भी भस्म हो जाती है और उसके माता-पिता उसकी स्मृति में स्तम्भ खड़ा करते हैं ।³ कुछ अभिलेख विधवाओं की दशा का चित्रित करते हैं जैसे मन्वसोर के अभिलेख में बन्धु धर्मा के पराक्रम के फलस्वरूप अरिसुन्दरिया वैधव्य दुःख भेगल रही थी । विहोवा अभिलेख में विधवा नारियों के बिकरे बालों का उल्लेख है ।

धरार्धमहिर (500 ई० - 550 ई०) ने कृत्सीहिता में तत्कालीन समाज में स्त्रियों की दशा और उनके आपद्धर्म का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है । उनका मत है कि स्त्रियों पर ही धर्म एवं अर्थ आश्रित है । उन्हीं से पुरुष लोग

- 1- प्रतिभा नाटक अंक 4 - विजया अटो अत्याहित
राजलुब्ध्या ----- आत्मनो वैधव्यमादिष्टम् ।
- 2- स्वप्न वासवदत्त, अंक 3 - वेदी त्वरता त्वरताभार्या ।
एण जामाता अविधवाभिरन्तश्चतुः शालं प्रवेशयते ।
दृष्टव्य - एस०एन०राय - पौराणिक धर्म एवं समाज, पृ० 281
- 3- डा० काणे - धर्म शास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, पृ० 349
- 4- डा० एस०एन०राय - पौराणिक धर्म एवं समाज, पृ० 281

इन्द्रिय सुख एवं सन्तान प्राप्त करते हैं ये धर की लक्ष्मी हैं । इनको सदैव सम्मान एवं धन देना चाहिए । वे स्त्री निन्दकों से पूरते हैं सब कताओं, स्त्रियों में वीर से दोष हैं जो तुम लोगों में नहीं पाये जाते ॥ ----- अपनी माँ और पत्नी भी स्त्री ही है । पुरुषों की उत्पत्ति उन्हीं से होती है, ओ, कृष्णी एवं दुष्ट तुम जब इस प्रकार उनकी भर्त्सना करते हो तो तुम्हें सुख क्योंकर मिलेगा ? शास्त्रों के अनुसार वे पति एवं पत्नी दोनों ही पापी हैं यदि वे विवाह के प्रति सन्धे नहीं होते । पुरुष लोग शास्त्रों की बहुत कम परवाह करते हैं, किन्तु स्त्रियाँ शास्त्रों की बहुत परवाह करती हैं अतः वह पुरुषों से उच्च है । वाराह-मिहिर पुनः कहते हैं, दुष्ट लोगों की धृष्टता कितनी बड़ी है ओह ! वे पवित्र एवं निरपराध स्त्रियों पर गालियों की बाँकार करते हैं यह तो वैसा ही है जैसा बोरों के साथ देला जाता है ; जैसे बोर स्वयं बोरो करते हैं । पुनः शोर गुल करते हैं, उधरो ओ बोर ! जेले में पुरुष स्त्री को बाटुकारा करते हैं किन्तु उसके मर जाते पर उनके पास वही प्रकार के मोठे शब्द नहीं होते किन्तु स्त्रियाँ कृतज्ञता के वश में आकर पति के शवों का आलिंगन करके अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं ।¹

(500 ई० से 1200 ई०)

इस काल सण्ड के अन्तर्गत पुराणों तथा उच्चरकालीन ग्रंथों का वर्णन किया गया है । डा० काणे ने वायु० विष्णु० मार्कण्डेय, मत्स्य तथा कूर्म० पुराणों की तिथि 300 ई० से 600 ई० के अन्तर्गत की है तथा अग्नि और गरुण पुराण की तिथि 600 ई० से 900 ई० तक निर्धारित की है ।²

मत्स्य पुराण में एक स्थल पर वर्णन है कि सृष्टि का संचालन स्त्री विरहित स्थिति में संभव नहीं है ।³ इसी में एक अन्य स्थल पर कहा गया है कि

1-वाराह मिहिर बृहत्संहिता 74.5,6,11,15,16

येष्यङ्गानां प्रवदन्ति -----

----- प्राक्शान्ति सप्तजिह्वम् ॥

दृष्टव्य - डा० काणे , धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग 1, पृ० 327

2- डा० काणे - धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग 1, पृ० 15

3- मत्स्य पुराण - 154, 156 स्त्रियाँ विरहिता सृष्टिर्जन्तूनां नोपपद्यते ।

गर्भ धारण तथा परिपोषण करने से माता का स्थान श्रेष्ठ है पतित होने पर भी उसका गौरव आस को नहीं प्राप्त होता है । अतएव उसका पारित्याग किसी भी दशा में उचित नहीं है ।¹ इस काल में स्त्रियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करती थी । वे अध्यात्मिक तथा व्यावहारिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकती थी । शिक्षात स्त्रियों में एकपर्णा, अपर्णा, एकपाटला, पेता, धारिणी, सनति, शतरूपा उमा, पोवरी आदि जो ऋषवादिनी, ऋषधारिणी, तपस्विनी आदि नामों से अलंकृत किया गया है ।² इस काल में स्त्रियों को युद्ध कला का भी ज्ञान था । ऐसा आस्थात है कि भी कृष्ण ने स्वजन सुरदार्य द्वारका में जिस दुर्ग की रचना संपन्न किया था उसमें पुरुष सैनिक लो युद्ध कर ही सकते थे । इसके अतिरिक्त स्त्रियाँ भी योद्धा रूप में नियुक्त थी ।

इस काल में स्त्रियों को अवध्यता के प्रसंग प्राप्त होते हैं ।

वायु और ऋषाण्ड पुराणों में वर्णन है कि जब छे कंस देवकी के वधार्थ उद्यत हुआ उस समय मासुदेव ने स्त्री अवध्यता पर अपना ध्यान आकर्षित किया था । पृथ्वी का ध्वंस करने के लिए उद्यत वैश्य के विषय में यह आस्थात है कि गाय के रूप में पुरुषों ने उन्हें रोकते हुए कहा कि स्त्री का वध करना अधम है ।⁵ मत्स्य पुराण में वर्णन है आग्नि ज्वाला से त्रस्त त्रिपुरवासिनी स्त्रियाँ स्त्री-वध को पाप निर्दयता व निर्लज्जता को कोटि में रसती है । इसी वर्णन रूप में शत्रु फटा की

1- मत्स्य पुराण 227.150 पातता गुरवस्त्याज्या न तु माता कथन्धन ।

गर्भधारण पोषाभ्यां तेन माता गरीयसी ॥

दृष्टव्य - एस०एन०राय, पौराणिक धर्म एवं समाज, 262-286

2- ऋषाण्ड 3.2.28, 3.1.124, 3.10.15, 16

वायु 66. 27, 72. 13-15

विष्णु 3. 10. 19

3- विष्णु पुराण 5. 23.11 तस्माद् दुर्ग कार्ष्याम ——— पूर्वाष्णपुद्गवाः ।

4- वायु पुराण - 96.225) - न स्त्रियं दात्रियो जातु हन्तुमर्हति कश्चन ।

ऋषाण्ड पुराण -3.71.23।

5- वायु पुराण, 62.159

ऋषाण्ड पुराण 2.36.185) - अवध्याश्च स्त्रियः प्राहुस्त्रियं यो न शतैष्वपि ।

स्त्रियों को भी अबध्य धोषित किया गया है ।¹ चारों पुराणों में यह स्पष्ट विहित मिलता है कि स्त्री वध की अधिकता उस समय रहती है जबकि सामाजिक व्यवस्था के क्षांस होने पर कलियुग का समारम्भ होता है ।²

इसके विपरीत कहीं-कहीं स्त्री वध का भी दृष्टान्त पुराणों में मिलता है जैसे परशुराम ने अपनी जननी का वध किया था । इस कथा में पितृभक्ति की पराकाष्ठा की व्यंजना सन्निहित है । संभवतः उस समय सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से उस कुकृत्य का धीर विरोध हुआ हो, जिस लक्ष्य समय परशुराम तपस्या कर रहे थे उन्हें भर्त्सना पूर्ण शब्दों में ऋणियों ने धिक्कारा था तथा उनके धातक कर्म को गुरु और ब्राह्मण की हत्या की कोटि में रखा था ।³ एक अन्य उदाहरण भृगु की पत्नी का है जिसका वध देवासुर संग्राम में विष्णु ने किया था इस कारण विष्णु को सात बार देवी स्तर से च्युत होकर मानवीय स्तर पर आना पड़ा था ।⁴

पुराणों में भी विधवाओं के हीन और प्रसन्नता रहित जीवन का चित्रण प्राप्त होता है । विष्णु पुराण में मारिषा की कथा का वर्णन है जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गयी थी, उसके लिए मन्दभागिनी शब्द प्रयुक्त किया गया है जिसका जन्म विफल था । ब्रह्माण्ड पुराण में रेणुका की

1- मत्स्य पुराण 188.94 पाप निन्दय ----- शत्रुयोषितः ।

2- विष्णु पुराण 4. 24.71 - स्त्री बाल गोवध क्वरिः ----- भविष्यन्ति ।
वायु पुराण 58. 67)
ब्रह्माण्ड पुराण 2.31.68 } - स्त्री वध ----- परस्परम्
मत्स्य पुराण 144.43)

3- ब्रह्माण्ड पुराण 3.23.66, 9 गुरु स्त्री ब्रह्महृत्योत्थ -----
----- सर्वलोक विगर्हितम् ।

4- वायु पुराण 97.141 यस्यान्ते ----- प्रपत्स्यसि ।
(दृष्टव्य - एस०एन०राय - पौराणिक धर्म एवं समाज, पृ० 264)

5- विष्णु पुराण 1.15.63 भगवन्बालवैधव्याद् ----- च जगत्पते ।

कथा से दर्शित होता है कि वैधव्य दुःख का वह प्रकार है जो असह्य है ।¹ पुराणकार ने विधवा के म्लान वस्त्र एवं केशों का उल्लेख किया है कि वैधव्य के कारण सति ने आभूषणों को उतार दिया तथा उसके केश बिखरे हुए थे ।² विधवा को दोन अनाथों की³ कोटि में रखते हुए उनकी रक्षा करना राजा का परम कर्त्तव्य माना गया है ।

संभवतः इस काल में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था क्योंकि सावित्री के भावी पति के मृत्यु की सूचना से उसके पिता चिन्तित हो गये थे ।⁴ विष्णु पुराण की मारिणा का बाल वैधव्य के कारण उसका⁵ जन्म⁶ व्यर्थ हो गया और भावी जन्म में श्लाघनीय पति के लाभार्थ उत्सुक रहती थी ।

इस काल में सति प्रथा का प्रचलन था । विष्णु पुराण में वर्णन है कि श्रीकृष्ण के मृत्यु के उपरान्त रुक्मिणी⁶ आदि राणियों ने उनके मृत देह का आर्लिंगन करते हुए अग्नि में प्रवेश किया था । रेवती ने बलराम के शरीर का आश्लेष कर उनके अंगस्पर्श के कारण शीतलीकृत अग्नि की क्षरण ली थी ।⁷ ब्रह्माण्ड पुराण में रेणुका ने अपने पति को मृत पाकर भावी उपमान से रक्षार्थ सती होने का निश्चय किया था ।⁷ किन्तु कहीं-कहीं इसके विपरीत दृष्टान्त प्राप्त होते हैं

- 1- ब्रह्माण्ड पुराण 3.30.25,37 रुदतीं वत वैधव्यवर्शका हतचेतनाम् ।
असह्य दुःख
- 2- मत्स्य पुराण 154.19 नारी ----- म्लान वस्त्रशिरोरुहा ।
ब्रह्माण्ड पुराण 4. 30.44 सा पर्यश्रुमुखी कीर्णकुन्तला धूलिधूसरा ।
----- वैधव्यत्यक्तभूषणा ।
- 3- मत्स्य पुराण 215.61 कृमणानाथवृद्धानां विधवानां च योनिताम् ।
- 4- ,, 208.13 सर्वत्सरेण क्षीणायुर्भविष्यति नृपात्मजः ।
सकृत्कन्याः प्रदीयन्ते चिन्तायित्वा नराधिपः ॥
- 5- विष्णु पुराण 1.15.54 भगवन्बालवैधव्याद् वृथाजन्माहमीदृशी ।
भवन्तु पतयः श्लाघ्याम्म जन्मनि-जन्मनि ॥
- 6- विष्णु पुराण 5.38.2 अष्टे माह्व्यः कथिता रुक्मिणी प्रमुखास्तु याः ।
उपगुह्य हरेर्देहं विविशुस्ता हुताशनम् ॥
- 6- विष्णु पुराण 5.38.3 रेवती चापि रामस्य देहमाशिलष्य सत्तमा ।
विवेशं ज्वलितं वक्षि तत्सर्गाहलादशीतलम् ॥

जैसे कामदेव के मृत्यु के बाद रति को सति होने से शंकर ने रोका था ।¹ राजा बाहु की पत्नी माहिष्णी को गर्भवती अवस्था में सति होने से और्व मुनि ने रोका था ।² वाण के कादम्बरी में उसे अविद्वानों का लक्षण माना है³ ।

पूर्व कालों की भाँति पुराणों में कहीं-कहीं पदा प्रथा के अनुकूल और कहीं प्रतिकूल वर्णन प्राप्त होते हैं । जैसे नृप निमि अपनी स्त्रियों के साथ धूतक्रिडा कर रहे थे वहाँ वशिष्ठ ऋषि भी थे ।⁴ बाणासुर की पत्नी नारद मुनि से सुले रूप में धर्म विषयक चर्चा कर रही थी ।⁵ मत्स्य पुराण में ही वर्णन है कि जब कृष्ण पौराणिक कथाओं का श्रवण करते थे उस समय वहाँ अनेक कुरुवंशीय और वृष्णिवंशीय राजाओं के साथ कृष्ण की स्त्रियाँ बैठी हुई थी ।⁶

कहीं-कहीं पदा प्रथा के प्रचलन से सर्बाधिकृत दृष्टान्त भी उपलब्ध होते हैं जैसे ययाति नृप की स्त्रियों का दर्शन चन्द्रमा, इन्द्र,⁷ वायु, यम तथा वरुण भी नहीं कर सकते थे तो मनुष्य की तो बात ही नहीं है । अन्यत्र वर्णन है हिमवान्⁸ की पत्नी जब नारद के सामने आयी तो धूधट निकालकर प्रणामाञ्जलि की थी ।

1- मत्स्य पुराण 154.274 मरणव्यवसायान्तु निवृता हराज्ञया ।

2- विष्णु पुराण 4.3.33 नैवमतिसाहसाध्यावसायिनी भवती भर्वात्त्वत्युक्ता
सा तस्मादनुमरण निर्बन्धाद्विरराम ।

3- डा० एस०एन०राय - पौराणिक धर्म एवं समाज, पृ० 282

4- मत्स्य पुराण 61.32

5- ,, 187.26 अनौपम्योवाच- भगवन्मानुषो लोके -----

6- ,, 69.10, 11 तस्या ----- धर्मसम्बन्धिनी षु ।

7- मत्स्य पुराण 31.12 सोमश्चेन्द्रश्च वायुश्च यमश्च वरुणश्च वा ।
तव वा नाहुष गृहे कः स्त्रियं पशुमर्हति ॥

8- मत्स्य पुराण 154.131 वक्न्दे गूढवन्दना पाणिपथकूर्तजलिः ॥

याज्ञवल्क्य स्मृति की टीका मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर (जिसकी तिथि (1080 ई० - 1100 ई०) तथा अपरार्क शिलाहार राजा द्वारा लिखित याज्ञवल्क्य स्मृति की टीका जिसकी तिथि 1100 ई० - 1130 ई० है । इन ग्रंथों में भी सति प्रथा का वर्णन है जिसका समर्थन शुद्धितत्व के लेखक रघुनन्दन ने किया है (1520 ई० - 1575 ई०) । इन ग्रंथों में भी सति प्रथा के प्रमाण मिलते हैं इनमें वर्णन है । जो नारी पति के, मृत्यु का अनुसरण करती है वह मनुष्य के शरीर पर पाये जानेवाले रोमों की संख्या के तुल्य वर्षों तक स्वर्ग में बिराजती है अर्थात् 311 करोड़ वर्ष । जिस प्रकार सपिरा शप को उसके बिल से बाँच लेता है उसी प्रकार सति होनेवाली स्त्री अपने पति को (चाहे जहाँ भी वह हो बाँच लेती है और उसके साथ कल्याण पाती है । ----- सति होनेवाली स्त्री अरुन्धवती के समान स्वर्ग में यश पाती है ।¹ मिताक्षरा में बाल बन्धेवाली स्त्री को सति होने से रोका गया है ।²

डा० अल्टेकर का मत है कि 11वीं सदी में ब्राह्मणी विधवा भी सति हो जाती थी । वे पुनः विवाह नहीं कर सकती थी । कुछ विधवा बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन बिताती थी । कुछ विधवाओं के रिश्तेदार उन्हें जबरदस्ती आग में फेंक देते थे । उनकी यह धारणा थी कि वे उनके कुल का पतन कर देंगी या धन में हिस्सा लेंगी । 1200 ई० तक यह पूरे देश में लागू हो चुकी थी । बंगाल में दाय भाग का प्रचलन हो चुका था कि पति मृत्यु के पूर्व संयुक्त परिवार से अलग नहीं हुआ है और जो विधवा का भी पैतृक धन में हिस्सा लगेगा, ऐसे समय में परिवार के अन्य लोग पति की मृत्यु पर पत्नी की पति भक्ति पर्याप्त मात्रा में उत्तेजित कर देते थे जिससे वह पति की चिन्ता पर जलकर भस्म हो जाय । यह मानव की सम्पत्ति मोह की पराकाष्ठा थी ।³

1- याज्ञवल्क्य 1.86 पर मिताक्षरा, अपरार्क पृ० 110 शुद्धितत्व, पृ० 234

तिस्त्रः कोटयोर्धकोटी -----

इस प्रकार से 4000 ई० पू० से 1200 ई० तक स्त्रियों की दशा सदैव पुरुषों से निम्न ही रही जैसा कि विविध ग्रंथों के अवलोकन से ज्ञात होता है । उन्हें सदैव पुरुषों का अनुगामी बनना पड़ा । स्त्रियों का धर्म , आपद्धर्म ये सब पुरुषों द्वारा ही नियोजित किया जाता था जिनका पालन करना स्त्रियों का परम कर्तव्य था ।

प्राचीन भारतीय सामाजिक गतिशीलता में आपद् राजधर्म का ऐतिहासिक विश्लेषण-

4000 ई० पू० - 1000 ई० पू०

यह काल वैदिक काल था उस काल अण्ड के अन्तर्गत वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों और संहिताओं का सृजन हुआ । इस काल में राजधर्म का क्रमशः विकास दृष्टिगत होता है । इस काल अण्ड को 2 वर्गों में बाँटा जा सकता है । ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल ।

ऋग्वेद में राजा शब्द कई स्थलों पर प्रयुक्त किया गया है । एक स्थल पर वर्णन है जहाँ पौधे उसी प्रकार साथ आते हैं जिस प्रकार भद्र लोग सभा में आते हैं । यहाँ पर राजानः शब्द की तुलना भद्र व्यक्ति से की गयी है ।¹ एक अन्य स्थल पर राजा शब्द वरुण, बृहस्पति, इन्द्र अग्नि के साथ प्रयुक्त किया गया है तथा राष्ट्र को धारण करनेवाला कहा गया है ।² एक स्थल पर वर्णन है कि दस राजाओं का मण्डल भी सुदास को पराजित नहीं कर सके । इन्द्र वरुण ने दस राजाओं से धिरे सुदास की सहायता की थी ।³ ऋग्वेद में समिति शब्द भी प्रयुक्त किया गया है एक स्थल पर राजा प्रार्थना करता है कि उसके प्रतिक्रियों का विनाश हो इसमें उसके व्यक्ति तथा समिति हिस्सा लेते थे ।⁴

1- ऋग्वेद 10. 97. 6 यत्रौषधीः समस्त राजानः समिताविव ।

विप्रः स उच्यते भिण्ग रत्तोहामीव वातनः ॥

2- ऋग्वेद 10. 173. 5 ध्रुव ते राजा वरुण ध्रुव देवो बृहस्पतिः ।

ध्रुव त इन्द्र श्वाग्नि राष्ट्र धारयता ध्रुवम् ॥

3- ऋग्वेद 7. 83. 7-8 दश राजानः समिता अयज्ववः सुदासमिन्द्रा वरुणा न युयुधुः ।

----- दाशराज्ञे परियताय विश्वतः सुदास इन्द्रा वरुणाव शिहातम्

4- ऋग्वेद 10. 166. 4 अभिमूरहमागम विश्वकर्मेण धाम्ना ।

आ पश्चित्मा श्री व्रतमा वरेहं समितिं ददे ॥

दृष्टव्य - यू०एन०धोणाल-स्टडीज़ इन इंडियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ० 354 ।

इन राजाओं के अतिरिक्त बहुत से गणों तथा गणराज्यों के भी नाम ऋग्वेद में जाये हैं उनमें अनु, इह्य, तुर्वशु, पुरु तथा यदु प्रमुख हैं । ये सभी शब्द कहीं-कहीं एक वचन तथा कहीं-कहीं बहुवचन में प्रयुक्त हुए हैं । एक वचन वाले शब्द राजा या प्रमुख के यौतक हैं ।

डा० अल्टेकर का मत है कि ऋग्वैदिक काल का राज्य प्राचीन यूनान के नगर राज्यों की भाँति छोटा होता था, उसका विस्तार आजकल के एक जिले से प्रायः अधिक न था । अधिकांश राज्यों की उत्पत्ति भी एक विशेष जन या कबीले से सर्वप्रथम थी । राज्य ने नामांतरण अपने को यदु पुरु तुर्वशु जैसे किसी पौराणिक पुरुष की संतान समझते थे । शासक वर्ग में विभिन्न कुलों के गृहपति सम्मिलित थे । कई कुटुम्बों को मिलाकर विश की रचना होती थी जिसका अध्यक्ष विशपति होता था, कई विशों को मिलाकर जन की रचना होती थी जिसका प्रधान जनपति या राजा होता था ।

संयुक्त कुटुम्ब पधति से राजपद उत्क्रांति हुआ था इसलिए वह प्रायः आनुवंशिक था । ऋग्वेद में इस विषय में पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध होते हैं । वहाँ ऐसे कई वंश का उल्लेख है जहाँ राजपद लगातार चार पीढ़ियों तक था । जैसे वहद्रश्व, दिवोदास, पिजनव, सुदास, दुर्हिण, गिरिदिात, पुरुकुत्स असदस्यु आदि । कुछ स्थलों पर राजा के निर्वाचन का भी उल्लेख मिलता है ।

राजा जनपतियों (विशपतियों) के मण्डल का प्रमुख था तथा उसका पद आनुवंशिक होने लगा था । उसमें मुख्यतः सफल सेनापतित्व की अपेक्षा की जाती थी । अनायों के साथ हमेशा युद्ध चलता रहता था । आर्य राज्यों में भी आपसी झगड़े प्रायः होते रहते थे । विशपतियों या जनपतियों में जो कुशल व यशस्वी सेनापति हो सकता था उसका प्रथम राजपद के लिए चुनाव होता था तथा बाद में उसवे कुल में राजपद आनुवंशिक हो जाता था । राजत्व के विकास का यह प्राथमिक कारण था अर्थात् युद्धमय परिस्थितियों के ही नेतृत्व का परिणाम राजा था इस प्रकार राजा का चुनाव आफ्दकालीन परिस्थितियों में हुआ था ।

1- डा० पी०वी०काणे : धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग 2, पृ० 605

(ऋग्वेद , 1 : 108.8, 7.18.6, 8.6.46)

इस काल में सरकार को कर देने की प्रथा अस्तित्व में नहीं थी । इसलिए राजा की आमदनी शान्तिकाल में प्रायः उसकी जमींदारी से होती थी । उसको उपहार (बलि) भी मिलता था, यह देना न देना ऐच्छिक था । युद्धकाल में राजा को लूट से धन प्राप्त होता था जिसका कुछ भाग सैनिकों में बाँट दिया जाता था ।

राजा के 3 प्रमुख कर्मचारी होते थे (1) सेनानी (सेनापति) (2) ग्रामणी (गाँव का मुखिया) (3) पुरोहित । सेनापति राजा के आदेशानुसार युद्ध में काम करता था । सेना का युद्ध में मार्ग-दर्शन करता था । लड़ने के शस्त्र बाण, तलवार, भाले थे । ऋग्वेद में ग्राम के दो अर्थ हैं - (1) गाँव (2) (युद्ध) सैन्य समूह । अर्थात् ग्रामणी गाँव का मुखिया और सैनिक पदाधिकारी भी होता था । पुरोहित याज्ञिक कार्यों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में राजा के विजय के लिए देवताओं से प्रार्थना करता था ।¹

डा० आर० एस० शर्मा की बात भी लगभग इसी प्रकार की है । इनका मत है कि ऋग्वेदिक आर्य अयश नामक धातु से परिचित थे जो लाल रंग का होता था संभवतः वे ताँबा रहा हो जिसका वे तीर बनाते हो जिसे अयोमुख कहते थे । कुछ इसी प्रकार के धातु का प्रयोग परसिया में 1200 ई० पू० में होता था । लेकिन मात्र ये अस्त्र शस्त्र ही ऋग्वेदिक राजत्व का प्रमुख कारण नहीं था । उस काल में पारिभ्रमण दशा थी तथा मवेशी पालन ही जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन था । एक ही गोत्र के व्यक्ति एक ही कृत वेनीचेस अपने गाँवों के साथ रहते थे । गायों की रक्षा के लिए ही धूमते थे तथा युद्ध करते थे । ऋग्वेद में जन शब्द 275 बार तथा विश्व शब्द 170 बार प्रयुक्त किया गया है । वैदिक जन ही सर्वोच्च सामाजिक संगठन था जिसकी तुलना शर्मा ने रोमन 'जेन्स' तथा ग्रीक 'शब्द' 'जेनोस' से की है । वैदिक विश्व शब्द 'रोमन ट्राइब्स तथा ग्रीक 'फिले' शब्द का समकक्षी था । इसमें कोई संशय नहीं है कि ऋग्वेदिक विश्व युद्ध करनेवाली एक संगठनात्मक ईकाई थी जिस प्रकार से होमरकालीन और प्राचीन जर्मनी में सेनानायकों की ईकाइयाँ हुआ करती थी । उन्होंने भी ग्राम को पारिभ्रमण युद्ध करनेवाली ईकाई माना है तथा

1- ए० एस० अल्टेकर : प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पृ० 237-239 ।

संग्राम कहा है जिसका प्रयोग ऋग्वेद में 13 बार किया गया है । इस प्रकार से ऋग्वैदिक राजनैतिक संगठन का राजा कबीलेवाले सभाज की प्रधान सेनानायक था ।¹

डा० बन्दोपाध्याय ने वैदिक राजत्व की संस्थाओं का अवलोकन करते हुए कहा है कि पूर्व वैदिक राजा एक प्रशासकीय वर्ग था जो सामान्य व्यक्तियों के मध्य ज्यादा शक्ति संपन्न था । यह राजनैतिक गति का एक पहलू था और यही तत्व उत्तर वैदिक संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों में भी दर्शित होता है । इस प्रकार से एकत्र का यह प्राथमिक चरण था जिसके कण ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में भी प्राप्त होते हैं । इन्होंने वैदिक परंपराओं को मनु और पृथु से जोड़ा है जो वेन के पुत्र थे तथा बहुत बड़े योद्धा नायक थे । डा० वी० एम० आप्टे का मत है कि राजत्व ऋग्वैदिक काल में अत्यन्त स्वाभाविक प्रक्रिया की क्योंकि वैदिक आर्य अपने पड़ोसियों से युद्ध का बर्ताव करते थे ।²

वैदिक संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसे प्रसंग प्राप्त होते हैं जिसमें मनु को मानव मात्र का पिता कहा गया है तथा मानव सभ्यता का जनक माना गया है जिन्होंने मनुष्य को यज्ञ एवं कृषि कर्तव्यों का बोध कराया जब वे वेन पुत्र पृथु को याद कर रहे थे जो कृषि के प्रणेता थे । कहीं-कहीं पृथु को प्रथम राजा माना गया है किन्तु मनु को कहीं भी प्रथम राजा नहीं कहा गया है । ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णन है कि देवताओं ने सोम को अपना राजा बनाया जो असुरों के विरुद्ध उनका नेतृत्व करे किन्तु दूसरे कथानकों में इन्द्र को राजा चुने जाने का वर्णन प्राप्त होता है जो बहुत ही योग्य, बहादुर तथा अच्छे थे । इन प्रथाओं के अनुसार राजा में देवत्व को कल्पना की गयी । डा० जायसवाल का मत है कि इन्द्रों आर्यों ने यह राजत्व की प्रथा द्रविणों से ग्रहित की जो ऐतरेय ब्राह्मण के देव दानुज युद्धों का समकक्षी हैं उन्होंने इसके तीन प्रमाण दिये हैं (1) राजा पूर्व आर्यों के समय में द्रविणों के राजा थे । (2) आर्य द्रविणों के संपर्क में आये (3) इन्द्रों आर्यों ने राजत्व की प्रथा द्रविणों से सीसी थी ।³

1- डा० आर० एस० शर्मा - एसपेक्ट्स आव पोलिटिकल आइडियाज एण्ड इस्टीमियूशन्स इन एरियण्ट इण्डिया, पृ० 263-267

2- यू०एन०धोणाल - स्टडीज़ इन इंडियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ० 339-341

इस काल में राज्य का विस्तार बढ़ने लगा । अनेक विश, जन या कभीले एक राज्य में सम्मिलित होने लगे । कुरु पांचालों का एक राज्य हुआ व उसी तरह और जन भी सम्मिलित हुए होंगे । हो सकता है कि इस समय एक राज्य का विस्तार सामान्यतः आधुनिक कमिश्नरी के बराबर हुआ होगा । कभी-कभी राजाओं को महाराजा १ सम्राट ऐसी पदवी दी जाती थी । कुछ राजा बड़े विजेता और विजय के परचात वाजपेय व अश्वमेध इत्यादि यज्ञ करते थे किन्तु ऐसे सम्राटों के राज्य का विस्तार कितना विशाल था यह कहना कठिन है । इस काल में राज्य शब्द से एक विशिष्ट भू-भाग निर्दिष्ट होने लगा ।

धातु प्रयोग के आधार पर भी ऋग्वैदिक समाज उत्तर वैदिक समाज से भिन्न था । उत्तर वैदिक काल में आर्य अब धीरे-धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भूभागों की ओर अग्रसर हो रहे थे । (ताबि से बने अस्त्र-शस्त्रों के अवशेष 18 स्थलों से प्राप्त हुए हैं जिनका काल 1700- 1000 ई० पू० का है) ।

धीरे-धीरे लौह निर्मित औजारों के अवशेष बहुसंख्या में प्राप्त होने लगे । पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एटा जिले के आंतरजी खेरा नामक स्थल से प्राप्त अवशेषों (लौह निर्मित औजार) की तिथि संभवतः 1000 ई० पू० से 800 ई० पू० तक की होगी । उत्तर वैदिक ग्रंथों में अश्व, पंचाल का वर्णन प्राप्त होता है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रयुक्त श्याम अयस शब्द लोहे के लिए प्रयुक्त होता था । इसी प्रकार से विदेह उत्तर बिहार में भी वैदिक आर्य अग्रसारित हुए अतः ऋग्वैदिक काल के समाप्त होने तथा लौह औजारों के प्रयोग के समय तक आर्य उत्तर तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेशों में फैल चुके थे । कृषि के विकास तथा लौह औजारों के कारण उनके परिभ्रमक जीवन में स्थिरता का बीजारोपण हुआ ।²

1- डा० ए० एस० अल्टेकर : प्राचीन भारतीय सासन पद्धति, पृ० 239 ।

2- आर० एस० शर्मा : आस्पेक्ट्स ऑफ पोलिटाइकल आइडियाज़ एण्ड इन्स्टीट्यूशन्स इन एरियंट इंडिया, पृ० 272 ।

उत्तर वैदिक काल में राजत्व से संबंधित बहुसंख्यक प्रमाण हमें अथर्ववेद में उल्लिखित विविध मंत्रों के विश्लेषण से प्राप्त होते हैं । अथर्ववेद में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का भी पर्याप्त विवरण उपलब्ध होता है यद्यपि ये विवरण क्रमबद्ध नहीं हैं तथापि इन बिखरे हुए मंत्रों के कारण ही अथर्ववेद को शतपथ ब्राह्मण में द्वात्रिंशद्वेद कहा गया है ।¹

राजनीतिक शब्दावली - अथर्ववेद में विविध राजनीतिक शब्दावलियाँ प्रयुक्त हुई हैं जिससे राज्य के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है -

राष्ट्र - राष्ट्र शब्द का प्रयोग राज्य या साम्राज्य के लिए कई स्थलों पर हुआ है । एक स्थान पर पुरोहित राजा को राष्ट्र की रक्षा के लिए आशीर्वाद देता है ।² तत्कालीन राष्ट्रों में परीक्षित का राष्ट्र अत्यन्त कल्याणप्रद माना गया है ।³

दात्र - दात्र का अर्थ है प्रभुत्व, शासन, शक्ति । यह देवताओं तथा मनुष्यों दोनों के शासन के लिए प्रचलित था । उन लोगों की धारणा थी कि राजा द्वारा अपमानित ब्राह्मण राजा की शक्ति (दात्र) और तेज को समाप्त कर देता था ।⁴ एक मंत्र में दात्र का प्रयोग शासक के अर्थ में हुआ है ।⁵ एक स्थान पर दात्र शब्द राज्य के लिए प्रयुक्त हुआ है । हे इन्द्र यह राजा अन्य शासकों में बलवान हो, तुम इस दैवी प्रजा पर शासन करो, तुम्हारा राज्य अजर और दीर्घायु हो ।⁶ बड़े राज्य को महादात्र कहा गया है ।⁷ दात्र शब्द जब ब्रह्म के साथ प्रयुक्त होता था तो उसका अर्थ लौकिक और ब्रह्म का अर्थ पारलौकिक था ।⁸

1-ठलूम फील्ड, सेकेंड बुक्स आव द ईस्ट, भाग 42, पृ० 25 (भूमिका)

शत ब्रा० 18.4.141

दृष्टव्य - डा० राजदात्र मिश्र, अथर्ववेद का सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० 1

2- अथर्ववेद - 6. 87. 1 मा त्वद्राष्ट्रमधि प्रशत ।

3- ,, 20.127.9 जनः स भद्रमेधति राष्ट्रे राज्ञः परिदितः ।

4- ,, 5.18.4 निर्वेदात्र नयति हन्ति वधो ----- ।

5- ,, 4.22.2 वर्षाभाणामयमस्तु राजेन्द्र ।

6- ,, 6.98.2 त्वं दैवी विश इमा वि राजायुष्मत् दात्रमजरं ते अस्तु ।

7- ,, 15.10.3 अतो ब्रह्म च दात्रं बोदंतिष्ठता ।

8- यू०एन०धौनाल, इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली, 1944 पृ० 104

विश - विश शब्द राजा के साथ प्रजा का द्योतक है ।¹ कभी-कभी जन के लिए विश शब्द प्रयुक्त होता है ।² कहीं-कहीं पर विश शब्द सम्बन्धियों तथा वंशजों के लिए प्रयुक्त हुआ है ।³ जहाँ विश शब्द प्रजा के लिए प्रयुक्त हुआ है वहाँ विशापति का तात्पर्य राजा है । विशी के स्वामी को एकराट् कहा गया है ।⁴

संसद - अथर्ववेद में संसद शब्द भी प्रयुक्त हुआ है । हे इन्द्र इन सभी संसदों का मुझे भागी बनाओ ।⁵ यहाँ संसद एक ऐसी संस्था थी जिसमें सभा और सभिति दो परिणदें सम्मिलित थी । हिक्टने ⁶ ने इसका समीकरण जन सभुदाय से किया है । ग्रिफिथ ने इसे परिणद् कहा है ।⁷ सभा और सभिति प्रजापति की दो पुत्रियाँ कही गयी हैं ।⁸

सभा - हाप्पिय ने सभा शब्द की तुलना जर्मन शब्द 'सिप्पे' से की है जो कबीले, परिवार तथा प्रशासक वर्ग का समूह था । वन्दोपाध्याय का भी यही मत है । प्रारंभ में स्त्रियाँ उनमें भाग लेती थीं किन्तु बाद में उनका जाना बंद हो गया डा० शर्मा का मत है कि कबीलेवाले समाज में (ऋग्वैदिक काल) सभा का प्रादुर्भाव तब हुआ जब कोई उस समय प्रभुत्वशाली वर्ग नहीं था । धनी-निर्धन में कोई अन्तर नहीं था फिर भी उस समय सभा के पदाधिकारी उच्च सम्भे जाते थे उनके

1- अथर्ववेद 3.4.2 त्वा विशी वृणता राज्याय ।

2- ,, 14.2.27 स्योनास्ये सर्वस्ये विशी स्योना पुष्टायैणां पव ।

3- ,, 15.8.2 सविशः सबधूनमन्नमन्नाधभ्युदतिष्ठत् ।

4- ,, 3.4.1 विशापतिरेकराट् त्व विराज ।

5- ,, 7.13.3 अस्थाः सर्वस्या संसदो मामिन्द्र भगिर्न कृणु ।

6- हिक्टने, अथर्ववेद का अनुवाद पृ० 397 पं० 7.13.3

7- ग्रिफिथ द हिम्म आव द अथर्ववेद, पृ० 230, भाग 2, बनारस 1917

दृष्टव्य - डा० राजदात्र मिश्र, अथर्ववेद का सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० 2-3

8- अथर्ववेद 7.12.1 सभा च मा सभिति रचनावता प्रजापतेर्दुहितरो संविदाने ।

पास धोड़े, रथ, दास आदि होते थे । उनकी बातों का सभा में महत्व था । राजा उनके विमर्श पर आश्रित थे । कहीं-कहीं सभा वा वर्णन भूत कीड़ा, नृत्य गान आदि के प्रसंग में भी प्रयुक्त किया गया है । इसके पक्ष में शर्मा का तर्क है कि आदि आर्ध पुरुषों के लेखक, राजनीति और धर्म में अन्तर नहीं ज्ञात था । अथर्ववेद में सभा भूत प्रेत जादू-टोनों से जुड़ गयी थी ।¹

समिति के आपदकालीन कर्तव्य - अथर्ववेद में वर्णन है कि राजा अपने शासन में सभा सफल हो सकता था जब समिति उसके अनुकूल हो शक्य पुरोहित आशीर्वाद देता था कि समिति सदैव राजा के अनुकूल रहे । सभा व समिति के साथ उसे पुत्रों के समान व्यवहार करना पड़ता था । समिति को प्राचीन साहित्य में युद्ध या संग्राम से समीकृत किया गया है । अथर्ववेद में संग्राम शब्द समिति के विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है । समिति प्रमुख रूप से युद्ध कालीन सभा है । इसका संगठन किस प्रकार होता था यह अज्ञात है किन्तु राज्य की सुरक्षा से इसका संबंध होने के कारण राजा को उसकी अनुमति स्वीकार करनी पड़ती थी । ब्राह्मण पर आर्तक करनेवाले शासक के लिए धोर शपथ दिया जाता था कि समिति उसके विरुद्ध रहे ।⁴ समिति के सदस्यों को साक्षित्य कहा जाता था ।

डा० एन०सी० वन्दोपाध्याय का मत है कि समिति आम लोगों का संगठन था जिसका राज परिवार के व्यक्तियों से धानष्ठ संबंध था जो विशेषतः राष्ट्रीय आपदाओं की स्थिति में बुलायी जाती थी ।

के० पी० जायसवाल का मत है कि समिति राष्ट्रीय सभा थी जिसमें सभी व्यक्ति भाग ले सकते थे । यह सर्वोच्च अधिकार प्राप्त संस्था थी जो राजा का निर्वाचन पुनर्निर्वाचन करती थी । राजा का यह कर्तव्य था कि वह समिति

1- आर० एस० शर्मा - आस्पेक्ट्स आव पोलिटिकल इस्टीम्युशन इन एशियण्ट इण्डिया, पृ० 97-98

अथर्ववेद 34.6

अथर्ववेद 31.6

2- अथर्ववेद 6.38.3 ध्रुवाय ते समितिः कल्पतामिहि ।

3- ,, 7.12.1 सभा व मासामातश्चावता प्रजापतेर्दुहितरो संविधाने ।

4- ,, 5.19.15 नास्मै समितिः कल्पते ।

में हिस्सा ले । यह इन्डो आर्यों की लोक सभा थी ।¹

डा० अल्टेकर का मत है - समाज में प्रमुख स्थान रखनेवाले व्यक्ति योद्धा, प्रतिष्ठित परिवारों के गृहपति तथा पुरोहित भी समिति के सदस्य रहे हों । उस युग में पुरोहित भी युद्ध क्षेत्र में महत्त्व रखता था अतः वह भी इसका सदस्य रहा होगा । समितियों की स्थापना परवर्ती कालीन सामन्तों के सदस्य थी ।

ग्राम की अप्रकालीन भूमिका - ग्राम शासन की ईकाई थी । राजा गाँवों को जीत लेता था । वह गाँव की संपत्ति से भाग खाता था । ग्राम का प्रधान ग्रामणी होता था । तिस्रमर ने ग्रामणी को सैनिक कर्मचारी तथा हिवटने ने सेना की टुकड़ी का नायक स्वीकार किया है । अतः ग्रामणी गाँव का प्रधान होता था जो नागरिक तथा सैनिक दोनों कार्य करता था । ग्रामणी भी राजाओं, राजकुमारों तथा सूतों के श्रेणी में उल्लिखित है ।⁵ अतः सम्भव है कि यह भी राजा के चुनाव में भाग लेता रहा हो ।

राज्य के उत्पत्ति के सिद्धान्त - सूक्तों व मंत्रों की व्याख्या से राज्य उत्पत्ति के विविध सिद्धान्तों पर भी प्रकाश पड़ता है ।

देवी उत्पत्ति : इसमें राजा की तुलना देवताओं से की गयी है । राजा परीक्षित मनुष्यों में देव है ।⁶ राजा देवों का अंश प्राप्त करनेवाला है ।⁷ एक स्थल पर वर्णन है देवगण राजा को अभिषेक के लिए बुलाते हैं । राजा को इन्द्र का मित्र कहा⁸

1- यू०एन०धोषाल - स्टडीज़ इन इंडियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ० 349-50 ।

2- अल्टेकर - प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पृ० 140

3- अथर्ववेद 9. 97.3 ग्रामजित गोजित क्यूवाहु जयन्तमज्य प्रमृणन्तमोजसा ।

4- ,, 4.22.2 रम भ्रम ग्रामे अश्वेषु ।

5- ,, 3.5.7 ये राजानो राजकृतः सूताग्नामण्यश्च ये ।

6- ,, 20. 127.7 राज्ञो विश्वजतीतस्य यो देवो मर्त्या अति ।

वैश्वानरस्य सुष्टुतिमा सुनोता परिक्षित ।

7- ,, 1.6.86 देवानामर्धभागसि त्वमेक वृण भव ।

8- ,, 4.9.2 आतिष्ठ मित्रवर्धन तुम्य देवा अधिब्रुवन ।

गया है । ¹ इन्द्र स्वर्ग में दैवी विश्व (प्रजा) का शासक था तथा राजा पृथ्वी पर सांसारिक विश्व का ² शासक वर्ग की उत्पत्ति विराट पुरुष के बाहु से हुई है । ³

सामाजिक अनुबन्ध-सिद्धान्त - इस काल के राजत्व में सामाजिक अनुबन्ध सिद्धान्त के भी तत्त्व थे । राजा का राज्य तभी तक स्थित था जब तक प्रजाचन का उसमें विश्वास था । ⁴ उसका शासन तभी तक सफल हो सकता था जब तक वह समिति को अपने अनुकूल रखने में समर्थ होता था । ⁵ इसके अतिरिक्त प्रजा ने उसे बदले में कर (बलि) देना स्वीकार किया था । ⁶ काशी प्रसाद जायसवाल ने इस प्रकार के राजतन्त्र को अनुबन्धिक राजतन्त्र (कान्दैक्बुअल मोनाकी) कहा है । ⁷

विकासवादी सिद्धान्त - अथर्ववेद में वर्णन प्राप्त होता है कि निश्चय ही पहले विराट्मय संसार का उसके उत्पन्न होते ही लोग डर गये कि सर्वदा उसी प्रकार की अवस्था रहेगी (इसके बाद) उसका पदादीप क्रमशः गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्निर्वायों में हुआ । तत्पश्चात् उसका उत्क्रमण हुआ और वह सभा में प्रविष्ट हुई जो इस रहस्य को जानता था वह सभा का सदस्य होता है । पुनः वह समिति में प्रविष्ट हुई जो इस प्रकार इसे जानता था वह समिति का सदस्य बना अन्त में वह उठकर आर्म्भण में गयी जो इसे जानता वह आर्म्भण के योग्य होता है । ⁸

1- अथर्ववेद 4.22.7 एक वृष इन्द्रसखा जिगीर्वी ।

2- ,, 6. 98. 2 त्वमिन्द्राधिराजः भ्रवयुस्त्वं भूरमिभूर्तिर्जनाम् ।
त्वं दैविक्विश इमा वि राजायुष्मत दात्र मर्जर ते अस्तु ।

3- ,, 19.6.6 बाहूराजन्योऽभवत् ।

4- ,, 6. 87.1 विशस्त्वा सर्वा वान्च्छन्तु मा त्वद्राष्ट्रमधि प्रसिक्तं प्रशत ।

5- ,, 6. 88.3 ध्रुवाय ते समितिः कल्पतामिह ।

6- ,, 12.1.60 वयं तुम्यं बलिहृतः स्याम ।

7- काशी प्रसाद जायसवाल - हिन्दू पौलिटी, भाग 1।पृ० 191

8- अथर्ववेद 8.10.1-7 विराड वा इदमग्र आसीत् -----

डा० अल्टेकर का मत है कि उपलब्ध प्रमाणों से स्पष्ट है कि अन्य आर्य जातियों की भाँति भारत में भी प्रागैतिहासिक काल में संयुक्त कुटुम्ब से ही शासन संस्था का विकास हुआ । कुटुम्ब में गृहपति का आदर व सम्मान¹ स्वाभाविक था ग्राम के मुखिया और जनपति भी इसी सम्मान के भाजन हुए ।
राज्य के धटक - अथर्ववेद में राज्य के संपूर्ण धटकों का यत्र-तत्र वर्णन उपलब्ध होता है ।

- (1) स्वामी - अथर्ववेद में राज्य का राजा स्वामी होता था । इसका पद प्रतिष्ठित एवं उच्चदायित्व पूर्ण² होता था । वह विशपति व एकराट क्हा जाता था ।
- (2) आमात्य)
(3) मित्र) - राज्य का दूसरा धटक आमात्य वर्ग होता था जो लोग राजा को समुचित मन्त्रणा देते थे । अथर्ववेद में सभा व सभिति के पश्चात आमंत्रण नामक एक संस्था का प्रसंग है इसी में मित्र का भी वर्णन प्राप्त होता है ।³
- (4) कौश - विशपति (प्रजापति) के दो कर्मचारियों (दातारों) का एक स्थात पर उल्लेख है इनमें से एक धन लानेवाला है दूसरा धन संग्रह करनेवाला है । ये दोनों ऋतु साधन दिलानेवाले कहे गये हैं । अन्यत्र देवों की नगरी का वर्णन है जिसमें सोने के कौश का उल्लेख है ।⁴
- (5) राष्ट्र - प्रत्येक दम्पति से⁵ राष्ट्र की उन्नति में योगदान की कामना की जाती थी ।

1- डा० ए०एस०अल्टेकर - प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पृ० 29-30, 1954

2- अथर्ववेद ३.4.1 विशा पतिरेकराद् त्वं विराज ।

3- ,, 5. 19.15 न्वास्मे सभितिः कल्पते न मित्रं नयते बशर्म ।

4- ,, 10.2 31 अष्टाचक्र नवद्वारा देवानां पुः अयाध्या ।

तस्या हिरण्ययः कौशः स्वर्गो ज्योतिष्ठावृतः ॥

5- ,, 6. 78.2 अभिवर्धताभ्यःसात्रिं राष्ट्रेण वर्धताम् ।

- (6) दुर्ग - दुर्ग के अर्थ में पुर शब्द प्रयुक्त होता था । दुर्ग को लोहे के समान अभेध बनाया जाता था ।¹
- (7) बल - प्रत्येक राष्ट्र में सेना (बल) रहती थी । विश (प्रजा) का अनुगमन करनेवाले राजा की सेना उसका अनुगमन करती थी ।²

राजा के सामान्य व आपत् कर्तव्य - (राजा, राजत्व निर्वाचन व प्रतिबन्ध)

अथर्ववेदिक राजसत्ता कठोर नहीं थी । शासक प्रजा पर मनमाना शासन नहीं कर सकता था । उसका एक मात्र कारण उसका प्रजा द्वारा निर्वाचन था । राजा की प्रतिष्ठा प्रजा पालन में थी । वह सत् का पोषक था । वह ब्राह्मणों से शुल्क नहीं लेता था । वह ब्राह्मणों को संपत्ति के बड़ी सावधानी से संरक्षित करता था । वह ब्राह्मण का वध नहीं कर सकता था क्योंकि ऐसा करने से उसके राज्य का नाश संभावित था ।

इस काल में राजा का चुनाव होता था । एक मंत्र में वर्णन है कि प्रजाजन एवं दिशाओं प्रदिशाओं से राजा के चुनाव की प्रार्थना की गयी है । राजा कई उपाधियाँ धारण करता था उनमें स्कराट, अधिराज, सम्राट, प्रजापति व विशपति प्रमुख थीं । राजाओं में श्रेष्ठ राजा को अधिराज कहा जाता था ।

1- अथर्ववेद 19.58.4 पुरः कृणुध्वं आयसी अधृष्टाः ।

2- ,, 15.9.1-2 स विशोनु कचलत् । तं ---- सेना सुराचानुष्यवत्सलम् ।

3- ,, 3.4.2 त्वम् विशोवृणता राज्याय ।

4- यजुर्वेद 20.9 विशि राजा प्रतिष्ठितः ।

5- अथर्ववेद 7.25.1 सत्य धर्मा प्रजापतिः ।

6- ,, 5.19.3 ये ब्राह्मणं प्रत्यष्टीवन ये पास्मिन्कुल्मीणिरे ।
अनस्ते मध्ये कुल्यायाः केशान् बाबान्द आसते ॥

7- ,, 5.19.6 उग्रो राजा मन्यमानो ब्राह्मण यो जिधत्सति ।
परातत् सिच्यते राष्ट्र ब्राह्मणो यत्र जीयते ॥

8- ,, 3.4.2 -वा विशो वृणता राज्याय त्वामिमाः सन् लीसतेल्लत्तल
प्रदिशः पञ्च देवी ।

9- ,, 6.98.1 इन्द्रो ज्याति न परा ज्यात्त अधिराजो राजसु राज्याते ।

राजा पर पुरोहित - प्रजाजन व सभा सभामति का अंकुश रहता था क्योंकि वे उसके चुनाव में प्रमुख हिस्सा लेते थे ।¹

पुरोहित के आपद्कालीन कर्तव्य - पुरोहित युद्ध भूमि में सेना को उस प्रकार प्रोत्साहित करता था ² है वीरो आगे बढ़ो तुम्हारी भुजाएँ उग्र रूप धारण करो । तुम्हारे तीक्ष्ण किये हुए बाणों से निर्बल धनुधारियों का वध हो और अपने उग्र आयुध और प्रवण्ड भुजाओं से निर्बलों को आहत करो ।²

पुरोहित के महत्त्व के विषय में डा० अल्टेकर का मत है कि पुरोहित ऋग्वैदिक काल के रत्नियों में प्रमुख स्थान था और वह मंत्री परिषद् का सदस्य था वह राजा का गुरु तथा अपने चमत्कार युक्त अभिचारों द्वारा शत्रुओं से राज्य की रक्षा करनेवाला था ।³

प्रो० ए० सी० दास के मत में वह एक शक्तिशाली और योग्य व्यास्र था । वह दैविक शक्तियों से मानव कल्याण देखता था । उसने बिसरे हुए गाँवों का एक संघ बनाया और उसका निर्देशन किया ।⁴

सेना के आपद्कालीन कार्य - राजा सेना का प्रमुख था । वह अपने पराक्रम से ही शासन कार्य करता था । वह शत्रुओं के लिए वह व्याघ्र के समान भयावह था । राज्याभिषेक के समय वह व्याघ्र चर्म पर बैठता था ऐसा विश्वास था कि व्याघ्र धर्म के संपर्क से वह व्याघ्र के समान अजय हो जायेगा ।⁵ राजा अपनी सेना को शत्रु सेना से पृथक करने के लिए उसका एक निश्चित ध्वज या केतु रहता था । एक स्थल पर ध्वज धारिणि सेना के पृथक जयघोष का विवरण है ।⁶ दूसरे मंत्र में

1-डा० राजराज मिश्र : अथर्ववेद का सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० 15

2- अथर्ववेद 3.19.7 प्रेता जयता नर उग्रा वः सन्तु बाहवः । तीक्ष्णोणवोबल धन्वतो हतोग्रायुधा अबलानुग्र बाहवः ।

3- डा० अल्टेकर, स्टेट्स एण्ड गवर्निंग इन एशियण्ट इण्डिया, पृ० 168

4- ए०सी०दास - ऋग्वैदिक कल्बर, पृ० 304

5- डा० अल्टेकर : प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पृ० 240

6- अथर्ववेद 4.19.6 पृथम धोणा उलुलयः केतुयन्तः उदीरताम् । देवा इन्द्र ज्येष्ठा मरुतो यन्तु सेनया ।

सूर्यपताका वाली देवसेना के विषय की अभिलाषा प्रकट की गयी है ।¹

युद्ध में कूट, इन्द्रजाल आदि का प्रयोग होता था । एक पत्र में कूट को विरोधी सेना को हज़ारों टुकड़ों में बांट कर वध करनेवाला कहा गया है ।²

प्रो० दीक्षितार कूट को छिपकर युद्ध करने की एक विधि मानते हैं।³
600 ई० पू० 320 ई०पू० तक

500 ई०पू० में प्रचलित वादी और तबि के सिक्के उस काल के व्यवसाय और व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं । इस समय पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन था और जो तत्कालीन राजनीति के अन्तर्गत व्यापार विनिमय के पारिचायक है । उसी समय समाज के उच्च वर्गों में नार्थ ब्लैक पार्लिशडवेयर का भी प्रचलन हुआ, ये व्यापार और वाणिज्य के आर्थ के प्रमुख स्रोत थे । इसी काल में व्यापारियों का एक वर्ग सेठी कहलाया जिनको तत्कालीन समाज व राजनीतिसे अलग नहीं किया जा सकता है ।⁴

इस काल में मगध कोशल दो बड़े शक्तिशाली राज्य थे जहाँ पर परंपरागत रूप से क्षत्रिय वर्ण शासन कर रहा था । ई०पू० 450 तक अंग विदेह काशी व कोशल देश मगध में सम्मिलित हो चुके थे । सिवन्दर के अभिमान के समय नन्द साम्राज्य में पूरा उदर प्रदेश, बिहार व बंगाल अन्तर्भूत हो चुके थे । नन्द अपने लिए सम्राट व एकद्वार को उपाधि धारण करते थे । इस प्रकार उनके राज्य में शासन सत्ता का केन्द्रियकरण हुआ । इसकी सेना में 3,000 घोड़े, 20,000 फुड़सवार 2,00,000 पादचारी सैनिक थे ।⁵

1- अथर्ववेद 5.121.2 एता देवसेनाः सूर्यपताकाः सधेतसः ।

अभिमाननो जयन्तु स्वाहा ।

2- ,, 8.8.16 अमुष्या हन्तु सेनाया इह कूटं सहस्रकाः ।

3- दीक्षितार - वार इन एंशियरट इण्डिया, पृ० 86

दृष्टव्य - डा० राजद्वारा मिश्र, अथर्ववेद का सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० 91.

4- डा० आर०एस०शर्मा : आस्पेक्टस आव पोलिटिकल इस्ट्यूशन इन एंशियरट इंडिया, पृ० 276

5- एस०एस० अल्टेकर : प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पृ० 242

इस काल में वैदिक परिणदे सभा व सभिति तथा कविलाई समाज लुप्त प्राय हो चुके थे उनका स्थान वर्ण व्यवस्था नृपतंत्र व गणतंत्रात्मक व्यवस्था ले चुकी थी यद्यपि धर्मसूत्रकारों ने ब्राह्मणों की परिणदों का उल्लेख किया है किन्तु वे परिणदे छोटे गणराज्यों में थी जैसे शाक्य वलिच्छवि गणराज्यों में थी। छोटे-छोटे गणराज्यों के राजा अपने को राजन कहते थे उनका अलग-अलग स्वतंत्र अस्तित्व था। किन्तु ब्राह्मणों का इन गणराज्यों में कोई विशेष महत्व नहीं था और ब्राह्मण विधि निर्माताओं ने अपने धर्मसूत्रों में इनका कोई जिक्र नहीं किया है। मौर्य काल तक गण राज्य व्यवस्था कमजोर हो चुकी थी। जबकि बुद्ध काल में गण राज्यों का शासन तंत्र में प्रमुख स्थान था।¹

धर्मसूत्रों की तिथि भी 600 ई० पू० से 300 ई० पू० है, इसमें भी राजा के कर्तव्यों का वर्णन है जिससे राजतंत्र का आभास मिलता है। आपस्तम्ब धर्मसूत्र में वर्णन है कि राजा को अपने गुरुओं तथा मंत्रियों की अपेक्षा अधिक आराम का जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिए। उसके राज्य में अभाव के कारण अथवा जान कूफ़ कर किसी को भूख, रोग, शीतताप आदि का कष्ट नहीं पहुँचना चाहिए। जिस राजा के राज्य में ग्राम में अथवा वन में चोरों का भय नहीं होता वही कल्याणकारी राजा होता है।² इसमें आगे वर्णन है कि इन सीमाओं के भीतर जो भी सम्पति चोरी हो उसे इन्हीं रक्षा पुरुषों से चुक्ता कराया जाय।³ इस प्रकार से राज्य कर्मचारियों को भी बड़े अनुशासन का पालन करना पड़ता था। कर व्यवस्था के बारे में वर्णन है कि विद्वान श्रोत्रिय ब्राह्मण तथा स्त्रियाँ

1- आर० एस० शर्मा - आस्पेक्ट्स ऑफ पोलिटिकल इन्स्ट्रुशंस इन एशियण्ट इण्डिया, पृ० 282-283

2- आपस्तम्ब धर्मसूत्र 2.25.10.10,11,15 गुरुनमात्याश्च नातिजीवेते । न चास्य विणये सुधा रोगेज हिमातपाभ्या पाड्वसोऽदेव-भावादबुद्धिपूर्व वा कश्चित् ।

दोमकृद्वाजा यस्य विणये ग्रामेऽस्ये वा तस्कर भयं न विधते ।

3- ,, ,, 2.26.10.8 तत्र यन्मुष्यते तैस्तत्प्रतिदाप्यम् ।

(सभी वर्णों की) कर मुक्त थे ।¹ इस काल में दण्ड व्यवस्था भी थी यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ मैथुन व्यवहार बिना उसकी अनुमति से करता तो उसे कड़े अंग भाग का दण्ड² या आर्थिक दण्ड देना पड़ता था और ऐसी स्त्रियों की रक्षा राजा करता था ।

300 ई०पू० - 300 ई०

इस काल के अन्तर्गत कौटिल्य अर्थशास्त्र तथा मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति की चर्चा की जायेगी । प्राचीन भारतीय राजनैतिक घटनाओं के दृष्टिकोण से इस समय मौर्य वंश, ब्राह्मण वंश तथा (विदेशी आक्रमणों) कुशाणों के राज्यकाल का विवरण प्राप्त होता है । डा० अल्टेकर ने 200 ई० पू० से 300 ई० तक के भारतीय राजनैतिक इतिहास को अंधकार युग की संज्ञा दी है ।³

सिकन्दर के अभियान के समय पंजाब, सिन्धु, कोशल व उदरी बिहार में अनेक गणतन्त्र राज्य के किन्तु अर्थशास्त्र में उसकी विशेष चर्चा नहीं की गयी है केवल एक ही अध्याय में उनमें फूट डालकर कैसे विनाश किया जा सकता है इसका वर्णन आया है । यह बहुत संभव है कि मौर्य साम्राज्य में बहुसंख्यक गणतन्त्र राज्य विलीन हुए होंगे इसलिए अर्थशास्त्र उनके विषय में विस्तृत वर्णन नहीं करता । कौटिल्य अर्थशास्त्र में नन्दराजा के विनाश का उल्लेख अन्तिम अध्याय में प्राप्त होता है वर्णन है कि " जिसने शास्त्र शस्त्र और नन्दराजा के अधीनस्थ भूमि का शीघ्र उद्धार अपने क्रोध से किया उसी विष्णुगुप्त कौटिल्य ने इस अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ की रचना की है । यही अर्थशास्त्र धर्म, अर्थ तथा काम में प्रवृत्त करता है⁴ उनकी रक्षा करता है और अर्थ के विरोधी अधर्मों को नष्ट करता है ।

1- आपस्तम्ब धर्मसूत्र 2.26.10,10,11 अकरः श्रोत्रिय ।

सर्व वर्णानां च स्त्रियः ।

2- ,, 2.26.10.18-23 अशुद्धि पूर्व मलद्रुक्ता युवा -----

----- उर्ध्व मैथुनात्

3- डा० ए०एस०अल्टेकर : प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पृ० 255

4- कौटिल्य अर्थशास्त्र 180.1.2 येन शास्त्रं च शस्त्रं च नन्दराज्यता च भूः ।

अनु० वाचस्पति गैरोला अमर्षो जाद्रुतान्याशु तेन शास्त्रमिदं कृतम् ।

पृ० 771

180.1.1 धर्ममर्थं च कामं च प्रवर्तयति पाति च ।

अधर्मानर्थं विद्वेषानिदं शास्त्रं निरहन्ति च ॥

कौटिल्य अर्थशास्त्र में एक पूर्ण व स्वतन्त्र राजतंत्र की अभिव्यक्ति प्राप्त होती है इसके वर्णनों से यह पारलक्षित होता है कि राज्य के नीति निर्धारण में धर्म के आदर्शात्मक रूप का महत्व कम था । धार्मिक पाशण्डों से ज्यादा प्रभुसत्ता राजनीति निर्धारण तथा कूटनीति को दिया । इसमें धर्म का महत्व अपेक्षाकृत न्यून था तथा राज्य का महत्व ज्यादा था ।¹

कौटिल्य का मत है कि चारों वर्ण चारों आश्रम संपूर्ण लोकाचार और नष्ट होते हुए सभी धर्मों का रक्षाक राजा है इसलिए उसे धर्म का प्रवर्तक माना जाता है । धर्मपूर्वक प्रजा रक्षक पर शासन करना ही राजा का निजो धर्म है वही उसको स्वर्ग तक ले जाता है । इसके विपरीत प्रजा की रक्षा न कर उसे पीड़ा पहुंचानेवाला राजा कभी भी सुखी नहीं रहता है ।² कौटिल्य अर्थशास्त्र में राजनीति का बड़ा ही व्यक्तार्थक रूप प्राप्त होता है वैसे जो सभी ग्रंथों में राजा की तुलना देवताओं से की गयी है किन्तु अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने राजा को बतनभोगी नौकर कहा है अर्थात् वह प्रजा का सेवक है एक स्थल पर वर्णन है कि विजिगीषु को चाहिए कि वह अपनी संगठित सेना से कहे कि मैं भी आपके ही समान बतनभोगी नौकर हूँ । आप लोगों के साथ ही मैं इस राज्य का उपयोग कर सकता हूँ । इसलिए जिसकी मैं शत्रु बताऊँ वह आप लोगों के हाथों अवश्य मारा जाना चाहिए ।³ इस प्रकार सेना का उत्साहित करना चाहिए । जो फल यज्ञानुष्ठान के बाद और दक्षिणा दिये जाने पर यजमान को मिलता है वही फल वीर गति प्राप्त सैनिकों को मिलता है । इस प्रकार से सेना को उत्साहित करे (आपत्तिकाल में आर्य युद्धों के समय) । अनेक यज्ञों को करके काठिन तप करके और अनेक सुपात्रों को दान देकर ब्राह्मण लोग जिस उच्च गति को प्राप्त करते हैं । शूरवीर दात्रिय धर्म युद्ध करके प्राणोत्सर्ग कर उस उच्च गति को प्राप्त करते हैं ।

1- डा० आर०एस०शर्मा : आस्पेक्टस आव पोलिटिकल आइडियाज़ एण्ड इस्टीमेशन इन एशिण्ट हीन्द्या, पृ० 192

2- कौटिल्य अर्थशास्त्र 56.57.1.4 वतुर्षपाश्रमस्यार्य लोकस्याचाररक्षाणात् ।

नश्यता सर्वधर्माणा राजधर्म प्रवर्तकः ॥

अनु० वाचस्पति गैरोला, पृ० 259

राजाः स्वधर्मः स्वर्गीय प्रजा धर्मेण रक्षितः ।
अरक्षितुर्णा दमेत्तुर्णा मिथ्यादण्डभक्तोऽन्यथा ॥

3- ,, ,, 150.152.5,6 संहर्ष्य दण्डं ब्रूयात् -----

पृ० 646

----- पारिक्रयन्तः ॥

इस प्रकार से मंत्री और पुरोहित द्वारा सैनिकों को प्रोत्साहित किया जाय । कौटिल्य अर्थशास्त्र राजनीति विषयक कूटनीतिक आख्यानो से भरा एक गृह्य तथा प्राचीन ग्रंथ है इसमें हर प्रकार के कल कपट, प्रर्वच, रहस्यों का व्याख्यात्मक विवरण आचार्य कौटिल्य ने प्रस्तुत किया जो एक राजा के लिए अति आवश्यक था इसी के माध्यम से वह अपने देश की वाह्य तथा अभ्यान्तरिक विपत्तियों से रक्षा कर प्रजा के वैहिक वैविक भौतिक कल्याण कर सकता था । कौटिल्य के ही श्रमण में चन्द्रगुप्त मौर्य ने एक विस्तृत तथा सुसंगठित साम्राज्य की स्थापना की थी जो उसके बुद्धि प्रवर्धता का परिचायक है । यही ग्रंथ बाद के कालों में भी राजनीति विषयक ग्रंथों को नीधि साक्षित हुई । एक स्थल पर इसमें वर्णन प्राप्त होता है कि राजा उसको कहते हैं कि जो नीतिशास्त्र के अनुसार राज्य का संचालन करे । अपने देश से जुड़ी हुई राज्य सीमा का राजा जाना शत्रु है । एक राज्य के बाद अगला राजा अपना मित्र है किसी कारणवश कोई राजा शत्रु या मित्र बनता है । कमजोर को संधि कर लेनी चाहिए तेज से ही कार्य सिद्ध होता है । मनुष्य अपनी विपत्तियों का निवारण अपने कौशल से करना चाहिए । किसी कार्य में विपत्ति के आ जाने पर मूर्ख व्यक्ति उन्में दोष दिखाते हैं ।¹ इस प्रकार के विविध कूटनीतिक आख्यान कौटिल्य अर्थशास्त्र में उपलब्ध होते हैं जिनका पालन कर एक राजा अपने देश की विपत्तियों से रक्षा कर सकता है ।

मौर्य काल में सर्वत्र नृपतंत्र ही विद्यमान था । राजपद आनुवंशिक हुआ करता था । उस समय के किसी भी ग्रंथ या विदेशी वृत्तान्त में राजा के निर्वाचन का उल्लेख नहीं आता । राजा के राज्य कार्यों में सहयोग देने के लिए मंत्री, कौशल, बल, सेना, मित्र, दुर्ग आदि ये (जिनके आपत्कृतियों का

1-कौटिल्य अर्थशास्त्र (चाणक्य प्रणीतसूत्र 48-53, 124-125)

नीतिशास्त्रानु गो राजा । अनन्तर प्रकृतिः शत्रुः एकान्तरित
मित्रमिष्यते । हेतुतः शत्रुमित्रे भविष्यतः । ही यमानः संधि
कुर्वीत । तेजो हि सन्धानहेतुस्तदर्थनाम् ।
मानुषो कार्य विपरिध कौशलेन विनिवारयेत् ।
कार्य विपत्तौ दोषान् वर्णयन्ति बालिशाः ।

वर्णन पिछले अध्याय 3 के 'रु' खण्ड में किया जा चुका है अर्थात् मात्र सामाजिक गतिशीलता को दर्शित करना ही मूल ध्येय है)

200 ई०पू० से 300 ई० तक हिन्दुस्तान में अनेक राज्य हुए । उस काल खण्ड में शुंग, कण्व, सातवाहनों का राज्य था तथा विदेशी राजा भी राज्य किये जैसे उन्डोवैकिट्टयन, ईडोसिथियन, ईडोपार्थियन, कुषाण आदि । विदेशी राजा थोड़े ही समय में हिन्दू संस्कृति से प्रभावित हो जाते थे । इसलिए उनकी शासन पद्धति हिन्दू शासन पद्धति से विशेष भिन्न नहीं थी । (रुद्रदामन के गिरिनार शिलालेख से हमें हिन्दू संस्कृति के प्रभाव की रूपरेखा विदित होती है । विदेशी होते हुए भी शक शासक रुद्रदामन ने हिन्दू नीतिशास्त्र के सिद्धान्त अपनाये थे और वह इसलिए प्रयत्नशील रहता था कि उसकी शासन पद्धति हिन्दू सिद्धान्तों के अनुकूल हो ।¹

मौर्य वंश के अन्तिम निर्बल शासक बृहद्रथ का वध कर उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग (185 ई०पू०) ने शुंग वंश की स्थापना की । शुंग लोग साधारणतः भरद्वाज गोत्रिय ब्राह्मण थे । कालिदास ने अपने ग्रंथ मादविकाग्निमित्रम् में पुष्यमित्र को बौद्धिक कुत्न का कश्यप गोत्रिय ब्राह्मण बताया है । पाणिनी ने शुंगों को भरद्वाज गोत्रिय ब्राह्मण माना है ।² इस काल खण्ड के अन्तर्गत राज्य करनेवाले शुंगकण्व तथा सातवाहन शासक ब्राह्मण वैश्वके ब्राह्मणों द्वारा राज्य शासन करना उनका आपद्धर्म था जैसा कि धर्मसूत्रों में कहा जा चुका है । इस काल में ब्राह्मण धर्म की दुन्दुभी बज रही थी । ब्राह्मण धर्म तथा विदेशी शासकों द्वारा अपनाये गये बौद्ध धर्म का स्तर शीर्षस्थ था ।³ इस काल की रचना मनुस्मृति में भी ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का प्रमाण मिलता है । दस वर्ष का ब्राह्मण और सौ वर्ष का क्षत्रिय दोनों को पिता पुत्र समझना चाहिए, दोनों में ब्राह्मण पिता के समान है ।⁴

1- डा० ए०एस०अल्टेकर : प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पृ० 235

2- डा० विमल चन्द्र पाण्डेय - प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० 111

3- डा० आर०एस०शर्मा : आस्पेक्ट्स ऑफ पार्लिटिकल इन्स्टीयशन इन एशियन इण्डिया, पृ० 291

4- मनुस्मृति 2. 135 ब्राह्मणं दशवर्षं तु शतवर्षं तु भूमिपम् ।

पिता पुत्रो विजानीयाद् ब्राह्मणस्तु तयोः पिता ॥

मनुस्मृति (200 ३०० से 200 ३०) में विदेशियों का भी वर्णन प्राप्त होता है कि पौंड्रक, औड्र, द्रविण, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पहलक, चीन, किरात, दरद और सश - ये क्रियालोपादि के कारण शूद्रत्व को प्राप्त हो गयी है ।¹ इसमें यह भी कहा गया है कि शूद्र द्वारा शासित देश में स्नातक को नहीं रहना चाहिए अर्थात् यह संभव है कि विदेशी राजाओं को मनु ने शूद्र कहा है जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कुशाणों का शासन काल रहा होगा ।

मौर्ययुगान विशाल साम्राज्य के महान सम्राट चन्द्रगुप्त और अशोक ने अपने लिए केवल राजा की पदवी धारक की थी, अशोक के अभि० में उसे देवाना प्रिय प्रियदर्शी कहा गया है, किन्तु इस काल में कनिष्क जैसे विदेशी शासक अपने को महाराजाधिराज ' देवपुत्र ' कहता था । कुशाण राजाओं की ' देवपुत्र ' पदवी (इसका वर्णन गुप्त अभिलेखों में भी प्राप्त होता है समुद्र गुप्त के प्रयाग प्रशस्ता में ' देवपुत्रशाह ' कहा गया है) यह दर्शित करती है कि इस समय राजा में देवत्व की कल्पना दृढ़ मूल होने लगी थी । मथुरा में कुशाणों का एक देवकुल था जिसमें मृत राजाओं की मूर्तियाँ रखी जाती थी व संभवतः पूजा की जाती थी । यह प्रथा इस समय रोमन साम्राज्य में भी प्रचलित थी ।² इसी अर्थकी मनुस्मृति में भी वर्णन प्राप्त होता है कि ईश्वर ने इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण इन्द्रमा और कुबेर इन आठ देवताओं का सारभूत अर्थात् लैबर राजा को उत्पन्न किया है ।³ उसे इन्हीं के तेज के समान व्यवहार भी करना चाहिए ।⁴

मनुस्मृति में भी राजा के आपत्कर्तव्यों की बड़ी सुन्दर विवेचना की गयी है । इसमें वर्णन है कि शत्रु उसके छिद्र को न जाने किन्तु वह शत्रु के छिद्र को जान ले, क्यूआ जैसे अपने अंगों को छिपाता है * वैसे ही राजा भी अपने आपात्त्यादि अंगों को (दान-सम्मान से) अपने हाथ में रखते हुए अपने छिद्र को न प्रकट होने दे । बगुले की तरह धन लेने की विन्ता करे, सिंह के समान पराक्रम करे

1- मनु० 10.44 पौण्ड्रकश्चौड्रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः ।

पारदाः पहलवाश्चीनाः किराता दरदाः सशाः ॥

2- डा० ए०एस०अट्टेकर, प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पृ० 255

3- मनुस्मृति 7.4 - इन्द्रानिल्यमाकर्णामग्नेश्च वरुणस्य च ।

इन्द्र विदेश योश्चैव मात्रा निर्हत्य शाश्वतीः ॥

4- ,, 9.303 -- तेजोवृत्तं नृपश्चरेत् ।

भेड़िये के समान अवसर पाकर शत्रु को मार डाले और शत्रुओं से धिर जाने पर खरीहे की तरह से भाग निकले । इस प्रकार विजयी राजा सामादि युद्धाध्याओं से अपने सभी शत्रुओं को वश में ले ।¹

मनुस्मृति में राजा को ही युग कहा गया है । राजा सुप्तवस्था में कल्लि होता है, सोजे से जागने पर द्वापर, कर्म करने में उद्यत होने पर त्रेता और कर्म करता हुआ सत्ययुग होता है । अर्थात् एक राजा अपने कर्मों द्वारा ही राज्यकाल में सत्ययुग से कलियुग और कलियुग से सत्ययुग में परिवर्तित कर सकता है जो उसके राजा के उत्थान व पतनोन्मुख दशाओं के सूचक हैं ।

याज्ञवल्क्य स्मृति (100 ई०-300 ई०) में भी मनु के मतों का समर्थन किया गया है । इसमें भी राजा के सामान्य एवं आपत्कर्तव्यों का वर्णन सीधा प्त रूप से उपलब्ध होता है । इसमें राजा को यह सुझाव दिया गया है कि सन्धि-विग्रह (अपकार) यान (चढ़ाई) उपेक्षाभाव, बलवान का आश्रय तथा अपनी सेना का द्विधा विभाजन इन गुणों का यथोचित देशकाल शक्ति, मित्र आदि का विचार कर जलम्बन करे । जब शत्रु का राज्य अन्नादि से भरा पूरा हो शत्रु की सेना दुर्बल हो और अपनी सेना के अश्वादि वाहन एवं सैनिक प्रसन्न हो तब आक्रमण करे ।³ कौण संग्रह के विषय में वर्णन है जो राजा अन्यायपूर्वक अपनी प्रजा से धन लेकर अपने कौश को भरता है वह शीघ्र ही श्रीहीन होकर बान्धवो सहित नष्ट हो जाता है ।⁴

300 ई० - 600 ई०

इस काल सण्ड में गणतन्त्रों का धीरे-धीरे रूप हो गया ।

पंजाब व राजस्थान में पहले के समान इस समय भी कुण्डि याधेय, जार्जुनायक, मालव

1-मनुस्मृति 7.105-107 नास्य धिंड परो ----

----- सर्वान्साभादिभिरुपक्रमे ॥

2- ,, 9. 302 कालः प्रसुप्तो भवति स जाग्रद्द्वारं युगम् ।

कर्मस्वप्नुयतस्त्रेता विधरस्तु कूर्व युगम् ॥

3- याज्ञवल्क्य स्मृति 13.347, 348 सन्धि व विग्रह .

.....
..... हुंष्टंवां हंनंपुरु णः ॥

4- ,, ,, 13.340 अन्यायेन नृपो
..... सर्वान्धवः ।

इत्यादि गण थे । प्रार्जुन, सनकानीक काक व अभीर गणतन्त्र मध्य भारत में थे । वे आकार में बहुत छोटे थे । लिच्छवियों का प्राचीन गणतन्त्र इस समय नृपतत्र बन गया था । गुप्त साम्राज्य में मिल जाने से उसका 350 ई० के लगभग अन्त हो गया ।¹ ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से यह काल समुद्र गुप्त का था इसकी पुष्टि उसके प्रयाग प्रशस्ती से भी होती है कि इन गणराज्यों को समुद्रगुप्त ने अपने अधीन किया था ।² इस प्रकार से गणतन्त्रों का लोप होने पर इस काल में सर्वत्र नृपतत्र ही विद्यमान था ।

यह काल पूर्व रूप से युद्धमय था । महाराजाधिराज सम्राट समुद्रगुप्त ने अनेकों विजयश्री की उपाधियाँ अर्जित की थी । इसके प्रबल साक्ष्य उसकी प्रयाग प्रशस्ति है जिसमें उसे विविध युद्धों का विजेता तथा सर्व पृथ्वी विजयी कहा गया है ।³ समुद्रगुप्त ने अश्वमेध किया था जिसका प्रभाव उसके परगामी वंशजों के लेख में उसके लिए 'चिरोत्सन्नाश्वमेधाहर्तुः' शब्द लिखा गया है जिसका अर्थ है दीर्घकाल से परित्यक्त अश्वमेध यज्ञ का उद्धार समुद्रगुप्त ने किया था तथा इसका दूसरा प्रमाण उसकी अश्वमेधपराक्रमः लिखित स्वर्ण मुद्राएँ हैं ।⁴ अन्य गुप्त नरेशों के अभिलेखों में युद्धों का वर्णन प्राप्त होता है अर्थात् राज्य शासन में स्थिरता तथा सुरक्षा और सीमा विस्तार के लिए युद्ध एक आवश्यक क्रियाकलाप थी ।

इस काल में रानियाँ व राज कन्याएँ राज संचालन में हाथ बँटाती हुई प्रत्यक्षात् नहीं दिखती हैं । प्रथम चन्द्रगुप्त की रानी, कुमारदेवी संभवतः सहाधिकारिणी थी । यद्यपि उसका नाम पति के नाम के साथ सिक्कों पर आता है तथापि वह प्रत्यक्षात् शासन कार्य करती हुई नहीं दिखती हैं । द्वितीय चन्द्रगुप्त की

1- ए०एस०अट्टेकर , प्राचीन भारतीय शासन पद्धति , पृ० 258

2- गुप्तप्रशस्ति (अभि०) मालवार्जुनायनयोधेयमाद्रकाभीर प्रार्जुनसनकानीक काक स्वरपरिकादिभिश्च सर्वकर दानाज्ञाकरण प्रणामागमन परितोषित प्रचण्ड शासनस्य ।

3- तस्य विविध समर शतावतरण दत्तास्य स्वभुज बल पराक्रमैर्बन्धो ।
सर्वपृथ्वी विजयः

4- डा० विमल चन्द्र पाण्डेय - प्राचीन भारत का इतिहास , पृ० 64

रानी भी ऐसा शासन कार्य नहीं करती थी । किन्तु राजा नाबालिग हो, तो विधवा, राजमाता राज संचालन का भार संभालती थी जैसे वाकाटकवंशीय रानी प्रभावती गुप्ता ने किया था । अर्थात् आपत्काल में स्त्रियाँ भी शासन कार्यों में सहयोग देती थी ।

शासन विषयक, सेना विषयक व न्याय विषयक सब अधिकार राजा में केन्द्रित थे उसकी सहायता करने के लिए एक मंत्री मण्डल अवश्य था किन्तु अन्तिम निर्णय राजा लेता था । महत्व के युद्धों में राजा ही सेनापतित्व करता था जैसे कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय में, चन्द्रगुप्त ने शकों के साथ लड़ाई में व स्कन्दगुप्त ने पुष्य मित्रों के विद्रोह के समय किया था। बड़े व महत्व के स्थानों पर राजा ही नियुक्तियाँ करता था व वे अधिकारी उसी के प्रति जिम्मेदार रहते थे।¹

इसी काल में महाभारत के कुछ अंशों की रचना हुई थी । महाभारत में राजधर्म से संबंधित एक अलग अध्याय ही है जिसमें राजा के सामान्य व आपत्कालों का व्याख्यात्मक दृष्टान्तों के माध्यम से विश्लेषण किया गया है । कूटनीति, संधि विग्रह, शत्रु मित्र आदि के वर्णन करते समय अपने पूर्ववर्ती आचार्यों कौटिल्य और मनु के नियमों को मान्यता दी गयी है । यह बहुत संभव है कि दृष्टान्तों को कूटनीतिक व्याख्या में वातावरण व परिप्रेक्ष्य का विशेष महत्व रहा हो ।

महाभारत में राजा के आपद्धर्मों (कूटनीति, संधिविग्रह, शत्रुमित्र) का क्विचन विविध दृष्टान्तों तथा पशु पक्षियों के माध्यम से किया गया है जिनमें पूष्णी चिड़िया और पालित बूहे का वास्थान बहुत ही मर्मशील है । एक स्थल पर वर्णन प्राप्त होता है कि दुष्ट प्रकृति के लोग मन में बैर रखकर ऊपर से शत्रु को मधुर वचनों द्वारा सान्त्वना देते हैं तदन्तर अवसर पाकर उसे उसी प्रकार पीस डालते हैं जैसे कोई पानी से भरे धड़े को पत्थर पर पटककर बूर-बूर कर दे ।²

एक अन्य स्थल पर वर्णन है कि व्यक्ति को दुष्टभार्या, दुष्ट पुत्र, दुष्ट राजा,

1- डा० ए०एस०अल्टेकर : प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पृ० 260

2- महाभारतशान्ति पर्व आपद्धर्म पर्व 139 . 73

उपगृह्य तु वैरावि सान्त्वयसि नराधिपा ।

अथेन प्रतिपिणन्ति पूर्व घटमिवाश्मनि ॥

दुष्ट मित्र, दुष्ट देश और दूषित संबंध को दूर से ही त्याग देना चाहिए ।¹
 संधि विग्रह के विषय में वर्णन है वे सौके शुरु किया कार्य करनेवाले के लिए
 लाभदायक नहीं होता, वही उपयुक्त समय के आने पर आरंभ किया जाय तो महान
 अर्थ का साधक बन जाता है ।² बुद्धिमान विद्वान और नीतिशास्त्र में निपुण पुरुष
 भारी मर्यकर विपत्ति में भी डूब नहीं जाते उससे छूटने की चेष्टा करते हैं । आचार्यों
 का कथन है कि संकट के समय जीवन रक्षा चाहनेवाले बलवान पुरुष को भी
 निकटवर्ती शत्रु से मेल-जोल कर लेना चाहिए । विद्वान शत्रु अच्छा होता है मूर्ख मित्र
 नहीं । शत्रु मित्र के परस्पर के विषय में भी महाभारत में बहुत ही व्यवहारिक प्रसंग
 प्राप्त होते हैं इसमें वर्णन है कि न कभी कोई किसी का शत्रु होता है और न मित्र
 होता है । आवश्यक शक्ति के संबंध में लोग एक दूसरे के शत्रु मित्र हुआ करते हैं ।
 मैत्री कोई स्थिर वस्तु नहीं है । शत्रुता भी सदा स्थिर रहनेवाली चीज नहीं है
 स्वार्थ के संबंध में शत्रु मित्र होते रहते हैं ।⁴

(300 ई० - 600 ई०) इस काल में ब्राह्मणों को भी दण्ड
 दिया जाने लगा था जो ब्राह्मण पूर्व युगों में धर्मादि कार्य करते थे । वे अब चौरवृत्ति
 तथा अन्य दुष्कर्मों में संलग्न होते हुए दर्शित होते हैं । पूर्व युगों के ब्राह्मण अपने
 अच्छे कर्मों के कारण अदण्ड्य, अबध्य पृथ्वी के देवता थे किन्तु अब उन्हें अनुशासन
 व दण्ड परिधि के अन्तर् रहना पड़ा यह पूरे राज्य व समाज के पतनोन्मुख दशा का
 परिचायक है । कूर्म पुराण में वर्णन है सुवर्ण की चोरी करनेवाला ब्राह्मण राजा
 के समीप जाकर अपना कर्म बताते हुए यह कहे कि आप मेरा अनुशासन करे । राजा
 मूसल लेकर स्वयं उसे एक बार मारे । मार पड़ने से (वध) उस ब्राह्मण की चोरी
 के पाप से शुद्धि हो जाती है अथवा तपस्या द्वारा उसकी शुद्धि हो जाती है । राजा
 के शासन करने पर (मार, दण्ड देने पर) ब्राह्मणचोर का चोरीपन दूर हो जाता

1- महाभारतशान्ति पर्व आपद्धर्म पर्व 139.93

कुमार्या चक्रुमत्र च कुराजर्न कु सौहृदम् ।

कुसम्बन्ध, केदश, चदतः परिवर्जयित् ॥

2- ,, ,, 138.95 अकाले कृत्याभारब्ध क्तबधियि कल्पते ।
 तदेव काल आरब्ध महतैड्याय कल्पते ॥

3- ,, ,, 138, 39, 40, 46

4- ,, ,, 138-141 नास्ति मैत्री-स्थिरा नाम न च ध्रुवम-सौहृदम् ।
 अर्थयुक्त्वानुष्णायन्ते मित्राणी रिपवस्तथा ॥

है यदि राजा उसे ऐसा न करे तो चोर की चोरी का पाप राजा को लगता है ।¹
पुराणों में बहुधा कलिकाल के अराजक राज्य के वृत्तियों का वर्णन प्राप्त होता है
इससे ज्ञात होता है कि वर्ण व्यवस्था, वर्णशुद्धता, सदाचार आदि के कर्मों में
शिथिलता आ गयी थी । उनके स्थान पर दुराचारी वृत्तियाँ और अराजकता का
सर्वत्र बोलबाला था इससे प्रभावित होकर पुराणकारों ने तत्कालीन राजनैतिक
व्यवस्था का वर्णन अपने ग्रंथों में किये ।

मत्स्यपुराण (300 ई० - 600 ई०) में वर्णन है कलियुग में
विप्र अपने कर्मों से दूषित हो गये थे उनके ही कर्म दोषों के कारण बहुधा प्रजा में
भय उत्पन्न हो गया था राजा वर्ग में प्रायः शूद्रों की
आधिपत्या थी । चारों ओर पातण्डी धूर्तों का समुदाय दिखायी देता है, सब का
लय केवल धर्मों का आडम्बर दिखाकर रोजी कमाना हुआ करता है । शूद्र योनि से
समुत्पन्न राजा लोग इस कलियुग में अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भजन किया करते हैं । शूद्र
वेदों का अध्ययन करते हैं और वे ही धर्म तथा अर्थ के विद्वान् होते हैं ।
देश का उत्सव म होता है । इस कलियुग में समस्त वेद होकर भी नहीं
हुआ करते अर्थात् निष्फल होते हैं केवल धर्म के हेतु यज्ञ उत्सीदमान हुआ करते हैं ।²
यह कलिकाल की सामाजिक, राजनैतिक विश्रुतलता का परिचायक है । संभव है कि
राजधर्म पूर्व युगों में दात्रियों का कर्म था और गुप्त युग में गुप्तों द्वारा राजा धर्म
क्रियान्वित करने की प्रक्रिया से किदुग्ध होकर पुराणों में ऐसा वर्णन किया गया
है । ऐलन आर्यगर, अल्टेकर ने गुप्तों को वैश्य स्वीकार किया है जबकि डा० जायसवाल
गुप्तों को शूद्र (कारस्कर - कौमुदी महोत्सव में वर्णन है) स्वीकार किया है ।³
यह भी संभव है कि इसके पूर्व भी कनिष्क आदि विदेशीयों राजाओं का सम्बोधन
शूद्र राजा के अर्थ में किया गया हो ।

1- कूर्म पुराण 32.4 - 32.8 सुवर्णस्तेयकृद् विप्रो

..... कित्विणम ॥

2- मत्स्यपुराण 57.36-47 विप्राणां कर्म दोषास्तेः प्रजानां जायते मयम्.....
..... उत्सीदन्ते तथा यज्ञाः केवलं धर्म हेतवः ॥

3- डा० विमल चन्द्र पाण्डेय : प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० 17-18

600 ई० - 1200 ई०

ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से यह काल वर्धन काल था, हर्ष के राज्यारोहण की तिथि 606 ई० ज्ञात की गयी है। हर्ष की शासन पद्धति मुख्यतः राजा पर ही अधिष्ठित थी। कौटिल्य व अशोक के समान हर्ष भी यह मानता था कि राजा को हमेशा शासन संचालन में अग्रसर रहना चाहिए। सुबेनस्वांग कहता है कि राजा हर्ष पूरे दिन कार्य में मग्न रहता था। उसका यह विधान था कि राजा का 1/3 समय शासन संचालन व 1/3 समय धर्म कार्य में व्यतीत होता था, शायद हर्ष के शासन के अन्तिम भाग में यथार्थ था। युवावस्था में जब वह अनेक राज्यों को परास्त करने में कई प्रकार के प्रयत्न कर रहा था तब उसका इतना बड़ा समय धर्म कार्य के लिए रहना बिलकुल असंभव था।¹

पूर्व प्रथा के अनुसार मंत्रिमण्डल शासन कार्यों में राजा की मदद करता था। आपत्तिकाल में मंत्रीमण्डल की अहम् भूमिका होती थी किन्तु उसका उल्लेख अभिलेखों में नहीं प्राप्त होता है किन्तु सुबेनस्वांग ने मौरवरि मंत्रिमण्डल के कार्य का विस्तृत वर्णन किया है। जब मौरवरि राजा गृहवर्मा की अकस्मात मृत्यु हुई तब मुख्य मंत्री ने मंत्रिमण्डल की एक विशेष बैठक बुलाई और कहा 'मौरवरि-राज्य का भविष्य हमें आज निश्चित करना है। मेरा सुझाव है कि हम सब हर्षवर्धन को मौरवरि राज्य समर्पित करें किन्तु मैं चाहता हूँ कि आपमें से प्रत्येक अपना निजी मत जो कुछ हों प्रकट करें। सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के मत का समर्थन किया। अतः निष्कर्ष यह है कि आपत्तिकाल में मौरवरि राज्य की सत्ता मंत्रियों के हाथ में आ गयी थी उनका नेता भी हर्ष बना। अतः हर्ष के काल में भी मंत्रीमण्डल काफी सक्रिय तथा सशक्त रहा होगा।²

दण्ड के विषय में अल्टेकर का मत है कि मौर्य या गुप्त शासन कि तुलना में हर्ष का शासन कम कार्यक्षम था। क्योंकि एक बार स्वयं सुबेनस्वांग

1- ए०एस० अल्टेकर : प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पृ० 267

2- वही, पृ० 268

डाकुओं के चंगुल में पड़ गया था जो उसकी बलि देने को तैयार हो गये थे किन्तु आक्समिक आधी से वे डाकू डरकर अपने निश्चय को बदल डाले । यह सत्य है कि गुप्त साम्राज्य की तुलना में सतरनाक अपराधों के लिए इस समय क्रूर दण्ड दिया जाता था जैसे कर्ण या नासिक या हस्त या पाद काच्छेद । ऐसे अपराधियों को देश के बाहर भी निकालने या जंगल में छोड़ देते थे । क्रूर दण्डों के डर से अपराधियों की संख्या कम थी । आर्थिक व भौतिक उन्नति के लिए सरकार सर्तक रहती थी किंतु उसकी न कार्य दामता गुप्त सरकार की तुलना में कम थी व उसमें मौर्यों के समान अनेक विध शासन विभाग भी न थे ।

750 ई० - 975 ई० तक राष्ट्रकूट दक्षिण भारत में राज्य करते थे । इस काल में राजपद आनुवंशिक था । प्रायः ज्येष्ठ पुत्र युवराज होता था । योग्य शिक्षा दीक्षा के पश्चात् उसका राज्याभिषेक किया जाता था । कभी-कभी ज्येष्ठ पुत्र के स्थान पर उसका छोटा भाई भी युवराज चुन लिया जाता था जैसे कि तृतीय गोविन्द के बारे में हुआ । लेकिन यह सामान्य परंपरा से सुसंगत नहीं था । युवराज अभिषेक के पश्चात् भी गोविन्द को अपने बड़े भाई से लड़ना पड़ा जिसकी अनेक राजाओं ने राज्य का योग्य उत्तराधिकारी सम्झकर मदद पहुंचाई थी । कभी-कभी ज्येष्ठ पुत्र अपने छोटे भाई द्वारा पदच्युत भी किये जाते थे जैसे कि ध्रुव चतुर्थ गोविन्द के बारे में हुआ था ।

राष्ट्रकूट शासन पद्धति में राजपुत्रिया अधिकार पद पर विराजमान नहीं दीखती है । इस विषय में हमें केवल एक अपवाद प्राप्त होता है, प्रथम अमोघवर्ण की पुत्री चन्द्रवेल्लबा रायचूर दोआब की शासनाधिकारिणी थी (837 ई०) उत्तर चालुक्य में (975 ई० 1150 ई० तक) राजवंशीय स्त्रियों की शासन संचालन में भाग लेने की प्रथा रूढ़ हो गयी । प्रथम सोमेश्वर की एक रानी मैलादेवी, तृतीय जयसिंह की भगिनी अक्कादेवी, षष्ठ विक्रमादित्य की पट्टरानी लक्ष्मीदेवी चालुक्य शासन प्रणाली में बहुत जिम्मेदारी के पद पर शासन संचालन करती हुई दीखती है । राष्ट्रकूट शासनकाल में ध्रुव की रानी शील भट्टारिका स्वयं एक ताम्रपत्र दान करती हुई दीखती है । उसमें उसके पति का नाम निर्देश नहीं मिलता है ।

राष्ट्रकूट साम्राज्य के कुछ भागों पर केन्द्रिय सरकार स्वयं शासन करती व कुछ भागों पर माण्डालिक सामन्तों के द्वारा शासन होता था । सामन्त राजा के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते थे । युद्ध काल में उन्हें पूर्व निश्चित संख्या में सैनिक भेजने पड़ते थे, वे सम्राट के प्रतिनिधि को अपने दरबार में रखने को बाध्य थे । यदि वे विद्रोह करे तो उन्हें बर्बरता से राजा कुचलता था तथा उन्हें अनेकों अपमान सहन करना पड़ता था ।

राष्ट्रकूट सेना में सभी जातियों के सैनिक थे जिनमें ब्राह्मण व जैन भी अंतर्भूत^{से} जैन सेनानियों में बकिय, श्री विजय व भारसिंह प्रमुख थे ।¹

700 ई० - 1200 ई० तक के राजनैतिक दशाओं का चित्रण करते हुए डा० अल्टेकर का मत है कि इस समय राजपद आनुवंशिक था । राजा के निर्वाचन की कल्पना लोगों को कितनी विचित्र व विद्विष्ट दीखती थी कि यह कल्हण की राजतरंगिणी (1150 ई० - 1160 ई०) से विदित होता है । उस काल खण्ड में युवराज के अभिषेक का वर्णन अनेक अभिलेखों में मिलता है । गढ़वाल अभिलेखों से विदित होता है कि कैसे मदन पाल, गोविन्द चन्द्र व आस्फोट चन्द्र अपने-अपने पिता द्वारा चुने गये थे । पालवंश में त्रिभुवन पाल व राज्यपाल के युवराज अभिषेक के उल्लेख मिलते हैं । मुद्र के अभाव में छोटा भाई या भतीजा युवराज पद पर बैठाया जाता था ।

स्त्रियों द्वारा राज्य शासन प्रायः समाज को मान्य नहीं था । किन्तु वे नाबालिग राजा की अभिभाविका या संरक्षिका हो सकती थी । जैसे काश्मीर की सुर्गधा रानी, उड़ीसा के कर-राजवंश की त्रिभुवन महादेवी रानी, दण्ड महादेवी रानी व धर्म महादेवी रानी आदि केवल संरक्षिका ही थी । इसका अपवाद केवल काश्मीर का दीदा नामक रानी है जिन्होंने स्वयं अकेले बारह वर्षों तक राज्य किया किन्तु इन्हें भी राज्य सिंहासन प्राप्त करने के लिए अदम्य उत्साह व कूटनीति का प्रदर्शन करना पड़ा । षड्यंत्र करके तीन राजाओं को परलोक भेजना

1- ए०एस०अल्टेकर : प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पृ० 274 ।

राजा का देवत्व अब सर्वमान्य हो चुका था उसको परमेश्वर का अवतार भी मानते थे, राजस्थान के ललितग देव राजा ने अपनी मूर्ति को प्रस्थापित करने के लिए एक मन्दिर भी बनवाया था ।

शासन कार्य में मंत्री मण्डल अपना हाथ बँटाता था । इस समय कोई-कोई मंत्री बड़े ही स्वामी भक्त होते थे । काश्मीर के एक मंत्री ने राजा को बचाने के लिए आत्म हत्या की थी, किन्तु ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि कुछ राजा मंत्रियों की सलाह नहीं मानते थे । पालवंश के मदन पाल ने मंत्रियों के उपदेश का अनादर किया जिसके फलस्वरूप उसका विनाश हुआ । कभी-कभी कामुक राजाओं की विचित्र लीलाओं तथा राजा की अस्पृश्य जाति की प्रेयसियों से पूरा मंत्री मण्डल संतुष्ट हो जाता था तब भी मंत्री कुछ कर नहीं पाते थे । परस्पर विरोधी उदाहरणों से यह कहना कठिन था कि इस काल का मंत्री मण्डल शक्ति था या दुर्बल । इनके संबंध पारस्परिक योग्यता व स्वभाव पर निर्भर था ।

पूर्वकालीन स्मृतियों व अभिलेखों में मंत्रियों में अपेक्षित गुण इस समय भी आवश्यक समझे जाते थे । इस काल में भी आनुवंशिक मंत्रित्व के उदाहरण अनेक मिलते हैं । बदेल शासन में प्रभास मंत्री के सात वंशज विभिन्न पाँच राजाओं के मंत्री थे । पाल अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गर्ग व उसके चार वंशज दर्मपाणि, सोमेश्वर, केदार मिश्र व गौरव मिश्र - राजा धर्मपाल व उसके तीन उत्तराधिकारियों के मंत्री थे ।

शुक्रनीति (2. 140) के आधार पर इस काल की सैन्य संगठन स्थिति था कुछ दस्ते केन्द्रिय सरकार के कुछ सामन्तों के थे । सैन्य शिक्षाण कुछ हद तक ग्रामों में दिया जाता था । मालव, रवश, कर्णाट, लाठ इत्यादि प्रान्त सैनिक शौर्य के लिए प्रसिद्ध था । जो राजा उनको अधिक वेतन देता था उसकी सेना में रहते थे । दस सैनिकों पर गौल्मिक , सौ पर शतानीक , हजार पर सहस्रानीक दस हजार पर आयुतिक नाम के अधिकारी थे किन्तु सामंतीय सेनाओं के मिलाने से ये संगठन प्रभावकारी नहीं रह पाता था ।

इस काल में किलों के इन्तजाम पर विशेष ध्यान दिया जाता था । बहुसंख्यक राजा मुसलमानी आक्रमणों के समय किले का आश्रय लेते थे । वहाँ से युद्ध संचालित करने का प्रयास करते थे ।

इस काल की दक्षिण भारतीय राजनीतिक गतिविधि का वर्णन करते हुए अल्टेकर का विचार है कि स्मृतियों में यह आदेश है कि बड़ई, लुहार, आदि धंधों के लोग सरकार के लिए महीने में एक या दो दिन मुफ्त काम करे उनसे शायद दूसरा कर नहीं लिया जाता था किन्तु दक्षिण भारत के तमिल अभिलेख यह दिखाते हैं कि वहाँ ऐसे धंधे के लोगों से कर वसूला जाता था । मालूम पड़ता है कि बेगारी का रूपान्तर आगे चलकर करों से हुआ ।

बाजार, शहर, ग्राम का द्वार नहीं के घाट ऐसे स्थानों पर चुंगी ली जाती थी । ऐसा ज्ञात होता है कि नवाँ दसवीं शदी में दक्षिण हिन्दुस्तान में भी करों का बोझ क्रमशः बढ़ता जा रहा था । एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि राजाराम के समय जुल्मी कर न देने के कारण एक स्त्री को दिव्य (Ordeal) करने की सजा हुई व उसने ऊबकर आत्म हत्या कर ली । कभी-कभी सब सामवासी जुटकर अन्यायी करों का प्रतिकार भी करते थे व अपने उद्देश्य में सफल भी होते थे । एक अभिलेख में ज्ञात होता है कि तीसरे राजाराम के समय में पाँच स्त्रियों के ग्रामीणों ने यह निश्चय किया कि अन्यायपूर्ण करों का वे मिलकर विरोध करे ।¹ एक अन्य अभिलेख में वर्णन है अन्यायी करों से भाग जाने का विचार कर रहे हैं किन्तु हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हम सरकार द्वारा इस कारण पीसे जाते हैं कि हम मिलकर विरोध नहीं करते । अब हमने निश्चय किया है कि हममें से कोई भी अन्यायी कर नहीं देगा ।² यदि सरकार लोगों की न मानती तो लोग देश या गाँव छोड़ देने की धमकी देते थे । कृष्ण देवराय जैसा प्रबल सम्राट भी ऐसी धटना नहीं चाहता था । आमुक्तमात्यद में वह कहता है, उस राजा की कभी भी तरक्की न होगी जिसके अधिकारी करों से ऊबकर भागनेवाली प्रजा को वापस नहीं बुलाते (437) ।

सरकारी आमदनी का चौथा भाग गुप्त निधि में रखा जाता था जोकेवल राष्ट्रीय आपत्ति के समय उपयोग में लाया जाता । इन निधियों के कारण ही मुसलमानों के अभियान के समय दक्षिण भारत में अपार संपत्ति मिली थी ।

1- साउथ इंडियन ईस्ट्रिक्शन्स, भाग 6, नं० 48, 50, 59 ।

2- ऐपिग्राफिया कर्नाटिका, भाग 10 ।

3- साउथ इंडियन ऐपिग्राफी रिपोर्ट, 1918, परिच्छेद 60

दृष्टव्य - डा० ए०एस०अल्टेकर, पृ० 276-286 ।

इस प्रकार से 2000 ई०पू० से 1200 ई० तक को राजनैतिक गतिशीलता में आपद् राजधर्मों के विविध प्रकार दुष्टिगत होते हैं जिससे राजा व प्रजा दोनों ही प्रभावित थे । ये आपद्धर्म राजनैतिक आपदाओं की दशा में अति आवश्यक एवं अनुपालनीय थे जिससे प्रजा की दैहिक, दैविक व भौतिक उन्नति हो सकी ।

निष्कर्ष

प्राचीन भारतीय इतिहास में आपद्धर्म की अवधारणा का गहन अध्ययन करने के पश्चात् में इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि आपद्धर्म धर्म का ही (संकट) आपद्कालीन संशोधित तथा परिवर्धित स्वरूप है । विविध ग्रंथों का अवलोकन करने के पश्चात् हमारे समस्त धर्म व आपद्धर्म का स्पष्ट रूप दर्शित होता है । ये ग्रंथ विविध कालों को द्योतक हैं तथा धर्म की परिवर्तनशीलता के व्याख्याता है ।

ऋग्वैदिक काल में धर्म पूजापाठ, यज्ञ-दृष्ट्य, कृत-नियम तथा सत्य से संबंधित था । इस काल में सामाजिक बन्धन, जटिलता तथा इद्विवादिता का सर्वथा अभाव था । एक ही परिवार के व्यक्ति विविध-कर्म करते थे । समाज में आपद्कालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए आपद्धर्म (सनातन धर्म) भी प्रचलित थे (नियोग जिसके द्वारा स्त्रियाँ वंश वृद्धि कर सकें) किन्तु उनका प्रचलन सामान्यतः धर्म के ही अन्तर्गत था । अर्थात् आपद्धर्म के भी क्रियाकलाप धर्म की ही सामान्य दशा थी क्योंकि समाज पूर्णतः स्वतन्त्र था, कोई नियम, बन्धन नहीं था । ये मानव सभ्यता के प्रथम चरण थे ।

उत्तर वैदिक काल में धर्म का सम्बन्ध वर्णों के कर्म से जोड़ा गया । समाज में कर्मों का विभाजन वर्ण धर्म के अन्तर्गत किया गया । जो समाज के विविध कर्मों को सुसंचालित तथा सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया थी । इस समय वर्ण व्यवस्था कर्मगत थी । ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होने के आधार विविध प्रकार के कर्म ही थे और अपने कर्म संपादन को ही धर्म कहा गया ।

सूत्रकाल में वर्ण व्यवस्था जन्मगत हो गयी । इस समय वर्ण व्यवस्था में इद्विवादिता दृष्टिगत होती है । अतः इस समय अति संकट की दशा में जीवन निर्वहण हेतु आपद्धर्मों की संकल्पना सूत्रकारों ने की जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति आपद्काल में अपने से नीचे वर्णों के कर्म कर सकता था जिससे

उसका जीवन सुरक्षित रह सके, जीविकोपार्जन हो सके । ये ही शास्त्रविहित आपद्धर्म थे । (इस काल में ब्राह्मणों के (आपद् स्थिति में) कृषि कर्म करने में कई प्रतिबन्ध थे। उन्हें व्यापार भी विशिष्ट दशाओं में ही करने की अनुमति थी) वर्णों द्वारा अविहित कर्म अपनाने पर दण्ड विधान की व्यवस्था थी ।

मनुस्मृति में भी आपत्कृत्यों का वर्णन उपलब्ध होता है, इसमें वर्णन है कि अत्यन्त संकट की दशा में कृषियों ने मांस भक्षण भी किया था ।

महाभारत में ब्राह्मणों के विविध कर्मों में कृषि और अन्य निम्न स्तरीय कर्मों का वर्णन प्राप्त होता है जो वर्णों के आपत्कृत्यों के शोक हैं।

पुराणों में ब्राह्मणों को दण्डित करने का वर्णन है जो उनके निम्न स्तर का परिचायक है ।

पराशर स्मृति के काल में कुछ आपद्धर्मों के कर्म लगातार करने से वे कर्म वर्णों के सामान्य कर्म हो गये तथा वे युग धर्म के अन्तर्गत समाज में ग्रहित किये गये जैसे इस काल में ब्राह्मणों का कृषि कर्म करना सामान्य धर्म हो गया । (क्योंकि कुछ काल से ही ब्राह्मण वर्ण कृषि कर्म में संलग्न था)

इस प्रकार से विविध कालों में धर्म का परिवर्तन हुआ उसी आधार पर विद्वानों द्वारा युग विभाजन किया गया -

<u>युग</u>	<u>धर्म की दशा</u>	<u>प्रमुख धर्म</u>
सत्ययुग	धर्म चार पैरों से युक्त था	तपस्या
त्रेतायुग	धर्म तीन पैरों से युक्त था	ज्ञान
द्वापरयुग	धर्म दो पैरों से युक्त था	यज्ञ
कलियुग	धर्म एक पैर से युक्त रहता है	दान

यह धर्म का क्षासोन्मुखी परिवर्तन है ! जब धर्म का क्षास होता है उस समय आपद्धर्म का स्वरूप स्पष्ट होने लगता है ।

मनुस्मृति में धर्म की परिवर्तनशीलता के विषय में कहा गया है कि सत्ययुग में दूसरे धर्म हैं तथा त्रेता द्वापर व कलि में दूसरे-दूसरे धर्म हैं ।

इस प्रकार युग के अनुसार धर्म का हास होता रहता है । सत्ययुग में तपस्या, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ तथा कलियुग में दान प्रधान धर्म माना गया है । इस प्रकार से धर्म (गुण या वस्तुओं के स्वभाव) युग-युग में इसी प्रकार बदलते हैं जैसे ऋतु पर ऋतु । जो आचार एक युग में प्रचलित था दूसरे युग में वर्जित है ।

आचार्य पराशर ने भी मनु के बातों को प्रामाणिक माना है तथा धर्म की परिवर्तनशीलता के विषय में अपने उद्गार व्यक्त किये हैं ।¹

पराशर ने भिन्न-भिन्न युगों में भिन्न भिन्न ग्रंथों को धर्म का स्रोत माना है । सत्ययुग में मनुस्मृति, त्रेता में गौतमस्मृति, द्वापर में शंखु लिखित स्मृति तथा कलि में पराशर स्मृति ही प्रधान मानी गयी है ।²

कलि काल की विशेषताओं का वर्णन करते हुए आचार्य पराशर का मत है कि इस युग में अधर्म धर्म को जीत लेता है, भूठ सत्य पर विजयी होता है । चोर लोग राजा को अपने कश में कर लेते हैं तथा स्त्रियाँ पुरुषों को जीत लेती हैं । काल में धर्म का एक ही पाद रह जाता है । तीन पाद नष्ट हो जाते हैं यही धर्म की पराजय और अधर्म की विजय है ।³ युग-युग में जो धर्म है तथा युग-युग में जो ब्राह्मण है उनकी निन्दा नहीं करनी चाहिए क्योंकि धर्म तथा ब्राह्मण युग के प्रतीक हैं ।⁴

आपद्धर्म भी धर्म का विषम परिस्थितजन्य परिवर्तन है । धर्म की परिवर्तनशीलता की व्याख्या करते हुए रॉबर्ट लिंगट का मत है कि धर्म युग-युग में नहीं बदलता अपितु व्यक्ति के नैतिक मूल्य और चारित्रिक गुणों में एक समयान्तराल में परिवर्तन तथा परिवर्धन होता है । मेधातिथि ने मनु के (1.81)

1- पराशरस्मृति 1.22

2- ,, 1.24 कृते तु मानवा धर्मास्त्रेताया गौतमाः स्मृताः ।
द्वापरे शंखु लिखिताः क्लौपराशराः स्मृताः ॥

3- ,, 1.30 जितो धर्मो लधर्मेण सत्यं वैवानृतेत च ।
जिश्चौरैश्च राजानः स्त्रीमिश्च पुरुषाजिताः ॥

4- ,, 1.33 युगे-युगे च ये धर्मास्तत्र तत्र च ये द्विजाः ।
तेषां निन्दा न कर्तव्या युगरुपाहिते द्विजाः ॥

श्लोक की व्याख्या करते हुए कहा है* धर्म एक वृणम है जो कृत युग में चार पैर वाला था किन्तु युग-युग में उसका एक-एक पैर विहिन होता गया । मेधातिथि के विचार से इसका तात्पर्य है कि बाद के युगों में मनुष्यों के चारित्रिक गुण और नैतिक भावना पतन की ओर अग्रसर होने लगी । इसी प्रकार के विचार कुल्लूक और नारायण के भी हैं जो मनु के टिप्पणीकार हैं ।

इस प्रकार से युग परिवर्तन का अर्थ व्यक्ति को धर्म संपादन शक्ति से है जो विभिन्न समयों में परिवर्तित होती रही है और यही युग परिवर्तन का प्रमुख कारण था ।

जो वेदों का धर्म है वो तो समय से परे नित्य, अटल एवं शाश्वत है किन्तु स्मृतिकारों ने समय-समय पर होनेवाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए उन नियमों में परिवर्तन के सुझाव व्यक्त किये हैं जिससे धर्म सब के लिए अनुपालनीय हो सके इसी लिए मनु ने राजा के क्रियाकलापों को धर्म से जोड़ा है । सोते हुए राजा कलियुग , उठने के समय द्वापर कार्य की तैयारी करते समय त्रेता तथा काम करने पर कृत युग की संकल्पना की है । इस प्रकार से राजा ही युग है । लिंगट का मत है कि बाद के युगों में धर्म संपादन की असमर्थता के कारण ही धर्म परिवर्तित होता है¹ ।
(जो युग परिवर्तन तथा आपद्धर्म संपादन का प्रमुख कारण है ।)

महा भारत में समय परिवर्तन के साथ-साथ धर्म परिवर्तन की बड़ी ही सुन्दर व्याख्या की गयी है । काल चक्र परिवर्तन के विषम दशाओं में आपद्धर्म ही समाज को गति प्रदान करता है । मनुष्य समय के अधीन है जैसा समय आता है वैसे ही उत्तम , मध्यम और नीच कर्मों में मनुष्य की प्रवृत्ति हो जाती है ।²

1- रॉबर्ट लिंगट - द क्लासिकल ला आव इण्डिया, थामसन प्रेस, दिल्ली

मन० 3. 02 1973, पृ० 185, 186, 187 ।

2- महाभारत अनुशासन पर्व 62. 10 काल संशोदितः काल पर्याय निश्चितः ।

उत्तमाधममध्यानि कर्माणि कुरु तेवशः ॥

काल के कारण ही समाज की दशाओं में परिवर्तन होते रहते हैं और मनुष्य विषम परिस्थितियों में आपद्धर्मों का सहारा लेकर उन परिवर्तित परिस्थितियों से अपने को समायोजित करता है ।

काल के माता पिता नहीं है, उसका किसी पर अनुग्रह नहीं होता।¹ काल जीव के पाप और पुण्य कर्मों का साक्षी है । वह कर्म की डोर का सहारा लेकर भविष्य में होनेवाले सुख-दुःख का उत्पादक होता है और वही समयानुसार कर्मों का फल देता है ।² जैसे लोहार या बढ़ई का बनाया हुआ यन्त्र सदा उसके बालक के अधीन होता है उसी प्रकार यह सारा जगत् काल युक्त कर्म की प्रेरणा से ही संचालित रहता है ।³

किसी समय धर्म ही अधर्म रूप हो जाता है और वही अधर्म रूप दिखनेवाला कर्म ही धर्म बन जाता है । इसलिए विद्वान् पुरुष को धर्म और अधर्म का रहस्य अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए ।⁴ समय और स्थान परिवर्तन के कारण ही धर्म अधर्म स्वरूप तथा अधर्म धर्म स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है ।⁵ आपत्तिकाल आने पर समाज द्वारा लगाये गये सामाजिक, नैतिक बन्धन शिथिल होनेवाले बताये गये हैं । आपत्तिकाल में सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन करना अनुपयुक्त नहीं माना गया है । संकट में पड़कर जीवन रक्षा चाहनेवाले विद्वान् पुरुष को

- 1- महाभारत अनुशासन पर्व 33.17 न तस्य मातापितरौ नाउग्राह्योदिकश्चन ।
2- महाभारत, शां०प०राज० अनु० प० 33. 19

कर्मसूत्रात्मकं विद्धि साक्षात् शुभपापयो ।
सुख दुःख गुणोदकं कालं कालफलप्रदम् ॥

- 3- ,, ,, 33.22 त्वष्ट्रे व विहितं यन्त्रं यथा चेष्टयितुं शी ।
व्रमणा कालयुक्तेन तथेदं चेष्टेत् जगत् ॥
4- ,, ,, 33.32 अधर्मरूपो धर्मो हि कश्चिर्वसित् नराधिप ।
धर्माश्चाधर्म धर्मस्त्रयोऽस्ति तच्च ज्ञेयं विपश्चिता ॥
5- ,, ,, 70.31 भवत्यधर्मो धर्म हि धर्माधिर्भावपि ।
कारणदेश कालस्य देशकालः सतादृश ॥

दीनचित्त न होकर कोई न कोई उपाय ढूँढ निकालना चाहिए और सभी उपायों द्वारा अपने आपकी आपत्तिकालीन परिस्थिति से उद्धार करना चाहिए ।¹

इस प्रकार से आपद्धर्म धर्म को विकसित और सुनियोजित करने की सब सारगर्भित प्रक्रिया है । आपद्धर्म का मूलमन्त्र जीवन रक्षा, अस्तित्व रक्षा, अधिकार रक्षा की भावना से संबन्धित है । इसी के द्वारा धर्म की अवरुद्ध गति को गति प्रदान किया जाता है जिससे पुनः जीवन सुनियोजित हो सके तथा धर्म का सर्वर्धन हो सके ।

1- महाभारत , शान्तिपर्व, आपद्धर्म पर्व 141.100

एव विद्वानदीनात्मा व्यसनस्यो जिजीविषुः ।

सर्वो पायेरुणायज्ञा दीनामात्मानमुद्धरेत् ॥

सक्ति शब्द - सूची

अथर्व० वे०	- अथर्ववेद
अग्नि० पु०	- अग्नि पुराण
अभि० शा०	- अभिज्ञान शाकुन्तलम्
आ०ध०सू०	- आपस्तम्ब धर्मसूत्र
आ०गृ०सू०	- आपस्तम्ब गृहस्यसूत्र
ईश० उ०	- ईश उपनिषद्
ई० आई०	- इपिग्राफिया इण्डिया
ऋ०	- ऋग्वेद संहिता
ऐ० ब्रा०	- ऐतरेय ब्राह्मण
कठ० उ०	- कठोपनिषद्
कौ० अ०	- कौटिल्य अर्थशास्त्र
केन०उ०	- केन उपनिषद्
कूर्म०पु०	- कूर्म पुराण
गौ० ध०सू०	- गौतम धर्म सूत्र
ह्य०उ०	- ह्यन्दोग्य उपनिषद्
तै०स०	- तैत्तिरिय संहिता
बौ० ध०सू०	- बौधायन धर्मसूत्र
बृह०स्मृ०	- बृहस्पति स्मृति
बृह०उ०	- बृहदास्यक उपनिषद्
मेधा०भा०	- मेधारिथि भाष्य
महा०अनु०प०	- महाभारत अनुशासन पर्व
महा०आ०प०	- महाभारत आदि पर्व
महा०शा०प०	- महाभारत शान्ति पर्व
शत०ब्रा०	- शतपथ ब्राह्मण

मूल ग्रन्थ सूची

- अग्निपुराण : आनन्दाश्रम प्रेस, पुना, 1967 ई०
- अर्थशास्त्र कौटिल्य और चाणक्य सूत्र : श्री वाचस्पति गैरोला, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 1984
- अथर्ववेद संहिता : दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, बलसाड, 1948
- अमरकोश : महोजी दीदात, निर्णय सागर प्रेस, 1929
- अष्टाध्यायी पाणिनी कृत : मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1962
- आपस्तम्ब धर्मसूत्र : अनु० उमेश चन्द्र पाण्डे, काशी संस्कृत सीरीज, चौखम्बा, वाराणसी 1934
- ऋग्वेद संहिता : दामोदर सातवलेकर, पारडी, 1957
- एकादशोपनिषद् : डा० सत्यव्रत विद्यालंकार, विजयकृष्ण लखनपाल, दिल्ली तृतीय संस्करण, 1979
- कृत्य कल्पतरु : लक्ष्मीधर, ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट, बङ्गोदा, 1943-44 ई०
- गौतमधर्मसूत्र (मित्राक्षरवृत्ति) : डा० उमेश चन्द्र पाण्डे, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, 1966 ई०
- छान्दोग्य उपनिषद् : स्वामी स्वाहानन्द, रामकृष्ण मठ, मद्रास, 1975
- तैत्तिरिय उपनिषद् : राधाकृष्णन म्योर हेतु लाइब्रेरी, रस्किन हाउस, लन्दन, 1933 ई०
- पाराशर स्मृति : पाराशर, बाम्बे संस्कृत सीरीज, 1893 ई०
- बौधायन धर्मसूत्र : उमेश चन्द्र पाण्डे, काशी संस्कृत सीरीज चौखम्बा, वाराणसी, 1934

बीस स्मृतियाँ	: श्री राम शर्मा आचार्य, संस्कृत संस्थान, वेद नगर, बरेली, 1954 ई०
वृहस्पति स्मृति	: गायकवाड़, ओरियण्टल सीरीज़, बड़ौदा, 1941
मत्स्य पुराण	: वैकटेश्वर प्रेस, बम्बई, 1813 ई०
मनुस्मृति	: (अनु०) गणेशदत्त पाठक, ठाकुर प्रसाद एण्ड संस, राजा दरवाजा, वाराणसी, सं० 2031
मनु पर मेधातिथि भाष्य	: डा० गंगानाथ फा विवोलिथिका इण्डिया, नं० 256
मुञ्जुकटिक	: शूद्रक, हरिदास ग्रंथमाला, चौखम्बा संस्कृत सीरीज़, 1954 ई०
महाभारत	: दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, बलसाह
,, स आदिपर्व	: 1968 ई०
,, अनुशासन पर्व	: 1978 ई०
शान्तिपर्व	: 1979 ई०
भीष्म पर्व,	: 1972 ई०
विराट पर्व	: 1969 ई०
द्रोण पर्व	: 1975 ई०
यज्ञवेद संहिता	: दामोदर सातवलेकर, पारडी, 2003 संवत्
याज्ञवल्क्य स्मृति	: आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रंथावली, 1903, 1904 ई०
रामायण	: वाल्मीकि - टी०आर०व्यासाचार्य, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, 1905-1911 ई०
शतपथ ब्राह्मण	: मूल संस्करण अल्वर्ट बेवर, अनु० गंगा प्रसाद उपाध्याय, गोविन्दराम, हासानन्द, दिल्ली, 1988.
सामवेद संहिता	: दामोदर सातवलेकर, बलसाह, 1969

गौण ग्रंथ

अय्यर, पी०एस०शिवस्वामी	: इवात्युशन आव द हिन्दू मारल आइडियाज़, कलकत्ता युनिवर्सिटी, 1935 ई०
------------------------	--

अल्टेकर, ए० एस०

(1) सोरेंज आव हिन्दू धर्म, शोभापुर, 1952 ई०

(2) प्राचीन भारतीय शासन-पद्धति, ग्रंथ सं० 1
भारतीय दर्पण ग्रंथमाला, भारतीय भण्डार,
लीडर प्रेस, इलाहाबाद, संवत् 2004 ।

(3) द पोजीशन आव दव्मेन इन हिन्दू
सिविलाइजेशन, भारतीय भण्डार, लीडर प्रेस,
इलाहाबाद 1959 ई० ।

अग्रवाल, पी० सी०

: कास्ट रिलिजन एण्ड पावर, श्रीराम सेण्टर,
न्यू दिल्ली, 1972 ई०

अग्रवाल, वासुदेव शरण

: (1) वेदविद्या, काशीपुरी, वाराणसी (वर्ण)
(2) प्राचीन भारतीय लोक-धर्म, ज्ञानोदय ग्रंथमाला,
ग्रन्थ 3, पृथ्वी प्रकाशन, वाराणसी-5, 1964 ई०
(3) पाणिनि कालीन भारतवर्ष, मोतीलाल
बनारसीदास, बनारस, दिल्ली, वि०सं० 2012 .

आर्यगर, के०वी० आर०

: सम आस्पेक्टस आव द हिन्दू व्यू० आव लाइफ
एकार्डिंग टु धर्मशास्त्र, युनिवर्सिटी आव बडौदा, 1952 ई०

आर्यगर, पी०टी० एस०

: लाइफ इन ऐशियण्ट इण्डिया, मद्रास, 1912 ई०

आष्टे, वी० एस०

: सोशल एण्ड रिलिजस लाइफ इन ग्रह्य सूत्राज,
बाम्बे, 1954 ई० ।

एटजिओनी, अभीताई

: स्टडीज इन सोशल चेंज ,हाल्ट रीनर्क्ट एण्ड निस्टन,
लन्दन 1966 ई०

उपाध्याय, बलदेव

: वैदिक साहित्य और संस्कृति,
शारदा संस्थान, वाराणसी, 1976 ई०

कुम्पूस्वामी, बी०

: धर्म एण्ड सोसायटी, इण्डिया प्रेस, मद्रास- 600,002,
1977 ई०

काविराज, म०म० गोपीनाथ

: भारतीय संस्कृति और साधना, प्रथम एवं द्वितीय खण्ड,
राष्ट्रभाषा प्रकाशन, बिहार, 1963 ई०

कांगले, आर० पी०

: स्टडीज आव कौटिल्य अर्थशास्त्र, युनिवर्सिटी आव
बाम्बे, जिल्द 1,2,3, 1960-63 ई०

काणो, पाण्डुरंगवामन.

: हिस्ट्री आव द धर्मशास्त्र, गर्वनमेण्ट ओरियण्टल सीरीज,
क्लास वी०, नं० 6, भण्डारकर ओरियण्टल रिसर्व
इंस्टीट्यूट, पूना ।

जिल्द 1, 1963 ई०

हिस्ट्री आव धर्मशास्त्र,

जिल्द 2, भाग 1, 1941 ई०

हिस्ट्री आव धर्मशास्त्र,

जिल्द 2, भाग 2, 1941 ई०

हिस्ट्री आव धर्मशास्त्र,

जिल्द 2, 1946 ई०

हिस्ट्री आव धर्मशास्त्र,

जिल्द 4, 1953 ई०

हिस्ट्री आव धर्मशास्त्र,

जिल्द 5, भाग 2, 1958 ई०

हिस्ट्री आव धर्मशास्त्र,

जिल्द 5, भाग 2, 1962 ई०

सभी जिल्दों का प्रकाशन स्थान -

गर्वनमेण्ट ओरियण्टल सीरीज, क्लास

वी० नं० 6, भण्डारकर ओरियण्टल रिसर्व

इंस्टीट्यूट, पूना ।

कीथ, ए०बी०

: द रिलिजन एण्ड फिलासफी आव द वेदन एण्ड
उपनिषद्

हावर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, 1952 ई०

कन्लेटोन, ए०सी०

: द ऋग्वेद एण्ड बैदिक रिलिजन, बनारसीदास एंड को०,
न्यू दिल्ली, 1913 ई० ।

- खान, बेजापिन : द कानसेप्ट आव धर्म इन वाल्मीकि रामायण,
मुशीराम मनोहरलाल, नई सड़क, दिल्ली -6, 1966 ई०
- गुप्ता, एन० जी० भेन : सोर्सेज आव ला एण्ड सोसायटी, कलकत्ता, 1974 ई०
- गुप्ता, सुरमादास : डेवलपमेण्ट आव मारल फिलासोफी इन इंडिया,
ओरियण्टल लांग्वेज, कलकत्ता, 1966 ई०
- गोपाल, लल्लन जी : द इकानामिक्स लाइफ आफ नार्दन इंडिया,
प्र०स०, मोतीलाल बनारसीदास, 1968 ई० दिल्ली
- धूर्ये, जी० एस० : कास्ट एण्ड क्लास इन इण्डिया, तृतीय संस्करण,
पापुलर बुक डिपो, बाम्बे, 1957 ई०
कास्टर एण्ड रेस इन इण्डिया, लन्दन, 1968 ई०
- धोणाल, यू० एन० : ए हिस्ट्री आव द हिन्दू पोलिटिकल थियरीज़,
आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन, 1959 ई०
हिस्ट्री आव द हिन्दू पब्लिक लाइफ, भाग 1,
कलकत्ता 1945 ई०
- धोण अ०सी० : द प्रिंसिपल आफ हिन्दू ला, तृतीय संस्करण,
कलकत्ता, 1917-19 ई० ।
- धोण, बी० के० : हिन्दू आइडियल आव लाइफ, कलकत्ता, 1947 ई०
- चटर्जी, सुनीत कुमार : द कल्चरल हैरेटेज आफ इंडिया, जिल्ड 1,
प्रथम संस्करण, कलकत्ता, 1958 ई०
- चट्टोपाध्याय, के० : द ओरिजिन आव द कास्ट, विश्वभारती, 1925 ई०
- चौधरी, आर० के० : स्टडीज़ इन एशियण्ट इंडियन ला एण्ड जस्टिस,
मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1953 ई०
- जायसवाल, के०पी० : मनु एण्ड याज्ञवल्क्य, कलकत्ता, 1930 ई०

- जाली, जे० : हिन्दू ला एण्ड कस्टम्स, भारतीय पब्लिशिंग हाउस, वाराणसी, 1975 ई०
- फा, गंगानाथ : हिन्दू ला इन इट्स सोर्सिज, इलाहाबाद, 1930 ई०
- डेरिट, जे०डी०एम० : हिन्दू ला : पास्ट एण्ड प्रेजेन्ट, कलकत्ता, 1957 ई०
- डेरिट, जे०डी०एम० : रिलिज्जन्स लाम् एण्ड स्टेट इन इण्डिया, लन्दन, 1968 ई०
- तिलक, बाल गंगाधर : गोता रहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र, वैभव प्रेस, गिरिगाँव, बम्बई-4, 1933 ई०
- दत्त, एम०एन० : द धर्मशास्त्र आर द हिन्दू ला कोड्स, तृतीय जिल्द, कलकत्ता, 1908 ई०
- दत्त, बी० एन० : स्टडीज इन इंडियन सोशल पोलिटी, कलकत्ता 1986 ई०
- दत्त, रामेश चन्द्र : एशियन्ट इण्डिया (जिल्द 5) कलकत्ता, 1986 ई०
- दत्ते, जे० एच० : इम्पारटल इण्डिया, जिल्द 2, भारतीय विद्या भवन, बाम्बे, 1959 ई०
- दास, ए०सी० : ऋग्वैदिक इण्डिया, कलकत्ता, 1921 ई०
- नेल्सन, ई० डब्लू० : ए० व्यूव आव हिन्दू ला, मद्रास, 1887 ई०
- प्रासीवेल : द लैण्ड आव द वेद, लन्दन 1854 ई०
- पुसालकर, ए०डी० : स्टडीज इन द एपिक्स एण्ड पुराणाज आव इण्डिया, भारतीय विद्या भवन, बम्बई, 1955 ई०
- पाण्डेय, जी०सी० : भारतीय संस्कृति, विश्वविद्यालय प्रकाशन, गोरखपुर, 1962 ई०
स्टडीज इन द ओरिजिंस आव द बुद्धिज्म, इलाहाबाद युनिवर्सिटी, 1957 ई०

- पाण्डेय, जी०सी० : बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास,
लखनऊ, 1963 ई०
- पाण्डे, राजबली : भारतीय नीति का विकास,
बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, 1965 ई०
हिन्दू संस्कार,
राष्ट्रभाषा ग्रंथमाला, 12 चौखम्बा विद्या
भवन, वाराणसी, 1957 ई०
- प्रो० इन्द्रा प्रभु०, पी० एन० : द स्टेट्स आव वूमैन इन एशियण्ट इण्डिया, बनारस,
हिन्दू सोशल आर्गनाइजेशन, 1955
द्वितीय संस्करण, बाम्बे, 1954 ई०
- प्रसाद, बेनी : थियरी आव गवर्नमेण्ट इन एशियण्ट इण्डिया,
इलाहाबाद, 1927 ई०
- बन्जी, एस०सी० : धर्म सूत्राज (ए० स्टडी इन द ओरिजिन्स एण्ड
डेवलपमेण्ट)
पुन्थी पुस्तक, कलकत्ता, 1962 ई०
- बन्जी, ए०सी० : स्टडीज़ इन द ब्राह्मण,
मौतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1963 ई०
- बार्थ, ए० : रिलिजन्स आव इण्डिया, लन्दन 1882 ई०
ए० व्यू आव द हिन्दू लाज (रीकू)
लन्दन, 1878 ई०
- बसु, जोगीराज : इण्डिया आव द एज आव द ब्राह्मन्स,
संस्कृत पुस्तक भण्डार, कलकत्ता, 1969 ई०
- ब्लूम फील्ड, एम०एम० : रिलिज्म आव द वेदाज,
पिटर्स सन्स, न्यूयार्क एंड लन्दन, 1908 ई०
द रिलिजन्स आव द इण्डिया,

- बेटलो, आन्ड्रे : कास्ट क्लास एण्ड पावर,
आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, बाम्बे, 1969 ई०
- बेले, एफ०जी० : कास्ट एण्ड इकानामिक फ्रंटियर,
आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क, 1958 ई०
- भण्डारकर, डी०आर० : सम आस्पेक्ट्स आव रेशियण्ट इंडियन कल्चर,
मद्रास, 1940 ई०
- भट्ट, गौरीशंकर : भारतीय संस्कृति एक समाज शास्त्रीय समीक्षा,
साहित्य सदन, देहरादून, 1965 ई०
- भट्टाचार्या, जे० : कमेण्टरीज़ आव हिन्दू ला, कलकत्ता, 1909 ई०
- महादेवन, टी०एम०पी० : आउट लाइन्स आव हिन्दू इज्जम, मद्रास, 1960 ई०
- मजूमदार, आर० सी० : कारपोरेट लाइफ इन रेशियंट इंडिया,
कलकत्ता युनिवर्सिटी, 1922 ई०
- मीज, जी० एच० : धर्म एण्ड सोसाइटी,
ग्रेट रसल स्ट्रीट, लन्दन, 1953 ई०
- मिश्र, जयशंकर : ग्यारहवीं सदी का भारत, वाराणसी 1968 ई०
- मिश्र, राजनाथ
म्यूलर, मैक्स : अथर्वविद का सांस्कृतिक अध्ययन इलाहाबाद, 1970
: इंडिया वाट केन इट टोच अस,
लागमेन्स ग्रीन एण्ड कं०, न्यूयार्क, 1899 ई०
- मेकडानेल, ए० ए० : वैदिक माइथालोजी, स्टेन बर्ग, 1897 ई०
- मैत्र, एच० के० : ए एथिक्स आव द हिन्दूज़,
कलकत्ता युनिवर्सिटी, 1925 ई०
- मुकजी, संध्या : सम आस्पेक्ट्स आव सोशल लाइफ एन
रेशियंट इंडिया इलाहाबाद, 1976 ई०

- मुक्ती, राधाकुमुद : द फण्डामेण्टल कुनिटी आंव इंडिया,
द लागमैस, लन्दन, 1914 ई०
- मोटवानी, के० : मनु ए स्टडी इन हिन्दू सोशल थियरी,
मद्रास, 1934 ई०
- मुल्ला० डी० एफ० : प्रिंसपल आंव हिन्दू ला, बाम्बे 1966 ई०
- यादव, बी०एन० एस० : भारतीय संस्कृति,
सेंट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद, 1973 ई०
- रगोजिन, जेड०ए० : वैदिक इंडिया, लन्दन, 1889 ई०
राम, एस० एम० : ऐतिहासिक चरित्र एवम् समाज, इलाहाबाद, 1968.
- राम चौधरी, एच०सी० : पोलिटिकल हिस्ट्री आंव रेशियण्ट इंडिया,
कलकत्ता, 1950 ई०
- राव, विजय बहादुर : उत्तर वैदिक समाज एवं संस्कृति,
भारतीय विद्या प्रकाशन, वाराणसी, 1966 ई०
- राधा कृष्णन, एस० : धर्म और समाज,
राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, 1962 ई०
द हिन्दू व्यू आंव लाइफ,
ऐलन एण्ड अनविन, लन्दन, 1928 ई०
- रार्बर्ट लिंगट : द क्लासिकल ला आंव इंडिया,
युनिवर्सिटी आफ कैलिफोर्निया प्रेस, लन्दन, 1963 ई०
- रानकिन, जी० सी० : बैकग्राउण्ड आंव इंडियन ला,
केम्ब्रिज युनिवर्सिटी, 1946 ई०
- राणा, रणजीत सिंह : धर्म की हिन्दू अवधारणा (8ठी शताब्दी से
12 शताब्दी)
सेंट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद, 1977 ई०
- राम, गोपाल : इंडिया आंव द वैदिक कल्पसूत्राज,
नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नयी दिल्ली, 1951 ई०

- राज, भारती : प्राचीन भारत में सामाजिक गतिशीलता,
ब्राइट रेज पब्लिकेशन, साउथ मलाका, इलाहाबाद,
1985 ई०
- रेनु, लुई : वैदिक इण्डिया, लन्दन, 1889 ई०
रिलिजन्स आव रशियण्ट इण्डिया, लन्दन, 1953 ई०
- ला, एन० एन० : सम आस्पेक्ट्स आव रशियण्ट इंडियन पालिटो,
आक्सफोर्ट, 1921 ई०
- लुनिया, बी० एन० : लाइफ एण्ड कल्चर इन रशियण्ट इंडिया,
आगरा, 1975 ई०
- विद्यालंकार सत्यवैतु : प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग,
श्री सरस्वती सदन, मंसूरी, 1977 ई०
- वेस्टरमार्क, ई० : ओरिजिन एण्ड डबलपमेण्ट आव मारल आइडियाज़,
जिल्ड 1,2 लन्दन 1912 ई०
- बोरा, धैर्यवल पी० : इवात्युशन आव द मारल्स इन द एथिक्स,
बम्बई, 1966 ई०
- स्टोक्स, डब्ल्यू० : हिन्दू ला बुक, मद्रास, 1865 ई०
- सेटलर, एथ० : हिन्दू ला बुक आव इनहेरिटेनस, मद्रास, 1911 ई०
- फेलमैन, जे० डब्ल्यू० : पोलिटिकल थियरी आव रशियण्ट इंडिया,
आक्सफोर्ड, 1964 ई०
- सरकार, शास्त्री जी०सी० : ए ट्रीटीज आव हिन्दू ला, कलकत्ता, 1933 ई०
- सरकार, एस० सी० : सम आस्पेक्ट्स आव द इम्प्लीमेण्ट सोशल हिस्ट्री
आव इंडिया, लन्दन, 1928 ई०

- सरकार, डी०सी० : सोशल लाइफ इन एशियण्ट इंडिया, कलकत्ता, 1971 ई०
- सिन्हा, एच०एन० : सावरेनटी इन एशियण्ट इंडियन पोलिटी,
लन्दन, 1938 ई०
- सेन गुप्ता, एन०सी० : सोर्सेज आव ला एण्ड सोसायटी इन एशियण्ट इंडिया,
कलकत्ता, 1914 ई०
- सेनार्ट, ई० : कास्ट इन इंडिया, लन्दन, 1939 ई०
- सेन, ए० के० : स्टडीज इन हिन्दू पोलिटिकल थाट, कलकत्ता, 1926 ई०
- शर्मा, आर० एस० : शूद्राज इन एशियण्ट इंडिया,
मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1958 ई०
सम आस्पेक्टस आव द क्लेसिफिड पोलिटिकल
आइडियाज, दिल्ली, 1959 ई०
- हापकिन्स, ई०डब्ल्यू० : द ग्रेट इपिक आव इंडिया, लन्दन, 1909 ई०
द म्युचुअल रिलेशन आव द फोर कास्टस
एकाडिंग टु मानव धर्मशास्त्र, लीपाजग, 1881 ई०
- हाजरा, आर० सी० : स्टडीज इन द पुराणिक रिकार्ड एकाडिंग टु हिन्दू
राइट्स एण्ड कस्टम्स, ढाका, 1946 ई०